Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Saturday, February 13, 2021 / Magha 24, 1942 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

LOK SABHA DEBATES

(NO QUESTION HOUR: PART I - NOT ISSUED)

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Saturday, February 13, 2021 / Magha 24, 1942 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**1**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**1 - 60**
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	**60 - 61**
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE **Minutes**	**61**
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES **17th to 20th Reports**	**61**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**62 - 63**
Shri D. Ravikumar	**62**
Dr. Beeseti Venkata Satyavathi	**63**
***GENERAL BUDGET- GENERAL DISCUSSION** **(Contd. --Concluded)**	**64 – 87**
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	**64**
Shrimati Nirmala Sitharaman	**65 - 87**

***For Laid Speeches, Please see Supplement**

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) ORDINANCE AND JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL	**88 - 163**
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	**88 & 90 - 94**
Motion for Consideration	**88**
Shri G. Kishan Reddy	**88 – 89**
Shri Hasnain Masoodi	**95 - 97**
Dr. Satya Pal Singh	**98 - 103**
Dr. T. Sumathy *Alias* Thamizhachi Thangapandian	**104 - 08**
Prof. Sougata Ray	**109 - 12**
Shrimati Chinta Anuradha	**113 - 14**
Shri Rajiv Ranjan Singh Lalan	**115**
Shri Malook Nagar	**116 - 17**
Shri Bhartruhari Mahtab	**118 - 22**
Shri Nama Nageswara Rao	**123 - 24**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**125 - 26**
Shri Brijendra Singh	**127 - 30**
Shri N.K. Premachandran	**131 - 32**
Shri Jamyang Tsering Namgyal	**133 - 35**
Shri Manish Tewari	**136 - 37**
Shri Jugal Kishore Sharma	**138 - 39**
Shri Asaduddin Owaisi	**140 - 41C**
Shri Jasbir Singh (Dimpa) Gill	**142 - 43**
Shri Amit Shah	**144 - 59**

Statutory Resolution - Negatived	162
Motion for Consideration – Adopted	162
Consideration of Clauses	163
Motion to Pass	163
*MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	164 - 68 & 170 - 201
BILLS INTRODUCED	169
(i) Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Bill	
(ii) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill	

---

*Please see Supplement for the list of Members who have associated

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Saturday, February 13, 2021 / Magha 24, 1942 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX	XXX	XXX		XXX
Xxx	xxx	xxx	xxx	
Xxx	xxx	xxx	xxx	
xxx	xxx	xxx		xxx

GENERAL BUDGET- GENERAL DISCUSSION	64A – 64DG
* Shri Ashok Mahadeorao Nete	64A - 64P
* Shri M.K. Raghavan	64Q - 64S
* Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu	64T – 64W
* Shri Devji M. Patel	64X – 64AB
* Shri Akshaibar Lal	64AC
* Shri Kuldeep Rai Sharma	64AD – 64AG
* Shri Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor	64AH – 64AJ
* Shrimati Annpurna Devi	64AK – 64AP
* Dr. Subhash Ramrao Bhamre	64AQ
* Shri Tirath Singh Rawat	64AR – 64AS
* Shri Raju Bista	64AT – 64AY
* Shri Sunil Kumar Singh	64AZ – 64BF
*Shri Sukhir Singh Jaunapuria	64BG – 64BI
*Shri Kapil Moreshwar Patil	64BJ – 64BN

---

* Laid on the Table

* Shri Ramshiromani Verma	64BO – 64BP
* Shri Ajay Tamta	64BQ – 64BR
* Shri Ashok Kumar Rawat	64BS – 64CM
*Kumari Shobha Karandlaje	64CN – 64CS
* Dr. Shrikant Eknath Shinde	64CT – 64CV
* Dr. Kalanidhi Veeraswamy	64CW – 64CX
* Dr. Heena Vijaykumar Gavit	64CY – 64CZ
* Shri Rahul Kaswan	64DA – 64DD
* Dr. Manoj Rajoria	64DE – 64DG
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	201- 04

* Laid on the Table

(1000/SPS/SM)

1001 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1001 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1001 बजे

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 1 से 23 एक साथ लिए जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी – उपस्थित नहीं।

श्री प्रहलाद जोशी जी।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Raj Nath Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2021-2022.

(2) Defence Services Estimates for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Narendra Singh Tomar, I beg to lay on the Table a copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Panchayati Raj for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Law and Justice for the year 2021-2022.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Law and Justice for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Thaawar Chand Gehlot, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2021-2022.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2021-2022.

(2) A copy of the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.592(E) in Gazette of India dated 25th February, 2020 under sub-section (3) of Section 22 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019\.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shrimati Smriti Zubin Irani, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cotton Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Dr, Harsh Vardhan, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts. (ii) A copy of the Review (Hindi and English

versions) by the Government of the working of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroresources Limited, Mumbai, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroresources Limited, Mumbai, for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the ONGC Videsh Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the ONGC Videsh Limited, New Delhi, for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (d) & (e) of (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2020-2021.

(ii) Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2020-2021.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2019-2020.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2019-2020.

(7) A copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Santosh Kumar Gangwar, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Financial Estimates and Performance Budget (Hindi and English versions) of the Employees' State Insurance Corporation, New Delhi, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948:-

(i) The Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.554(E) in Gazette of India dated 14th September, 2020.

(ii) The Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.423(E) in Gazette of India dated 13th June, 2019.

(iii) The Employees' State Insurance (General) (First) Amendment Regulations, 2020 published in Notification No. N-12/13/1/2016-P&D in Gazette of India dated 18th May, 2020.

(iv) The Employees' State Insurance (General) (Second) Amendment Regulations, 2020 published in Notification No. N-12/13/01-2019-P&D in Gazette of India dated 18th May, 2020.

(v) Notification No. N-12/13/01/2019-P&D published in Gazette of India dated 11th January, 2021 regarding amendment of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojna.

(vi) Notification No. N-12/13/01/2019-P&D published in Gazette of India dated 11th January, 2021 regarding amendment of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojna.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (i), (iii) & (iv) of (5) above.

(7) A copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948:-

(i) The Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.675(E) in Gazette of India dated 27th October, 2020.

(ii) The Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.676(E) in Gazette of India dated 27th October, 2020.

(iii) The Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.555(E) in Gazette of India dated 14th September, 2020.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (iii) of (7) above.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Dr. Jitendra Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, for the year 2019-2020.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tata Memorial Centre, Mumbai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Tata Memorial Centre, Mumbai, for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Kiren Rijiju, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Prahalad Singh Patel, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Tourism for the year 2021-2022.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Culture for the year 2021-2022.

(2) A copy each of the Annual Reports for the year 2019-2020 (Hindi and English versions) alongwith Audited Accounts in respect of the following institutes:-

(i) Dr. Ambedkar Institute of Hotel Management Catering and Nutrition, Chandigarh.

(ii) Institute of Hotel Management and Catering Technology Thiruvananthapuram.

(iii) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, New Delhi.

(iv) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Lucknow.

(v) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Shimla.

(vi) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Mumbai.

(vii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhopal.

(viii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Gwalior.

(ix) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition (Society), Gurdaspur.

(x) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society, Kolkata.

(xi) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Shillong.

(xii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai.

(xiii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hajipur.

(xiv) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Jaipur.

(xv) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Guwahati.

(xvi) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhubaneswar.

(xvii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad.

(xviii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Srinagar.

(xix) Institute for Hotel Management, Bangalore.

(xx) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Goa.

(xxi) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Gandhinagar.

(xxii) National Council for Hotel Management and Catering Technology, Noida.

(3) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the institutions mentioned at item No. (2) above for the year 2019-2020.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, Gwalior, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, Gwalior, for the year 2019-2020.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Culinary Institute (Tirupati & Nodia), Noida, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Culinary Institute (Tirupati & Nodia), Noida, for the year 2019-2020.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2018-2019.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2018-2019.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Buddhist Studies, Leh-Ladakh, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Buddhist Studies, Leh-Ladakh, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Buddhist Studies, Leh-Ladakh, for the year 2018-2019.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vrindavan Research Institute, Vrindavan, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vrindavan Research Institute, Vrindavan, for the year 2019-2020.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of The Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of The Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2018-2019.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Victoria Memorial Hall, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Victoria Memorial Hall, Kolkata, for the year 2018-2019.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Allahabad Museum, Allahabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Allahabad Museum, Allahabad, for the year 2018-2019.

(19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the years 2017-2018 and 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the years 2017-2018 and 2018-2019.

(21) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2018-2019.

(23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, for the year 2018-2019.

(25) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (24) above.

(26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, for the years 2017-2018 and 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, for the years 2017-2018 and 2018-2019.

(27) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2021-2022.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2021-2022.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2019-2020.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2018-2019.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Housing and Urban Development Corporation Limited and the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Mansukh Mandaviya, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2019-2020.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2019-2020.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Faggansingh Kulaste, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the KIOCL Limited, Bangalore, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the KIOCL Limited, Bangalore, for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Review by the Government of the working of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Review by the Government of the working of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review by the Government of the working of the MSTC Limited, Kolkata, and its subsidiary Ferro Scrap Nigam Limited for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the MSTC Limited, Kolkata, and its subsidiary Ferro Scrap Nigam Limited for the year 2019-2020 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Nine statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Ispat Nigam Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021.

(ii) Memorandum of Understanding between the MECON Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021.

(iii) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021.

(iv) Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021.

(v) Memorandum of Understanding between the MSTC Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021.

(vi) Memorandum of Understanding between the KIOCL Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021

(vii) Memorandum of Understanding between the NMDC Limited and the Ministry of Steel for the year 2020-2021

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Arjun Ram Meghwal, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Andrew Yule and Company Limited, Kolkata, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Andrew Yule and Company Limited, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Andrew Yule and Company Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2020-2021.

(ii) Memorandum of Understanding between the Bharat Heavy Electricals Limited the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2020-2021.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Automotive Research Association of India, Pune, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Automotive Research Association of India, Pune, for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of General (Retd.) V.K. Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2019-2020.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Krishan Pal, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Handicapped Finance and Development Corporation, Faridabad, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the National Handicapped Finance and Development Corporation, Faridabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society of Khrist Jyoti, Varanasi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society of Khrist Jyoti, Varanasi, for the year 2019-2020.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Education of the Deaf and Blind, Vizianagaram, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Education of the Deaf and Blind, Vizianagaram, for the year 2019-2020.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Alakendu Bodh Niketan Residential, Kolkata, for the years 2010-2011, 2011-2012 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Alakendu Bodh Niketan Residential, Kolkata, for the years 2010-2011, 2011-2012 and 2015-2016.

(6) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Social and Health Development Organisation, Imphal, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Social and Health Development Organisation, Imphal, for the year 2019-2020.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Voluntary Organisation of Rural Development Society, Kurnool, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Voluntary Organisation of Rural Development Society, Kurnool, for the year 2019-2020.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the LEBENSHILFE, Visakhapatnam, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the LEBENSHILFE, Visakhapatnam, for the year 2019-2020.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Type Writing Institution and Rural Development Service, Thoubal, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Type Writing Institution and Rural Development Service, Thoubal, for the year 2019-2020.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Educational and Rural Development Organisation, Thoubal, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Educational and Rural Development Organisation, Thoubal, for the year 2019-2020.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Surya Kiran Parents Association for the Welfare of the Mentally Handicapped Children, Guntur, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Surya Kiran Parents Association for the Welfare of the Mentally Handicapped Children, Guntur, for the year 2019-2020.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pahel (Viklang Punarwas Kendra Samiti), Kanpur, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pahel (Viklang Punarwas Kendra Samiti), Kanpur, for the year 2019-2020.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Uttar Pradesh Mook Badhir Vidyalaya, Allahabad, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Uttar Pradesh Mook Badhir Vidyalaya, Allahabad, for the year 2019-2020.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the St. Ann's Manovikas Kendra, Guntur, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the St. Ann's Manovikas Kendra, Guntur, for the year 2019-2020.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Siri Institute for the Mentally Handicapped, Samalkot, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Siri Institute for the Mentally Handicapped, Samalkot, for the year 2019-2020.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Uma Educational and Technical Society (Uma Manovikasa Kendram), Kakinada, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Uma Educational and Technical Society (Uma Manovikasa Kendram), Kakinada, for the year 2019-2020.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shanthiniketan-Residential Institution for the Mentally Handicapped, Vanasthalipuram, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shanthiniketan-Residential Institution for the Mentally Handicapped, Vanasthalipuram, for the year 2019-2020.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sadhana Society for the Mentally Handicapped, Hyderabad, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sadhana Society for the Mentally Handicapped, Hyderabad, for the year 2019-2020.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manasika Vikasa Kendram, Vijayawada, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manasika Vikasa Kendram, Vijayawada, for the year 2018-2019.

(21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped, Hyderabad, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped, Hyderabad, for the year 2019-2020.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manasika Vikasa Kendram, Vijayawada, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manasika Vikasa Kendram, Vijayawada, for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Danve Raosaheb Dadarao, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2021-2022.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2021-2022.

(iii) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2021-2022.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Warehousing Development and Regulatory Authority, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Warehousing Development and Regulatory Authority, New Delhi, for the year 2019-2020.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

(i) S.O.3257(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2020 making certain amendments in Notification No. S.O.371(E) dated 8th February, 2017.

(ii) S.O.4584(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2020 making certain amendments in Notification No. S.O.371(E) dated 8th February, 2017.

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007:-

(i) The Warehousing (Development and Regulation) Authority, appointment of Chairperson and other members Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.670(E) in Gazette of India dated 21st October, 2020.

(ii) The Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.782(E) in Gazette of India dated 22nd December, 2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Parshottam Rupala, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2019-2020.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968:-

(i) The Insecticides (Third Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.805(E) in Gazette of India dated 30th December, 2020.

(ii) S.O.2582(E) in Gazette of India dated 4th August, 2020, including the substances, mentioned therein, in the Schedule of the Insecticides Act, 1968.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Dhotre Sanjay Shamrao, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Assam, Guwahati, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Assam, Guwahati, for the year 2018-2019.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2019-2020.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2018-2019.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2018-2019.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2018-2019.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2018-2019.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(16) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Gujarat Council of School Education, Gandhinagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Gujarat Council of School Education, Gandhinagar, for the year 2018-2019.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Council of Elementary Education, Gandhinagar, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Council of Elementary Education, Gandhinagar, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(20) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyaan Gujarat Council of Secondary Education, Gandhinagar, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyaan Gujarat Council of Secondary Education, Gandhinagar, for the year 2016-2017.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai, for the year 2017-2018.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Uttarakhand, Dehradun, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Uttarakhand, Dehradun, for the year 2018-2019.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Uttarakhand, Dehradun, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Uttarakhand, Dehradun, for the year 2019-2020.

(28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.P. Education for all Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the year 2018-2019.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.P. Education for all Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the year 2018-2019.

(29) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (28) above.

(30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2018-2019.

(31) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (30) above.

(32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2019-2020.

(33) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (32) above.

(34) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Delhi (Part-I & II), Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Delhi (Part-I & II), Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Delhi, Delhi, for the year 2018-2019.

(35) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (34) above.

(36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata, for the year 2018-2019.

(37) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (36) above.

(38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai, for the year 2018-2019.

(39) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (38) above.

(40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the years 2018-2019 and 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(41) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (40) above.

(42) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Silchar, Silchar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Silchar, Silchar, for the year 2018-2019.

(43) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (42) above.

(44) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Telangana, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Telangana, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(45) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (44) above.

(46) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the EdCIL (India) Limited and the Ministry of Education for the year 2020-2021.

(ii) Memorandum of Understanding between the Bharat Sanchar Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2020-2021.

(iii) Memorandum of Understanding between the Bharat Broadband Network Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2020-2021.

(iv) Memorandum of Understanding between the Mahanagar Telephone Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2020-2021.

(47) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2018-2019.

(48) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (47) above.

(49) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Puducherry, Karaikal, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Puducherry, Karaikal, for the year 2018-2019.

(50) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (49) above.

(51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha UT of Jammu and Kashmir, Srinagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha UT of Jammu and Kashmir, Srinagar, for the year 2018-2019.

(52) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (51) above.

(53) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Rajasthan, Jaipur, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Rajasthan, Jaipur, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Rajasthan, Jaipur, for the year 2019-2020.

(54) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Kashipur, Kashipur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Kashipur, Kashipur, for the year 2018-2019.

(55) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (54) above.

(56) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Nagpur, Nagpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Nagpur, Nagpur, for the year 2018-2019.

(57) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (56) above.

(58) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Sikkim, Ravangla, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Sikkim, Ravangla, for the year 2018-2019.

(59) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (58) above.

(60) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2018-2019.

(61) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (60) above.

(62) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2018-2019, together with Audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2018-2019.

(63) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (62) above.

(64) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Ahmedabad, Ahmedabad, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Ahmedabad, Ahmedabad, for the year 2019-2020.

(65) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (64) above.

(66) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nagaland University, Lumami, for the year 2019-2020.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nagaland University, Lumami, for the year 2019-2020.

(67) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, for the year 2018-2019.

(68) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (67) above.

(69) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Mahendragarh, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Mahendragarh, for the year 2018-2019, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Haryana, Mahendragarh, for the year 2018-2019.

(70) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (69) above.

(71) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Tripura, Agartala, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Tripura, Agartala, for the year 2018-2019.

(72) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (71) above.

(73) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Mizoram, Aizawl, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Mizoram, Aizawl, for the year 2018-2019.

(74) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (73) above.

(75) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Warangal, Warangal, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Warangal, Warangal, for the year 2018-2019.

(76) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (75) above.

(77) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2019-2020.

(78) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manipur University, Canchipur, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Manipur University, Canchipur, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manipur University, Canchipur, for the year 2018-2019.

(79) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (78) above.

(80) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) by the Government of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2019-2020.

(81) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (80) above.

(82) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Vadodara, for the years 2013-2014 to 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Vadodara, for the years 2013-2014 to 2016-2017.

(83) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (82) above.

(84) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019.

(85) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (84) above.

(86) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2019-2020.

(87) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2018-2019.

(88) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (87) above.

(89) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Srinagar, Hazratbal, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Srinagar, Hazratbal, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Srinagar, Hazratbal, for the year 2018-2019.

(90) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (89) above.

(91) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2018-2019.

(92) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (91) above.

(93) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, for the year 2016-2017.

(94) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (93) above.

(95) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Orissa, Karaput, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Orissa, Karaput, for the year 2019-2020.

(96) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2019-2020.

(97) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2018-2019.

(98) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (97) above.

(99) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2019-2020.

(100) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(101) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (100) above.

(102) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Bhopal, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Bhopal, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Bhopal, for the year 2018-2019.

(103) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Hamirpur, Hamirpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Hamirpur, Hamirpur, for the year 2018-2019.

(104) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (103) above.

(105) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2018-2019.

(106) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (105) above.

(107) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Jamshedpur, Jamshedpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Jamshedpur, Jamshedpur, for the year 2018-2019.

(108) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (107) above.

(109) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Abhiyan Punjab, Mohali, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Abhiyan Punjab, Mohali, for the year 2018-2019.

(110) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (109) above.

(111) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2019-2020.

(112) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (111) above.

(113) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad, Panchkula, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad, Panchkula, for the year 2019-2020.

(114) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Education Mission Authority of Meghalaya (Samagra

Shiksha Abhiyan), Shillong, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Education Mission Authority of Meghalaya (Samagra Shiksha Abhiyan), Shillong, for the year 2018-2019.

(115) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (114) above.

(116) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Sikkim, Gangtok, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Sikkim, Gangtok, for the year 2018-2019.

(117) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (116) above.

(118) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(119) A copy of the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. CA/193/2020/MSAER in Gazette of India dated 11th August, 2020 under sub-section (3) of Section 45 of the Architects Act, 1972.

(120) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Arunachal Pradesh, Itanagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Arunachal Pradesh, Itanagar, for the year 2018-2019.

(121) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (120) above.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Anurag Singh Thakur, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the IFCI Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the IFCI Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2019-2020.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2019-2020.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2019-2020.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2019-2020.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2019-2020.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2019-2020.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2019-2020.

(9) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

(i) Report on the working and activities of the Allahabad Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(ii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(iii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(iv) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(v) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(vi) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(vii) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(viii) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(ix) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(x) Report on the working and activities of the Corporation Bank of India for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xi) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xii) Report on the working and activities of the Oriental Bank of Commerce for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xiii) Report on the working and activities of the Syndicate Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xiv) Report on the working and activities of the United Bank of India for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xv) Report on the working and activities of the Andhra Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xvi) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(xvii) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2019-2020, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(10) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banks mentioned at item No. (9) above for the year 2019-2020.

(11) Seventeen statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2019-2020.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2019-2020.

(15) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and Administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2020.

(16) A copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2021-2022.

(17) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2020 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal

(ii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa

(iii) Aryavart Bank, Lucknow

(iv) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun

(v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati

(vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Berhampore

(vii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara

(viii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer

(ix) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Gorakhpur

(x) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur

(xi) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur

(xii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna

(xiii) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar

(xiv) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

(xv) J&K Grameen Bank, Jammu

(xvi) Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi

(xvii) Karnataka Gramin Bank

(xviii) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad

(xix) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi

(xx) Kerala Gramin Bank, Thiruvananthapuram

(xxi) Madhya Pradesh Gramin Bank, Patna

(xxii) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar

(xxiii) Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad

(xxiv) Manipur Rural Bank, Imphal

(xxv) Meghalaya Rural Bank, Shillong

(xxvi) Mizoram Rural Bank, Aizawl

(xxvii) Nagaland Rural Bank, Kohima

(xxviii) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar

(xxix) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah

(xxx) Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad

(xxxi) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry

(xxxii) Punjab Gramin Bank, Kapurthala

(xxxiii) Purvanchal Bank, Gorakhpur

(xxxiv) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur

(xxxv) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor

(xxxvi) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

(xxxvii) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot

(xxxviii) Tamil Nadu Grama Bank, Salem

(xxxix) Telangana Grameena Bank, Hyderabad

(xl) Tripura Gramin Bank, Agartala

(xli) Utkal Grameen Bank, Bolangir

(xlii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(xliii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur

(xliv) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun

(xlv) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

(18) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2019-2020.

(19) Forty-Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(20) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.60(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 50/2017-Cus., dated 30th June, 2017.

(ii) G.S.R.61(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 57/2017-Cus., dated 30th June, 2017.

(iii) G.S.R.62(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 25/99-Cus., dated 28th February, 1999.

(iv) G.S.R.63(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 24/2005-Cus., dated 1st March, 2005.

(v) G.S.R.64(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 08/2020-Cus., dated 2nd February, 2020.

(vi) G.S.R.65(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum rescinding notifications, mentioned therein.

(vii) G.S.R.66(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 153/94-Cus., dated 13th July, 1994.

(viii) G.S.R.67(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/96-Cus., dated 23rd July, 1996.

(ix) The project Imports (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. G.S.R.68(E) in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum.

(x) G.S.R.69(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe effective rate of Agriculture Infrastructure and Development Cess for specified goods.

(xi) G.S.R.70(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2018-Cus., dated 2nd February, 2018.

(xii) G.S.R.71(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum exempting all goods falling under headings 7106 and 7108 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 when imported into India.

(xiii) G.S.R.72(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 11/2018-Cus., dated 2nd February, 2018.

(xiv) G.S.R.73(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 82/2017-Cus., dated 27th October, 2017.

(xv) The Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty)(Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.74(E) in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum.

(xvi) G.S.R.52(E) published in Gazette of India dated 28th January, 2021, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive bilateral safeguard measure on the imports of "Polybutadiene Rubber, excluding titanium and lithium grade" from Korea RP for a period of two years from the date of imposition of the provisional bilateral safeguard measure imposed on the recommendation of the final findings of Directorate General of Trade Remedies under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017.

(xvii) G.S.R.615(E) published in Gazette of India dated 5th October, 2020, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 13/2020-Cus., dated 14th February, 2020.

(xviii) G.S.R.657(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2020, together with an explanatory memorandum allowing exemption from specified duties of Customs to goods when imported into India and cleared against a duty credit scrip issued under the scheme for Rebate of State Levies on export of garments and made-ups.

(21) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.78(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 54/2018 – Customs (ADD) dated 18th October, 2018 so as to temporarily revoke the operation of the said notification for the period from 2nd February, 2021 to 30th September, 2021.

(ii) G.S.R.79(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 38/2019 – Customs (ADD) dated 25th September, 2019 so as to temporarily revoke the operation of the said notification for the period from 2nd February, 2021 to 30th September, 2021.

(iii) G.S.R.80(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 16/2020 – Customs (ADD) dated 23rd June, 2020 so as to temporarily revoke the operation of the said notification for the period from 2nd February, 2021 to 30th September, 2021.

(iv) G.S.R.81(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 02/2020-Cus.(CVD), dated 9th October, 2020.

(v) G.S.R.82(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 01/2017 – Customs (CVD) dated 7th September, 2017 so as to temporarily revoke the operation of the said notification for the period from 2nd February, 2021 to 30th September, 2021.

(vi) G.S.R.7(E) published in Gazette of India dated 6th January, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 2/2016-Cus.(ADD) dated 28th January, 2016.

(vii) G.S.R.53(E) published in Gazette of India dated 28th January, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 3/2018-Cus.(ADD) dated 23rd January, 2018.

(viii) G.S.R.54(E) published in Gazette of India dated 28th January, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2016-Cus.(ADD) dated 23rd June, 2016.

(ix) G.S.R.58(E) published in Gazette of India dated 30th January, 2021, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on imports of “Steering Knuckles meant

for heavy and medium commercial vehicles" originating in or exported from People's Republic of China for a period of thirty months from the date of publication of the notification in the official Gazette i.e. 30th January, 2021.

(22) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.83(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 11/2017-C.E., dated 30th June, 2017.

(ii) G.S.R.84(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 05/2019-C.E., dated 6th July, 2019.

(iii) G.S.R.85(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum seeking to exempt Agriculture Infrastructure and Development Cess on blended fuels.

(iv) G.S.R.86(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 28/2002-Central Excise, dated 13.05.2002, to exempt M-15 and E-20 fuels from Special Additional Excise Duty and to add the reference of Agriculture Infrastructure and Development Cess in the appropriate duty of excise.

(v) G.S.R.87(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum seeking to exempt M-15 fuel from Road and Infrastructure Cess.

(vi) G.S.R.88(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum seeking to exempt E-20 fuel from Road and Infrastructure Cess.

(vii) G.S.R.89(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2021 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 10/2018-Central Excise, 11/2018-Central Excise, 12/2018-Central Excise and 13/2018-Central Excise, all dated 02.02.2018, to add the reference of

Agriculture Infrastructure and Development Cess in the appropriate duty of excise.

(viii) G.S.R.658(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2020 together with an explanatory memorandum allowing exemption from Central Excise duty leviable on manufactured goods when cleared againsta duty credit scrip issued under the scheme for Rebate of State Levies on export of garments and made-ups.

(23) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Intermediareis)(Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07 in Gazette of India dated 21st January, 2021.

(ii) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/06 published in Gazette of India dated 20th January, 2021 containing corrigendum to the Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04 dated 11th January, 2021.

(24) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 29 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019:-

(i) The International Financial Services Centres Authority (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.269(E) in Gazette of India dated 29th April, 2020.

(ii) The International Financial Services Centres Authority (Employees' Service) Regulations, 2020 published in Notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG001 in Gazette of India dated 13th November, 2020.

(iii) The International Financial Services Centres Authority (Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2020 published in Notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG002 in Gazette of India dated 13th November, 2020.

(iv) The International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020 published in Notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG003 in Gazette of India dated 13th November, 2020.

(v) The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 published in Notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 in Gazette of India dated 20th November, 2020.

(vi) The International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 published in Notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG005 in Gazette of India dated 11th December, 2020.

(vii) S.O.57(E) published in Gazette of India dated 6th January, 2021 making certain amendments in the Notification No. S.O.2527(E) dated 30th July, 2020.

(viii) S.O.3652(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2020 notifying aircraft lease which shall include operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of aircraft or helicopter and engines of aircraft or helicopter or any other part thereof, as financial product.

(ix) S.O.3653(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2020 notifying Global in-House Centres as financial service to provide services relating to financial products and financial services, for which eligibility criteria shall be provided by the Authority in regulations.

(x) S.O.2844(E) published in Gazette of India dated 21st August, 2020 appointing the 21st August, 2020 as the date on which the provisions, mentioned therein, shall come into force together with a corrigendum thereto published in Notification No. 2869(E) (in English version only) dated 26th August, 2020.

(xi) S.O.2957(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2020 notifying certain financial products and financial services and directs that the powers and functions of the Authority shall include regulating the said financial products and financial services, mentioned therein.

(xii) S.O.3374(E) published in Gazette of India dated 29th September, 2020 appointing the 1st of October, 2020 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 shall come into force.

(xiii) S.O.1383(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2020 appointing the 27th April, 2020 as the date on of the establishment of the International Financial Services Centres Authority and the head office of that Authority shall be at Gandhinagar, Gujarat.

(xiv) S.O.1384(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2020 appointing the 27th April, 2020 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 shall come into force.

(25) A copy of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations (Amendment) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32 in Gazette of India dated 8th October, 2020 under section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and sub-section (3) of Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

(26) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/05 published in Gazette of India dated 13th January, 2021 repealing with immediate effect the Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers)(Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04 in Gazette of India dated 11th January, 2021.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading)(Second Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/38 in Gazette of India dated 29th October, 2020.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities

Market)(Second Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/36 in Gazette of India dated 19th October, 2020.

(v) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors)(Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/36 in Gazette of India dated 7th April, 2020.

(27) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. S.O.1278(E) in Gazette of India dated 22nd April, 2020.

(ii) The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Second Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. S.O.1374(E) in Gazette of India dated 27th April, 2020.

(iii) The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Third Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. S.O.2442(E) in Gazette of India dated 27th July, 2020.

(iv) The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Fourth Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. S.O.4441(E) in Gazette of India dated 8th December, 2020.

(28) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

(i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. IBBI/2020-21/GN/REG068 in Gazette of India dated 14th January, 2021.

(ii) The Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.222(E) in Gazette of India dated 19th March, 2019.

(29) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (28) above.

(30) A copy of the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. HR/PPG/PA/19-20/112 in Gazette of India dated 9th December, 2020 under sub-section (4) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955.

(31) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

(i) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2021 published in Notification No. S.O.366(E) in Gazette of India dated 27th January, 2021.

(ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2021 published in Notification No. S.O.367(E) in Gazette of India dated 27th January, 2021.

(iii) The Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. F. No. BOI/HO/HR/IR/GS/L-241(E) in Gazette of India dated 26th October, 2020.

(32) A copy of the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. HRV No. L001127473/Staff.Gen.(2) in Gazette of India dated 6th March, 2019 under sub-section (3) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

(33) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (32) above.

(34) A copy of the Sabka Vishwas (legacy Dispute Resolution) Scheme (Amendment) Rules, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.295(E) in Gazette of India dated 14th May, 2020 under Section 132 of the Finance (No.2) Act, 2019, together with an explanatory memorandum.

(35) A copy of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 (Removal of Difficulties) Order, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.715(E) in Gazette of India dated 13th November, 2020 under Section 134 of the Finance (No.2) Act, 2019, together with an explanatory memorandum.

(36) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31st March, 2020 published in Notification No. G/19-CWA/9/2020 in Gazette of India dated 30th September, 2020.

(ii) S.O.3201(E) published in Gazette of India dated 21st September, 2020, making certain amendments in the Notification No. S.O.1693(E) dated 3rd October, 2007.

(37) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31st March, 2020 published in Notification No. 1-CA(5)/71/2020 in Gazette of India dated 30th September, 2020 together with a corrigendum thereto published in Notification No.1-CA(5)/71A/2020 published in Gazette of India dated 24th December, 2020.

(ii) The Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. 1-CA(7)/193/2020 in Gazette of India dated 19th October, 2020.

(38) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31st March, 2020 published in Notification No. F. No. 104/40/Accts. in Gazette of India dated 30th September, 2020.

(ii) The Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.696(E) in Gazette of India dated 10th November, 2020.

(iii) G.S.R.726(E) published in Gazette of India dated 17th November, 2020, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

(iv) G.S.R.33(E) published in Gazette of India dated 14th January, 2020, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

(v) G.S.R.339(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2020, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

(39) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iv) of (v) of (38) above.

(40) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.75(E) in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.76(E) in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum.

(iii) The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.77(E) in Gazette of India dated 1st February, 2021, together with an explanatory memorandum.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Som Prakash, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Thane, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Thane, for the year 2019-2020.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Kailash Choudhary, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2020-2021.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 23rd September, 2020 adopted the following Motion in regard to the Joint Committee on Offices of Profit:-
>
> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect the Member of the Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Dr. K. Keshava Rao from the membership of Rajya Sabha on 09.04.2020, and resolves that the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable

vote, one Member from amongst the Members of the House to the said Joint Committee, to fill the vacancy."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Hardwar Dubey, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.'

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 24,

श्री रवनीत सिंह – उपस्थिति नहीं।

श्री अजय मिश्र टेनी।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
कार्यवाही-सारांश

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं 10.02.2021 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
सत्रहवां से बीसवां प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

(1) "आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध (माने गए)" के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध (न माने गए)" के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) "विद्युत मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) "युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में बीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

नियम-377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए

1004 बजे

माननीय अध्यक्ष: नियम-377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्यगण नियम-377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रख सकते हैं।

Re: Restrictions on webinars conducted by educational institutions

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM) : I am given to understand that the Union government has issued fresh restrictions on webinars conducted by educational institutions. Professors and administrators will now have to get prior approval from the Ministry of External Affairs (MEA) if they want to hold online international conferences or seminars that are centred around issues relating to the security of the Indian state or which are “clearly related to India’s internal matters”. Any matter - gender, caste, environment, health - can be termed as internal matter of our country. This is a clear case of intrusion in academic freedom. Requiring government approval for foreign participants is akin to creating a de facto visa system for online participation – a hurdle no country has so far sought to subject its universities to. So, I earnestly request you to withdraw the above order.

(ends)

Re: Problems due to bridge construction over Sarada River in Visakhapatnam district.

Dr. BEESETI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Due to heavy rain, deep depression from October 9th to 13th 2020, Sarada River received heavy flood water due to which a breach occurred in Sarada Right flood bank at Rajala village under Rambilli Mandal of Visakhapatnam, District of Andhra Pradesh.

In this connection, I draw your attention towards the fact that the bridge was constructed across the River Sarada by Navy Officials, in which Iron Mesh was erected between pier to pier for entire width of the bridge as a safety measure. But due to this Iron Mesh, huge problem has arisen in the smooth flow of water resulting in back water flow as much as 3 ½ K.Ms upstream of the bridge and right flood bank breach . As a result, inundation of approximately 5000 Ha of crop land and also loss of human lives.

(ends)

*GENERAL BUDGET – GENERAL DISCUSSION – Contd.

1004 hours

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the Hon. Finance Minister in relating to my district Murshidabad which is recognised as one of the aspirational districts in the country and is waiting for your generosity.

You will be astonished to note that Murshidabad district has been victim of severe erosion years after years. Geographical expression of my district Murshidabad has been drastically sometimes beyond to the recognition. State Government is always arguing that the Central Government is not providing the requisite funds, so they cannot do the work.

So, Madam, I shall be drawing your attention on this issue because without having your support, the erosion problem cannot be solved. It should be treated as a national issue.

Secondly, I am hailing from the same district which has been recognised as the largest jute producing district in the country. You are certainly aware that the entire world now is pleading for wiping out synthetic fibre. Jute could be the fibre of the future. For its golden lustre, it is always regarded as a golden fibre.

So, in the 7 textile parks that you have proposed in the Budget, at least one of the 7 textile parks should be set up in my district. Jute farmers are being deprived from having their legitimate due. Thank You.

(ends)

(1005/KSP/RAJ)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No ‘Zero Hour’.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No Adjournment Motion.

---

* For Laid Speeches, Please see Supplement.

***श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं आदरणीया निर्मला सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यह बजट लीक से हटकर लाया गया है, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केन्द्रित किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा तथा उनके लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू करने की व्यवस्था भी की गई है। यह खुशी की बात है कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी मुश्किल समय में यह बजट पेश किया गया है तथा इसमें मूलतः आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं और स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है तथा रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान रखा गया है और बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है।

देशवासियों ने इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई थीं, जिन्हें सरकार ने पूरा किया है। यह बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इस बजट में कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है तथा सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया है और बजट में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है तथा आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है तथा लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने का प्रयास किया गया है और इसके लिए किसानों को 75 हजार करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है और दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है।

---

* Laid on the Table

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है तथा उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ने का प्रावधान किया है। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है और साथ ही 100 नए शहर, सिटी गैस वितरण में जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि भारत के पास कोविड की दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। सौ से अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया है और इस अभियान की शुरूआत की है। आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली है। कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए और आठ करोड़ लोगों को मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।

यह किसी से छिपा नहीं है कि कृषि कर्ज प्रवाह में साल-दर-साल वृद्धि हुई है तथा जो भी लक्ष्य रखे गए, ऋण वितरण उससे अधिक ही रहा है। उदाहरण के लिए 2017-18 में किसानों को 11-68 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया जबकि लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये का ही था। इससे विदित होता है कि हमारे ऋषितुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी किसानों के प्रति कितने अधिक सजग हैं और उनके लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठा रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की है और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाने का प्रावधान किया है, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सके।

यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल कई लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई, जो सभी पांच मिनी बजट के समान थी।

यह प्रसन्नता की बात है कि देश के 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आई0टी0आर0 भरने की आवश्यकता नहीं होगी तथा 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स में छूट का प्रावधान भी होगा।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है तथा अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल में होगी, जिसके लिए 3760 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और चाय बगान श्रमिकों को एक हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं।

महोदय, मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि हमारी सरकार देश के कमजोर, दुबले लोगों के कल्याणार्थ अनेक कल्याणकारी योजनायें तत्परता के साथ कियान्वित कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। नीति आयोग के सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट डिवीजन ने दिनांक 25-01-2019 में आदिवासी लोगों

के तेजी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उप-योजना को प्रभावी तरीके से कियान्वित किए जाने हेतु मंत्रालयों एवं विभागों को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन, अभी भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि देश में व्याप्त नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

इस संदर्भ में, मैं विगत लोक सभा में मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 38, दिनांक 24-6-2019 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें मैंने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को जनजातीय उप-योजना तैयार करने तथा जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निधि का आवंटन सुनिश्चित करने तथा निधि के अन्यत्र उपयोग को रोकने के साथ-साथ आवश्यकता के अनुरूप इसके उपयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए जाने से संबंधित जानकारी चाही थी।

यह विदित ही है कि जनजातीय उप-योजना आदिवासी लोगों के तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति है। यह एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय उप योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि प्रत्येक राज्य / संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात में कम से कम होनी चाहिए। TSP कोष में अनुच्छेद 275 (i) के अंतर्गत भारत की संचित निधि से राशि आवंटित की जाती है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत राज्यों को 100% वित्तीय सहायता जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की शोषण से सुरक्षा सहित सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के संदर्भ में, उनके व जनसामान्य के बीच के अंतर को समाप्त करना है। यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र योजना से उत्पन्न होने वाले लाभ के अतिरिक्त भी लाभ प्रदान करता है।

यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी ने 18 दिसंबर, 2017 को 'जनजाति उप-योजना' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। जनजाति उप-योजना (टीएसपी) का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास के संकेतकों के मामलों में अनुसूचित जनजातियों (एसटीज़) और सामान्य जनसंख्या के बीच के अंतर को एक निश्चित समय अवधि में कम करना है। कमिटी ने तीन मंत्रालयों में टीएसपी के कार्यान्वयन पर विचार किया :-

(1) मानव संसाधन विकास,

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और

(iii) आयुष।

इस कमिटी ने टीएसपी के कार्यान्वयन में कई विसंगतियों पर टिप्पणियां की जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) फंड्स जारी करने के विशिष्ट नियमों को न अपनाना,

(ii) कमजोर कार्यक्रम प्रबंधन,

(iii) निगरानी प्रणाली की कमी, और

(iv) सूचना प्रदान करने वाले कार्यक्रमों को लागू न करना।

इस संदर्भ में कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :-

1. **वितीय प्रबंधन:** कमेटी ने कहा कि टीएसपी फंड्स को राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग मदों में नहीं रखा जाता। यह नहीं बताया जाता कि प्रत्येक स्तर पर कितना फंड दिया गया है। जबकि टीएसपी के अंतर्गत फंड्स को अलग एकाउंट में रखा जाना चाहिए ताकि उनके उचित उपयोग के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी की जा सके। कमेटी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक स्तर पर फंड्स को अलग-अलग मदों में रखा जाए और इसका कड़ाई से अनुपालन हो। कमिटी ने कहा कि यह फंड्स को जारी करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। कमेटी ने यह सुझाव भी दिया कि निगरानी प्रणालियों, फंड्स के उपयोग और योजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए अधिक सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए।
2. **टीएसपी फंड के लिए नॉन-लैप्सेबल पूल:** कमेटी ने गौर किया कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष के अंत में फंड्स को टीएसपी फंड के नॉन-लैप्सेबल पूल में ट्रांसफर नहीं किया गया जिसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i)आबंटित किए गए टीएसपी फंड्स का निश्चित वित्तीय वर्ष में अधिकतम उपयोग किया जाए, और (ii) उन फंड्स को पूल करने के लिए नॉन-लैप्सेबल फंड बनाया जाए जिनका उपयोग उस वितीय वर्ष में नहीं

किया गया हो।

3. **निरीक्षण के लिए सेंट्रल नोडल इकाई:** कमिटी ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निरीक्षण प्रणाली का विवरण देने वाले दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं। टीएसपी का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास (उनकी जनसंख्या के अनुपात में) के लिए फंड्स के निर्धारण के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों के परिव्यय को चैनलाइज किया जाए। कमेटी ने तर्क दिया कि फंड फ्लो उचित है अथवा नहीं, यह देखने के लिए एक केंद्रीय इकाई का गठन किया जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को केंद्रीय नोडल इकाई बनानी चाहिए जोकि एक ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली के जरिए टीएसपी के बेहतर समन्वय और प्रभावशाली कार्यान्वयन को आसान बनाए।

महोदय, सदन के ध्यान में, मैं यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है । इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का अविकसित होना ही है । यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

यह विदित ही है कि महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है । इस क्षेत्र में मैगनीज, लोह, अभ्रक (मायक) हीरा इत्यादि खनिज पदार्थ प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है । यहां पर खनिज आधारित और अन्य छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करके गरीब आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। ऐसा करने से आदिवासी युवकों को न केवल रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा और वे राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे ।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित अति दुर्गम, पिछड़े आदिवासी एवं उद्योग रहित गड़चिरोली-चिमूर क्षेत्र के लिए टैक्स होलिडे पैकेज घोषित करके केन्द्रीय स्तर से छोटे-बड़े उद्योग स्थापित कर उसी प्रकार से केन्द्रीय करों में छूट प्रदान करें, जैसे कि उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के विकास हेतु टैक्स होलिडे पैकेज के अन्तर्गत दी गयी है, ताकि इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी युवकों को रोजगार मुहैया हो सके और नक्सलवाद की समस्या से निजात मिलकर वे देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

साथ ही तारांकित प्रश्न संख्या 38, दिनांक 24-6-2019 के संदर्भ में यह भी निवेदन है कि संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने 18 दिसंबर, 2017 को 'जनजाति उप-योजना' पर अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें उल्लिखित सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु समुचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें ताकि देश के जनजाति समाज के लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर देश में विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सके।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र के निम्नांकित महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके निदान हेतु इस बजट में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है :-

1. गड़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र लगभग 700 किमी० लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस आदवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के साथ-साथ बंगाली समाज के लगभग एक लाख से अधिक लोग वर्ष 1962 से पुनर्वास के तौर पर बहुत ही सद्भाव के साथ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। इनमें ओ०बी०सी० के लोगों की संख्या भी काफी अधिक है।

गैर आदिवासी इन सभी लोगों का जीवन-यापन जनजातीय लोगों की भांति ही है | ये सभी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सरकार ने बंगाली समाज के जीवन स्तर में सुधार हेतु मकान आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले गैर आदिवासी लोग, जो विगत काफी लम्बे अर्से से कब्जाई गई भूमि पर खेती करके अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, को भूमि आवंटन के स्थाई पट्टे के नियमों की कड़ाई के चलते नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण वे सीचंन इत्यादि जैसी शासकीय सुविधाओं से वंचित हैं।

मेरे आदिवासी संसदीय क्षेत्र में रहने वाले बंगाली और ओ०बी०सी० के गरीब गैर आदिवासी लोगों द्वारा विगत काफी समय से यह मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों द्वारा जिस भूमि पर खेती की जा रही थी, उस भूमि के पट्टे सरकार ने उनके नाम कर दिए हैं। उसी प्रकार से बंगाली और ओ०बी०सी० के गैर आदिवासी लोग, जिनका रहन-सहन जनजातीय लोगों की भांति ही है, को भी उनके द्वारा की जा रही खेती के भूमि के पट्टे को उनके नाम किए जाने संबंधी नियमों में शिथिलता देकर पट्टे कर दिए जाएं तो उनको सींचन इत्यादि जैसी शासकीय सुविधाएं मिलने पर उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ सकेगा।

अतः देश के आदिवासी क्षेत्रों विशेषतः गड़चिरोली-चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र में निवास करने वाले बंगाली एवं ओ०बी०सी० के लोगों को उनके द्वारा कब्जाई गई भूमि के पट्टे आवंटन करने

संबंधी नियमों में शिथिलता प्रदान करके आदिवासियों की भांति उनको भी भूमि के पट्टे दिलाये जाने की आवश्यकता है।

2. महाराष्ट्र राज्य के विशेषतः विदर्भ क्षेत्र में गड़चिरौली, चन्द्रपुर, गोंदिया और भण्डारा जिले के किसान इस समय भारी संकट से गुजर रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली संसदीय क्षेत्र भी आता है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ-साथ अत्यधिक दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली सहित आसपास के निकटवर्ती जिलों में भारी वर्षा के कारण धान उत्पादक किसान प्रभावित हो रहे हैं तथा अधिक वर्षा के कारण धान की खेती बेकार हो जाने की वजह से वे काफी चिंतित है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसान एक तरफ भारी वर्षा की मार से गुजर रहे हैं तथा दूसरी ओर सूखे की स्थिति में भी उनकी फसल बेकार हो जाती है। इसलिए, ऐसी स्थिति में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के किसानों की मदद किए जाने की तत्काल परम आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सके। यह तभी संभव है जबकि केन्द्र सरकार इन किसानों के लिए आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराए।

अतः महाराष्ट्र राज्य के विशेषतः गड़चिरोली आदिवासी अति पिछड़े क्षेत्र के धान प्रभावित किसानों को आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराए जाने हेतु अंतरिम बजट में अलग से प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

3- महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत तालुका चामोर्शी में मार्कडा देवस्थान एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा यह काशी देवस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल का बड़ा महत्व है तथा इस मंदिर के निकट से पवित्र वेणगंगा गुजरती है। वेणगंगा नदी के किनारे स्थित पवित्र मार्कडा (देव) में भगवान शंकरजी का हेमाडपंती मंदिर है, जो मार्कडेय ऋषि की तपस्या से पावन है। इस स्थल को विदर्भ का काशी भी कहा जाता है। यहां पर महाराष्ट्र राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है तथा महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 15-20 लाख के आसपास होती है। इस धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरे गड़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही कछाड़गढ़, तालुका सालेकसा, जिला गोंदिया में लिंगोजंगो, जो आदिवासियों के देवता हैं, उनकी एक प्रमुख एवं अति प्राचीन गुफा व मन्दिर है। यह देश के आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहां पर महाराष्ट्र राज्य के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा सहित अन्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से आदिवासी श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ी संख्या में आना होता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में विशेष उत्सव के दौरान प्राचीन गुफा व मन्दिर के दर्शन करने वाले आदिवासी श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 40-50 हजार तक पहुंच जाती है

इसी प्रकार चन्द्रपुर जिले की चिमूर तहसील में रामदेगी पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां पर भगवान राम का मंदिर है। यहां पर पौष (जनवरी) महीने में यात्रा हाती है तथा आसपास के क्षेत्रों से बड़ी

संख्या में भक्तगण धार्मिक यात्रा में आते हैं, किन्तु उक्त सभी पावन स्थलों पर जन-सुविधाओं एवं पक्के रास्तों के अभाव में श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त सभी धार्मिक स्थल, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, के महत्व को देखते हुए इनको केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इन सभी को पर्यटन के रूप में विकसित करने और इनका सौन्दर्यकरण करने के साथ-साथ वहां पर मार्गों की मरम्मत, मजबूतीकरण कॉकेटिकरन करने, शौचालयों, धर्मशालाओं का निर्माण, आदिवासयों के कला-गुणों को विकसित किए जाने हेतु सांस्कृतिक भवनों का निर्माण, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का प्रावधान करने की कृपा की जाए।

4- महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और इस समय नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। यह क्षेत्र शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर राज्य व केन्द्र स्तर के कार्यालय भी है। यदि गड़चिरौली में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कर दी जाती है तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ स्थानीय गरीब बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और इस क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

अतः महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र, जो नक्सलवाद से अति प्रभावित क्षेत्र है और अति पिछड़ा हुआ भी है, वहां गड़चिरौली में वरीयता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया जाए।

5- गड़चिरोली-चिमूर क्षेत्र इस समय नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। यहां पर कौशल विकास आधारित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यकम शुरूआत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वहां के युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस कार्यकम को कियान्वित किए जाने की आज की समय की जरूरत है।

अतः गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र, जो नक्सलवाद से अति प्रभावित क्षेत्र है और अति पिछड़ा हुआ भी है, वहां के युवकों के लिए वरीयता के आधार पर कौशल विकास आधारित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यकम को क्रियान्वित किए जाने हेतु गड़चिरोली जिले में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध होकर वे भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

6- देश के जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों में जनजातिय लोगों को जीविकापार्जन के लिए कृषि उपज हेतु वन भूमि का आवंटन किया गया है, लेकिन उनके लिए भूमि के सिंचन हेतु जल की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जिस कारण जल के अभाव में आदिवासी लोग अपनी भूमि को कृषि उपज के लिए उपयोग में न लाकर बेकारी की स्थिति में है। जब तक आदिवासी लोगों को आवंटित की गई भूमि के सिंचन हेतु जल की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, तब तक वह भूमि उनके किसी उपयोग की नहीं है।

आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में आवंटित की गई भूमि के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यकम तैयार करके धन का आवंटन कर भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित लोग केन्द्रीय योजना से लाभान्वित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

7- महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित गड़चिरौली आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की वड़सा-गड़चिरौली एवं नागपुर-नागभीड़ रेलवे लाईन से संबंधित प्रकल्पों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित इन रेलवे लाईनों के निर्माण कार्य में व्यय होने वाली राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय गृह मंत्रालय, 25 प्रतिशत हिस्सा रेल मंत्रालय एवं 25 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन किए जाने की पहल की है।

आदिवासी एवं नक्सलवादी क्षेत्र में स्थित वडसा- गड़चिरौली रलेवे लाईन को वर्ष 2011-12 में स्वीकृत किया गया था, जिसकी दूरी 49.5 कि0मी0 है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसका संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा फाइनल लोकेशन सर्वे एवं भू-तकनीकी सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। इसी क्षेत्र में स्थित नागपुर-नागभीड़ के आमान परिवर्तन (Gauge Conversion) की दूरी 106 कि0मी0 है, जिसको 2012-13 के बजट भाषण में स्वीकृत किया गया था। इसका भी संशोधित प्राक्कलन विद्युतीकरण के साथ तैयार है। इसके लिए अब तक बजटीय आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है।

आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र की उपर्युक्त दोनों रेलवे लाईनों के निर्माण के कार्य, जो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, को तीव्र गति से पूरा किए जाने हेतु अंतरिम बजट में धन के आवंटन की व्यवस्था की जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और इस क्षेत्र को नक्सलवाद की समस्या से निजात मिलकर वहां के युवक देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

8- गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय क्षेत्र में मैगनीज, लोह, अभ्रक (मायक) हीरा इत्यादि खनिज पदार्थ प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। यहां पर खनिज आधारित और अन्य छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करके गरीब आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा है। ऐसा करने से आदिवासी युवकों को न केवल रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा और वे राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

9-महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली-चिमुर क्षेत्र नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित अत्यधिक पिछड़ा हुआ अविकसित आदिवासी बाहुल्य इलाका है। इस क्षेत्र के युवक राष्ट्रीय मुख्यधारा से टूटकर और समाज विघटक संगठनों से जुड़कर विकास में बाधा साबित हो रहे हैं। यहां का किसान, व्यापारी, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर सभी भमित हैं और अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित इस आदिवासी बाहुल्य का विकास करके एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उक्त समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

इस क्षेत्र को नागपुर, जगदलपुर, भिलाई, राजनांदगांव, चंद्रपुर, हैदराबाद, गोंदिया इत्यादि स्थानों से आवागमन और व्यापार की दृष्टि से जोड़ना अति आवश्यक है, जिससे यहां के जन-जीवन के सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसको तीव्र गति से पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित आदिवासी बाहुल्य गड़चिरोली-चिमुर क्षेत्र के विकास के लिए (1) नागपुर- नागभीड़- ब्रह्मपुरी-गड़चिरोली राजमार्ग को राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 7 से जोड़ने (2) गड़चिरोली-चामोर्शी-आलापल्ली-सिरोंचा राजमार्ग को राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 16 से जोड़ने (3) गोंदिया-गोरगांव कोहमारा राजमार्ग को राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 6 से जोड़ने तथा (4) गड़चिरोली-मूल-चन्द्रपुर राजमार्ग को राष्ट्रीय उच्च में परिवर्तित किए जाने हेतु अंतरिम बजट में विशेष प्रावधान किए जाए।

10- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास आधारित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यकम की शुरूआत की है, ताकि वहां के युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस कार्यकम को कियान्वित किए जाने की आज की समय की जरूरत है।

अतः देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र, जो नक्सलवाद से अति प्रभावित क्षेत्र है और अति पिछड़ा हुआ भी है। वहां के युवकों के लिए वरीयता के आधार पर कौशल विकास आधारित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यकम को कियान्वित किए जाने हेतु अंतरिम बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध होकर वे भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

11- महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित तथा जनजातीय पिछड़े संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली जिले के आदिवासी किसान कारवाफा, चेन्ना, तुलतुली, दर्पनगुड्रा, उपसा जल सिंचन योजनाओं के बंद होने के परिणामस्वरूप कृषि उपज सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। यह क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है और यहां के गरीब आदिवासी किसान पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित हैं, लेकिन वे अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है। अतः आदिवासी गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यकम तैयार करके भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का आवंटन किया जाए।

12- जिला गड़चिरौली में वड़सा एवं जिला गोंदिया में आमगांव महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। लेकिन, रेल लाईन पर ओवर ब्रिज न होने के कारण यातायात काफी समय तक अवरूद्ध रहता है। इन स्टेशनों से महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां होकर गुजरती हैं। यहां के लोगों की विगत काफी समय से रेल लाईन पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है। अतः वड़साएवं आमगांव रेलवे लाईन पर वरीयता के आधार पर ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का प्रावधान किया जाए।

13- देश में विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास रहने के लिए अथवा अपनी जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु एक इंच भी भूमि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देश में लगभग आठ करोड़ एकड़ भूमि सरप्लस है। यदि फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आवश्यक संशोधन करके इस अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाये तो इससे न केवल अतिरिक्त भूमि का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि देश के गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए भी स्थान मिल सकेगा और वे खेतीबाड़ी के जरिए अपना जीवन निर्वाह कर राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर देश के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

अतः फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित आदिवासी समुदाय के भूमिहीन लोगों में भूमि आवंटित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

14- गड़चिरोली जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गड़चिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित है, में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है। अतः कारवापा व चन्ना लघु सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाए जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का आवंटन किया जाए।

15.देश की आजादी के छह दशकों में भी जनजातीय क्षेत्रों में पक्की सड़क, क्षेत्रीय रेल मार्गों का नेटवर्क, उच्च शिक्षा के केन्द्र और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आदिवासी अपनी जातीय भाषा और संस्कृति को बरकार रखना चाहते हैं। यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण आदिवासी आपस में पारंपरिक और सांस्कृतिक संपर्क करने से वंचित रहते हैं और आसानी से आपस में भेंट-मुलाकात नहीं कर पाते। वहां रोजगार न होने के कारण उनके पास विस्थापन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर कंपनियों में पर बाहर के लोग ही विराजमान हैं। इसी प्रकार उद्योगों व खनिज पदार्थो से पूरे देश को लाभ हो रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों के निवासियों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है, जितना कि मिलना चाहिए।

देश के विभिन्न राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अनेक रेजिमेंट हैं, लेकिन जनजातियों के लिए अलग से रेजिमेंट नहीं है। जनजातीय युवकों को नक्सली गुटों में प्रवेश करने से रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नए रेजिमेंट "बिरसा मुंडा

रेजिमेंट" का गठन किया जाना चाहिए। इससे आदिवासी नवयुवकों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि उनमें आत्म गौरव का भी बोध होगा तथा वे अपने सकारात्मक मार्ग से नहीं भटकेंगे।

अतः नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जनजातिय लोगों के लिए विकास के विकल्प और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

16- केन्द्र सरकार ने देश के निर्बल वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। चूंकि, इन विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्रदान किए जाने की सुविधा है, इसलिए ऐसे छात्र, जो निर्धन परिवार से हैं, वे 12वीं कक्षा के पश्चात धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर देश के अनुसूचित जाति व जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु एक कार्यकम बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह सके।

आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण जनजातिय क्षेत्रों का अविकसित होना और जनजातिय छात्रों में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का अभाव है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान करके इन युवकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा हेतु एक कार्यक्रम शीघ्र बनाकर धन का आवंटन किया जाए।

17- महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, नागपुर, भण्डारा इत्यादि क्षेत्रों की भूमि को सिंचित किए जाने के उद्देश्य से विदर्भ क्षेत्र के अन्तर्गत भंडारा जिले में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना वर्ष 1981 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से होने के कारण अब तक पूर्ण नहीं हो सका है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का विकास अवरूद्ध होना स्वाभाविक है। जिस समय यह परियोजना प्रारम्भ की गई थी, उस समय इसकी अनुमानित लागत 372.22 करोड़ रू0 थी, जो आज 15.21 गुना बढ़कर 5659.10 करोड़ रुपये हो गई है। परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने का एक प्रमुख कारण इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि को दूसरे कार्यो में व्यय करना है।

गड़चिरोली चिमुर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के चन्द्रपुर जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र जो अति पिछड़े हुए हैं और खेती पर ही आश्रित हैं, को भी गोसीखुर्द परियोजना से जल प्राप्त होना था। परियोजना का कार्य समय पर पूरा न होने के कारण किसान अपनी भूमि को पानी के अभाव में सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। अतः इस परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का आवंटन किया जाए।

18- गड़चिरोली चिमुर जिले की तालुका आरमोरी की कोसरी लघु सिंचाई प्रकल्प, डॉगरगांव-ठाणेगांव ऊपरी सिंचाई योजना, कुरखेड़ा तालुका की ये गलखेड़ा लघु सिंचाई प्रकल्प, चामोर्शी तालुका की हल्दीपुरानी ऊपरी सिंचाई योजना, तळोधी (मोकासा) ऊपरी सिंचाई योजना, पिपरी

रीठ लघु सिंचाई प्रकल्प, गणपुर उपसा सिंचन योजना, कढोली ऊपरी सिंचाई योजना, अनखोड़ा ऊपरी सिंचाई योजना, पोहार नाला प्रकल्प, गड़चिरोली तालुका की कोटगल ऊपरी सिंचाई योजना, कोटगल बॅरेज, अहेरी तालुका की महागांव गर्रा ऊपरी सिंचाई योजना, देवलमारी ऊपरी सिंचाई योजना, सिरोंचा तालुका की रेंगुंठा ऊपरी सिंचाई योजना, धानोरा तालुका की पुलखल लघु सिंचाई योजना केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गड़चिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है।

19- गड़चिरोली-चिमुर लगभग कई सौ कि0मी0 लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है और इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़, म0प्र0, तेलांगना और आंध्र-प्रदेश राज्यों के साथ लगती हैं। यह क्षेत्र देश का अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम, उद्योग विहीन अविकसित क्षेत्र है। गड़चिरोली जिले में 12 तहसीलें हैं तथा यह जिला उत्तर-दक्षिण 480 कि0मी0 सुदूर क्षेत्र में विस्तृत है। देश के अत्यन्त पिछड़े जिलो में होने की वजह से गड़चिरोली जिले को केन्द्र सरकार ने आकांक्षित जिले में शामिल किया गया है।

गड़चिरोली जिले की 80 प्रतिशत हिस्सा वन भू-भाग में आता है तथा यहां के आदिवासी किसान अशिक्षित एवं गरीब है तथा इनकी आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है। इस जिले के दक्षिण में स्थित 6 तहसीलों के कृषि विकास हेतु विगत कई वर्षो से चामोर्शी, जो क्षेत्र की सबसे बड़ी कृषि उपज बाजार समिति है, में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

अतः गड़चिरोली आदिवासी क्षेत्र, जो कई सौ कि०मी० के फैलाव में है, की चामोर्शी तहसील में एक और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया, जिससे इस क्षेत्र के आदिवासी गरीब कृषकों को लाभ मिल सके।

20.गड़चिरोली-चिमुर क्षेत्र के गरीब आदिवासी लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा का भारी अभाव है। इसलिए, ऐसी स्थिति में आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए एक मेडिकल कॉलिज स्थापित किए जाने की परम आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (ए0आई0आई०एम०एस०)की तर्ज पर देश के प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय चिकित्सालय की स्थापना किए जाने का विचार किया है।

अतः महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली संसदीय क्षेत्र, जो आदिवासी बाहुल्य अति पिछड़ा हुआ दुर्गम क्षेत्र है, के गरीब आदिवासी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए एक मेडिकल कॉलिज की स्थापना किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए।

21.नीति आयोग ने देश के 28 राज्यों में 117 जिलों की पहचान आकांक्षी जिलों के रूप में की है, जिसमें नक्सलवाद से पूरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र राज्य का आदिवासी बाहुल्य जिला गड़चिरोली भी शामिल है। सरकार द्वारा इन जिलों का शीघ्र और प्रभावी रूपांतरण किए जाने के

साथ-साथ इस कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में लोग अपनी भागीदारी कर सकने में पूरी तरह से सक्षम हो। इस कार्यकम के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जा रहा है, उनमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना शामिल है।

नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित आदिवासी बाहुल्य जिला गड़चिरोली, जिसको आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है, में सरकार के इस कार्यकम को प्रभावी तरीके क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस नक्सलवादी आदिवासी बाहुल्य जिले में विकास संबंधी कार्य पूरी तरह से अवरूद्ध है तथा यह पिछड़ा हुआ जिला सरकारी की नीति के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है एवं इस जिले में नक्सलवाद की गंभीर समस्या भी ज्यों कि त्यों बरकरार है।

यदि गडचिरोली आकांक्षी जिले में सरकार के उपरोक्त कार्यकमों का गंभीरता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ संचालन किया जाए तो निश्चित रूप से यह आकांक्षी जिला विकास की ओर अग्रसर होगा और यहां पर नक्सलवाद की समस्या का भी निराकरण हो जायेगा।

अतः आकांक्षी जिले के रूप में गड़चिरोली में केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

22- गड़चिरौली संसदीय जनजातीय क्षेत्र के अन्तर्गत गोंदिया जिले में देवरी-आमगांव विधान सभा क्षेत्र में गोंदिया से आमगांव-सालेकसा-डोंगरगड होते हुए दुर्ग तक डेमो (शटल) रेलगाड़ी और दोपहर में 12 बजे के बाद दो नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और उनमें क्षोभ भी व्याप्त है। मैं इस संबंध में पत्राचार के साथ-साथ सदन में भी निवेदन कर चुका हूं।

अतः जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र को विशेष वरीयता देते हुए गोंदिया से आमगांव-सालेकसा-डोंगरगड होते हुए दुर्ग तक डेमो (शटल) रेलगाड़ी और दोपहर में 12 बजे के बाद दो नई रेलगाड़ियां चलाये जाने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की गरीब जनता को आवागमन में सुविधा हो सके।

23- गड़चिरौली संसदीय क्षेत्र के गोंदिया जिले में देवरी-आमगांव विधान सभा क्षेत्र के धानोली में स्थित लगभग डेढ़ कि0मी0 मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सरकार को सहमति प्रदान किए जाने के बारे में रेलवे के अधिकारियों की राज्य सरकार के अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है और मैं भी इस बारे में सदन में निवेदन कर चुका हूं। लेकिन, रेलवे की ओर से राज्य सरकार को इस बारे में अब तक सहमति प्रदान नहीं की गयी है, जिसकी वजह से इस मार्ग के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। रेलवे की ओर से इस बारे में सहमति मिलने पर राज्य सरकार इस मार्ग का निर्माण कराने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र के लोगों का आवागमन का लगभग 25 किलोमीटर का फेरा कम हो जाएगा।

इसलिए, धानोली में स्थित उपरोक्त डेढ़ कि0मी0 के निर्माण के बारे में राज्य सरकार को सहमति प्रदान की जाए, ताकि राज्य सरकार इस मार्ग का निर्माण कराकर लोगों के आवागमन की दूरी को कम कर सके।

24- गड़चिरोली क्षेत्र में वर्षभर बहने वाली वैनगंगा नदी पर वड़सा-कुरूड के निकट बैरेज और इसकी उप-नदियों में सिंचाई के लिए बंथारों (बांध) की स्थापना करके इस क्षेत्र के किसानों को समृद्ध बनाया जा सकता है।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर में वर्षभर बहने वाली वैनगंगा नदी पर वड़सा-कुरूड के निकट बैरेज और इसकी उप-नदियों में सिंचाई के लिए बंथारों (बांध) की स्थापना किए जाने हेतु आवश्यक पहल की जाए।

25- इस क्षेत्र में स्थित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, लेकिन इसके लिए भू-संपादन एवं निर्माण हेतु धन का आवंटन अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण इसके निर्माण में अनावश्यक विलम्ब दो रहा है।

दूसरे, इस क्षेत्र के विकास हेतु गड़चिरोली-आष्टी-आलापल्ली-सिरोंचा- मंचेरियाल-आदिलाबाद और नागभीड-कम्पा-टम्पा –चिमूर- वरौरा नई रेलवे लाईन के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किए जाने की जरूरत है।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के लिए भू-संपादन और निर्माण हेतु धन का शीघ्र आवंटन किए जाने के साथ-साथ उक्त दोनों नई रेलवे लाईनों के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किया जाए।

26- गड़चिरोली संसदीय क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसानों के उत्थान के लिए सोलर कृषि पम्प एवं पैक हाऊस तथा उनके लिए किसान सम्मान योजना में और अधिक निधि का आवंटन किए जाने की जरूरत है।

अतः आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली में किसानों के उत्थान के लिए सोलर कृषि पम्प एवं पैक हाऊस की तथा किसान सम्मान योजना में और अधिक धन का आवंटन किया जाए।

27- इस क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह एवं छोटे उद्यमियों के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के संचालन के लिए सबसिडी का प्रावधान किए जाने और इस क्षेत्र में अहेरी, गड़चिरोली एवं वड़सा में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना किए जाने तथा प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु धन का आवंटन किया जाए।

28- केन्द्र सरकार ने गड़चिरोली के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन अब तक इसके लिए धन का आवंटन नहीं हुआ है, जिसका कारण केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इस क्षेत्र में गरीब छात्रों के लिए छात्रावासों का भी भारी अभाव है।

अतः गड़चिरोली में स्वीकृत किए गए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु एवं इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व गरीब परिवार के छात्रों के लिए छात्रावासों की क्षमता बढ़ाए जाने हेतु धन का आवंटन किया जाए।

29- गड़चिरोली-चिमूर में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब लोगों की काफी संख्या है। इन लोगों के पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है। अतः इन आवास विहीन परिवारों के लिए आवासों की संख्या बढ़ाए जाने तथा नैसर्गिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान संबंधी बी0पी0एल0 की शर्त को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है।

अतः गड़चिरोली में उक्त वर्ग के आवास विहीन लोगों के लिए आवासों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ-साथ नैसर्गिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण हेतु विशेष प्रावधान संबंधी बी0पी0एल0 की शर्त को शिथिल किए जाने हेतु आवश्यक पहल की जाए।

30- इस क्षेत्र के तीर्थस्थलों एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्कंडा (देव), तहसील चामोर्शी, हेमाडपंती मंदिर, कचारगड़ तहसील सालकेसा, रामदेगी, तहसील चिमूर, घोडाजरी गौमुख, जिला चंद्रपुर एवं चपराड़ा, टिपागढ़, बिनागुंडा, अरततोंडी, वैरागड़, जिला गड़चिरोली के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने, श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, सड़क, पेयजल, शौचालय, स्नानागृह, शेड्स आदि का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

अतः गड़चिरोली के आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्र में तीर्थस्थलों एवं पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु उक्त धार्मिक स्थलों के विकास एवं वहां आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु धन का आवंटन करने का कष्ट करें।

31- मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर के अन्तर्गत गड़चिरोली जिले में केवल एक मात्र ही रेलवे स्टेशन वड़सा में है। यहां के लोगों का वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ियों में आवागमन होता है, लेकिन वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत काफी समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। अतःनक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र गड़चिरोली जिले के वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की जाए।

32- केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देश की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है, इसको पूरे देश में १ अप्रैल, २०१८ को लागू किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसके अन्तर्गत आने वाले परिवार के हर सदस्य को 5 लाख तक की कैश रहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें १० करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग ५० करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं।

इस योजना के लिए यह मानक निर्धारित किया गया है कि जिनके नाम वर्ष 2011 की जनसंख्या सूची में शामिल होंगे, केवल वही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस संदर्भ में, निवेदन करना है कि देश में विशेषतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर में ऐसे गरीब लोगों की संख्या काफी अधिक है, जिनके नाम वर्ष 2011 की जनसंख्या सूची में शामिल नहीं है।

अतः जिन गरीब लोगों के नाम वर्ष 2011 की जनसंख्या सूची में शामिल करने से छूट गए हैं और उनके पास आवास/नागरिकता के अन्य दस्तावेज मौजूद है, उनको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ सुनिश्चित किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

33- यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट में देश के आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पीएम वन-धन योजना में व्यापकता लाते हुए इसका दायरा बढ़ाने हेतु योजना बनाई है तथा यह भी प्रसन्नता की बात है कि वन-धन योजना, जिससे फिलहाल 18 हजार स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, उसे बढ़ाकर 50 हजार स्वयं सहायता समूह करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल देश के 1205 केन्द्रों के जरिए साढ़े तीन लाख आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस योजना से 10 लाख आदिवासी लाभान्वित होंगे।

34- यह वास्तविकता है कि वन धन योजना के माध्यम से आदिवासियों द्वारा संग्रहित वनोपज की अच्छी कीमत मिलती है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से आदिवासियों का जब योगदान बढ़ेगा तो इससे उनकी आय के साधन व स्रोत भी बढ़ेंगे।

अतः इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि देश के अति पिछड़े, दुर्गम आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली में अधिक संख्या में वन धन केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि नक्सलवाद से प्रभावित इस क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके और यहां के गरीब आदिवासी देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

मेरा सरकार से निवेदन है कि गढ़चिरोली आदिवासी जिले की उपर्युक्त सभी विकास संबंधी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन
हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

अंत में, मैं प्रस्तुत बजट का पूरजोर समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी विनम्र विनती करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निराकरण हेतु बजट में धन का आवंटन हेतु समुचित कदम उठाने की कृपा करेंगे धन्यवाद।

(इति)

*SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The first impression of this budget is that it allows the private sectors taking over the public establishments. Disinvestment of institutions like LIC, public sector banks, IDBI being fully divested, closure of old power plants and using their land for alternative uses, privatizing major ports and developing five new smart cities under PPP mode are all indicative of privatizing the nation. The government is to raise Rs.1.75 trillion by selling state assets, including in Life Insurance Corp. of India. The administration will borrow about Rs.12 trillion to meet the shortfall. The nation's financial sector faces increasing pressure from an expected record level of bad loans, escalating border tensions with China and widespread anger from farmers, whose protests against market reforms are un-attended. What Nehru visualized and did to strengthen the nation is defeated by such PPP actions and selling public establishments. This also clearly indicates that the Govt is collecting money to run its business by selling its valuable assets.

Measures to boost consumer confidence is totally neglected and thereby defeating the much-needed impetus to the economy. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), one of the biggest employers during the epidemic sees a decrease of Rs.9,502 crore (13.4 per cent) from the revised estimate of 2020-21 from Rs.73,000 crore. The focus on youth and technology is underwritten.

The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 requires the central government to progressively reduce its outstanding debt. But here the Govt has miserably failed.

The budget does not show any comfort for the ever-increasing hike on petrol and diesel which highly affects the economy of the country. Similarly, the government has miserably failed to showcase the loss of employment generation during and after the pandemic.

To restore the confidence of retail depositor's in banking industry, an effective implementation framework should be in place. The infusion of multiple thousand crores into the public transport system in the country and government's dedication to investments into construction of metro lines and in improving public bus service, specifically in the Tier 2 cities has the potential to give boost to the

---

* Laid on the Table

much-needed employment generation. Cali cut is a Tier 2 city with lot of developments and energy. It boasts of being an Educational and IT Hub. Therefore, the city should have a Metro connectivity.

Focus on rail and road infrastructure especially, economic and logistic corridors will enhance competitiveness of Indian agriculture by lowering the cost of transportation and better connectivity between production and consumption markets, not only domestic but also global. Similarly, the proposed Beypore road connectivity under Bharatmala Pariyojana; a Grade Separator preferably a Flyover at Eranhipalam junction to overcome the frequent traffic blockages, Kozhikode, under CRF; the ever dragging 6-laning of Calicut By-pass of NH 66 and the much-needed Wynad By-Pass on NH 766 needs special emphasis for early completion.

There are around 15 lakh bank employees in the country. Pension was introduced in the banks in 1995. However, it was never revised. They need an updation on their pension, which even the Hon. Finance Minister had agreed too, during a Media interview.

The budget has again disappointed the MSME sector which is directly linked to the rural economy as a whole. Only Rs.15700 crore has been allotted when government has been over empathising this sector. The failed to appreciate that 40% of the overall exports and 30% of the country's GDP comes from this sector. The reduction of custom duty for this sector is only token.

Some of the long pending proposals that Calicut is vying for its development are:-

- Establishment of Kerala' s AIIMS at Kozhikode for which the state government has already earmarked sufficient land at Kinaloor, Kozhikode.
- Commencement of work for World Class station of Calicut Railway Station
- Establishment of KVS at Ulleyeri, Calicut.
- Better rail connectivity between Calicut and Bangalore with a day train; Calicut with Mangalore, Ernakulam and Coimbatore by MEMU service
- Development of Beypore port.

The following issues which are directly linked to my constituency also need the immediate attention of the government:-

- The submission of the Report on Air tragedy at Calicut Airport
- Immediate compensation to the victims

- Allowing Wide bodied aircrafts for operation
- There is a large civilian population at West Hill, Kozhikode which comes under Defence Establishment Kannur. It is listed as No.10 of Part A of annexure and requires NOC for construction/maintenance in 10 m only. But the Military authorities at West Hill has imposed a ban on construction within 100m & NOC for construction within 500m. This needs to be re-considered as the civil population are facing various stigmas and problems.

While placing the above, I oppose the Bill.

(ends)

*SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Journalist Shankkar Aiyar's book "Accidental India" traces India's economic history through seven game changing reforms; from bank nationalisation in 1969 to liberalisation in 1991, and from Green Revolution in sixties to software revolution of nineties.

Aiyar points out that game changing reforms in India have arrived during times of crisis and not in stability. This Budget comes in the context of a once-in-a-century crisis.

From the content of this Budget, there are two paths on which our economy can travel on now:

Option 1 is the path of the United States during the decade of Roaring Twenties which came after the devastation of World War I. During this decade, America invested in heavily on infrastructure and built highways and cities which boosted economic prosperity. This prompted President John F Kennedy to say, "American roads are not good because America is rich. America is rich because American roads are good". Our enterprising Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari ji has this quote in his office.

Option 2 is the path of Russia after the collapse of the Soviet Union in 1989. As state owned enterprises were privatized, they were acquired by oligarchs. These few business owners today control all aspects of the Russian economy which has one of the highest levels of inequality. The Central Government must avoid this path as it privatizes PSUs to reach the 1.75 lakh disinvestment target.

For the welfare of lakhs of PSU employees, Government needs to be aware of hostile takeovers by private investors who want to acquire sick PSUs at cheap valuations. I am confident that Union Government, under the leadership of PM Modi and Finance Minister Sitharaman ji, will take care of the PSU employees.

As the Central Government privatizes PSUs to fund infrastructure, it needs to ensure that we aim for Roaring Twenties of America and not Russian oligarchy.

The Economic Survey and Hon. Finance Minister have mentioned V-shaped growth many times. Under the leadership of CM Y.S. Jaganmohan

---

* Laid on the Table

Reddy, Andhra Pradesh has actually achieved a Super V-shaped growth. Andhra Pradesh is the only State in South India where both State GDP and tax revenues have grown positively for Q2 and Q3 of FY2021.

Andhra Pradesh has been able to achieve this by focusing on putting cash in the hands of the people, especially rural poor, which has fired up consumer demand. Visionary schemes like Amma Vodi gives mothers Rs.15,000 to send their child to school. Rythu Bharosa gives every farmer Rs 13,500. YSR Cheyutha where SC/ST/OBC/minority women receive Rs 18,750 per year. These three schemes put Rs 12,000 crore in the hands of the Andhra people.

Effective implementation of MGNREGA controlled rural unemployment. Andhra Pradesh stood first in timely payments and second in work generation. The approach of YSR Government in Andhra Pradesh has shown that in a crisis, a responsible Government steps in as a safety net for the people.

I have a few suggestions for this Budget as well:

First, regarding the big growth driver for the next year-infrastructure. The intent to spend is appreciable but the capacity for execution needs focus. Ministry of Statistics reported that in 2020 out of 1670 big projects that it tracks, 536 (30per cent) had time overrun and 442 (25per cent) had cost overruns. The total impact of cost overruns being Rs 4.34 lakh crore which is 2.5 times the disinvestment target for FY 2021-22.

Andhra Pradesh has also seen many infrastructure projects committed in the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 being delayed. Polavaram Irrigation Project, Vishakhapatnam - Chennai Industrial Corridor, Steel plant in YSR Kadapa district, Vishakhapatnam metro, Vijayawada metro have been repeatedly delayed.

The multiplier effect of hiked infrastructure spending will not kick in unless the execution capacity of big infrastructural projects is improved. Spending is only one side of the infrastructure development coin; swift execution is the other. The Central Government should also focus on execution.

Second, the Budget estimates of 14per cent nominal growth for FY 2021-22 are encouraging. However, we need to avert a K-shaped recovery. Based on recent data, economists and global financial bodies like the World Bank have pointed out that where bigger and wealthier firms are recovering at a faster rate, smaller firms, MSMEs, are not able to recover as fast.

MSMEs are the backbone of our economy and vital for reviving employment growth. We need to support their recovery. MSMEs have to pay GST when they raise an invoice, regardless of whether the payment has been received. Payments, especially from Government and PSUs, often get delayed and this causes working capital shortages. Hon. Minister of MSME himself estimated that in 2020, pending payment to MSMEs is around Rs 5 lakh crore.

The Government should focus on removing these working capital shortages by mandating 45-day payments from PSUs and making GST payable only when a payment is made.

Third, budgetary allocation for MGNREGS has grown only by 1.4per cent over the expenditure of FY 2019-20. If we consider inflation, that is, if we look at real growth then we find that the allocation has actually reduced since FY 2019-20.

MGNREGS allocations need to increase and the scheme should focus on creating rural assets as well as generating rural employment with the aim of achieving rural self-sufficiency. Convergence with animal husbandry and agricultural activities should be explored at the grassroot level.

Fourth, India has made commendable progress in literacy, enrolment and child vaccinations in the past three decades. Continued school and Anganwadi lockdowns and interruptions in mid-day meals and child vaccinations threaten to reverse this progress. Further, decline in household incomes will only compound the problem in the coming year.

Today, the Government needs to step up to secure the health and education needs of our children. However, allocation for Samagra Shiksha Abhiyan has reduced, Rs 7,000 crore from BE for FY 2020-21. This is even lower than the actual expenditure in FY 2019-20.

Similarly, the allocation for the Ministry of Women and Child Development, which includes schemes like Umbrella ICDS for Anganwadis, POSHAN Abhiyan, has reduced by Rs 6,000 crore compared to BE of FY 2020-21. NFHS-5 results have shown decline in child nutrition in some states. COVID-19 threatens an invisible education and health crisis for children in the future if corrective action is not taken today.

Fifth, the Merchandise Exports Incentive Scheme was started to make Indian exports competitive by offsetting infrastructural inefficiencies. Incentive

payments to exporters have been delayed since April 2020. I urge the Commerce Ministry to make the payments at the earliest for effective implementation of the MEIS scheme.

Sixth, the Production Linked Incentive for textiles has been announced with an outlay of more than Rs.10,000 crore over 5 years. It includes manmade fibre and technical textiles but leaves out cotton textiles.

India is the world's biggest cotton producer and I represent AP’s cotton belt. Cotton textile sector has been distressed even before the COVID-19 pandemic and the PLI scheme should be extended to cotton textiles sector.

Lastly, some predatory digital lending services have used this crisis to push easy access, extremely high interest loans on vulnerable sections. They are often based out of China but have an Indian NBFC partner. These digital lending services use unethical and illegal practices for loan repayment and data collection. The Finance Ministry & RBI should regulate them in a light but right manner which protects consumers and fosters innovation.

Nobel laureate economist, Milton Freidman had said "A crisis can produce real change”. Similarly, to recover from the health and economic crisis we need reforms. These reforms will be successful only with widespread public participation where every citizen places their trust in the Government. This widespread trust among citizens in these reforms will come about only after careful consensus building. The continued presence of lakhs of farmers at the borders of Delhi signals that! consensus for the agricultural reforms was not built among them. The Union Government has repeatedly spoken about their intent to reform. This Budget contains the content of reforms. As the Government moves on to implementation, I would urge them to show the intent of building the consensus for these reforms.

(ends)

***श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) :** महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसा विलक्षण बजट 2021-22 प्रस्तुत किया है, जो विश्व पटल पर उभरते 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को आने वाले समय में साकार करने में पूरी तरह सक्षम है। बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी शामिल हैं। हमारी सरकार के इस बजट में सभी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे स्वास्यलि, शिक्षा, रेलवे, सड़क, परिवहन, भंडारण आदि। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से हमारी अर्थव्यस्वस्था जो रफ्तार पिछले साल कोविड 19 की बीमारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान थोड़ी धीमी पड़ गई थी, वह दोबारा तेजी पकड़ेगी तथा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का हमारा लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र हासिल कर लेगी। बजट से सड़क, बिजली, पानी सहित हर क्षेत्र में सुधार होगा। यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि यह बजट पूर्ण रूप से आम जनता को समर्पित है।

बजट में विशेष रूप से किसानों का ज्यादा ध्यान रखा गया है। इस बजट में किसानों को कई सौगातें दी गई हैं। किसानों के लिए 75,000 करोड रुपयों के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो सके। बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है तथा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए किसानों को उनकी उपज की लागत से डेढ़ गुना MSP देने का प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है। वहीं किसानों की आय किस प्रकार से दोगुनी की जाए, इसको लेकर भी बजट में रणनीति बनाई गई है। एमएसपी में वृद्धि की गई है। बजट में किए गए प्रावधानों से न केवल मंडियां आधुनिक होंगी, अपितु उनमें प्रतिद्वन्दिता भी बढ़ेगी जिससे किसानों को उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस आम बजट से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम रंग लाएगी और हमारा भारत देश आपके कुशल नेतृत्व में विश्व गुरू बनकर उभरेगा।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रेलवे -

(1) जालौर के लोगों को ब्रॉडगेज आमन परिवर्तन के करीब दस साल बीत जाने के बाद भी जालौर से दिल्ली व जयपुर के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। जबकि इस खंड पर संचालित गाड़ियों का बीकानेर जोधपुर बाड़मेर तक ही संचालन किया जा रहा है। जालौर के नागरिकों को जयपुर का 400 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए रेल परिवर्तन करके जाना पडता है जिसमें लगभग 9 घंटे का

* Laid on the Table

समय लग जाता है। सांचौर, रानीवाडा, भीनमाल, जालौर के लोगों के लिए दिल्ली (लगभग 800 किलोमीटर) तक का सफर प्राइवेट बसों मे करना पडता है। इन बसों का सफर काफी महंगा और बहुत ही कष्टदायक होता है, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए। यहाँ के नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए गांधीधाम से दिल्ली वाया जालौर (समदडी-भीलडी) ट्रेन प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित सिरोही जिला केन्द्र आजादी के 70 वर्षों के बाद भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। सिरोहीवासियों को आज तक रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का इंतजार है। सिरोही जिला केन्द्र को मारवाड़, बागरा और पिण्डवारा के मार्ग से रेलवे नेटवर्क से जोडा जाए। जिससे इस रेलवे मार्ग से सभी प्रमुख जैन तीर्थ 72 जैनालय सुधामाता मंदिर जिरावल, पावापुरी, जसवंतपुरा अभ्यारण्य, भैंरोगढ़ आदि जुड़ जाएगा। जालौर सिरोही के प्रमुख रिको औद्योगिक क्षेत्र मंडार रेवदर स्वरूपगंज के साथ-साथ सिरोही जिला केन्द्र जहाँ वर्तमान में रेल सम्पर्क नहीं है, यह रूट इन प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा। इससे यहाँ की जनता को काफी सुविधा होगी तथा साथ ही साथ रेलवे की आय में अत्यधिक वृद्दि होने की संभावना है। सिरोही में रेलवे स्टेशन होने से जिले में पर्यटन एवं औद्योगिकरण के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। अतः सिरोही जिला केन्द्र को मारवाड़, बागरा, पिंडवाडा से उदयपुर तक रेल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है।

(3) मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही के लगभग सात लाख लोग दक्षिण भारत के विभिन्न शहारों में रहते हैं। इसके अलावा बाडमेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर जिला के लाखों लोग निवास करते हैं तथा अपने व्यवसाय के सिलसिले मे बेंगलुरू, चेन्नई, दावनगिरि, कोयम्बटुर, हुबली, ईरोड, हैदराबाद आना-जाना रहता है। परन्तु इन प्रवासियों के लिए सीधी रेल सेवा नहीं होने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अहमदाबाद से दक्षिण की ओर चलने वाली सभी ट्रेनों का टिकट काउंटर खुलते ही बुक हो जाता है। इस क्षेत्र को दक्षिण से जोड़ने से रेलवे के राजस्व मे भारी वृद्धि होगी तथा नागरिकों को काफी सुविधा हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में जालौर एवं पालनपुर को सीधी रेल सेवा से जोड़ा जाए।

क) बेंगलुरु से जोधपुर वाया समदडी भीलडी।

ख) हैदराबाद से जोधपुर वाया समदडी भीलडी।

ग) कोयम्बटुर से जोधपुर वाया समदडी भीलडी।

घ) चेन्नइ से जोधपुर वाया समदडी भीलडी सडक।

(1) रोहिट-आहोर-जालौर-भीनमाल-करडा-सांचौर का रास्ता करीब 250 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग जोधपुर, पाली, जयपुर, अजमेर, ब्यावर एवं दिल्ली को सीधा पश्चिम क्षेत्र से जोड़ता है। यह

सड़क मार्ग जिले के सभी उपखंड क्षेत्र को जालौर जिला मुख्यालय एवं जोधपुर संभाग से जोड़ता है। यह मार्ग प्राचीन धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पाक सीमा से जुड़ने वाला मुख्य राजमार्ग है। इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए घोषणा की जा चुकी है। इस मार्ग का निमार्ण जल्द से जल्द करवाने की आवश्यकता है।

(2) गुजरात स्थित डीसा से घानेरा राष्ट्रीय राज्यमार्ग (168A) घोषित किया गया है। गुजरात स्थित झेरडा से सिरोही राज्यमार्ग वाया मंडार रेवदर होते हुए, यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 62) से मिल जाता है। दोनों तरफ से यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने के कारण भारी वाहनों का आवागमन बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग पर मंडार और रेवदर दो घनी आबादी वाले शहर हैं। इन शहरों के पास दिन में ट्रैफिक जाम हो जाना अब आम बात हो गई है। जिससे आम नागरिकों को, स्कूल जाने वाले छात्रों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः झेरडा से सिरोही मार्ग (वाया रेवदर और मंडार में बाईपास निमार्ण) को राष्ट्रीय राज्यमार्ग घोषित करके इसके निमार्ण करने की आवश्यकता है

मेडिकल कॉलेज -

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 18.3 लाख है। जिले में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या में कुल वृद्वि 26.31 रही है। जिले में शहरी आबादी कम है, जबकि ग्रामीण आबादी 92.41 है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का नितांत अभाव है। अतः जालौर जिला केन्द्र पर मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्कता है।

उडान योजना -

सिरोही जिला में माउंट आबु और शक्ति पीठ अम्बा जी माता मंदिर दो विश्व स्तरीय प्रसिद्व पर्यटन स्थल हैं। ब्रह्माकुमारी समाज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबु है। माउंट आबू में केन्द्रिय रिज़र्व पुलिस बल का (C.R.P.F) ऑफिसर ट्रेनिग सेंटर है। सेना की दृष्टि से भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखो की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इन पर्यटक को हवाई सफर के लिए 228 किलोमीटर दूर जोधपुर या 231 किलोमीटर दूर अहमदाबाद जाना पड़ता है। अत: उडान योजना के अंतर्गत सिरोही स्थित मानपुर हवाई पट्टी से वायु सेवा प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

पेयजल -

मेरा संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही जिला के रेतीले क्षेत्रों में वार्षिक का लगभग 12 प्रतिशत एवं चट्टानी क्षेत्रों में 7 प्रतिशत जल ही भूमि में जाता है, जिससे लगभग 403 मिलियन घनमीटर भूजल जमा होता है। लेकिन इसके विपरित 908 मिलियन घनमीटर भूजल का दोहन कर रहे हैं। जिले में अधिकांश पेयजल योजनाएँ एवं सिंचाई कार्य भूजल पर आधारित है। सबसे अधिक पानी लगभग 95

प्रतिशत कृषि में, 5 प्रतिशत पेयजल में एवं अन्य उपयोग में खर्च होता है। जिले में वर्ष 1995 में भूजल दोहन 123 प्रतिशत था, जो वर्तमान में बढ़कर 225 प्रतिशत हो गया है अर्थात् कुल वार्षिक पुनर्भरण की तुलना में 33 मिलियन घनमीटर भूजल अधिक निकाला जा रहा है। 1984 में औसत 13 मीटर गहराई पर पानी उपलब्ध था, जो अब 30 मीटर से भी अधिक हो गया है। नलकूप एवं कूएं सूख गए हैं एवं सूख रहे हैं। इससे गाँव में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल का भी संकट पैदा हो गया है। यहां के निवासी विगत तीन दशकों से पानी की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश गांवों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। गिरते भूजल स्तर की समस्या दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यह क्षेत्र अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है। अतः दोनों जिला जालौर सिरोही को अटल भूजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता है।

शिक्षा -

(1) सिरोही जिला साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत पिछडा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार सिरोही की 10 लाख 36 हजार 346 आबादी में से लगभग 5 लाख 34 हजार 364 लोगों ने कभी भी औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्र में 57.28 और शहरी क्षेत्र में 28.94 प्रतिशत लोग कभी शैक्षणिक संस्थान में नही गए हैं। आश्चर्य यह है कि कुल अशिक्षित आबादी में से अधिक संख्या महिलाओं की हैं तथा 2012 की जनगणना के अनुसार जिले में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 37 प्रतिशत है। सिरोही जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित है। सिरोही जिला केन्द्र पर केन्द्रिय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है।

(2) जालौर जिला साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछडा हुआ है तथा जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 55.58 प्रतिशत है, जिससे पुरुषो एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 71.83 तथा 38.73 है। राजस्थान में यह जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है तथा साक्षरता में लैंगिक अंतर (gender gap) भी सबसे अधिक है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे पिछड़े जिले के रूप में चिन्हित किया गया है तथा यह जिला बी.आर.जी.एफ. योजना में भी शामिल है। यहां अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 18.6 प्रतिशत तथा अ.ज.जा. 9 प्रतिशत है। जिले का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। वर्तमान जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा जो जिला मुख्यालय से 112 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 1987 में स्थापना के बाद निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है एवं एक और नवोदय विद्यालय जिला मुख्यालय के समीप स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि और अधिक संख्या में बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा दी जा सके।

यह नया विद्यालय जालौर, सायला, आहोर एवं भीनमाल पंचायत समिति क्षेत्र के छात्रों के प्रवेश के लिए तथा वर्तमान में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय जसंवतपुरा, रानीवाडा, सांचोर एवं चितलवाना पंचायत समिति के छात्रों के प्रवेश के लिए होगा।

कृषि विज्ञान केन्द्र -

जालौर जिला का क्षेत्रफल काफी बड़ा है तथा यहाँ मानव शक्ति भी पर्याप्त है। साथ ही स्त्री-पुरुष अनुपात भी राज्य की तुलना में ठीक है। जिले में लोगों की आय का प्रमुख साधन कृषि है। 2012-17 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जालौर जिला में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किया गया है। इस कृषि विज्ञान केन्द्र को जल्द से जल्द प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं हमारी सरकार के बजट 2021-22 का पुनः समर्थन करता हूं तथा आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

(इति)

***श्री अक्षयवर लाल (बहराइच):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के आम बजट पर समर्थन में बोलने हेतु समय व अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

यह बजट अंत्योदय पर आधारित "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" को ध्यान में रखकर गाँव, गरीब किसान के विकास हेतु यह बजट लोक कल्याण हेतु है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि बजट में बढ़ोत्तरी कर किसानों की आय दुगुनी करने का कार्य किया गया है। सभी अनाजों के एमएसपी में वृद्धि की गई है। नवीन मण्डियों की स्थापना मत्स्य पालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए बजट में धन का आवंटन किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल योजना, स्टार्ट-अप, मुद्रा लोन में अधिक धन का आवंटन किया गया है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ने हेतु 750 एकलव्य मॉडल नवीन विद्यालय की स्थापना तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में धनराशि का आवंटन किया गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई है। कोरोना एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए पिछले बजट से 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई

है।

जनपद-बहराइच (उ०प्र०) का नाम अकाँक्षी जिलों में है। मेरी सरकार से निम्नलिखति मांगें हैं-

1. लोकसभा क्षेत्र–बहराइच के ब्लॉक एवं तहसील-मिहिंपुरवा में चीनी मिल एवं नये उद्योग की स्थापना कराई जाये।
2. लोकसभा क्षेत्र बहराइच में केन्द्रिय विद्यालय नहीं है, वहां केन्द्रिय विद्यालय की स्थापना करायी जाये।
3. लोकसभा क्षेत्र–बहराइच के ब्लॉक एवं तहसील-मिहिंपुरवा के ग्राम पंचायत बोझिया में नवनिर्मित एकलव्य मॉडल विद्यालय का भवन विगत 7 वर्षों से बना खड़ा है, उसमें अध्ययन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
4. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जाये। युवाओं को रोजगार देने के लिए तकनीकी विद्यालय की स्थापना करायी जाये।
5. बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध नये चिकित्सालय का निर्माण कराना अति आवश्यक है।
6. जनपद-बलरामपुर, जनपद-गोण्डा से बहराइच आने वाले मार्ग जहाँ पर मिलते हैं, दो नाका से बहराइच-लखनऊ मार्ग को रिंग रोड बनाकर जोड़ा जाये। नेपाल–भारत की सीमा पर बन रही सीमा सड़क को रुपैडिहा (बहराइच) के पास मोड़ न देकर सीधा बनवाया जाये।
7. जरवल रेलवे स्टेशन से बहराइच रेलवे स्टेशन, दूरी 65 किलो मीटर नई बड़ी रेलवे लाइन बनाकर जोड़ा जाये।
8. उ0प्र0 में गोंड (Gond) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र एवं संवैधानिक सुविधायें सुगमतापूर्वक दिलाई जाये।

(इति)

---

* Laid on the Table

*SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Respected Speaker, Sir, I would like to express my views on this General Budget for the year 2020-21. The Government announced substantial investments in the development of modern fishing harbours and fish hand landing centres. To start with, 5 major fishing harbours – Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petuaghat – will be developed as hubs of economic activity and a Central University for Leh.

I then eagerly waited for the Demand for Grants document with a hope that the Government might have taken my suggestion during a Zero Hour intervention in December 2019 when I had spoken on how important Andaman will be for creating a 5 trillion-dollar economy and had asked for allocating 10000 crores for Andaman and Nicobar Islands.

Again, I was disappointed to see that Andaman and Nicobar Islands received only Rs.5164 crore in 2020-21 budget and Revised Estimates has come down to Rs.4824 crore. There has been an under spending of 219 crore in capital expenditure in this financial year. However, in the present budget, Andaman and Nicobar Islands were provided only Rs.5317 crore which is a meagre increase of Rs.153 crore for a population of 5 lakh which is entirely dependent on the Union Budget for its funds.

I would also like to point out that how some major works have received a decrease in allocation under Demand No.49 concerning Andaman and Nicobar Islands.

Name	Budget 2021	Budget 2020
Power	540	546
Roads and Bridges	187	175
Tourism	9.89	11

Though I thank the Government that in certain heads it has increased the allocation like Agriculture and Allied activities from Rs.20 crore to Rs.30 crore. Water supply and sanitation from Rs.62 crore to Rs.108 crore. Port and Light Houses from Rs.106 to 116 crore. But the problem still remains about the

* Laid on the Table

quantum of allocations which is still very less with regard to the actual requirement for development of Andaman and Nicobar Island which is not only significant in terms of tourism but also for strategic purposes and if given a proper grant and help from the Union Government in achieving the goal of a 5 trillion-dollar economy.

The unprecedented potential of Andaman and Nicobar Islands can only happen if the Central Government focusses on how development can happen in Andaman and Nicobar Islands. I would also like to raise some very crucial issues and demands concerning my constituency:

1. Increasing the budget of Andaman and Nicobar Islands from Rs.5300 crore to Rs.10000 crore.
2. Need to tackle unemployment in Andaman and Nicobar Islands and to provide unemployment allowance.
3. To fill up all the vacant Government jobs which is in thousands by stopping online recruitment and provide jobs to the islanders.
4. Early implementation of Flat Bay water supply project and Rutland project in Andaman and Nicobar Islands.
5. Regularise all the daily rated mazdoors working in different departments under the Andaman and Nicobar Administration.
6. Promotion of fisheries in Andaman and Nicobar Islands by providing incentives and investment for developing processing infrastructure.
7. Now with the necessary infrastructure (OFC) in place, I would request to make Andaman and Nicobar Islands an Information Technology hub with the development of Business Process Outsourcing/Call Centres/Software Park under schemes like Digital India, Promotion of IT/ITeS industries. Andaman and Nicobar Islands will be conducive for fast pace development as an IT hub due to its strategic location and proximity to several south east Asian countries like Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar etc. Such a step will be a big boost to employment generation and holistic development of Andaman and Nicobar Islands.
8. In addition to this, I would also request you to kindly provide a second OFC line from Diglipur to Digha in West Bengal. Since Andaman and Nicobar Islands are situated in a Seismic Zone and we have suffered the brunt of a devastating tsunami in 2004, it is important to have a second

9. line of connectivity to ensure that complete disruption does not happen in the event of a natural disaster. This move will also create confidence in private investors to come forward and invest in IT infrastructure in Andaman and Nicobar Islands.
10. Need to promote tourism through Marine, Adventure, Culinary, Eco, World War II Tourism and Cultural Tourism along with establishment of Freedom Struggle Tourism at various places in Andaman and Nicobar Islands.
11. To promote tourism and to generate employment at different Islands, a Snake Park to be made at Kadamtala, a Crocodile Park at Bakuntala and world's largest aquarium at Mayabunder.
12. Need to have Shipbuilding/ Ship Repairing yard in Andaman and Nicobar Islands to generate employment.
13. Providing subsidy on air travel to residents of Andaman and Nicobar Islands.
14. Andaman and Nicobar Administration to purchase 2 (two) numbers of Planes namely Andaman Airways and Nicobar Airways for cheap, fast and easy transportation of the islanders to other parts of the country from the Islands.
15. To start International flights from the Islands to South East countries like Singapore, Malaysia, Thailand etc. to promote tourism and trade.
16. Need to establish a Legislative Assembly for Andaman and Nicobar Islands on the lines of Delhi and Puducherry.
17. Need for establishing a Central university in Andaman and Nicobar Islands instead of Deemed University.
18. Establishing a separate commission for women for Andaman and Nicobar Islands.
19. Increasing the salary and honorarium of Anganwadi and ASHA workers in the country, particularly in Andaman and Nicobar Island.
20. Need to increase the pension of old age widows and Divyang person from Rs.2500 to Rs.5000 per month to fulfil their basic needs.
21. To give land to all the landless persons such as Bengali, Tamil, Telugu, Ranchi, UP, Bihari, Punjabi and other communities who played a very vital role in development of Andaman and Nicobar Islands.
22. To give land to all the persons of extended families of pre-1942 settlers.

23. To regularise all the left-out cases of pre-1961.
24. Need for Resettlement and Rehabilitation of Katchan Tamil settlers.
25. Need to provide adequate compensation and land for victims of 2004 Tsunami in Andaman and Nicobar Islands.
26. Construction of Bridge from Chatham Island to Bambooflat.
27. Need to create sports infrastructure relating to Football, Cricket, cycling, rowing, swimming and athletics along with a sports academy in Andaman and Nicobar Islands.
28. Give MSP in areca nut and Paddy.
29. Government to give 90 per cent transport subsidy for transportation of handicraft items and Agriculture produce.
30. Need to create one trauma Centre and all super specialist Medical facilities to be provided at G.B. Pant Hospital for better medical infrastructure. And to start post-graduation Institute for MBBS graduates who wish to pursue higher education in the field of medicine and surgery. And also provide Ultra Sound Machine in all Primary Health Centres at Andaman and Nicobar Islands.
31. Out of 100 Sainik Schools proposed in the budget, one Sainik School to allotted to Andaman and Nicobar Islands.
32. To open cultural Academy.
33. Need to stop the privatisation of Electricity Department of Andaman and Nicobar Islands

I request the Government to kindly consider these requests and constitute a committee which will analyse the potential of Andaman and Nicobar and propose an investment plan to boost the economy.

(ends)

***श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद):** अध्यक्ष महोदय, भारत आज टॉप फाइव इकोनॉमीज का हिस्सा है। मैं मैं अपने वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हु। जब पूरी दनिया ने कह दिया था कि भारत की " अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी जाएगी, उस समय भी बजट आने वाले समय में डबज डिजिट इकोनॉमी का बात करता है। साथ ही, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ की उन्होंने इतने मुश्किल समय पर निर्णय लेकर लाइफ और लाइवलिहूड के बीच में चिंता की। जब लाइफ बचेगी तो लाडवलिहूड खुद से बच जाएगा। बजट में बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का और लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस बजट में बहत अच्छे प्रावधान किये गए हैं। छोटी बड़ी सभी बातों को ध्यान में रख कर ये ऐतिहासिक बजट तैयार किया गया है।

देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है और इसी सपने को साकार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट की समय सीमा एक साल बढ़ाने का ऐलान किया। बजट में बुजुर्गों का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है इसमें 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी पेंशन और जमा से आमदनी है, उनको आईटीआर फाइलिंग से छूट मिलेगी, इसका लाभ बुजुर्गों को अवश्य मिलेगा। जो लोग सार्वजानिक बस सेवाओं का उपयोग करते हैं उनके लिए सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है और इसके लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में आयकर दाताओं के इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इससे उन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। बजट में वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जो कि 2021 में 9.5 फीसदी रह सकता है। यह अपने आप में सराहनीय है। इस बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया इससे खरीददारों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त एफएएफटीए पर ड्यूटी घटकर 5 फीसदी की गई। स्टील प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी की गई। माननीय वित्त मंत्री जी ने कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी करने का ऐलान किया। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने ऐलान किया कि जीएसटी 4 साल पराना हो चुका है जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। साथ ही इससे जुड़े पुराने 400 नियमों की समीक्षा करने की भी बात की। बजट में ये भी ऐलान किया कि पीएफ देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं होगा।

मंत्री जी ने ऐलान किया कि स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे स्टार्टअप बिजनस करने वाले एक बड़े वर्ग को लाभ मिलना।

* Laid on the Table

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फासदी रहने का अनुमान है। असम, बंगाल में टी वर्कर्स के लिए 1000 करोड़ रुपये का एलान किया, यह अपने आप में वर्कर्स में उत्साह लाने वाली घोषणा है|

अब तक जनसंख्या की गणना में बहुत समय बर्बाद होता था क्योंकि यह मैन्युअल होती थी परन्तु इस बजट में यह घोषणा की गयी है की जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री जी ने एलान किया कि 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे। 15 हजार से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी इससे जनजातीय छात्रों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। देश में रिसर्च के काम में तेजी आये, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। वित्त मंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्सेंटिव स्कीम का एलान किया। डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ रुपये का इन्सेंटिव देंगे।

बजट में यह भी ऐलान किया कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। यह स्कूल एनजीओ, प्राइवेट स्कूल, राज्यों के साथ मिलकर खोले जाएंगे। इससे सैनिक स्कूल के छात्रों को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बजट में लघु उद्योगों का भी किस प्रकार उत्थान हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसी क्रम में वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई सैक्टर के लिए 15700 करोड़ का ऐलान किया है।

हम सब ने देखा की कोरोना महामारी में किस प्रकार मोदी जी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखा। इसी क्रम में बजट में यह ऐलान किया कि बचे हुए राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होगी। इसी क्रम में मजदूरों के लिए और भी घोषणा की गयी जिसके अंतर्गत प्रवासी व असंगठित श्रमिकों के लिए पोर्टल लॉन्च होगा। यह श्रमिकों के हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स आदि के लिए होगा। हर कैटेगरी के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू होगा।

मजदूरों के साथ साथ यदि हम किसानों की बात करें को वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कार्यरत है। सभी कमोडिटी के लिए किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा तथा ई-नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा। साथ ही वित्त वर्ष 2022 के लिए फार्म क्रेडिट लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया।

वित्त मंत्री जी ने बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया गया है, यह बजट रेलवे को निश्चित तौर पर नई गति प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही बजट में छोटी कंपनियों के लिए पेडअप कैपिटल की लिमिट बढ़ाने का एलान किया, इससे छोटे

व्यवसायियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का ऐलान किया, साथ ही यह भी कहा की इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन होगा।

बजट में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पावर सेक्टर के लिए 305984 करोड़ रुपये की स्कीम लाई जाएगी इस प्रावधान से ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किये जा सकेंगे।

देश में सड़कों के विकास का कार्य निरंतर चल रहा है इस क्रम में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 13 हजार किमी से अधिक की सड़कें अवार्ड की गई हैं। 3800 किमी का निर्माण अब तक हो चका है। मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़कों का अवार्ड हो जाएगा। इसका लाभ देश के जनमानस को अवश्य मिलेगा।

गांव के साथ साथ शहरों का विकास भी और तेज गति से हो, इसका भी ख्याल बजट में पूर्ण रूप से रखा गया है। इसी के अंतर्गत अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 141678 करोड़ रुपये अगले 5 साल में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। पीएलआई के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। इससे जॉब के मौके बनेंगे और 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।

हम सभी यह जानते हैं के मोदी जी की सरकार ने देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती है। इसी क्रम में वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य 94 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया है। इसका लाभ भारत के नागरिकों को अवश्य मिलेगा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड रुपये का एलान किया। बजट में 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने का एलान किया। वित्त मंत्री जी ने 64,180 करोड़ रुपये हेल्थ स्कीम का एलान किया। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों का हेल्थ डेटा बेस तैयार करेंगे, साथ ही आरएंडी और इनोवेशन पर फोकस किया जाएगा शहर के लोगों को किस प्रकार साफ़ पीने का पानी मिले, इसके लिए वित्त मंत्री जी अर्बन जल जीवन के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ का एलान किया।

पुराने वाहनों से प्रदूषण तो फैलता ही है साथ पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। इसी के लिए वित्त मंत्री जी ने आटो सेक्टर के लिए वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया है।

कोरोना काल में सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13 फीसदी दिया। कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया। यहाँ यह कहना उचित ही होगा की लॉकडाउन न करते तो ज्यादा जानें जाती। इसी काल में सरकार ने किसानों के खाते में पैसा भेजा। 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। कोराना काल में इससे निपटने के लिए 5 मिनी बजट पेश किए गए।

कोरोना संकट की वजह से बजट खास है, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। बहुत कठिन परिस्थितियों में यह बजट आया है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है जिसका लाभ पूरे देश वासियों को मिलेगा।

(इति)

***श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा):** अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूं। यह विषय बजट का है। अदना से आला तक से जुड़ा हुआ। बजट एक गृहस्थ भी बनाता है, एक गृहणी भी, एक व्यापारी भी, उद्योगपति भी, संस्था भी और सरकार भी। बजट चाहे जिसका हो, जैसा हो - केवल आमदनी के स्रोतों और निर्धारित खर्चों पर निर्भर नहीं होता। भीतरी-बाहरी कई परिस्थितियां - कई शक्तियां उस पर असर डालती हैं। इस लिहाज़ से इस सदी की सबसे बड़ी आपदा - सबसे बड़े संकट के दौरान देश का बजट पेश करना और उस बजट में मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटते हुए भविष्य के लिए उम्मीद पैदा करना आसान काम नहीं। इसलिए सबसे पहले, जिन्होंने ये दुर्लभ साहस और पराक्रम दिखाया है - देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री वीरांगना बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं अभिनन्दन करना चाहती हैं। अभिनन्दन महान कवि गोपाल दास "नीरज" की इन पंक्तियों से :

" श्रम के जल से ही राह सदा सिंचती है,
गति की मशीन आँधी में ही हँसती है,
शूलों से ही श्रृंगार पथिक का होता,
मंजिल की माँग लहू से ही सजती है,
पग में गति आती है छाले छिलने से,
तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो।
मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो॥"

महोदय, इस बजट के मूल्यांकन में इसकी मूल भावना को दो बिंदुओं में समझना चाहिए। पहला यह कि महीनों तक लॉकडाउन के कारण ठप आर्थिक गतिविधियों के बावजूद यह बजट चुनौतियों से उबर कर आगे बढ़ने की मजबूत इच्छाशक्ति वाले सशक्त भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। दूसरा यह कि बजट में भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा रखने वाले देश की संकल्पशक्ति नजर आती है। यह बजट आम आदमी की आय और क्रयशक्ति बढ़ानेवाला, आकांक्षी भारत की समस्त आकांक्षायें पूरी करनेवाला, देश के संसाधनों पर जिनका वास्तविक अधिकार है उनके लिए विकास की बाध्यता पैदा करनेवाला और एक केयरिंग सोसायटी का निर्माण करनेवाला बजट है।

बजट में पीपीपी मोड पर खासा जोर दिया गया है। एक सोच है कि विकास प्रक्रिया में खर्च के प्रबंधन और पूंजी जुटाने के काम में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाय। अबतक ये माना

---

* Laid on the Table

जाता था कि ये सब केवल सरकार की जिम्मेवारी है, अब जबकि निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले गए हैं, तो तय है कि अब निजी क्षेत्र की उदयमिता का लाभ विकास प्रक्रिया को मिलेगा, रफ़्तार बढ़ेगी।

महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महामारी के दौरान देशव्यापी टेस्टिंग नेटवर्क, पीपीई किट उत्पादन में भारत की कार्यशैली ने विकसित देशों को भी चकित किया। स्वास्थ्य बजट में 137% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए उसे 2.38 लाख करोड़ रुपये किया गया है। बजट में प्रस्तावित आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से लगभग 75 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी। नये लैब-नए संस्थान खुलने से स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव होंगे। बजट में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भारत कोरोना टीके के निर्माण और उत्पादन में अग्रणी बना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मोदी जी दुनिया के तमाम देशो में टीका पहुंचा कर भारत को वैश्विक पटल पर सम्मान दिला रहे हैं। • अब सवाल उनका जो इन तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानि हमारे टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स चार्टर लाकर हमारी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश को सबसे ज्यादा रोजगार और राजस्व देनेवाला लघु उद्यम जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, पिछले कई दशकों से डिप्रेसन में रहा है। लेकिन अब, जबकि हमारी यात्रा शुरू हो गयी है आत्मनिर्भर भारत की तो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से देखें तो हमारे छोटे-मझोले उद्यमी इस अभियान में सबसे बड़ी भूमिका निभायेंगे| एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद करते हैं। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काफी योगदान देता है।

ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। इनसे 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। देश के कुल निर्यात में इनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत की है।

लेकिन ज्यादा नहीं छः-सात साल पीछे जायें तो हम क्या पाते हैं? क्या हालत थी इन छोटे -मंझोले उदयमों की?

गालिब की इन पंक्तियों से समझें : -

"उन के देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक

वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।"

लेकिन अब नहीं, “मॉर्निंग शोज द डे", अब देश के लघु उद्यमी देश की सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उनकी उम्मीद को भी ग़ालिब की जुबानी ही समझिये:

"देखिए पाते हैं उश्शाक़ बुतों से क्या फैज़

इक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है।"

अब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के मिशन में MSMEs की भूमिका को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। MSMEs की परिभाषा में बदलाव हो,निवेश की सीमा बढ़ाना हो या फिर सरकारी खरीद में वरीयता, अब लघु और कुटीर उद्योगों को विकास के लिए ज़रूरी प्रोत्साहन मिला है। तीन लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ की विशेष योजना और Fund of Funds जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है। GeM (जेम) पोर्टल से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों के MSMEs को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है।

बड़ी बात ये है कि उद्यमशीलता महिलाओं में कम है, ऐसा इस सरकार ने नहीं माना, बराबरी के ही नहीं, बराबरी से कुछ कदम आगे बढ़ने का हौसला दिया। आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका है। सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिला उदयमियों को मिले हैं।

• दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। बैंकों के माध्यम से इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। • कोरोना की मार से जब पूरी दुनिया कराह रही थी, देश के छोटे-मंझोले उद्यमी भी तकलीफ में थे तो सरकार मरहम लेकर मुस्तैद थी। मुश्किल में फंसे दो लाख MSMEs के लिए 20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 4,000 करोड़ रुपये की मदद लेकर खड़ी हो गयी।

• सरकार ने घोषणा की कि वह 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक फंड ऑफ फंड की स्थापना करेगी जिससे एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग में मदद मिलेगी। सरकार ने ऐलान कर दिया कि इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये तक के लोन की गारंटी सरकार देगी।

• एमएसएमई को सरकारी खरीद में 25 प्रतिशत का आरक्षण और सरकारी कंपनियों से 45 दिन के भीतर भुगतान की सुरक्षा सुविधा केवल सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ही मिलती है। मध्यम श्रेणी के उद्योग को बैंकों से एमएसएमई के लिए बिना गारंटी का ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

• फेसलेस टैक्स असेसमेंट और अपील की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बना दिया है।

उदयोगों को ज़रूरी सुविधाएं मिल सकें इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों का, GIS तकनीक पर आधारित डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में देशभर की लगभग 5 लाख हेक्टेयर औद्योगिक भूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

• भारत सरकार तैयार बैठी है, राज्य सरकारें सहयोग करें तो बड़ा चमत्कार हो सकता है। भारत सरकार उद्यमियों के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना चाहती है, जहां "प्लग एंड प्ले" के सिदधांत पर उदयमियों को जगह मिले। सबकुछ रेडी, आईये और निर्माण-कारोबार शुरू कीजिये। इस सदन में बैठे माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि कॉल सेंटर्स और बीपीओज की शुरुआत देश के कुछ बड़े शहरों में इसी फार्मूले के तहत हुई थी।

महोदय, हमारा देश युवाओं का है, जहां हर दिमाग एक नए आविष्कार की तैयारी में है। लेकिन हमने पिछले सात दशक उन आविष्कारी दिमागों पर अपनी परानपंथी सोच लादे रखी। अब हमारी सरकार ने फलसफा बदला है, हम मानते हैं

"बच्चों के नन्हें हाथों को चांद सितारे छूने दो
चार किताबें पढ़कर ये भी, हम जैसे हो जायेंगे।"

हमारी सरकार ने देश के बच्चों को चांद सितारे छूने की आज़ादी दी है। आज एक बच्चे का स्टार्ट अप देखते - देखते मिलेनियर बिजनेस बन जा रहा है। इसीलिये, बजट में स्टार्टअप को प्रमोशन मिलने से देश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। सरकार ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा करने से राहत दी है। ये फैसले अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे।

बीते वर्ष में गेहूं एवं दाल और चालू वर्ष में धान की खरीद में वृद्धि यह दिखाती है कि केंद्र में किसानों के हित में काम करने वाली सरकार बैठी है। पहले जो किसान यूरिया के लिए पुलिस की लाठियां खाते थे, आज सम्मान निधि की राशि सीधे उनके खातों में पहुंचती है। सरकार ने कृषि ऋण के लिए बढ़ोतरी करते हए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, 1000 ई-नाम' के जरिये किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगनी करने के लिए किए गए हैं।

मैं पूछना चाहूंगी कि कृषि क्षेत्र में कृषक की उद्यमिता को हम क्यों नहीं मौक़ा देते, क्यों हम उन्हें उद्यमी नहीं मानें, क्यों नहीं उन्हें भी ऊंची उडान का मौक़ा दें, हम खेती को एक कारोबार मानने से परहेज क्यों करते हैं? मैं झारखण्ड से आती हैं, इसलिए लाजिमी तौर पर झारखण्ड की चर्चा करूंगी। आजकल MSP की गारंटी पर बड़ा जोर है, लेकिन अभी MSP की व्यवस्था तो है. खरीद का काम राज्य की सरकार को करना है। फिर हमारे झारखण्ड में क्यों किसान चाहकर भी MSP पर

अनाज नहीं बेच पा रहा, क्यों तय MSP से आधे दाम पर बिचौलियों को बेचने को मजबूर है? झारखण्ड की पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की थी, राज्य के हर किसान को प्रति एकड़ 5000 के हिसाब से 25000 सालाना तक आर्थिक मदद देने की व्यवस्था थी, क्यों बंद कर दी गयी? दशकों से एकफसली खेती हो रही है वहां - धान छोड़कर कुछ नहीं। अब बदलाव आया है - युवा प्रगतिशील किसान फूल, स्ट्रॉबेरी, पपीते, सहजन, सब्जियां उगा रहे हैं। जोतें छोटी हैं तो सामूहिक खेती कर रहे हैं, एफपीओ बनाकर खेती को डाईवर्सीफाई कर रहे हैं, भारत सरकार की किसान रेल और उड़ान योजना उनकी उपज को देश के बड़े शहरों से लेकर विदेशी बाज़ारों तक पहुंचा रही है।

ये हमारी ताकत है लेकिन सपोर्ट भी तो चाहिए? जाहिर है, कल को बड़ी कम्पनियां इनके साथ कारोबार करना चाहेंगी। लेकिन ये सब देखकर अभी से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। क्यों भाई, कुछ ख़ास क्षेत्र ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मजे लेंगे? हमारे झारखण्ड के किसानों ने क्या कसूर किया है?

बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ महिलाओं तक मुफ्त रसोई गैस पहुंचाने के बाद अब एक करोड़ अन्य लाभार्थियों तक पहंचने का लक्ष्य है। बजट में 75 वर्ष से अधिक आय के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट का निर्णय सरकार के मानवतावादी नजरिये का प्रतीक है। मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों के हित में पांच नए बंदरगाह बनाने और प्रवासी मजदूरों के डाटा को एकीकृत करने का प्रस्ताव है, जिससे वे एक देश-एक राशन कार्ड का लाभ उठा सकें। मध्यम वर्ग के हित में सस्ते घर के लिए कर्ज में छूट की अवधि एक साल और बढ़ाई गई है। मोदी जी ने गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, शुद्ध जल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सुविधाएं देने का जो संकल्प लिया है, उसे यह बजट सिद्धि तक ले जाने में सहायक होगा।

आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 1.18 लाख करोड़ रुपये के बजट से राजमार्गों के विस्तार को नई गति मिलेगी। रेलवे को अगले एक दशक की जरूरतों के अनरूप तैयार करने के लिए रिकार्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इसके साथ जलमार्गों, बंदरगाहों के विकास हेतु पूंजी निवेश और पीपीपी मॉडल के जरिये अनेक कदम उठाए गए हैं। आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

कुछ लोग औद्योगिक घरानों के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन इनका महत्व क्या है, केवल एक उदाहरण दूंगी| बंगाल के लोगों ने सिंगूर से एक उद्योगपति को भगाया, गुजरात ने अपनाया। आज स्थिति क्या है? लॉकडाउन के दौरान उजागर हुआ कि वही बंगाल जहां पहले बिहार, ओड़िसा, झारखण्ड, इत्यादि के लोग काम पाते थे, उसी बंगाल के मजदूर आज गुजरात और महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी-अपनी सोच है, लेकिन उस सोच का हमारे देश की जनता पर - हमारे प्रदेश की जनता पर, हमारे देश की तरक्की पर - हमारे प्रदेश की तरक्की पर

क्या असर पड़ता है, हमारे फैसले हमारे लोगों के भविष्य को कितना और कैसे प्रभावित करेंगे, ये भी देखना होगा। मैं बदलाव की एक और शक्ल दिखाना चाहती हूं। हवाई यात्रा सुविधा में जो विस्तार हुआ, किसने किया? एयर इंडिया ने नहीं किया, निजी क्षेत्र ने किया। लेकिन, हमारे यहां के कुछ लोगों का दिमागी दिवालियापन देखिये - कुछ लोग आज भी चाइना के निजी क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं, उनकी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने निजी क्षेत्र की उपलब्धियों की बात हो तो कहेंगे - लूट लिया। इस संकीर्ण भावना से हमें बाहर निकलना होगा। वेल्थ क्रियेटर का समाज में सम्मान भी होना चाहिए। मुझे खुशी है कि बार-बार, जब भी मौका मिलता है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने खुलेआम उनके साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

इसी सदन में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ लोगों के लिए एक संज्ञा दी - परजीवी - आन्दोलनजीवी| इनका कुछ नहीं हो सकता, हर मामले में नकारात्मक पक्ष देखने की बीमारी है इन्हें। अब स्टॉक मार्केट को ही ले लीजिये। अप्रत्याशित तेजी दिखी - sensex 50 हजार के पार ये एक अप्रत्याशित घटना नहीं है। मैं जानती हूं कि स्टॉक मार्केट आर्थिक व्यवस्था की कम्प्लीट पिक्चर नहीं देता, मैं ये भी जानती हूं कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं होते, लेकिन वहां ऐसे लोग होते हैं जो देश के भविष्य की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं और उसके हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं। जो आदमी अपना पैसा लगाता है, अपना स्टेक लगाता है, अपनी आमदनी लगाता है, उसका दांव सही फैसले पर लगेगा, गलत फैसले पर नहीं, इतना तो तय है।

कुल मिलाकर, नए दशक में लाया गया यह पहला बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की बुनियाद रखने वाला है। बजट देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र, हर समुदाय की आकांक्षाओं को पंख देकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट है।

आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये सरकार एक नए भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, दुनिया की फैक्ट्री भारत, विश्वगुरु भारत की रचना के यज का आवाहन कर चुकी है। विघ्न-बाधाएं भी आयेंगी, समर्थन के सुर भी होंगे। जिनकी जैसी भूमिका होगी, इतिहास उन्हें उसी रूप में याद करेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि इस सदन में बैठे हर एक माननीय सदस्य को हमारी भावी पीढ़ी आत्मनिर्भर भारत का शिल्पकार माने।

जय हिन्द, जय जवान - जय किसान - जय विज्ञान।

(इति)

*DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: I stand in support of this Budget. I congratulate the Finance minister Shrimati Nirmala Sitharaman and MOS Finance Shri Anurag Thakur for presenting excellent Budget on the backdrop of COVID-19 pandemic. Last one year was difficult year because of COVID-19 lockdown. Timely action taken by the Prime Minister has saved this nation but due to lockdown, economy has definitely suffered. But agriculture and MSME are two strong pillars of Indian economy, which was aptly supported by the hon. Prime Minister by giving handsome package to these two sectors. There were apprehensions about Budget. But I congratulate the hon. Prime Minister and Finance Minister for giving good amount for Health and Agriculture.

Rs. 2,23,846 crore outlay for Health and Well-being in Budget Estimate 2021-22 as against Rs. 94452 crore in Budget Estimate 2022-21 which is an increase of 137 per cent. The focus is on strengthening on three areas-preventive, curative and wellbeing.

- Rs. 35,000 crore for COVID-19 vaccines
- Made in India Pneumococcal vaccine to be rolled out across the country to avert 50,000 child deaths annually.
- Rs. 64,180 crore outlay over six years for PM Atma-Nirbhar Swasth Bharat Yojana
- Mission Poshan 2.0 to be launched
- Universal coverage for water supply
- Rs. 2,87,000 crore for Jal Jeevan Mission (Urban)
- Rs. 2.86 crore for tap connection
- Rs. 1,41,678 crore for Urban Swachh Bharat Mission 2.0

This is the Budget for Atma-Nirbhar Bharat and I support it.

(ends)

* Laid on the Table

***श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल):** माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे आम बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मान्यवर यह बजट मा0 प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है जिसमें देश के किसान, जवान, महिलाओं, बुजुर्गों, मध्यवर्ग एवं गरीब सहित हर वर्ग का समावेश है एवं उनका कल्याण निहित है। यह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। पिछले एक वर्ष से जिस प्रकार हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं देश में अर्थव्यवस्था को संभाले रखना एक चुनौती थी लेकिन इस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर एवं गतिशील रही, जिस प्रकार कोरोना के समय से ही हम आम्मनिर्भता की ओर बढ़ रहे हैं हमने देश के अन्दर ही अपने टैस्ट किट, लैबों एवं मास्कों को तैयार किया उसी आत्मबल का परिणाम है कि आज हम दुनिया को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करने की पंक्ति में हैं। मान्यवर यह बजट ऐसे समय मे हम लाये हैं जहां पूरे देश में एक वर्ष अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सभी आयाम बन्द पडे थे।

देश के अन्दर नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग घरों में कैद हो गया था चाहे उद्योग-धन्धे हों या छोटा व्यापारी सब्जी विक्रेता हो या फल विक्रेता दूधिया हो, या ट्रक डाईवर किसान, परिवहन सामान्य रूप से वायरस के संक्रमण के भय से रूक गए थे। देश की अर्थव्यवस्था थम गई थी लेकिन देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की दृढ इच्छा शक्ति ने उन दिनों में भी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपना समर्थन दिया।

मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी दूरदर्शिता से जो गरीब कल्याण योजना इस समय देश में चलाई गई उसका परिणाम था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। आज जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचना व निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है उससे स्वास्थ्य क्षेत्र में निवारक उपचारात्मक सुधारात्मक कल्याण निहित है। आपने इस बजट में जिस प्रकार एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ परिव्यय के के साथ अगले 6 वर्षों के लिए जो प्रावधान रखा है, वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सैण्टर केन्द्रों एवं जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं 3,382 विकासखण्डों में लोक स्वास्थ्य ईकाईयां, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल स्थापित होंगे उससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने एवं इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश से अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे उससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। सडक राजमार्ग अवसंरचना के तहत भारत माला परियोजना से जिस प्रकार रोडों का जाल बिछ रहा है, इस बजट से इसको गति मिलेगी, जिसका लाभ उत्तराखण्ड में बन रहे ऑलवेदर रोड चारधाम परियोजना एवं भारत माला प्रोजेक्ट को भी मिलेगा। सरकार ने रेलवे के अवसंरचना विकास के लिए दूरगामी नीति बनाकर 2030 तक के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना बनाई। वह रेलवे के आधारभूत विकास के लिए कारगर साबित

---

* Laid on the Table

होगा। इसका ज्वलन्त उदाहरण आजादी के बाद पहली बार पहाड़ों में ट्रेन को चढ़ाना है इससे पहले अंग्रेजों द्वारा यह कार्य किया गया जो आज मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से सफल होते हुए दिख रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग एवं चारधाम रेल परियोजना है, जिसका कार्य युद्वस्तर पर हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व एवं कटिबद्ध है। सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन कर कृषि उपज की कीमतों में वृद्धि हो सके जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इस ओर उचित कदम उठाया है। आज एमएसपी पर पहले से ज्यादा खरीद हुई है, गेहूं एवं धान उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार दलहन एवं कपास के उत्पादन वाले किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में किसान ऋण को बढाकर 16.5 लाख करोड़ कर के कृषि के साथ- साथ पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास के क्षेत्र में भी किसानों को ऋण देने की योजना बनाई है, जिससे सीमान्त किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार ने नाबार्ड के अन्तर्गत 500 सौ करोड रू0 से माइक्रो इरीगेशन फंड स्थापित किया है उससे किसानों के उत्पादन में वृद्धि के साथ आय को दुगना करने एवं अधिक किसान कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य होगा।

इस बजट में अनुसूचित जाति एवं जन जाति की महिलाओं के उत्थान के लिए स्टैण्डअप योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत किया गया है और इसे जिस प्रकार कृषि से सम्बन्धित कार्यों के लिए जोडा है वह निश्चित ही इनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास है। देश में नई शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार एवं शिक्षा के विस्तार के लिए 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना से शिक्षा क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव सम्भव है। हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक एवं आधारभूत विकास के लिए बजट का प्रावधान करके न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के स्तम्भ को मजबूत करते हुए देश में सुधार एवं विकास की दीर्घकालिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। माननीय अध्यक्ष जी मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

[*]श्री राजू विष्ट (दार्जिलिंग): महोदय, मैं Budget के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। वास्तव में यह किसी सरकार नहीं, बल्कि देश का Budget है। वर्ष 2012 के बाद भारत का हर नागरिक भारत सरकार के Budget में अपने आप को पाता है।उदाहरण के लिए, Jan में Darjeeling के Mirik भ्रमण पर था। माननीय मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल जी महिलाओं के घर गये। वह एक जन संपर्क अभियान में सरकार के कामों को लेकर गए। वहाँ एक महिला बताती है:

1. घर – PMAY से मिला,

2. Gas - Ujjwala योजना से मिला,

3. चावल और दाल – मोदी जी का,

4. Toilet – स्वस्थ भारत का,

5. सड़क – PMGSY से बना,

6. Covid - 500 रुपये हर महीना मिले और

7. काम – MGNREGA से मिला।

महोदय, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह देश का Budget है। इस Budget में गाँव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, चायबगान, कारोबारी सभी को समाहित किया गया है। जब पूरी दुनिया Covid के कारण वैश्विक मंदी से परेशान है, तब केंद्र सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए एक सकारात्मक बजट पेश किया है। इस Budget की खास बात यह है कि यह महामारी के दौर में आया है। इस बजट में भी सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, Infrastructure, Road & Highways, Railway & Public Transportation को बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया है। इस बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था के विकास के लिए 137% की वृद्धि करते हुए 2.23 लाख करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित किये हैं। इस शानदार पहल से न सिर्फ मौजूदा महामारी से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली विपदाओं से भी निपटा जा सकेगा। इस योजना से Block Level से लेकर District Hospitals में भी ICU जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका व्यापक लाभ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को अधिक होगा, जहाँ आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था दयनीय स्थिति में है।

महोदय, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था की मौजूदा स्थिति यह है:-

---

[*] Laid on the Table

- Over 9 Cr. Population - Bed 90,000 - Less than 1 bed for 1000 people
- Per Capita Rs.988 - All India Rs.1482

महोदय, यह Budget आत्मनिर्भर भारत, Vocal for Local, Make in India के माध्यम से भारत को विश्व में नई ऊंचाई तक ले जाएगा। इस दिशा में देश कितना तैयार है, यह हमने कोरोना काल में देखा कि छोटे से Mask से लेकर PPE KIT और Ventilator से लेकर Vaccine तक बनाने में हम दुनिया में अव्वल बन गए हैं। उदाहरण;

- कोविड के दौरान हम 0 PPE Kit - आज 2nd Largest Producer of PPE Kit in the World
- पूरे भारत में आजादी से वर्ष 2020 तक - Only 16000 Ventilators
- पिछले 1 साल में 36000 से ज्यादा Made in India Ventilators हमारी सरकार ने बाँटे हैं।
- हर दिन 8 लाख से ज्यादा N-95 Mask Produce हो रहे हैं।

यह चरितार्थ करता है:

कोशिश कर, हल निकलेगा

आज नहीं तो, कल निकलेगा।

अर्जुन के तीर सा सध जा,

मरूस्थल से भी जल निकलेगा।

मेहनत कर पौधों को पानी दे,

बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।

महोदय, जल जीवन मिशन के लिए अगले पांच वर्ष में 2.87 लाख करोड़ खर्च किये जाएंगे।

- . चेरापुंजी के बाद 2nd Highest Rainfall in Darjeeling
- Drinking Water Crisis - 15 Lakh People Deprive

यह योजना Darjeeling जैसे कई क्षेत्रों को लाभ देगी। बजट में हमारे क्षेत्र और राज्य पर विशेष ध्यान देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। चाय बागान मजदूरों की दुर्दशा के बारे में बताते हुए, हमारे युवा कवि Sakal Dewan Ji की दो पंक्तियाँ याद आती है:-

आफ्नो खुन पसिनाले सिँचेको भूमि

आफ्नो भन्न नपाउन् कस्तो यो विडम्बना?

न्यूनतम रोज भन्दा कममा गरिदै छ मजदुरी

बनदुवा मजदुर झै छिन् मेरी आमा

आफ्नै सहुलियतको पनि तिर छीन सब्सिडी

कति सहन्छिन उनी पिडा अथाह

अर्थ

खुद के खून पसीने से सींची हुई भूमि को

खुद का न कह पाना ये कैसी विडम्बना?

न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे पे करती हैं काम

बन्धुवा मजदूर सी जीवन व्यतीत करती हैं मेरी माँ

अपनी सहुलियतों के लिए खुद ही भुगतान करती हैं सब्सिडी

सहती है पीड़ा अथाह!

Rs.1000 crore का Special Financial Package चाय बागान श्रमिकों के लिए हमारे सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिलाओं और बच्चों के भविष्य में बदलाव आएगा। नए Labour Code के माध्यम से Min. Wages लागू होंगे। PLA Act 1951 खत्म हुआ। साथ ही Kolkata से Siliguri तक highway Corridor के लिए 25000 करोड़ रुपये आवंटित करने से यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह Corridor पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे East India और North East India के विकास मार्ग के रुप में पहचाना जायेगा। Kharagpur को Eastern Coast और Western Coast से जोड़ते हुए 2 और Dedicated Railway Freight Corridor बनाया जाएगा। Petua Ghaat पूर्वी Midnapur Fishing Harbor का

announcement कर हमारी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ।

मॉ, माटी, मानुष सरकार की बात

West Bengal Criticism

- West Bengal Facing Financial Crisis
- Total debt 4.5 Lcr.
- Govt. Failed to attract MoU in 10 Years
- Global Summit 15 LCr. Commitment
- Only 14500 Cr. Invested
- FDI During 2011 only 1% of Total in India
- FDI During 2021 only 1% of total in India
- Direct Benefit Transfer Rank – 36th (Last)
- Economy Rank during Independence – Top, Today 15th
- Cut Money, Corruption, Syndicate राज और
- Chit Fund घोटालों से जनता त्रस्त है।
- Ayushman Bharat V/s स्वास्थ्य साथी।
- Last Rank in Swachh Bharat Survey

Constituency Demands

1. Tourism Industry Special Financial Support
2. Buddhist Circuit - Darj, KPG, Sikkim, Bodhgaya
3. Cinchona Garden - 26000 Acre, bring under AYUSH Ministry & make Medicinal hub of India

4. Siliguri Smart City

5. Coronation Bridge alternative - Darjeeling, Jalpaiguri, Doors & North East – 100 Yrs./ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

6. Developing Sports Infrastructure & International Stadium

7. AIIMS in North Bengal

8. Darjeeling and Kalimpong District Hospital to Medical

College

9. Bagdogra Airport Expansion Plan

10. Cold Storage Chain in Phansidewa

11. Tea Garden - Planters at 2012 से Subsidy Pending है।

12. Nepali Language DD News Channel

13. Most Important Peace - Permanent Political Solution

महोदय, एक समय था जब दार्जिलिंग का नाम विश्व पटल पर गूंजता था। Darjeeling पूरे देश का गर्व था। दार्जिलिंग देश में सबसे पहले वर्ष 1897 में बिजली से जगमगाया। यहाँ के लिए चलने वाली Toy Train को UNESCO ने World Heritage का दर्जा दिया। चाहे चाय बागानों की खूबसूरती की बात हो, प्राकृतिक सौन्दर्य ऐसा की हर कोई दार्जीलिंग देखना चाहता था। कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी आगे। एक समय में दार्जीलिंग Education Hub हुआ करता था। सुदूर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा आदि क्षेत्रों से लोग पढने के लिए आते थे। बिल्कुल एक सपने की नगरी जैसा, दार्जीलिंग का वर्णन करते हुए एक पुराने गीत में कहा गया था-

दार्जीलिंग शहर बत्तिको लहर ईन्द्रासन जस्तो छ

लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी, Darjeeling की अनदेखी होनी शुरू हुई और आजादी के बाद Darjeeling पिछड़ता गया। अब हालत यह हो गया है - आप स्वयं सोचिये की पिछले 15 सालों से पंचायत के चुनाव नहीं हए हैं, लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। Panchayat नहीं होंने के कारण 1600 Cr जनता तक नहीं पहुँचा। चाय और सिंकोना के बगान बंद होते गये। रोजगार ख़त्म होते गए। Tourism दिन पर दिन कम होता चला गया। Education का स्तर दिन पर

दिन गिरता जा रहा है। ना अच्छी सड़कें हैं, ना ही पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें और न पीने का साफ़ पानी है। खेलों के क्षेत्र में शानदार खिलाड़ी देने वाला यह क्षेत्र खेलों की बेसिक सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इसका कारण राज्य सरकार का दार्जीलिंग के प्रति सौतेला व्यवहार है। गोरखा लैंड का आन्दोलन भी बड़ा कारण बना, जिसे अब तक की सरकारों ने कभी भी गंभीरता से समाधान की ओर ले जाने की कोशिश नहीं की। Peace और Stability की कमी ने इस क्षेत्र को विकास के मामले में बहुत पीछे धकेल दिया। वर्ष 2019 के Manifesto में BJP ने स्थाई राजनीतिक समाधान की बात की थी। पार्टी और सरकार ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो या फिर कश्मीर का मुद्दा भारत के संविधान में हर समस्या का समाधान है। अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र के लिए राजनैतिक समाधान तुरंत होना आवश्यक है और समाधान ऐसा हो कि Darjeeling, Terai & Dooars की जनता की अपेक्षा को पूरा किया जा सकें।

(इति)

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):**माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आम बजट 2021-2 पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। 01 फरवरी 2021 सोमवार को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा पेश किया गया केन्द्रीय बजट 2021-22 इस नए दशक का पहला बजट है। अप्रत्याशित कोविड संकट के सहेनजर एक डिजिटल बजट भी है। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करने वाला यह बजट दरअसल 130 करोड भारतीयों की एकात्मकता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। बजट प्रस्तावों से राष्ट्र का किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा। वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तान इन 6 स्तंभों पर आधारित हैं -

1. स्वास्थ्य एवं कल्याण

2. भौतिक एवं वित्तीय पूजी और अवसरचना

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना

5. नवाचार और अनुसंधान व विकास

6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो वर्ष 2020-21 में 94,452 करोड़ रुपये था जिसमें 137 प्रतिशत वृद्धि किया गया है। बजट में कोविड-19 का टीका बनाने के लिए 35,000 करोड़ रूपये दिये गये हैं। इस राशि से कोविड-19 के टीके का निर्माण में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी में विश्व के कई देश भारत से उम्मीद लगाये हुये हैं उन्हें सहायता प्राप्त होगी। भारत के वैज्ञानिक कोरोना महामारी की वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा निर्मित करने में लगे हुए हैं। केन्द्र सरकार ने इस राशि से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।

बजट में मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैकलीन जो वर्तमान में केवल पांच राज्यों नही मिल रही थी, अब पूरे देश में उपलब्ध होगी। इससे झारखण्ड में चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों में भी बच्चों की होने वाली मौतों में कमी आयेगी।

---

* Laid on the Table

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना – प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है जिसमें आगामी 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रूपये का व्यय किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा अतिरिक्त राशि होगी। इस राशि से भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ठोस नींव का निर्माण होगा।

मैं यहां पर झारखण्ड के लिए मुख्य रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य से संबंधित मांग बजट में आपके माध्यम से सरकार से करना चाहूंगा। चतरा, लातेहार, पलामू से हेपेटाइटिस से संबंधित रोगों में हो रही वृद्धि चिन्ताजनक और गंभीर है। यहां स्थिति भयावह इसलिए होती जा रही है कि इन क्षेत्रों में जिला मुख्यालय पर भी इन रोगों से प्रतिरक्षण हेतु उचित स्वास्थ्य संरचना मौजूद नहीं है। इन क्षेत्रों में मातृत्व और शिशु से संबंधित सुविधाओं का घोर अभाव है। सुरक्षित प्रसव, टीकाकारण महिला रोग इत्यादि के निदान हेतू आवश्यक संरचना के दिशा में काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाली विभिन्न योजनाएं धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है। इसलिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत झारखण्ड इन बीमारियों के लिए स्थाई निदान करने के उपाय किये जायें।

झारखंड मलेरिया से प्रभावित राज्य है। यहां मलेरिया से मरने वालो की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। अत: मंत्रालय को इसके निषेध के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाना चाहिए। झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान होना चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण मांग आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत देश के आंकाक्षी जिलों में पूर्व से कार्यरत जिला/ रेफरल अस्पताल को नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में 3 जिले हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 8500 वर्ग किमी हैं। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यन्त अभाव है। आपके ध्यान में लाना है कि लातेहार एवं चतरा जिला में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य के चतरा एवं लातेहार जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए।

बजट में मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत एक सुदृढ कार्यनीति बनाई जायेगी, जिसमें चतरा, लातेहार एवं पलामू सहित देश के 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाया जायेगा।

बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) लांच करने की घोषणा की गई है, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रूपये का परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस योजना से सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति की योजना है। 2.86 करोड परिवारों को नल का कनेक्शन दिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि इस योजना में देश के आंकाक्षी जिलों को जिसमें झारखण्ड के चतरा एवं लातेहार

शहर भी आते हैं, प्रथम चरण में शामिल किया जाए क्योंकि शुद्ध पेयजल के अभाव में इन जिलों में कई बीमारियां फैल रही है। साथ ही गर्मीयों के दिनों में पेयजल का भी गहरा संकट होता है।

बजट में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आगामी पांच वर्ष में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया गया है। मेरा मानना है कि बड़े शहरों में अधिकतर घरों में शौचालय बने हुये होते हैं। इसलिए इस योजना के तहत छोटे शहर को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे चतरा, लातेहार एवं पलामू जैसे पिछड़े जिलों के शहरों में शौचालयों की ज्यादा आवश्यकता है। अतः इस योजना के प्रथम चरण में छोडे शहरों को शामिल करना चाहिए।

बजट में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 1.10 लाख करोड रूपये दिये गये हैं, परिसम्पतियों के निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके तहत केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम एवं नैफेड जैसे सीपीएसई की वेयरहाउस का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के तहत चतरा एवं लातेहार में एक-एक वेयरहाउस का निर्माण किया जाए। साथ ही इस योजना के तहत खेल स्टेडियम निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। मेरी मांग है कि लातेहार जिला में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए।

बजट में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के 1,81,101 लाख करोड़ रूपये का अबतक का सर्वाधिक आवंटन है। एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना है। रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता के अनुसार सभी रेल फाटकों को रोड ओवर / रोड अंडर ब्रिज से बदलने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण को करना है। लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड के टोरी जंक्शन में आर.ओ.बी. निर्माण के लिए स्वीकति एवं एवं राशि मिली हुई है। चंदवा के बाजार का बचाव करते हये इसका विकल्प तलाश किया जाए। इसके लिए बाईपास का निर्माण, या रेलवे अण्डर पास का निर्माण भी किया जा सकता है। अतः लातेहार जिला में टोरी स्टेशन के निकट टोरी-चतरा, डोभी पथ पर रेल ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

बजट में रेलवे के लिए 1.10.055 करोड रूपये की राशि प्रदान की गई है। भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाने की घोषणा की गई है। मेरा सुझाव है कि भारतीय रेलवे का अस्तित्व आजादी से पहले से है। परन्तु आज भी कई जिले रेलवे से अछूते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के सभी जिलों को रेलवे के माध्यम से आपस में जोड़ा जाए।

मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र की रेलवे की कुछ पुरानी लम्बित मांगो की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 2007-08 के बजट में चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के सर्वे की स्वीकृति दी गई थी। इस पर कार्य अग्रिम कार्यवाही करने के लिए रेल मंत्री जी से आग्रह है। चतरा लोक सभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व बरवाडीह - चिरीमिरी रेलवे लाईन परियोजना प्रस्तावित थी, जिसमें चिरीमिरी से अम्बिकापुर तक रेलवे लाईन बन चुकी है। बरवाडीह से अम्बिकापुर तक रेलवे लाईन का निर्माण लम्बित है। इस परियोजना के लिए आजादी से पूर्व मे ही भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। अधूरा

निर्माण कार्य भी हुआ है। यह परियोजना झारखंड के पलामू संभाग को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से जोड़ता है। जनजातीय बहुल सरगुजा एवं झारखंड का क्षेत्र सीधे मुंबई, हावड़ा से जुडता है और अन्य मार्गो की अपेक्षा इस मार्ग से मुंबई - कोलकाता की दूरी 400 किलोमीटर कम हो जायेगी। अतः इस योजना के महत्व को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय हित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है।

कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से पहले चल रही रेल गाडियों में कुछ गाडियों को पुनः चलाया गया है, लेकिन इन गाडियों के कई स्टेशनों पर ठहराव बन्द कर दिया गया है। मेरा आग्रह है कि सभी रेलगाडियों का पुनः संचालन तथा पूर्ववत स्टेशनों पर ठहराव की व्यवस्था की जाए, जैसे मैं कुछ गाडियों के बारे मे बताना चाहता हूँ कि शक्तिपुंज स्पेशल ट्रेन (01447/01448) का बरवाडीह, लातेहार और छिपादोहर पर पुनः ठहराव चालू करें। गाडी संख्या 08311/08312 सम्बलपुर-मडुआडीह-सम्बलपुर द्वि-साप्ताहिक त्यौहार विशेष एक्सप्रेस बरवाडीह, छिपादोहर एवं लातेहार पर ठहराव किया जाए। रांची-दिल्ली गरीब रथ गाड़ी का बरवाडीह स्टेशन पर ठहराव किया जाना चाहिए। रांची से टोरी के बीच संचालित सवारी गाड़ी का परिचालन बालूमाथ तक किया जाए। ज्ञातव्य रहे कि 09 मार्च 2018 को टोरी से बालूमाथ रेलवे लाईन के उद्घाटन करते हुए माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी ने बालूमाथ तक सवारी गाडी शीघ्र चालू करने की घोषणा की थी। स्थानीय नागरिक रेल राज्य मंत्री की घोषणा से उम्मीद कर रहे हैं कि बालूमाथ तक सवारी गाडी चालू होगी, परन्तु अभी तक रेल राज्य मंत्री की घोषणा की पालना नहीं हुई है। अतः टोरी से बालूमाथ तक सवारी गाड़ी चलाने तथा बाद में शिवपुर तक इस गाडी को चलाने की कार्रवाई की जाए। रांची से टोरी के बीच संचालित सवारी गाड़ी के दिन में दो फेरे किए जाएं। रांची - टोरी – बालूमाथ - रांची के बीच सुबह और शाम दोनों तरफ से दिन में गाड़ी चलने से दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक कार्य के लिए आमजन को इसका लाभ मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में कम से कम दो बार लोहरदगा - टोरी रूट से चलाया जाना चाहिए इससे रांची से दिल्ली की दूरी करीब 80-90 किमी. कम हो जाएगी। दिल्ली पहुंचने में कम समय लगेगा, रेलवे को फायदा होगा। लोहरदगा, टोरी एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता को राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा मिलेगी और खर्च कम होगा।

बजट में उज्ज्वला योजना के विस्तार करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जायेगा। इससे महिलाओं को काफी लाभ होने वाला है।

बजट में अगले तीन वर्ष में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यशन नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जायेगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र का चतरा जिला भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यशन नेटवर्क की योजना में शामिल है, परन्तु इसकी गति बहुत धीमी है। अतः इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत

की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है। खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है।

इस साल की शुरुआत में, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की पेशकश की थी। इसके अंतर्गत, गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक, 1,241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस योजना से झारखण्ड में मुख्यत: चतरा, लातेहार एवं पलामू सहित देश के सभी जिलों में अपनी संपति का स्वामित्व कार्ड देने का काम पहले पहले शुरू किया जाने की आवश्यकता है।

कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई एक अहम घोषणा के तहत, अब 'ऑपरेशन ग्रीन योजना' के दायरे में अब जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल 22 हो जाएंगे। वर्तमान में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है।

बजट में सरकार ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की है। उसके बाद में लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन का दावा कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष रूप से लाभ होगा क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। यह संख्या इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या की 86 प्रतिशत है। बाकी चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे।

सरकार ने चार श्रम कोड लागू करने से 20 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित और मंच कामगारों तक पहुंचेंगे। न्यूनतम वेतन सभी श्रेणी के कामगारों पर लागू होंगे और वह सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आएंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में तथा उचित सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिटर्न के साथ अनुपालनभार कम किया जाएगा।

मेरी सरकार से मांग है कि चतरा लोक सभा क्षेत्र में कई कोयला खनन औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं। इन इकाईयों में हजारों मजदूर काम करते हैं। साथ ही कोयला मजदूरों के अलावा बीड़ी कामगार, वन उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी काफी हैं। मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक अस्पताल खोला जाए।

कमजोर वर्गों के लिए किए गए उपायों के अनुपालन में वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने इस बजट में इसे क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, जो इस वर्ष के बजट अनुमान से दोगुने से भी अधिक है। घोषणा की कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। चतरा लोक सभा में भी सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बरवाडीह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के आवश्यक मानदडों को पूरा करते हुये एक प्रस्ताव मण्डल रेल प्रबंधक, धनबाद ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पत्र दिनांक 25.05.2019 को भेजा गया था। मेरी मांग है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा कर राशि आंवटित किया जाए।

चतरा जिले के नेतरहाट में हॉकी का साई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए जिससे इस क्षेत्र के युवा खेलों के प्रति जागरूक हो और खेलों में अपना भविष्य का निर्माण कर सकें।

सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) जो पहले से स्वीकृति है उनमें से Non Functional EMRS की संख्या अकेले झारखण्ड राज्य में 16 है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला चतरा एवं पलामू में वर्ष 2014-15 तथा जिला लातेहार में वर्ष 2016-17 में ईएमआरएस की मंजूरी प्रदान की गई थी। स्वीकृत तीनों ईएमआरएस में से अभी तक एक भी विधिवत स्थापित होकर चालू नहीं हुई हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि पूर्व से स्वीकृति EMRS को पहले पूरा किया जाए तथा जनजातीय जनसंख्या के आधार पर नये EMRS की स्थापना करें जिसमें चतरा लोक सभा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक EMRS बनाया जायें। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई थी और 2025-26 तक छ: वर्षों के लिए कुल 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं के समय सीमा में कमी, विवाद समाधान समिति के गठन की घोषणा, फेसलैस आईटीएटी, एनआरआई को छूट, लेखा परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए भी राहत प्रदान की है। उन्होंने देश में बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सस्ते और किराए के आवासों के लिए राहत, आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन, छोटे चैरिटेबिल ट्रस्टों को राहत और

स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कदमों की भी घोषणा की। बजट में कहा कि महामारी के बाद, दुनिया एक नये रूप में उभरती हुई नज़र आती है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना होगा और देश में निवेश और रोज़गार को प्रोत्साहन देना चाहिए। मंत्री महोदया ने कहा कि इसके साथ-साथ इसे हमारे कर दाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना चाहिए। डिजिटल लेन-देन करने को प्रोत्साहन देने और ज्यादातर लेन व्यक्ति पर अनुपालन का भार कम करने के लिए बजट में कर लेखापरीक्षा की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जो 5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का 95 प्रतिशत लेनदेन डिजिटल माध्यम से करते हैं। शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाने वाले छोटे चैरिटेबल न्यासों पर आयकर का भार कम करने के लिए बजट में राहत की घोषणा की गई है। इसके तहत एक करोड़ रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक की वार्षिक लेखा प्रविष्टियों पर राहत की सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष दिनांक 28 जून 2015 को भारत सरकार और नेशनल मिनरल डेवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसीएल) के मध्य नए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता हुआ था।

एनएमडीसीएल, हैदराबाद एवं मेकॉन द्वारा चतरा जिले के ऊँटा (लक्षणपुर गांव) में स्थल का चयन स्टील प्लांट के लिए कर लिया गया है। प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण, वस्तुस्थिति रिपोर्ट, भूमि स्थानान्तरण की प्रक्रिया, राज्य सरकार से प्रस्ताव आदि हो चुका है। मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा चतरा में स्टील प्लांट लगाने के लिए घोषणा की जाए।

अन्त में कहना है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत निर्माण का बजट है। इस बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, किसानों की आय दो गुना करने, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने वाला, आधुनिकता व नये सुधारों को बढ़ावा देने वाला, आत्मविश्वास से भरने वाला केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमन जी एवं वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

***श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर):** अध्यक्ष जी आपने मुझे आम बजट 2021-2022 मे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए में आपका अभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो कि पूर्व में कभी नही थी। देश का हर नागरिक इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया कि इस महामारी से बचेगें तो ही कुछ जिदगी के बारे में सोचेगें इन सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के 130 करोड भारतीयों को हिम्मत और होंसला दिया और इस वेशिक महामारी से उबारकर देश के अन्दर दो - दो वेक्सीन तैयार करके पूरे विश्व में यह साबित कर दिया की भारत आज विश्व की अग्रणी पक्ति में खड़ा है और इस एक साल के अन्दर विकास की गति को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया जिससे की आज बाजार मे जैसे कि मकान की ब्रिकी हो या स्कुटर, कार, मोटर साइकिल ट्रैक्टर इत्यादि की रिकार्ड तोड़ ब्रिकी हो रही है और इसके साथ देश के शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला और रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का जमा होना एवं किसान की फसल का सरकारी दामों पर ज्यादा से ज्यादा खरीद होना यह दर्शता है कि विश्व में भारत देश अग्रणी पक्तिं में खड़ा है। माननीय मोदी जी के लोकडाउन का निर्णय देश के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ लोकडाउन से पहले दिल्ली में प्रदुषण बहुत ज्यादा रहता था और दिल्लीवासी का दिल्ली में रहना भी मुशिकिल था और नदियों में पानी भी काफी खराब रहता था परन्तु लोकडाउन में दिल्ली का प्रदुषण भी खत्म हो गया और सभी नदियों का जल भी काफी साफ और स्वच्छ हो गया

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हमारे समाज के सबसे अधिक संवेदनशील वर्गो निर्धनों में निर्धनतम, दलितों, जनजातियों, वृदधजनों, प्रवासी कामगारों और अपने बच्चों को सहारा देने के लिए अपने संसाधनों में से मुश्किल से रास्ता निकला पीएमजीकेवाई, तीन एएनबी पैकज और बाद में की गई घोषणांए अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थी।

1. 17788 ग्रामीण और 11024 शहरी स्वास्थय और वैलनेस केन्द्रो के लिए समर्थन देश के सभी 602 जिलों 12 केन्द्रीय संस्थानो में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लाक स्थापित करना।
2. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-26 से 5 वर्ष की अवधि में 141678 करोड रूपए के कुल वितीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
3. वायु प्रदषण की विकराल होती समस्या का समाधान करने के लिए इस बजट में 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रो के लिए 2217 करोड रूपए की राशि का प्रस्ताव इस बजट में है।
4. देश में पहले 11 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बनती थी, परन्तु मोदी सरकार के आने के बाद अब प्रतिदिन 29 किलोमीटर के हिसाब से बन रही है और इसके लिए वर्ष 2021-22 मे 3.3 लाख करोड रूपये की लागत से 13000 किलोमीटर से अधिक लंम्बाई

* Laid on the Table

5. के सडको का भारत माला परियोजना के अंतर्गत 5.35 करोड रूपये का ठेका पहले ही दे दिया गया है जिसका 3800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है।
6. भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है।
7. उज्ज्वला योजना के अर्न्तगत 8 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला और इसमे 1 करोड और लोगों को शामिल किया जाएगा।
8. अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलो को सिटी गैस डिस्टीब्यूशन नेटर्वक से जोडा जाएगा।
9. भारतीय सौर उर्जा निगम में 100 करोड़ रूपये और भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड रूपये की अतिरिक्त राशि लगाने का प्रस्ताव है।
10. जल जीवन मिशन के तहत अब तक 3 करोड़ परिवारों को पाइप वाटर सप्लाई से जोडा जा चुका है।
11. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड गरीब को 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है नागरिक संशोधन कानून संसद द्वारा पास किया जा चुका है।
12. वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की रैकिग में भारत 65वे से 34 रेकिग पर आ गया हैं ।
13. हर गरीब का घर रौशन हो इसके लिए 2.5 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निशुल्क दिए गए और गरीब एवं मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम हो इसके लिए 36 करोड़ से ज्यादा सस्ते एलईडी बल्ब वितरित किए गए।
14. गरीब के हक का राशन कोई दुसरा न ले जाए इसके लिए 90 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है और एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागु करना।
15. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, जिसमे मां-बहनों को खुले में शौच से निजात मिली।
16. वर्ष 2013 -14 में किसानों को गेहूं का कुल 33874 करोड रूपये का भुगतान किया गया था और 2019-20 में यह राशि 62802 करोड़ रूपये थी और वर्ष 2020-21 में 43.36 लाख पहुंच गई है । इसी प्रकार धान में 2013-14 में 63928 करोड रूपये का भुगतान किया गया था और 2020-21 में 1.54 करोड हो गई है ।
17. गैर सरकारी संगठनों और राज्यो के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक सैनिक स्कूल खोलने का कष्ट करें
18. भारत की जनगणना के लिए 37678 करोड रूपये आवटित किए गए है और यह जनगणा पहली बार डिजीटल जनगणा के माध्यम से होगी जो कि अपने आप में एक अदभुत कार्य है।

19. पहली बार देश में सिनियर सिटिजन को पूरा मान सम्मान दिया गया है। 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को आयकर भरने की अपेक्षा से मुक्त करा दिया। देय कर की राशि को भुगतानकर्ता बैंक द्वारा कटौती कर ली जाए।

20. शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे-मोटे चेरीटेबल ट्रस्टों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि अनुमोदन आदि जैसे विभिन प्रकार के अनुपालन को लागु न करने के लिए इन ट्रस्टों की वार्षिक वर्तमान के 1 करोड रूपये से बढ़ाकर 5 करोड कर दिया जाए।

21. टीडीएस के दायरे को बढाने के लिए एक वर्ष में 50 लाख से अधिक की खरीद लेनदेन पर 0.5 प्रतिशत का टीडीएस उगाही जाने का प्रस्ताव है कर अनुपालने के बोझ को कम करने के लिए यह भी प्रस्ताव है कि कटौती का उत्तदयित्व केवल उन व्यक्तियों पर होना चाहिए जिनका पण्यवर्त 10 करोड रूपए से अधिक है।

(इति)

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):** महोदय, वित्तमंत्री मा. श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कोविड 19 की वजह से अप्रत्याशित रूप से बढी हई अर्थिक चुनौतियों के बीच एक अभूतपूर्व बजट पेश किया। यह आत्मनिर्भर भारत तथा न्यु इंडिया का श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ बजट है इस बजट में दीर्घ कालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा कर भारतीय अर्थ व्यवस्था को उर्जावान बनाया है, यह बजट छह स्तंभोंपर आधारित है। पहला स्वास्थ और कल्याण, दुसरा भौतिक-वित्तीय पूंजी, तीसरा - समावेशी विकास, चौथा - मानव पूंजीका संचार करना, पाचवां – नवाचार एवं अनुसंधान और छठा - न्युनतम सरकार और अधिकतम शासन इ.। सरकार की यह कोशिश है कि हमारी अर्थव्यवस्थाकी रीढ अन्नदाता किसानों की आमदनी बढे और लागतसे उपर मुल्य किसानों को मुनाफा मिले।

कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए बड़े वित्तीय प्रविधान के साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में बड़ी वृध्दि के प्रयास किए गए है। वही वोकल फॉर लोकल के तहत घरेलु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही मेक इन इंडिया और निर्यात वृध्दि के लिए नई रेखाएं खींची गई है। इससे जहां आर्थिक सुस्ती का मुकाबला किया जा सकेगा, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और उद्योग एवं सर्विस सेक्टर की मुश्किलों को कम करने मे बहोत बड़ी मदत इस बजट के प्रविधान में कि गई है।

इस बजट में खेती और किसानों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। किसानों के सरल कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड रू. का प्रविधन किया है। फसल के लिए न्युनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से डेढ गुना ज्यादा कीमत निर्धारित की है। ऐसे नए उद्यमों तथा कृषी बाजारों को प्रोत्साहन दिया है, जिनसे कृषि उत्पादों को अच्छी कीमत दिलाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढाने को कई उपाय किए गए हे। इसके अलावा कृषि एंव संबध्द क्षेत्रों के विकास के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाले कामों को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

छोटे उद्योग की परिभाषा बदली गई है। कोरोना काल के दौरान प्रभावित एमएसएमई को फिर से खडा करने के लिए भी नया रास्ता निकाला गया है। एमएसएमई सेक्टर को तकनीकी विकास और नवाचार संबंधी लाभ देन क लए नई व्यवस्था बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए उसे वित्तीय सहायता दन का मा प्रावधान किया है। इसमें दोराय नही सरकार की तरफ से तकनीक और वित्त की सुविधा प्राप्त होने से एमएसएमई सेक्टर को नया रंगरूप मिलेगा।

बजट में कोविड19 के कारण देश के पर्यटन और होटल सहित जो विभिन्न उद्योग-कारोबार बुरी तहर प्रभावित हए है, उन्हे पुनर्जीवीत करने के लिए बडी धनराशी दि गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के

* Laid on the Table

लिए आवंटन बढाकर 2.38 लाख करोड रूपये किया गया है। नई शिक्षा प्रणाली, कौशल विका, शासकीय स्कुलों की गुणवत्ता, सार्वजनिक परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों के साथ-साथ रोजगार वृध्दि के

लिए टेक्सटाईल सेक्टर, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए भी आवंटन किया गया है। बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसद से बढाकर 74 फीसद करने का प्रस्ताव है। आयुष्यमान भारत योजना का दायरा बढाया गया है। शोध एवं नवाचार, निर्यात विकास फंड तथा फार्मा उद्योग को भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलाव जिएसटी को आसान बनाने की बात कही गई है।

देश में महंगाई पर नियंत्रण और मांग का निर्माण करने की रणनीति पेश की गई है। शेर बाजार में जोखिमों को कम करने के उपयुक्त प्रविधान भी कीए गए हे। बजट में शेयर बजार को और अधिक लाभप्रद बनाने के प्रविधान भी सुनिश्चित किए गए है। सिक्योरिटी मार्केट के लिए उठाया गया कदम लाभप्रद साबित होगा। जिससे देश एक अलग ही उंचाई पर पहुचेगां।

जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऑटो पार्ट्स एवं इलेक्टिॅानिक वस्तुओं एवं मोबाइल उपकरणों पर कस्टम डयुटी बढाई गई है, वह भी लाभकारी सिध्द होगी। बजट में किए गए इन प्रविधानों के कारण आगामी वित वर्ष में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और डिजीटल अर्थव्यवस्था में गति आएगी। इसकी वजह से बडी संख्या में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इससे देश में प्रतिभाशाली नई पीढी का विकास होगा और शोध कार्य की गुणवत्ता बढेगी।

स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग और कारोबार संबंधी अनुकूलताओं का संचार होगा। इससे देश में मध्यम वर्ग का भी दायरा बढ़ेगा। - ये सब एफडीआइ की आवक का भी कारण बनेंगे। आयकरदाताओ में 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की आयकर और टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट देकर आयकरदातों को कुछ राहत देने कि कोशीश कि है। कुल मिलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी जी के नेतत्व में मा. वित्तमंत्री जी ने पहले कभी नही देखा गया अभूतपूर्व प्रोत्साहनों का बजट पेश किया है। इससे देश में निवेश बढेगा, रोजगार बढेंगे और देश कोविड-19 की आर्थिक स्तुस्ती से निपटने की डगर पर आगे बढकर विकास दर बढाते हुए दिखाई देगा।

हमारे आदरणीय प्रधामंत्रीजी का व्हिजन आत्मनिर्भर भारत और न्यु इंडिया की ओर बढता है, उन्होने हमें प्रेरणा दी है हम सबको उत्साहित किया है। हमे एक नई सोच से नई उर्जा से एक नये विश्वास से न्यु इंडिया बनाना है, तो उसके लिए हमे एक नई इकोनामी तैयार करनी पडेगी, जिसके लिए यह बजट जन-जन का बजट कहला रहा है। मिडीया में भी कई अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की तारीफ कि है और कहा है इस बजट से भारत अर्थव्यवस्था पुरे जोर पकडेगी जिससे न्यु इंडिया का काम और अधिक आसान हो जायेगा।

इस बजट से हर वर्ग के लिए हर विषय पर सबका हल है, सबका समाधान है, चाहे वह किसान हो, चाहे युवा हो, महिलाये हो, शोषीत वंचित आदिवास, जवान और किसान एवं विज्ञान यह जन-जन का बजट है। इसके लिए मैं माननीय वित मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे मातृभुमी का पुरा ध्यान रखकर एक अदभूत बजट प्रस्तुत किया है।

व्होकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मेक इन इंडिया निती का लाभ मिलना शुरू हो चुका है अब भारत विश्वस्तरीय सामानों का निर्माण कर रहा है, जिससे इन छोटे उद्योगों को चालना मिलेगी और देश कि प्रगती में मदत मिलेगी और जल्द ही हमारा देश वैश्विक नेता के रूप में उभरकर आएगा।

इस आम बजट 2021-22 में एक ऐसे आधुनिक भारत के निर्माण का स्वप्न झलकता है जो दुनिया में विकसीत हो रही नवीनतम तकनीक को हर स्तर पर अपनाने में सक्षम हो, शिक्षा का आधुनिकरण और नई शिक्षा निती वर्तमान सरकार का प्रमुख लक्ष है। विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए विश्वस्तरीय शोध, अनुसंधान और कौशल आधारित शैक्षणिक संस्थान खोलने, तथा बढावा देने का प्रयास किया गया है, जिससे सामाजिक आर्थिक बदलाव का नया रास्ता खुलेगा।

मा. वित्तमंत्री जी के इस बजट से बड़ा उद्योग पती हो या छोटा व्यापारी हो, मिडल क्लास हो, किसान हो या फिर गांव या शहर का गरीब सभी इस बजट से खुश है, अर्थात मुझे यह कहने में गर्व महसुस हो रहा है कि यह बजट भारत भुमि का सबसे पहला अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक बजट है।

धन्यवाद!

जय हिंद, जय भारत

जय महाराष्ट्र

मेरे लोकसभा क्षेत्र की महत्वपुर्ण मांगे तथा सुझाव

1. भिवंडी टेक्सटाईल की नगरी है, यहा का कपड़ा व्यापार मंदी के चपेट में आकर धिरेधिरे दम तोड़ रहा है, अगर भिवंडी में टेक्सटाईल पार्क बनाया जाए तो इससे भिवंडी और आसपास के कपडा व्यापार केंद्रो को एक नवसंजिवनी प्रधान होगी, अंतः भिवंडी परिसर में टेक्सटाईल पार्क बनाने की कृपा करे।

2. टेक्सटाईल व्यवसाय में यार्न का बहोत महत्व है, लेकिन यार्न के भाव तथा याने का मार्केट मुंबई या आसपास किसी भी शहर में न होने के कारण यार्न के खरेदी और यार्न के किमतों पर नियंत्रण नही किया जा रहा है, मेरी आपसे विनती है कि भिवंडी में यार्न डेपो/यान मार्केट शुरू करने कि कृपा करे।

3. भिवंडी शहर में एक छोर पे कपडा व्यापार बसा है तो दूसरी ओर एशिया का सबसे बडा गोडाउन हब भिवंडी में बना है, इस कारण यहा रोजाना छोटी मोटी दुर्घनाये होती रहती है, मेरी आपके माध्यमे यह मांग है कि यहा के कामगारों के संरक्षण व आच्छे भविष्य हेतु यहा एक सर्वसेवानरूप कामगार हॉस्पिटल बनाने कि कृपा करे।।

4. मेरा भिवंडी लाकसभा क्षेत्र बहोत ही व्यापक व विस्तृत है, जिसमे अल्पसंख्याक, आदिम आदिवासी, किसान और सभी स्तर के लोक निवासी है। परंतु मेरे लोकसक्षा क्षेत्र में ग्रामिणों के विकास हेतु कोई अच्छा शिक्षा का केंद्र नही है, अगर देश में बनने वाले 100 मिलेटरी स्कूलों में से एक मिलेटरी स्कुल मेरे क्षेत्र में बनाया जाए तो इससे मेरे क्षेत्र के गरीब आदिवासी, किसान बंधुओं

को शिक्षा मिलेगी और उनका विकास होगा।

5. मेरे लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्याक नागरिक बहोत ही बडीसंख्या में है, इसमे ग्रामिण और शहरी दोनो क्षेत्रों मे अल्पसंख्याक समुदाय बिखरा हुआ है। इनकी जनसंख्या के मुताबिक यहा के महिलाओं को आवश्यक आरोग्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध नही हो रही है, इसकारण मेरी आपसे विनती है कि भिवंडी में विशषकर महिलाओं के लिए एक महिला अस्पताल सर्वसेवों के साथ बनाने कि कृपा करे।

6. 2015 के केंद्रीय बजट में मंजुर हुए नई मुरबाड रेल लाईन का काम आज तक प्रलंबित है, इस नई रेल लाईन का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने हेतु उचित सहकार्य करे।

7. 2011 मे मंजुर हवी तीसरी लाईन कल्याण से कसारा और कल्याण से कर्जत इस काम को 2016 में शुरू किया गया है, परंतु आज तक इस लाईनों के लिए जमिन अधिग्रहण के ही कार्य पुरे नही किये गये है, जिस कारण यह काम आजतक लंबित है, यह काम लंबित होने से इसको लगने वाली लागत राशी भी दिनबदिन बढ रही है, आपसे मेरी विनती है कि, इस काम को तेजीसे पुरा कर यहा के नागरिकों कि यातायात की समस्या दुर करने कि कृपा करे।

8. 2016 में मान्यता प्राप्त कल्याण-आसनगांव व कल्याण-बदलापुर चौथी लाईन के कार्य आजतक चालू नही किए गये है, जिसकारण यह काम पिछले कई सालों से प्रलंबित है, काम लंबित होने से इस काम की लागत राशी में भी बढत आ रही है, जिस कारण सरकार भी नुकसान हो रहा है, मेरी आपसे विनती है कि, इस काम को तेजीसे पुरा कर यहा के नागरिकों कि यातायात की समस्या दूर करने कि कृपा करे।

9. 2015.16 के बजट में मान्यता प्राप्त कळवा ऐरोली एलोव्हेटेड मार्ग के काम को तेजी दे व यह काम जल्द से जल्द पुरा करने हेतु विशेष ध्यान दे कर यह काम पुरा करे।

10. भिवंडी रोड पार्सल टर्मिनल बनाया गया है और यहा पे रेकॉर्ड ब्रेक माल का सप्लाय किया जा रहा है, परंतु उसके मुताबिक इस पार्सल टर्मिनल पर सेवाये उपलब्ध नही है, जिसकारण लोडर को

सामान आपने सिर पर उठाकर या कच्चे रास्तो पर गाडींया खडी रखकर मालगाडी में डालना पड राह है। कम समय में ही भिवंडी रोड पार्सल टर्मिनल ने अच्छा सप्लाय किया है। परंतु अपुर्ण सेवांओ

से यहा से माल भेजनेवाले व्यापारीयों को नुकसान तथा हमाल/कुलीयों को जादा पैसा देना पड़ रहा है। आपसे नम्र विनती है कि भिवंडी रोड पार्सल टर्मिनल पे पत्राशेड, प्लॅटफार्म व अन्य आवश्यक सुविधाए प्रदान करने हेतु विशेष निधी का प्रावधान कर, इस स्थानक का विकास करे।

11. मुंबई-अहमदाबाद और मुंबई-आगरा इन नेशनल हायवे को जोड़ने वाले मार्ग नॅशनल हायवे घोषित करने कि कृपा करे।

(इति)

***श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती):** सभापति महोदय, मुझे आज बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। मैं साथ ही हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभारी हूँ कि मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि गरीब, मजलूम, दलित पिछड़ों की आवाज इस सदन में रख सकूँ।

महोदय, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती आर्थिक मंदी और महंगाई की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजटीय भाषण में मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग खास कर नौकरी पेशा, अस्थाई कर्मचारियों एवं मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े समाज से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।

महोदय, जैसा कि विदित है कि अपने देश में 70-80 प्रतिशत लोग कृषि व कृषि व्यापार से परोक्ष व अपरोक्ष रूप में जुड़े हुए है। जब कोरोना काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान ने ही जीडीपी को बनाये रखा था। इसके बावजूद भी ये अन्नदाता किसान लगभग 2 महीने से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कड़क सर्दी, बरसात और सर्द हवाओं की परवाह किये बगैर अपने हक के लिए दिन-रात लड़ाई लड़ रहे हैं।

महोदय, मुझे भी खेद है कि कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की आड़ में लाल किले पर हिंसा और तिरंगे का अपमान किया। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करायी जानी चाहिए। जो लोग भी इस कृत्य के लिए दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन इस कृत्य की आड़ में निर्दोष किसान व किसान नेताओं को नहीं फंसाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार से बहन कुमारी मायावती जी द्वारा लगातार की जा रही मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए चाहूँगा कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान रखकर तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले। बजट में इनके हितों की अनदेखी की गई है। समस्त देश में कृषि कार्यों में लगने वाले इनपुट्स जैसे डीजल, कीटनाशक दवा व केमिकल फर्टिलाइजर्स, बीज इत्यादि वस्तुओं के दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में लागत अधिक और आमद कम हो रहा है।

महोदय, मैं श्रावस्ती जनपद उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आया हूँ। यहाँ पर उच्च शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार का संस्थान नहीं है। श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद नितान्त पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आता है। इस जनपद के विकास हेतु बजट में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः मैं चाहूंगा कि श्रावस्ती व बलरामपुर जनपद हेतु इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल फण्ड केन्द्र सरकार बजट के माध्यम से दे ताकि समुचित विकास हो सके। इसी कड़ी में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश में दलित छात्रों की छात्रवृत्ति न दिये जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति के तरफ भी दिलाना चाहूँगा।

महोदय, पूरे देश में दशमोत्तर कक्षाओं के बाद अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती रही है, दलितों के हितों के लिए काम करने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार, जिसने वर्ष 2018 से ही

* Laid on the Table

बन्द कर रखा है। इसके पूर्व में शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति के लिए फण्ड केन्द्र सरकार जारी करती थी। अब राज्यों का हिस्सा भी तय कर दिया है, जो 40:60 रेसियो का है। देश के सभी राज्यों ने अपनी आर्थिक समस्या से केन्द्र सरकार को बार-बार अवगत कराया है, लेकिन आज तक केन्द्र सरकार वर्ष 2018 से दलित प्रेम के चलते कोई फैसला नहीं ले सकी है, जिससे इनके कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि पूर्व में मिल रही दलित छात्रों की दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत इंतजाम केन्द्र सरकार राज्यों को करें ताकि ये सभी छात्र अपनी शिक्षा सुचारू रूप से पा सकें और वित्त मंत्री जी से चाहूँगा कि हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती में एक सैनिक स्कूल देने की कृपा करें।

(इति)

***श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट 2021 के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने पहला डिजिटल केन्द्रीय बजट पेश किया है। इस कठिन कोरोना काल के समय में बजट को पेश करना और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, यह बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। इस बजट में आत्मनिर्भरता की दृष्टि भी है और चौतरफा विकास की दृष्टि भी है। इस बजट के केन्द्र बिन्दु गांव और किसान हैं। यह बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है, साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला बजट है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग,कारोबारी सभी शामिल हैं। इस बजट में बुनियादी संरचनओं का विकास, सड़क परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थ शक्ति बनने का सुदृढ़ आधार है। यह सभी का बजट है, सभी के लिए बजट है।

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2.7 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस, 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और जरुरतमंदों को सीधे धनराशि का अन्तरण। एक देश, एक राशन कार्ड, कोविड-19 के खिलाफ भारत के नागरिकों के साथ-साथ 100 से भी अधिक देशों के नागरिकों को चिकित्सीय सुरक्षा मुहैया कराने में कारगर साबित होगी।

उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ महिलाएं लाभांवित हुई। बजट में इसका विस्तार करते हुए 1 करोड़ नए लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान सराहनीय है। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिया जाना सराहनीय है।

अगर हम किसानों की बात करें, तो देश में पहली बार किसानों की आय को बढ़ाने की चिंता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए पहुंचाने का काम किया है। किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान बजट में किया, ग्रामीण विकास की निधि को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपए किया गया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांवों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ प्रत्येक विद्यालयों तक मोटर मार्ग की सुविधा देना माननीय मोदी जी का लक्ष्य है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट का सामना करते हुए स्वास्थ्य बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 137 फीसदी बढ़ोतरी करना। वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों का निर्माण, सहित बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया है।

---

* Laid on the Table

सुरक्षा पर सजग सरकार द्वारा बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में बजट में बढ़ोतरी कर सेना एवं देश का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन। 100 नए सैनिक स्कूल, जनजाति क्षेत्रों 750 एकलव्य मॉडल स्कूल व 15 हजार नए स्कूलों को आदर्श स्कूल बनवाने, लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना सहित शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यों का प्रावधान हुआ है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष आग्रह रहेगा कि उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की एक शाखा मेरे संसदीय क्षेत्र में भी प्रारम्भ हो सके एवं मेरा संसदीय क्षेत्र सैनिक बाहुल्य होने के कारण वहां एक सैनिक स्कूल, संसदीय क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र धारचूला, मुनस्यारी में एक एकलव्य मॉडल आवासी स्कूल खोले जाने हेतु मेरा आपसे निवेदन है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए अब तक की सर्वाधिक धनराशि आवंटन भारतमाला परियोजना को 2022 तक पूर्ण करना, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 210 किलोमीटर की स्वीकृति से सड़क एवं राजमार्ग की मेरे राज्य की जनता को काफी लाभ मिलेगा। पूर्व में मेरे क्षेत्र को बाराहमासी सड़क देने एवं भारतमाला के तहत उत्तराखण्ड और मेरे संसदीय क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचा है। इस बजट के माध्यम से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के दो मोटर मार्ग 1. खैरना-रानीखेत, मोटर मार्ग 2. लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहान-रानीखेत मोटर मार्ग जिसको कि पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, विधिवत स्वीकृति हेतु मेरा आग्रह है।

हर घर जल, जल-जीवन मिशन ग्रामीण के पश्चात जल-जीवन मिशन शहरी के तहत 2 करोड़ 86 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का बजट में प्रावधान कर पेयजल से वंचित आमजनों को बड़ी राहत का कार्य किया गया है। एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा में पेयजल का जनसंख्या के अनुपात स्वरूप जलस्तर काफी कम है। इस हेतु पिण्डर नदी से कोसी नदी में पेयजल लिफ्ट योजना को मंजूरी दिलाए जाने हेतु मेरा निवेदन है।

भारत सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देश की समस्त जनता वास्तविक रूप में सीधे-सीधे लाभ प्राप्त होते देख रही है और देश निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर रही है।

मैं पुन: देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को कोविड-19 महामारी में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद अभूतपूर्व और ऐतिहासिक डिजिटल बजट प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखण्ड और अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर आभार और धन्यवाद करता हूँ।

(इति)

***श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख):** माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केन्द्रित किया गया है तथा समाज के गरीब तबकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस बजट में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं और स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है तथा रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान रखा गया है और बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा तथा उनके लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू करने की व्यवस्था भी की गई है । यह खुशी की बात है कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी मुश्किल समय में यह बजट पेश किया गया है तथा इसमें मूलतः आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

देशवासियों ने इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई थीं, जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने पूरा किया है । वास्तव में यह बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इस बजट में कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है तथा सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया।

देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि देश के 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आई0टी0आर0 भरने की आवश्यकता नहीं होगी तथा 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स में छूट का प्रावधान भी होगा।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है तथा अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल में होगी, जिसके लिए 3760 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और चाय बगान श्रमिकों को एक हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया है और बजट में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है और अनुसूचित जाति के

---

* Laid on the Table

4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है तथा आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है तथा लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने का प्रयास किया गया है और इसके लिए किसानों को 75 हजार करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है और दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है तथा उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ने का प्रावधान किया है, जो अभी तक 8 करोड़ लोगों को ही यह मदद दी गई है और साथ ही 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की है और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाने का प्रावधान किया है, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सके।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल कई लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई, जो सभी पांच मिनी बजट के समान थी।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि भारत के पास कोविड की दो वैक्सीन उपलब्ध है। सौ और उससे अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया है और इस अभियान की शुरूआत की है, जिससे आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली है। कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए और आठ करोड़ लोगों क मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।

यह किसी से छिपा नहीं है कि कृषि कर्ज प्रवाह में साल-दर-साल वृद्धि हुई है तथा जो भी लक्ष्य रखे गए, ऋण वितरण उससे अधिक ही रहा है। उदाहरण के लिए 2017-18 में किसानों को 11-68 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया जबकि लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये का ही था। इससे विदित होता है कि हमारे ऋषितुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी किसानों के प्रति कितने अधिक सजग है और उनके लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठा रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त बजट का हृदय से पूरजोर समर्थन करते हुए सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर की प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख का एक हिस्सा कानपुर नगर जनपद के अन्तर्गत भी आता है तथा कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां के आम नागरिकों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी अपने व्यापार के सिलसिले में देश के विभिन्न शहरों में आना-जाना पड़ता है। लेकिन, कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डा देश के प्रमुख नगरों से नहीं जुड़ा है और यहां से दूसरे शहरों के लिए फ्लाई भी बहुत कम है तथा यह हवाई अड्डा डिफेंस के अन्तर्गत आता है, जिस कारण कानपुर और इसके निकटवर्ती जनपदों के नागरिक हवाई सुविधा से वंचित है। इस हवाई अड्डे के विकास हेतु 168 करोड़ रू0 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अब तक इस राशि को विकास के लिए व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण इस हवाई अड्डे का विकास संबंधी कार्य अवरूद्ध है।

अतः कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डा, जिसके विकास के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है, के विकास संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करके यहां से देश के प्रमुख नगरों के लिए फ्लाईट प्रारम्भ किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

2. मेरा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर (उ0प्र0) अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है और काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की संडीला तहसील में कताई की मिल थी, जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस मिल के अभी तक चालू न होने के कारण श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी जीविका का सहारा छूट गया है। उनके परिवार अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है तथा भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस कताई मिल को पुनः चालू करवाये जाने हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

अतः है कि मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत संडीला में बंद पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर उक्त बंद पड़ी मिल को चालू कराने का प्रयत्न करे, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल सके।

3. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत तीन जनपद - सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर आते हैं। इन तीनों जनपदों में अनेक पर्यटक व धार्मिक स्थान है, जिनका वेद और पुराणों में भी उल्लेख है। इनको केन्द्र की प्रसाद योजना के अन्तर्गत विकसित किए जाने की जरूरत है। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के स्थलों को केन्द्र की प्रसाद योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाए।

(1) नैमिषारण्य एवं दधीच कुंड (मिश्रिख, जनपद सीतापुर)
(2) सिद्धनाथ बाबा आश्रम, (ग्राम लालपुर खाले, ब्लॉक भरावन, जनपद हरदोई)
(3) हत्याहरण (कोथावां ब्लॉक, विधान सभा क्षेत्र बालामऊ, जनपद हरदोई)
(4) सुनासीनाथ भगवान शंकर मंदिर (गंगा नदी के किनारे, मल्लावां, जनपद हरदोई)
(5) भूतेश्वर खेरेश्वर मंदिर, अश्वत्थामा मंदिर (शिवराजपुर, बिल्हौर विधान सभा, जनपद कानपुर नगर)
(6) बंदीमाता मंदिर (चौबेपुर ग्राम, बिल्हौर विधान सभा, जनपद कानपुर नगर)

4. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र एक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें तीन जनपद सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर के पिछड़े क्षेत्र आते हैं। इनमें किसानों की बहुसंख्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन जिलों की जो विधान सभाएं आती हैं, उनमें किसी में भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। मेरे क्षेत्र के

पिछड़े किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किए जाने से क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि का स्रोत बनेगा। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीनों जनपदों में जो विधान सभाएं आती हैं, उनमें प्रत्येक जिले के अन्तर्गत एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाए।

5. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में फल और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अतः यहां पर हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना किए जाने से निकटवर्ती जिलों को लाभ मिलेगा। अतः मिश्रिख के अन्तर्गत एक हार्टिकल्चर गवर्नमेंट कालेज की स्थापना की जाए।

6. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से आधुनिक कृषि एवं सिंचाई की तकनीकियों से अनभिज्ञ है। मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई केन्द्र या इंस्टीट्यूट नहीं है, जो स्थानीय कृषकों को इससे संबंधित जानकारी प्रदान कर सके। मेरे क्षेत्र में कृषि के अलावा जीवन-यापन के दूसरे साधन बहुत ही कम है, जिस कारण क्षेत्र में कृषि पॉलिटेक्नीकल कॉलिज स्थापित किए जाने से कृषकों का हित होगा। अतः मेरा मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के लिए कृषि पॉलिटेक्नीक कॉलिज की स्थापना की जाए।

7. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की काफी अधिक संख्या है। ये लोग गरीब है और बेरोजगार है। इनको रोजगार सुलभ कराने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केन्द की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उनका विकास एवं उत्थान हो सके। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीनों जिलों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में युवाओं के रोजगार हेतु ब्यूटीपार्लर, सिलाई, इलैक्ट्रिशियन, व्हीकल मैकेनिक के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र जनपद-वार अलग-अलग स्थापित किए जाए।

8. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में सभी समुदाय के गरीब लोग बड़ी संख्या में है, जो अशिक्षित एवं बेरोजगार है। इसलिए क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में गरीब युवाओं को रोजगार सुलभ कराए जाने हेतु कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीनों जनपदों के पिछड़े एवं ग्रामीण अंचलों में कौशल विकास केन्द्र जनपद-वार अलग-अलग स्थापित किए जाएं, ताकि गरीब युवाओं को रोजगार सुलभ हो सके और क्षेत्र का भी विकास हो सके।

9. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर, ब्लॉक भरावन, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई में दलित वर्ग से जुड़े पासी समाज के एक महान व्यक्ति, जो मदारी पासी के नाम से विख्यात है, की समाधि है। ये आजादी के एका आन्दोलन के दौरान एक महान स्वतत्रंता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और आजादी के एका आन्दोलन में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यह पासी समाज के लिए ही नहीं बल्कि दलित वर्ग के सभी समुदायों के लिए एक अति गर्व की बात है। अतः मदारी पासी, जिन्होंने दलित और शोषित समाज में साहस, स्वाभिमान, स्वावलम्बन सहअस्तित्व की सुरक्षा के प्रति ललक और जागरूकता पैदा की और साधरण जनता में भाईचारा, देश भक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और मानव कल्याणकारी भावना को बढ़ाने का साहसपूर्ण कार्य किया, उनकी जन्म स्थली को विकसित करते हुए वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया जाए।

10. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत डुड़वा जमौली, ब्लॉक शिवराजपुर, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में विगत कई वर्षों पूर्व एनटीपीसी के प्लांट लगाए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेकिन, अभी तक इस प्लांट का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और निर्माण कार्य बहुत ही शिथिलता के साथ चल रहा है, जिस कारण इसकी निर्माण लागत में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो रही है। अतः एनटीपीसी के सोलर प्लांट का निर्माण कार्य तीव्रता से कराकर इसकी शीघ्र स्थापना की जाए।

11. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के के अन्तर्गत बालामऊ स्टेशन को पूर्व में आदर्श स्टेशन के रूप में चयनित किया जा चुका है। यहां पर रेलवे व केन्द्र सरकार के कार्यालयों एवं बैंकों के कर्मचारियों की काफी संख्या है। लेकिन केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण बेहतर शिक्षा का अभाव है। अतः रेलवे व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए बालामऊ में रेलवे की भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए।

12. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई जिले में रूइया गढ़ी आज भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई जंग की वीरता की गाथा की याद दिलाती है। 1857 की कांति संजोए हुए रूइया दुर्ग न केवल हरदोई जनपद बल्कि पूरे देश के लिए फक्र और गर्व की गाथा है। राजा नरपति सिंह ने अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ 1857 में बिगुल बजाते हुए अंग्रेजों पर काल बनकर तलवार भांजी थीं और आजादी की जंग की वीर गाथा लिखी थी। 1857 की कांति के दौरान अंग्रेजी शासन काल के हरदोई जिले के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डब्ल्यू०सी० चैपर भी राजा नरपति सिंह के भय से जनपद को छोड़कर भाग गए थे।

वर्ष 2000 के दशक में राजा नरपत सिंह की याद में राजा नरपति सिंह रूईया किला स्मारक, माधोगंज स्मारक निर्माण के साथ ही उनकी मूर्ति की स्थापना की गयी है, उनकी वीर गाथा और स्मृति की याद दिलाती हैं। हमारी सरकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। अतः देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजा नरपति सिंह की वीरगाथा एवं याद में उनकी स्मारक को पर्यटन के तौर पर विकसित करते हुए इसको केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

13. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे चौबेपुर में कुल देवी बंदीमाता मंदिर है. जहां कानपुर नगर सहित निकटवर्ती उन्नाव और हरदोई जिले के काफी लोग दर्शनार्थ, पूजन एवं मुंडन हेतु आते हैं। क्षेत्र में बंदीमाता मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता है तथा यहां पर गंगा माता की आरती भी की जाती है। इस पावन आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन, यहां आने वाले लोगों के लिए जन-सुविधाओं का भारी अभाव है। अतः बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे चौबेपुर में स्थित बंदीमाता मंदिर का केन्द्रीय निधि से सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

14. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के एक प्रमुख घाट नानामऊ में है, जहां इसके निकटवर्ती क्षेत्र के अलावा उन्नाव, हरदोई एवं कन्नौज इत्यादि से लोग आते हैं। नानामऊ को नारायण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मां गंगा का पावन तट एवं

धार्मिक स्थल है। इसलिए इसको भगवान नारायण का क्षेत्र भी कहा गया है। नानामऊ घाट पर प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के स्नान करके आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य के भागी बनते हैं। यहां पर क्षेत्र के लोग अंत्येष्टि किया हेतु भी आते हैं। क्षेत्र में नानामऊ में स्थित घाट की ऐतिहासिक महत्ता है। लेकिन, यहां आने वाले लोगों के लिए जन-सुविधाओं का भारी अभाव है। अतः बिल्हौर तहसील के नानामऊ में स्थित घाट का केन्द्रीय निधि से सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

15. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र के जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां खेरेश्वर अति प्राचीन मंदिर है। महाभारत के समय भीम ने अश्वत्थामा को रथ सहित यहीं पर फेंका था तथा इसी स्थल पर खेरेश्वर मंदिर की स्थापना की गयी है, जहां क्षेत्रीय लोग अश्वत्थामा पूजन हेतु आते हैं और यहां पर गंगा के किनारे मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर-दूर से लोग शामिल होते हैं।

क्षेत्र में प्राचीन खेरेश्वर मंदिर की अत्यधिक महत्ता है। अतः इस मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं हेतु जरूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त कराए जाने की आवश्यकता है। अतः केन्द्रीय निधि से पावन खेरेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

16. इस क्षेत्र के जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां ग्राम रूद्रपुर बहल में आदि कवि वाल्मीकि की जन्म-स्थली है और वहीं पर उनका विख्यात प्राचीन मंदिर भी है, जिसका उल्लेख वेद-पुराणों में वर्णित है।

क्षेत्र में उपरोक्त वाल्मीकि मंदिर की अति महत्ता है तथा यहां पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं हेतु जरूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त कराए जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः केन्द्रीय निधि से प्राचीन वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

17. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला-छिबरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वे आवास विहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है, वहीं वे बेघर भी हो जाते हैं। अतः उपरोक्त क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने के लिए एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से

बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए और जब तक बांध का निर्माण नहीं होता, उस स्थिति में गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए छोटी-छोटी ठोकर बनवाई जाए।

18. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक (चक कुंड), मां ललिता देवी मन्दिर (शक्ति पीठ) इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जो हरदोई और सीतापुर जनपदों के अन्तर्गत आते हैं। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है तथा 84 कोसी परिकमा, जो इन धार्मिक स्थलों से हरदोई और सीतापुर जनपदों से होकर गुजरती है, वह पथ कहीं छोटा है तो कहीं जीर्णशीर्ण स्थिति में है तथा मार्ग में विद्युत आदि की भी सुविधा नहीं है, जिस कारण श्रद्धालुओं को परिकमा के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः 84 कोसी धार्मिक महत्ता का सम्मान करते हुए यह 84 कोसी परिकमा हरदोई एवं सीतापुर जनपदों के जिस-जिस मार्ग से होकर गुजरती है, उस पूरे पथ को 5 मीटर चौड़ा बनाते हुए पूरे पथ पर फलदार वृक्ष लगाने, विद्युतीकरण किए जाने और इस मार्ग का सौन्दर्यकरण किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

19. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर नगर में पैकेज संख्या यूपी 158, (सड़क का नाम – एमआरएल 02- लखनऊ इटावा से विषधन वाया कुरेह) के निर्माण कार्य की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री नहीं लगायी जा रही है और न ही निर्धारित किए। गए मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। इस प्रकार से इस मार्ग के निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री उपयोग में लाकर सरकारी धन की बरबादी की जा रही है, जो अत्यधिक चिंता का विषय है। अतः इस मार्ग के निर्माण में लायी जा रही सामग्री की गुणवत्ता और इस संबंध में निर्धारित किए गए मानकों की जांच केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी निगरानी समिति गठित करके करवाई जाए, ताकि सड़क का निर्माण गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप होकर सरकारी धन की बरबादी बच सके।

20. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई जनपद में पैकेज संख्या यूपी33153, (सड़क का नाम - एल030 कोथावां माल रोड से बहेरवा) के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। लेकिन, इस मार्ग के निर्माण हेतु केन्द्रीय धन का आवंटन न होने की वजह से मार्ग का निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः इस स्वीकृत मार्ग के निर्माण हेतु केन्द्रीय धन का शीघ्र आवंटन किया जाए, ताकि सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

21. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत जनपद हरदोई में संडीला रेलवे स्टेशन से सटे तीन समपारों यानी 247. 248 और 249 का यातायात घनत्व एक लाख से अधिक वाहन इकाई (टीवीयू) से अधिक है और ये सभी एलसी को रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) से प्रतिस्थापित करने के लिए योग्य है, से संबंधित प्रकरण को मैं प्रश्न एवं नियम 377 के अधीन सदन में उठा चुका हूं।

इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा मुझे जानकारी भिजवाई गई थी कि राज्य सरकार से लागत भागीदारी और समपार बंद करने के लिए आवश्यक सहमति के साथ इन स्थानों पर आरओबी के निर्माण के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सम्पर्क किया गया है और मुख्य सचिव

स्तर पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा नियमित रूप से सम्पर्क करने के बावजूद राज्य सरकार से कोई प्रतिकिया प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण रेलवे राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि सण्डीला रेलवे स्टेशन पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 महाप्रबन्धक, उ०रे०, नई दिल्ली को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उक्त रेल उपरिगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराया जाए।

अतः अनुरोध है कि अब जबकि राज्य सरकार द्वारा उक्त रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है, इसलिए अब इसके निर्माण में और अधिक विलम्ब न करते हुए उक्त रेल उपरिगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यकम में सम्मिलित कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करके रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराते हुए निर्माण संबंधी कार्य को शीघ्र कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

22. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां के धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। नैमिषारण्य में देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। अतः नैमिषारण्य की उपरोक्त धार्मिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नैमिषारण्य रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण कराया जाए।

23. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सण्डीला एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से क्षेत्र की अनेकों महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का आवागमन होता है तथा नैमिषारण्य, जो कि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, के श्रद्धालुओं भी इसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरते हैं। सण्डीला एक औद्योगिक क्षेत्र भी है | मेरे क्षेत्र की जनता द्वारा इस रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण कराए जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है। अतः सण्डीला रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

24. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विगत 20-25 वर्षों से कानपुर से बालामऊ होते हुए सीतापुर तक दो पैसेंजर रेलगाड़ी चल रही है, जो आज की तारीख में यात्रियों को देखते हुए नगण्य है और इन दो पैसेंजर रेलगाड़ियों के आवागमन में क्षेत्र में कोई विकास भी नहीं दिखायी दे रहा है। अतःयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कानपुर से बालामऊ होते हुए सीतापुर तक इन पैसेंजर रेलगाड़ियों के अलावा दो और डी०एम०यू० रेलगाड़ी चलायी जाए, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

25. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीच कुंड सहित आदिकाल के अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। प्रत्येक माह अमावस्य के दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर इस कुंड में स्नान करते हैं तथा होली पर्व से एक माह पूर्व एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और फिर कुंड में स्नान करते हैं तत्पश्चात होलिका दहन करते हैं। इस कुंड की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा के करने बाद जब तक यहां आकर 84 कोस की परिकमा करके कुंड में स्नान नहीं कर लिया जाता, तब तक यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है। यहां पर आदिकाल के प्रमुख देवी-देवताओं के मंदिर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आये तो कुण्ड में स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। अतः दधीच कुंड की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस कुंड के सौन्दर्यकरण एवं श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

26. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्हौर एवं कछोना नगरपालिका/नगर पंचायत हैं। इन क्षेत्रों से निकलने वाली रेलवे लाईन कॉसिंग पर भारी यातायात होने के कारण कई-कई घंटों तक ट्रैफिक अवरूद्ध रहता है, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों की पिछले काफी समय से रेलवे कासिंग पर ओवर ब्रिज अथवा अंडर पास बनााए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण उनमें भारी रोष व्याप्त है। विगत 14वीं एवं 15वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान भी अपने संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त बिल्हौर एवं कछोना में रेलवे कॉसिंग पर ओवर ब्रिज/अंडरपास बनाए जाने हेतु लोक सभा के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सरकार से मांग की गई थी, लेकिन उस समय की सरकार ने मेरे क्षेत्र की इस प्रमुख समस्या के निराकरण हेतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त स्थलों पर आरओबी/अंडर पास के निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

27. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बालामऊ विधान सभा क्षेत्र में हत्यारण एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आये तो स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहां पर देश के दूर-दराज क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी एक बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। हत्यारण धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। भादो के महीने में प्रत्येक रविार को यहां पर मेले का भी आयोजन होता है। लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

अतः हत्याहरण कुण्ड के धार्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

28. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत तीनों जनपदों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाले सड़कों का निर्माण कार्य मानक/गुणवत्ता के अनुरूप नहीं करवाया जा रहा है। *सड़क निर्माण में डस्ट के स्थान पर मिट्टी उपयोग में लायी जा रही है तथा पत्थर का साईज भी मानक के अनुरूप नहीं है तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में गंभीर कोताही बरतकर सड़क निर्माण कार्य में घटिया स्तर की सामग्री अथवा मानक के अनुरूप सामग्री प्रयोग में नहीं लायी जा रही*

<u>है । इस प्रकार अधिकारियों की मिलीभगत एवं निविदा में उनकी संलिप्तता के परिणामस्वरूप सरकारी राशि का भारी दुरूपयोग हो रहा है, जो उचित नहीं है ।</u> अतः संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत आने वाले सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर जनपदों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाले सड़कों को मानक/गुणवत्ता के अनुरूप बनवाए जाने एवं इनकी निविदा में अधिकारियों की संलिप्ता की जांच केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च तकनीकी समिति गठित करके करवाए जाने एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाले सड़कों का शिलान्यास/लोकार्पण अविलम्ब करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

29. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर नगर की बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काकूपुर और छत्रपुर उत्तर गंगा के निकट बसे हुए हैं । ये दोनों गांव बिलकुल पास ही पास है । दोनों गांवों के बीच खेड़ेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है । यहां शिवरात्रि व सावन के महीने में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है तथा इससे कुछ ही दूर पश्चिम की ओर अश्वत्थामा का मंदिर भी है । वहीं पास में ही दूधेश्वर महादेव की एक प्राचीन प्रतिमा खुले स्थान में एक चबूतरे पर स्थापित है । यह भी उल्लेख करना है कि काकूपुर के अनेक पुराने मंदिरों के भग्नावेश हैं और पत्थर की चौखटों के खंड टीलों एवं अन्य स्थानों में फैले हुए मिलते हैं । इनमें से कई तो बौद्धकालीन हैं, जो खंडित रूप में भी पूर्व सौंदर्य का परिचय देते हैं । काकूपुर के पास और श्री खेड़ेश्वर महादेव के मंदिर से डेढ़ मील की दूरी पर सरैयां घाट है, जो प्रीचन काल से एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है । यहां अनेक छोटे-बड़े पर्वो में एक बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंगा स्नान हेतु आते हैं । अतः इन स्थलों की धार्मिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इनको संरक्षित और विकसित करने तथा यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु धन का आवंटन किया जाए ।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय नजदीकतम उपलब्ध हो । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से देश के विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों में मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना हो भी चुकी है ।

लेकिन, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर, जो एक अति प्राचीन एवं बड़ी तहसील है और जो जिलाधिकारी, कानपुर नगर के अधीन है, इसमें लगभग 409 राजस्व ग्राम एवं नगर पंचायत तथा एक नगरपालिका परिसर व 4 थाना है । मुख्यालय तहसील बिल्हौर की दूरी जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से लगभग 60 कि0मी0 तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से लगभग 110 कि0मी0 तक तहसील सुदूर सीमा जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से 75 कि0मी0 और जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से 125 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात जाने हेतु सुलभ यातायात साधनों की अत्यधिक कमी है, जिस कारण वादकारियों को अपने घर से 6 से 8 घण्टे का समय लगता है । इस प्रकार अत्यधिक दूरी एवं यातायात साधनों की किल्लतों की वजह से गरीब वादकारी अपेक्षित न्याय पाने में असमर्थ रहते हैं, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों एवं सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के भी विपरीत है । तहसील मुख्यालय परिसर बिल्हौर में न्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त एवं उचित स्थल उपलब्ध है और

उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिल्हौर तहसील के आसपास नई एवं क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटी तहसीलों में सिविल न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) की स्थापना भी हो चुकी

अतः उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में तहसील मुख्यालय बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर (उ0प्र0) में अपेक्षित सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करके इसको पुनः कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से ही सम्बद्ध किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

31. हमारा देश किसानों का देश है तथा हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है। गांव वासियों का आज भी मुख्य कार्य खेती करना है। लेकिन, आज हमारे देश में विशेषतः उ0प्र0 में गन्ना कृषकों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय एवं सोचनीय बनी हुयी है। उन्हें गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि हमारे देश के किसानों को कृषि पारिस्थितिकी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसमें आदानों की उच्च लागत, सिंचाई की अपर्याप्तता, के डिट समस्यायें, अपर्याप्त जानकारी, प्रशिक्षण की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, पानी और छोटी जोत की कमी, तकनीकी कृषि पारिस्थितिक इत्यादि समस्यायें शामिल हैं। लेकिन, इन समस्याओं के अतिरिक्त एक ऐसी गंभीर समस्या भी गन्ना कृषकों के समक्ष उत्पन्न हो रही है, जो अति दुष्कर है। अतः देश के गन्ना किसानों विशेषकर उ0प्र0 राज्य के जनपद सीतापुर में रामगढ़ और जवाहरपुर में स्थित चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सीधे गन्ना खरीद पर्ची की उपलब्धता सुनिश्चित करवाकर उन्हें आर्थिक शोषण से मुक्त किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

32. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक (चक कुंड), मां ललिता देवी मन्दिर (शक्ति पीठ) जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। प्रत्येक माह अमावस्य के दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर चक कुंड में स्नान करते हैं। होली पर्व से एक-दो दिन पूर्व भी श्रद्धालु यहां आकर 84 कोस की परिकमा करते हैं और फिर चक कुंड में स्नान करते हैं तत्पश्चात होलिका दहन करते हैं। इस पवित्र धाम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा के करने बाद जब तक यहां आकर 84 कोस की परिकमा करके चक कुंड में स्नान नहीं कर लिया जाता, तब तक यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। नीमसार और मिश्रिख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए नीमसार और मिश्रिख रेलवे स्टेशन को सौन्दर्यकरण किया जाए और यहां पर पेयजल, शौचालय, विश्रामालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये और आबिदा एक्सप्रेस का नीमसार रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाये। 33. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही अरवल एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस स्टेशन के पास ही मकनपुर में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है। यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश-विदेश से दर्शनार्थ आते हैं। यहां पर मई माह में उर्स लगता है,

जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी-फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है। अरवल रेलवे स्टेशन, जो मकरनपुर के पास में ही है, यात्रियों/ श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। विश्व प्रसिद्ध मदारशाह की दरगाह को दृष्टिगत रखते हुए अरवल रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण करते हुए यहां पर पेयजल, शौचालय, विश्रामालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।

34. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, अरौल स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं का भारी अभाव है। इन रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यकरण करते हुए वहां पर पेयजल, विद्युत, प्रतीक्षालय आदि की समुचित व्यवस्था करवायी जाये।

35. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां, माधौगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म काफी नीचे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अतः प्लेटफॉर्म को ऊंचा करते हुए सीमेंट की शेड डालवायी जाये और अरौल-मकनपुर रेलवे स्टेशन पर कालिन्दरी एक्सप्रेस (14723-14724) एवं पवन एक्सप्रेस (15037-15038) का ठहराव दिया जाये।

36. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सीतापुर-लखनऊ छोटी रेलवे लाईन है। इसको ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस प्रकरण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुयी है। इस छोटी रेल लाईन को ब्रॉडगेज लाईन में शीघ्र परिवर्तित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा जम्मू तवी से कानपुर सेन्ट्रल रेलगाड़ी नं0 12470 (जम्मू तवी एक्सप्रेस) का मल्लावां रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाये और सीतापुर-बालामऊ पैसन्जर रेलगाड़ी नं0 54335-54336 में वर्तमान में केवल 7 कोच लगे हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह कोच बहुत कम है। अतः इस पैसेन्जर रेलगाड़ी में कम से कम 3 रेलवे कोच और बढ़ाए जाएं।

37. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र के जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां बाबा भूतेश्वर सहित 20 अति प्राचीन मंदिर हैं। यहां पर नवरात्रों के दौरान अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहां से कुछेक कि0मी0 की दूरी पर खेरेश्वर और अश्वत्थामा के भी अति प्राचीन मंदिर है। यहां पर भी दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। अतः बाबा भूतेश्वर, खेरेश्वर एवं अश्वत्थामा मंदिरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए गंगा घाट सहित इस पूरे क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

38. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सण्डीला, जो जनपद हरदोई में आता है, एक औद्योगिक क्षेत्र है। यदि सण्डीला को विशेष आर्थिक जोन में शामिल कर लिया जाए तो इस पिछड़े हुए अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सकता है। सरकार की भी नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्रों का चहुमुखी विकास किया जाए। अतः सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन में शामिल

किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का विकास हो सके।

39. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां-बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल न होने के परिणामस्वरूप लोगों को दूसरे जनपद उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र, जो 35 कि0मी0 दूर है, से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें उनको लगभग एक घंटा लगता है। इसमें समय भी लगता है तथा पेट्रोल भी अधिक व्यय होता है। मुझे भी संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र पहुंचने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण संसदीय दायित्व के निर्वहन में काफी बाधा उत्पन्न होती है।

मल्लावां तथा बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों को गंगा नदी पर पुल बनाकर आपसे में जोड़ने की मांग विगत काफी समय से स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। यदि वहां सर्वे करवाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर गंदी नदी पर एक पुल बनाया दिया जाता है तो इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा तथा उनके समय की बरबादी भी बचेगी।

अतः ऐसी स्थिति में मल्लावां और बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ने हेतु गंगा नदी पर पुल बनाये जाने हेतु सर्वे करवाकर शीघ्र ही पुल का निर्माण करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

40. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई जनपद की सण्डीला तहसील में अनेक देवी-देवताओं के मंदिर हैं तथा यहां पर आदिकाल कुण्ड व हत्याहरण कुण्ड भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आये तो कुण्ड में स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहां पर 84 कोसी परिकमा भी होती है। नैमिषारण्य में प्रसिद्ध दधीच कुण्ड के साथ-साथ पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक (चक कुंड), मां ललिता देवी मन्दिर (शक्ति पीठ) जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। प्रत्येक माह अमावस्य के दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर चक कुंड में स्नान करते हैं। होली पर्व से एक-दो दिन पूर्व भी श्रद्धालु यहां आकर 84 कोस की परिकमा करते हैं और फिर चक कुंड में स्नान करते हैं तत्पश्चात होलिका दहन करते हैं। इस पवित्र धाम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा के करने बाद जब तक यहां आकर 84 कोस की परिकमा करके चक कुंड में स्नान नहीं कर लिया जाता, तब तक यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है।

अतः क्षेत्र में स्थित इनधार्मिक स्थलों में दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। अतः आदिकाल कुण्ड, हत्याहरण कुण्ड व दधीच कुण्ड सहित अन्य देवी-देवताओं के धार्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

41. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला-छिबरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर

वे आवास विहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है, वहीं वे बेघर भी हो जाते हैं। अतः गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराने, पानी का फैलाव रोकने, आवासहीन ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था कराए जाने तथा प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने हेतु एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए और प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

42. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर नगर के निकटवर्ती मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर तथा निकटवर्ती क्षेत्र कानपुर नगर व जाजमऊ में बड़ी संख्या में कल-कारखाने स्थापित हैं। उनमें प्रदूषण रहित संयंत्र न होने के परिणामस्वरूप आसपास में भारी प्रदूषण फैल रहा है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर, जो मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख से सटा हुआ है, का 109वां स्थान है। देश में प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्र का कौन सा स्थान होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

इस क्षेत्र में कई कारखाने तो ऐसे हैं, जिनके पास से गुजरने पर काफी दुर्गध होने के कारण घुटन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में वहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मेरे क्षेत्र के लोगों को प्रदूषित वायु सांस के माध्यम से शरीर के अन्दर जाने के कारण तरह-तरह की - अस्थमा, फेफड़े और हृदय रोग, सांस की एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। यह छिपा नहीं है कि आंतरिक वायु प्रदूषण से देश में काफी लोग प्रभावित होते हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र भी इससे बचा नहीं है। इस क्षेत्र में कारखानों के प्रदूषित पानी से फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः सण्डीला और बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों के साथ-साथ कानपुर नगर और जाजमऊ को प्रदूषण रहित बनाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

43. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर-बिल्हौरकन्नौज-एटा-बेवर-अलीगढ़-बुलन्दशहर-गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, होकर गुजरता है | यह देश का एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक जी0टी0 मार्ग है। इस मार्ग से दिल्ली जुड़ा होने के कारण यातायात का भारी दबाव बना रहता है। पिछले काफी समय से इस मार्ग को चार लेन का बनाये जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मार्ग को चार लेन में परिवर्तित नहीं किया गया है। जिस कारण यहां आये दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती हैं और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले इस मार्ग की कानपुर-बिल्हौर की स्थिति बहुत ही खराब है। बरसात के दिनों में वहां जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, उसकी मरम्मत भी नहीं की जा रही है। इस मार्ग के रख-रखाव से सम्बन्धित अभियंताओं से सम्पर्क करने पर गड्ढे की मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। सम्बन्धित अभियंता रख-रखाव के लिए आयी केन्द्रीय राशि का दुरूपयोग कर रहे हैं और जिस कार्य के लिए उसका आवंटन किया गया है, उसके लिए व्यय न करके सरकारी धन की धांधली कर रहे हैं।

अतः कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज-एटा-बेवर-अलीगढ़बुलन्दशहर-गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग पर एक प्रत्येक निश्चित दूरी के पश्चात समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ बिल्हौर

के निकट एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना किए जाने और साथ ही इस मार्ग का जीर्णोद्धार करते हुए इसको चार लेन का बनाये जाने और बरसात की मौसम में जो बड़े-बड़े गड्ढ़े बन जाते हैं, उसकी समय पर मरम्मत किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

44. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों में विद्युत की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इन ग्रामीण अंचलों में कई-कई दिनों तक बिजली गायब रहती है तथा गर्मी की मौसम में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिस कारण विद्युत के अभाव में ग्रामीणों, किसानों एवं अन्य जन सामान्य को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में विद्युत की भारी किल्लत को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में एक और एन0टी0पी0सी0 का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु कारगर कदम उठाए जाए।

45. मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी का भारी अभाव है। यहां पर लोग स्वच्छ पानी के अभाव में संदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं।

मिश्रिख संसदीय क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन की ओर से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए इनकी संख्या बिलकुल नगण्य है। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पीने के पानी की भारी किल्लत को ध्यान में रखते हुए वहां पर केन्द्रीय धनराशि से उत्तम गुणवत्ता के इण्डिया मार्का हैंड पम्प लगवाये जाने हेतु कारगर कदम उठाए जाए।

46. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत आने वाले तीन जनपद सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर में राईस मिलर्स की भारतीय खाद्य निगम के जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से चावल के स्टोर के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों को दरकिनार करते हुए घटिया गुणवत्ता का चावल गोदाम में स्टोरेज किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस संबंध में, मेरे द्वारा भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत आने वाले तीनों जनपद सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमित्ताओं की जांच केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे हमारी सरकार की छवि पर कोई आंच न आए।

47. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत डुडवा जमौली, ब्लॉक शिवराजपुर, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर प्लांट के संबंध में जानकारी दी गई है कि निचली गंगा नहर के लाइनिंग का कार्य एनटीपीसी के प्रस्तावित तापीय परियोजना के जल मांग को पूरा करने के लिए कार्यदेश उ0प्र0 सिंचाई विभाग को जारी किया गया था एवं उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा कार्य अप्रैल, 2014 में प्रारम्भ किया गया। लेकिन, प्रस्तावित तापीय परियोजना के मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण इस कार्य को एनटीपीसी द्वारा मई, 2016 में कार्य पूरा होने के पहले

ही रूकवा दिया गया एवं इस कार्य को डिपॉजिट वर्क के आधार पर अवार्ड किया गया तथा इस कार्य के गुणवत्ता मापदंड एवं सत्यापन का कार्य पूर्णतया उ0प्र0 सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा ही किया गया है।

लेकिन, केन्द्रीय स्तर पर शिकायत करने के पश्चात भी राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा 108 करोड़ रू0 की केन्द्रीय राशि के कथित दुरूपयोग की जांच एनटीपीसी के अधिकारियों ने आज तक नहीं करवाई है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना में कथित अनियमित्ताओं की जांच केन्द्रीय मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके से करवाई जाए, ताकि इस घोटाले में शामिल एनटीपीसी और राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संलिप्ता उजागर होकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

48. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) में बालामऊ रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज न होने के कारण यातायात अवरुद्ध होता है, जिससे लोगों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा यहां पर बुकिंग विंडो जो मुख्य शहर से विपरीत दिशा में स्थित है, वहां पर यात्रियों को टिकट के लिए लेवल कॉसिंग पार करने के बाद करीब आधा कि0मी0 चलकर स्टेशन के दूसरी ओर जाना पड़ता है तो यात्रीगण तब टिकट खरीद पाते हैं और जब कभी जल्दी में कोई यात्री सीधे स्टेशन में घुसकर टिकट खरीदने जाता है तो उसको टिकट निरीक्षक पकड़कर तंग करते हैं और अवैध वसूली भी करते हैं तथा कभी-कभी जल्दी में यात्री बिना टिकट यात्रा करने को भी मजबूर होते हैं, जिससे रेलवे को हानि भी होती हैं।

इस संबंध में, यह भी अवगत कराना है कि स्टेशन के दूसरी ओर मुख्य शहर की तरफ का हिस्सा खुला पड़ा है, जो काफी गंदा रहता है और शहर के लोगों के लिए बीमारी का कारण भी बनता है। यदि मुख्य शहर की ओर एक प्लेटफॉर्म बनाकर इस पर एक बुकिंग विंडो स्थानांतरित कर दी जाए तो यहां के लोगों की सभी समस्याओं का सामधान हो जाएगा तथा यात्रियों को टिकट लेने में भी कठिनाई नहीं होगी और रेलवे को ज्यादा राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ शहर को भी स्वच्छ रखने में सहायक होगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि बालामऊ रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज तथा इस स्टेशन के मुख्य शहर की ओर एक प्लेटफॉर्म बनवाए जाने हेतु निर्देश प्रदान करके उस ओर बुकिंग विंडो स्थानांरित करने की कृपा करें ताकि क्षेत्र की जनता इससे लाभान्वित हो सके और स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शहर की स्वच्छता भी बनी रहे।

49. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर (उ0प्र0) के अन्तर्गत डुड़वा जमौली, ब्लॉक शिवराजपुर, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर प्लांट की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि जिस कम्पनी (विकम सोलर) को यह कार्य सौंपा गया है, उसका कार्य संतोषजनक तरीके से नहीं चल रहा है तथा निर्माण सामग्री भी गुणवत्ता के अनुरूप उपयोग में नहीं जायी जा रही है एवं लाईनिंग के कार्य में मौरंग की जगह डस्ट को उपयोग में लाया जा रहा है और केबिल के नीचे बालू भरने की जगह बालू व मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा

है एवं निचली गंगा नहर प्रखण्ड कानपुर में 241 कि0मी0 नहर की लाइनिंग के कार्य में 100 करोड़ से अधिक राशि व्यय करने के बाद लाइनिंग की आज स्थिति जीर्णशीर्ण है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित की जा रही उपरोक्त परियोजना में कथित अनियमित्ताओं जांच केन्द्रीय मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय तकनकी समिति गठित करके से करवाए जाने हेतु अनुरोध भी किया गया है। लेकिन, इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी धन का दुरूपयोग जारी है।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित की जा रही उक्त परियोजना में कथित अनियमित्ताओं की जांच केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके करवाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए जाएं और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र की उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए।

50. राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 के सीतापुर-अटरिया और राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के कानपुर-लखनऊ पर स्थित टोल गेट पर कई-कई घंटों तक यातायात अवरूद्ध रहता है तथा इन टोल गेट पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिग्रेड, पुलिस इत्यादि वाहनों के लिए आपातकाल में निकलने हेतु अलग से कोई लेन न होने की वजह से ये वाहन भी यातायात में कई-कई घंटों तक अवरूद्ध रहते हैं। अतः इन वाहनों के लिए आपातकालीन स्थिति में टोल गेट पर अलग से लेन बनवायी जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 पर खैराबाद के आगे सिर्फ 10 कि0मी0 ही सड़क बनी है और इसके आगे बाकि कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन, लखनऊ से खैराबाद दो टोल देकर टोल वसूली विगत 8-9 वर्षों से की जा रही है तथा इन दोनों टोल के बीच में अभी तक फ्लाई ओवर भी नहीं बने हैं, जिसकी वजह से कस्बों में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। अतः अधूरे मार्ग का निर्माण एवं जाम की समस्या के निजात के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण करवाया जाए।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कम्पनी के जो फास्ट टेग सेंसर/सिस्टम हैं, उसकी गुणवत्ता सही न होने की वजह से स्केन करने में काफी अधिक समय लगता है तथा यहां कार्यरत स्टॉफ भी प्रशिक्षित नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 पर टोल कम्पनी के द्वारा डिवाईडरों पर पौधों की उचित देखभाल भी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर वाहनों की लाईट लगती है

और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस मार्ग पर लखनऊ से सीतापुर तक कई जगहों पर सड़क हल्की-हल्की धंसी हुई हैं तथा मार्ग पर सफेद पट्टी और दिशा निर्देश इत्यादि का न केवल अभाव है, बल्कि सफेद पट्टी पर रंगाई-पुताई की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण दुर्घटना की समस्या बनी रहती है।

मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

51. मुझे लखनऊ से अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के कानपुर-लखनऊ से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन, इन मार्गों में अत्यधिक ख्वामियां हैं, जिनका तुरन्त निदान कराए जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में, अवगत कराना है कि लखनऊ-सीतापुर-बरेली-दिल्ली (राष्ट्रीय राजमार्ग 24) पर इंटौजा टोल (लखनऊ) व खैराबाद टोल (सीतापुर) पर हमेशा यातायात अवरूद्ध रहता है और फास्ट टैग वाली लाइन में भी 5-10 मिनट से अधिक का समय लगता है तथा आकस्मिक सेवाओं जैसे - एंबुलेंस, पुलिस वाहन आदि जरूरी वाहनों के लिए भी अलग से लेन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण एंबुलेंस भी काफी समय तक जाम में फंस जाती है। __यह भी अवगत कराना है कि लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर कई जगहों पर गड्ढे बने हुए हैं, जिनसे दुर्घटना की स्थिति हर समय बनी रहती है तथा इस मार्ग पर साइड में वृक्षों की समुचित देखरेख न होने से लाईट वाहनों के ऊपर पड़ती है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

इंटौजा टोल गेट के पास मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल मैनेजर की कथित मिलीभगत से सब्जी मण्डी आयोजित की जाती है, जिस कारण सुबह 5 से 10 बजे तक यातायात न केवल पूरी तरह से अवरूद्ध हो जाता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।

इंटौजा टोल पर लगे सेंसर की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है, जिसकी वजह सेंस करने में काफी अधिक समय लगता है तथा यहां स्थित टोल मैनेजर व अन्य कार्यरत कर्मचारियों की कार्यशैली व भाषाशैली भी अभद्र है और इनका व्यवहार वाहन चालकों के प्रति संतोषजनक नहीं है। ये वाहन वालों के साथ अभद्रता से पेश आते हैं।

अतः उक्त मार्गों से संबंधित निम्नांकित समस्याओं का अविलम्ब समाधान कराए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 के सीतापुर-अटरिया और राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के कानपुर-लखनऊ पर स्थित टोल गेट पर कई-कई घंटों तक यातायात अवरूद्ध रहता है तथा इन टोल गेट पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिग्रेड, पुलिस इत्यादि वाहनों के लिए आपातकाल में निकलने हेतु अलग से कोई लेन न होने की वजह से ये वाहन भी यातायात में कई-कई घंटों तक अवरूद्ध रहते हैं। अतः इन वाहनों के लिए आपातकालीन स्थिति में टोल गेट पर अलग से लेन बनवायी जाए और टोल गेट पर यातायात की अवरूद्ध होने की समस्या से निजात हेतु उचित उपाए किए जाएं।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 पर खैराबाद के आगे सिर्फ 10 कि0मी0 ही सड़क बनी है और इसके आगे बाकि कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन, लखनऊ से खैराबाद दो टोल देकर टोल वसूली विगत 8-9 वषों से की जा रही है तथा इन दोनों टोल के बीच में अभी तक फ्लाई ओवर भी नहीं बने हैं, जिसकी वजह से कस्बों में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। अतः अधूरे मार्ग का निर्माण एवं जाम की समस्या के निजात के लिए फलाई आवर का निर्माण करवाया जाए।

(3) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कम्पनी के जो फास्ट टेग सेंसर/सिस्टम हैं, उसकी गुणवत्ता सही न होने की वजह से स्केन करने में काफी अधिक समय लगता है तथा यहां कार्यरत स्टॉफ भी प्रशिक्षित नहीं है। इस वजह से भी यातायात अवरूद्ध रहता है। अतः इसमें भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि अनावश्यक रूप से यातायात अवरूद्ध न हो।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 पर टोल कम्पनी के द्वारा डिवाईडरों पर पौधों की उचित देखभाल भी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर वाहनों की लाईट लगती

है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अतः डिवाईडरों पर पौधों की उचित देखभाल की व्यवस्था की जाए।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 पर लखनऊ से सीतापुर तक कई जगहों पर सड़क हल्की-हल्की धंसी हुई हैं तथा मार्ग पर सफेद पट्टी और दिशा निर्देश इत्यादि का न केवल अभाव है, बल्कि सफेद पट्टी पर रंगाई-पुताई की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण दुर्घटना की समस्या बनी रहती है। अतः इनका भी निराकरण करवाया जाए।

52. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के जनपद हरदोई में सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कम्पनियों के संचालकों द्वारा श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन करके श्रमिकों का मानसिक शोषण एवं उत्पीड़न किया जा रहा है तथा उनकी काम की पाली से अधिक कार्य लेकर न्यूनतम भत्ता दिया जा रहा है। इन कम्पनियों में कार्यरत स्थायी एवं ठेकेदारी पर कार्यरत श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुरूप ई0एस0आई0, पी0एफ0, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जारी है तथा न ही विशेषतः ठेका श्रमिकों के पी0एफ0 की राशि उनके एकाउंट में समय पर ट्रांसफर की जाती है। मेरे द्वारा श्रमिको के शोषण को रोकने हेते पत्र भी लिखे गए हैं। लेकिन, अभी भी श्रमिकों का शोषण यथावत जारी है।

अतः मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सण्डीला (जनपद हरदोई) औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कम्पनियों में कार्यरत श्रमिकों के श्रम उत्पीड़न की उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके श्रम उत्पीड़न को रोकने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

53. मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत सण्डीला के लड्डू की मिठास पूरे देश में विख्यात है तथा हरदोई से सटी संडीला तहसील का नाम इन मीठे और खास तरह के लड्डुओं ने खूब रोशन किया है। इन लड्डुओं की इतनी मांग रही है कि देश में नहीं बल्कि विदेश तक में यहां के लड्डू भेजे जाते रहे हैं।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि हिन्दी की फिल्म 'पीकू' में विश्व प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन और इरफान खान तथा दीपिका पाडुकोण और हिन्दी फिल्म "हम साथ-साथ हैं" में सलमान खान और सैफ अली खान ने भी सण्डीला की संस्कृति के रूप में इस ऐतिहासिक लड्डू का जिक किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां में भी बेसन का लढा दूर-दूर तक प्रसिद्ध रहा है। लेकिन, आज यह बेसन का लढा विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच रहा है, जिसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

यह हम सभी देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 30 दिसम्बर, 2019 में"मन की बात' कार्यकम में देश की आजादी के 75वें वर्ष के पूरा होने तक आगामी तीन वर्षों के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है तथा लोगों को भी स्थानीय उत्पादों को ही खरीदने के लिए प्रेरित किया है।

लेकिन, आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान में सण्डीला के लड्डू की ऐतिहासिक संस्कृति और लोकप्रियता विलुप्त होकर काजू की बर्फी जैसी दूसरी मिठाइयों की ओर बढ़ रही है, जिसका प्रभाव सण्डीला के इस स्वदेशी उत्पाद पर पड़ रहा है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति को ध्यान में रखते हुए सण्डीला में लुप्त हो रहे विश्व प्रसिद्ध लड्डुओं और मल्लावां के बेसन के लड्डा के उत्पाद को बढ़ावा दिए जाने के लिए एक योजना बनाकर सण्डीला, जो एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किए जाने हेतु समुचित निर्देश प्रदान किए जाए, जिससे इस स्वदेशी उत्पाद को संरक्षण मिल सके और विश्व में भी इसका निर्यात सुलभ हो सके।

54. यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में खाद्य एवं प्रसंस्कण उद्योग मंत्रालय मेगा फूड पार्क स्कीम के अन्तर्गत किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विकेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध करा रहा है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके।

इस संबंध में, अवगत कराना है कि मेरा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें सीतापुर, हरदोई और कानपुर नगर जनपदों के पिछड़े हुए क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में फल और सब्जियों की खेती की बहुतायत है तथा आम, अमरूद इत्यादि फलों के साथ सब्जियों की भी काफी उपज होती है, लेकिन क्षेत्र के किसानों को उनके उत्पाद का उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र में सण्डीला, जो एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, में मेगा पार्क फूड की स्थापना किए जाने के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी स्थापना किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

55. हमारा देश नदियों का देश है तथा इन जल निकायों के आसपास अनेक दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल है। वर्तमान में देश में वाटर स्पोर्टस का केज न केवल निरंतर बढ़ता जा रहा है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी हो रहा है।

इस संबंध में, अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत ग्राम चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर में गंगा नदी के किनारे कुल देवी बंदीमाता मंदिर है, जहां निकटवर्ती जनपदों से नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों से भी लोग दर्शनार्थ आते हैं। इस क्षेत्र में बंदीमाता मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता है तथा यहां पर गंगा माता की पावन आरती भी की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। केन्द्रीय स्तर से इस स्थल को पर्यटनीय दृष्टि से बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्थल, जो गंगा एवं गोमती नदी के बीच गंगा नदी के किनारे स्थित है, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर केन्द्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्टस की स्थापना किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

56. मेरे संसदीय क्षेत्र में विशेषकर मिश्रिख, सण्डीला एवं बालामऊ विधान सभा क्षेत्रों में दिनांक 13-3-2020 में प्राकृतिक आपदा के कहर से कई लोगों की मृत्यु हो गयी तथा इस वर्ष मार्च के महीने में दूसरी बार बरसात और आंधी के बीच भारी ओलावृष्टि हुई। इस प्राकृतिक आपदा से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को पशुधन एवं फसल की भारी क्षति हुई है तथा उनकी आम की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है और सरसों तथा गेहूं की

फसल जो तैयार हो चुकी थी और जिसको वे अपने घर पर लाने की तैयारी में थे, वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गयी है और साथ ही ईट के भट्टों की कच्ची ईंट भी पूरी तरह से बरबाद हो गई है। ऐसी स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान एवं ग्रामीण भारी आर्थिक संकट में पहुंच गए हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बिल्हौर विधान सभा के ब्लॉक ककवन और बिल्हौर में भी 10 जून, 2020 में भारी ओलावृष्टि होने से हजारों किसान प्रभावित हुए हैं और उनकी पूरी फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के हिस्से की ओर से मुआवजा राशि मेरे क्षेत्र के किसानों को आज तक प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मेरे क्षेत्र के किसानों की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक बनी हुई है। ___ अतः अनरोध है कि एक उच्च स्तरीय टीम मेरे संसदीय क्षेत्र में भेजकर प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का आकलन कराकर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीणों को केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि का भुगतान अविलम्ब कराए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए एवं प्रभावित किसानों को राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान आज तक किन कारणों से नहीं मिला है, इसके लिए भी जिम्मेवारी सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

57. यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देशभर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर ध्यान देते हुए "रामायण सर्किट' के विकास के लिए तेजी से कार्य प्रारम्भ किया है और "रामायण सर्किट" यानी भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को एक साथ जोडने की योजना बनायी है, जिसमें देश के कई राज्यों के 115 स्थानों को चुना गया है, जहां से श्रीराम गुजरे थे।

उ0प्र0 राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में बालामऊ विधान सभा क्षेत्र में स्थित हत्याहरण एक प्रमुख धार्मिक स्थल यहां स्थित हत्याहरण कुण्ड श्री भगवान राम से गहरा ताल्लुक रखता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आये तो स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहां पर देश के दूर-दराज क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी एक बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। हत्यारण धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। भादो के महीने में प्रत्येक रविार को यहां पर मेले का भी आयोजन होता है।

अतः अनुरोध है कि जिस प्रकार से राज्य के अयोध्या, श्रृंगवेरकर, चित्रकूट, नंदीग्राम एवं देश के दूसरे राज्यों के अन्य स्थल, जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, का "रामायण सर्किट" योजना में चयन किया गया है, उसी प्रकार से हत्याहरण धार्मिक स्थल को भी इस योजना में शामिल किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत वित्त बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र, जो अनुसूचित बाहुल्य एक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, के सर्वांगीण विकास हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए केन्द्रीय बजट में धन का आवंटन करने की कृपा की जाए।

(इति)

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Mr. Speaker Sir, thank you very much for giving me the opportunity to present my views on the Budget. I stand here to support the Budget.

During the challenging times of COVID-Pandemic the FM had presented five mini-budgets in the form of packages in 2020. This Budget is unprecedented in many ways and it will strengthen the sankalp of 'Atmanirbhar Bharat'.

At a time when almost all economies in the world have suffered huge losses India has given much focus on revival as well as growth of economy which is a positive approach. To sum up, the FM has presented a futuristic budget which will go a long way in making an AtmaNirbhar Bharat. This budget is good for small businesses. No Tax Audit, No TDS on Dividends. More convenience, than monetary gains.

The Government's focus on extending and improving transport (road, railway, metro) infrastructure with nearly 217 projects worth over Rs 1 lakh crore to be completed under National Infrastructure Pipeline will enable travellers to explore hidden gems and therefore bolster the domestic tourism and hospitality industries.

The lack of immediate support in the Budget has disappointed the tourism and hospitality sector, which is reeling from huge losses due to the coronavirus crisis, though measures to strengthen infrastructure may help the beleaguered segment. While infrastructure measures announced in the Budget may boost tourism over the long-term, the opportunity for immediate support has regretfully been missed out.

Additionally, keeping up with the changing times, an overall focus on technology with interventions like incentivizing and promoting digital payments will fast track India's transition into a digitally-enabled economy.

Additionally, a full-throttle vaccination programme augmented by the Rs 34,000 crore funding will bring the long-awaited cheer to the sector.

---

* Laid on the Table

People will start flying with confidence for leisure like during Pre-COVID times after being significantly emboldened by inoculation against the virus.

The budget has allocated Rs 1,088.03 crore for the development of tourism infrastructure. With the coronavirus crisis restricting not just foreign tourist footfalls into the country but also keeping domestic tourists at bay, the budget has focused on pushing funds for promotion and publicity to help woo tourists back.

Bankers have hailed focus on spending, Rs. 20,000 crore capital infusion for PSBs. The banking industry has welcomed the Rs. 20,000 crore provision for PSBs recapitalization for the financial year 2021-22.

The budget rightly strikes a reasonable balance between addressing the key pillars of health and well being, inclusive development, human capital, innovation and R&D, apart from laying the path for a robust economy by providing a major infrastructure boost.

The array of measures announced are in line with people as well as market expectations and will go a long way to bring the nation back on track by boosting spending on infrastructure and rural development while fighting the pandemic through health-focused measures. Focus on Infrastructure and increase in FDI in Insurance sector will boost these two sectors which can be big employment providers.

A substantial increase announced in the expenditure on healthcare and infrastructure will help boost economic growth, including the MSME sector and generate employment. Overall, it was a growth-centric Budget aimed at securing India's long-term economic interest.

It is encouraging to see the FM target policy reforms and boost capital infusion into the infrastructure, SME, and start-up sectors recognizing them as engines of growth in the post-pandemic revival. The thrust on digital payments, e-resolution of tax-related disputes and the first virtual census also underline the Government's focus and continued thrust on digital infrastructure.

The FM said health was her first pillar, and her announcements to develop primary, secondary, and tertiary healthcare systems, greatly gladdened my heart. This ground-breaking focus on health which will provide access to medical care for all in our country, fuel job creation, and boost economic momentum. The 137 percent increase in the healthcare budget from last year is notable. Further, an infusion of Rs. 35,000 crore for vaccine development and distribution, ensuring preventive health and frontline health and allied workers' skills building along with surveillance on infections, reinforces Government's assurance on public health programmes. The thrust and focus to health in India's Budget announcement is a testimony to the country's commitment to not just fight back the COVID-19 pandemic, but to build a stronger and resilient health system. India has been demonstrating this. India has not only proactively and belligerently dealt with the pandemic, it has and continues to support countries in the South-East Asia Region and beyond providing essential medical supplies and now vaccines, to protect the vulnerable populations against the pandemic. Pandemic was an unprecedented medical crisis and it underlined the importance of building resilient healthcare infrastructure.

The Textile industry has welcomed allowing women to work on nightshifts with adequate protection. The textile industry has also welcomed the announcement on textile and apparel parks. I appreciate the thrust given to the textile sector by proposing the Seven mega integrated textile region and apparel parks (MITRA). With the concept of the parks with a plug-and-play model, the textile and apparel sector, particularly the small and medium enterprises, can build competitiveness in manufacturing. The budget focuses on transition to alternative sources of energy and providing support to ailing power distribution companies. There has been no major announcement with respect to solar energy except a nominal increase in custom duty for solar inverters and lanterns to boost Make in India Mission.

The Government has decided to extend social security benefits to gig and platform workers for the first time. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with single registration and licensing, and online returns.

Preparing the budget this year against the backdrop of the Corona pandemic was definitely a very complex task. But, under the guidance of our Hon'ble P.M., F.M. has presented an all encompassing budget which opens the path towards fulfilling the Prime Minister's pledge for an Aaatmanirbhar Bharat, a $5 trillion economy and doubling the income of farmers. This budget is agriculture sector friendly. To provide adequate credit to farmers, the Government has enhanced the agricultural credit target to Rs. 16.5 lakh crore rupees in next fiscal with focus on ensuring increased credit flows to animal husbandry, dairy, and fisheries.

Government has also enhanced the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from Rs. 30,000 to Rs. 40,000 crore. It has enlarged the scope of Operation Green Scheme to include 22 perishable products besides tomatoes, onions, and potatoes. Government has also decided to integrate 1,000 more mandis with e-NAM to ensure transparency and competitiveness in the agricultural market.

The Agriculture Infrastructure Fund will be made available to APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Funds to improve the infrastructure in APMCs, doubling the grants for micro irrigation and value addition programme for 22 crops will help farmers in a great way. The procurement of paddy crop at Minimum Support Prices has been doubled for the year, which has benefited 1.5 crore farmers of the country. Strengthening and continuation of minimum support price (MSP) to farmers has been emphasized.

Our Government is continuously giving thrust on creation of National Highways and Rural roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Along with the construction of roads, Rs. 1,00,800 crore has been provided for capital investment. I also welcome the proposal of tax holiday for construction of affordable houses which will benefit the middle class.

Major cities of Karnataka will be the beneficiaries of the Jal Jeevan Mission (Urban) that envisages universal water supply through 2.4 crore household tap connections in 4,378 urban local bodies. The scheme will also include liquid waste management in 500 cities identified for Atal Mission for

Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT). Twenty-seven cities, including Mangaluru, Bengaluru, Dharwad, Mysuru, Belagavi and Tumakuru, have been identified as AMRUT cities and about 70 lakh people, especially those living in urban slums, are expected to benefit from the programme.

Karnataka's biggest takeaway from the Budget was in the form of urban mobility. FM has announced funding for Namma Metro Phase 2 (A) and 2 (B) projects. With the Central allocation for the Namma Metro project, the speed rail network in the state capital will be stretched by 58.19 km. Karnataka will also stand to gain from the Bengaluru-Chennai Expressway under flagship projects schemes. The 278-km expressway's construction will begin in 2021-22, as per the budget document. Karnataka's plea to declare Upper Krishna Phase III Irrigation Scheme and Yettinahole Drinking Water Scheme as National projects have not been considered. The request was high on Karnataka's Budget wish list. I request the Government to kindly give due consideration to fund these two important projects. Despite being one of the highest tax contributors to the Central coffers, Karnataka has seen a significant amount of revenue loss because of tax devolution. Karnataka needs capital to fund its schemes and it has raised the issue of revenue losses with the Centre.

The total grants to South Western Railway in the budget for 2021-22 has increased by Rs. 536 crore, which is 20% more compared to the grants allocated in the previous budget. South Western Railway received a record Rs. 3,244 crore grants which is the highest so far for the railway zone established in 2003. The focus is on completing the ongoing projects rather than taking up new ones. As more grants have been allocated for the Zone, they will be able to expedite the works and complete a few of them within the next financial year.

The Budget has sanctioned funds for the doubling of key railway lines in Karnataka. The Hubli-Chikjajur track doubling project has been allocated Rs. 171 crore. The Hospet-Hubali-Londa-Vasco section doubling work has received Rs. 225 crore and Arasikere- Tumkur doubling project has been allocated Rs. 202 crore. Rs. 50 crore sanctioned for the Belagavi-Dharwad via Kittur new line as a good amount in the first year of the project. The Budget has also sanctioned funds for some ongoing key new line projects in Karnataka : 10 crore for the

Shivamogga-ShikaripurRanebennur and Rs. 128 crore for Tumkur-Chitradurga-Davangere. The Budget grant for some of the important ongoing works (Electfication) in Karnataka Kadur-Chikmagalur (Rs. 25 crore), Birur-Talaguppa (Rs. 25 crore), Mysore-Hassan-Mangalore (Rs. 60 crore), Chikkabanavara-Hassan (Rs. 30 crore), Chikkabanavara-Hubli (Rs. 75 crore) and Chikjajur - Bellary (Rs. 70 crore). Two major alternative railway lines, which pass through several major parts of UDUPI and Dakshina Kannada districts, have remained as proposals for decades : 1) Padubidri-Karkala-Ujire-DharmasthalaNettana and Nandikur-Karkala-Bajagoli-Ujire-Charmadi. The Preliminary Technical and Traffic Survey and the Engineering cum Traffic Survey for about 120 Kms. between Padubidri, Karkala, Dharmasthana and Nettana was done for the new routes. However, no proposals for construction have come to the fore.

The demand for railway lines has been made as the Threetaluks of Karkala, Moodbidri and Belthangady do not have railway connectivity. The construction of the railway line would also benefit pilgrims travelling to Dharmasthala. Moreover, if the project is implemented, the journey from Kundapur and Udupi to Bengaluru, as an alternative railway line, will reduce the travel time between them by Four hours. I urge and wish if the Hon'ble FM to give due consideration to the demands from the Coastal districts of Karnataka, including my Parliamentary Constituency, Udupi.

The Budget has also allocated funds for two stretches of track doubling in the Mangaluru region. The work on the 19-km stretch of the railway line between Kankanadi and Panambur in Mangaluru will be completed by May, 2021. The Budget has identified a 1.5-km stretch of the railway line between Mangaluru Central railway station and Netravathibridge as the high-utilisation network. Track doubling work on this route will be completed by the end of February,2021. The Budget has also made provision for a new 24-coach pit line at Mangaluru Central railway station in lieu of the existing 18-coach pit line.

Thank you very much.

(ends)

***डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज केंद्रीय बजट पर हो रही चर्चा में अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मैं खड़ा हआ हैं और इस बजट के दस्तावेज़ का अध्ययन करते हए मुझे एक शेर याद आया मिर्जा गालिब साहब का है:

हम को मालूम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन,

दिल को खुश रखने को 'गालिब' ये खयाल अच्छा है.

इसी प्रकार ये बजट है जो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के समय आया है जब आज हम स्तर पर चुनौतियां झेल रहे है. बेरोज़गारी कोरोना के आने के पहले से ही 45 वर्षों में सबसे ज्यादा थी और कोरोना के समय हमने ह्रदय विदारक चित्र देखा जब लाखों मज़दूर कितनी कठिनाइयों से नंगे पाँव, गर्मी में अपने परिवार के साथ हज़ारों किलोमीटर पैदल चले. आज चीन हमे लाल आँखें दिखा रहा, मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किये। लेकिन इस बजट को देख के मुझे दुःख इस बात का होता है की जब स्थिति इतनी गंभीर है और हमारे सेना बलों का upgradation और modernization इतना आवश्यक है तब भी रक्षा मंत्रालय का बजट Demand No. 20 जो Capital Outlay on Defence Services का Revised Estimate 1. 34 लाख करोड़ था जिसमे बहुत ही मामूली बढ़ोतरी करके 1.35 लाख करोड़ किया गया है और पूरे बजट भाषण में कही भी रक्षा से सम्बंधित कोई भी घोषणा नहीं हुई है. मैं रक्षा समिति का सदस्य भी हूँ और पिछले दो वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ की जितने बजट के मांगे हमारे सेना करती है उसका आधा भी उन्हें नहीं मिलता. सरकार हर जगह ये बताती है की हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे fastest growing है और टैक्स collection के रिकॉर्ड बन रहे लेकिन फिर भी बजट नहीं बढ़ाया जा रहा. इसकी क्या वजह है मैं सरकार से जानना चाहूंगा की आप national security की इतनी बात करते है और सेना को वंचित रख रहे. आज हालत ऐसी है की हमारे पास सिर्फ 1 aircraft carrier है और नया खरीदने के लिए navy के chief ने भी मांग की है लेकिन फिर भी उसपे कोई करवाई नहीं हई.

ये किस प्रकार की देशभक्ति और राष्ट्रवाद है की आप एक तरफ हर साल कोई नया cess ले आ रहे है, इस वर्ष आम आदमी को टैक्स में भी कोई राहत नहीं, पेट्रोल और डीजल पर excise लगा कर आप अपने revenue बढ़ा रहे लेकिन सेना को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है. आप

berative federalism की बात करते है और दूसरी तरफ राज्यों को GST की बकाया राशि नहीं देते। मेरे राज्य महाराष्ट्र में 25000 करोड़' लंबित है जिससे कितने विकास कार्यों पर अवरोध उत्पन्न हो रहा. मेरा निवेदन है की इस राशि का भुगतान जितनी जल्दी हो सके किया जाए।

* Laid on the Table

मैं भाजपा के सदस्यों का भाषण सुन रहा था, वो निरंतर WHO और UN दवारा केंद्र सरकार की तारीफ की बात कर रहे थे और वही आर्थिक सर्वेक्षण में chief economic advisor ने सबके सामने कहा की Maharashtra has under-performed the most in restricting the spread of cases and in saving lives . हमारे नेता मान्यनीय उद्धव जी ठाकरे सरकार के कोरोना प्रबन्धन की प्रशंसा भी WHO ने की तो फिर सरकार राजनीतिक कारणों से आर्थिक सर्वेक्षण का इस्तेमाल क्यों कर रही? क्या WHO को भी अब रिहाणा की तरह Foreign Direct Intruder , जैसा प्रधामंत्री जी ने कहा, घोषित कर देंगे?

एक नया शब्द भी हमने सूना जो अरविन्द सावंत जी ने भी कल बोला की आंदोलन जीवी लोगों से सावधान रहे. महोदय, आंदोलन और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करना हमारा मौलिक अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है. आज देश के विभिन्न जगहों से आये किसान आंदोलन कर रहे है कितने किसानों की मौत भी हो गयी और अगर बजट के बात करूं तो इस साल कृषि बजट में भी कटौती की गयी है. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' welfare का बजट 1.34 लाख करोड़ से घटा के 1. 23 लाख करोड़ कर दिया गया. आप किसानों के हित की बात करते है और फिर इस प्रकार के कदम लिए जाते है. हम सबको पता है जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी तो हमारे healthcare workers के अलावा सिर्फ किसान ही थे जो अपने काम पे लगे थे जिसका परिणाम था की भुखमरी के स्थिति उत्पन्न नहीं हुई इतने बड़े महामारी में, सरकार ने PM KISAN योजना में दस हज़ार करोड़ की कटौती कर दी.

कोरोना के समय में हमारे लिए सबसे बड़ी सीख थी की हमारी स्वास्थ और HEALTHCARE services को कैसे improve किया जाए. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जी ने बताया की and Wellbeing is '2,23,846 crores in BE 2021-22 as against this year's BE of '94,452 crores an Increase of 137 percentage लेकिन इस सरकार का विरोधाभास ये है की ऐसे आंकडे बता के news channel तो खुश होंगे लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करे तो revised estimate 78866 करोड़ था और इस साल बजट को कम करके 71270 कर दिया गया है। यह किस तरह की well being है?

वित्त मंत्री जी ने घोषणा की , PM AtmaNirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about '64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care Health Systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions, to cater to detection and cure of new and emerging diseases.

मैं इस घोषणा और इस योजना के aim का स्वागत करता हूँ लेकिन मैं कुछ आंकड़े और तथ्य भी आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, पिछले वर्ष के बजट में viability gap funding के माध्यम से PPP mode से अस्पताल बनाने की बात की गयी थी. आज एक साल से ऊपर हो गया, क्या

एक भी अस्पताल बनाया गया है? जो medical college को district hospital से attach करने की बात की गयी थी उसका क्या हुआ?

यह सब सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन गए है और वास्तविकता कुछ नहीं है.

अब अगर हम बात करे railways की जो मेरे लोक सभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है तो उसके बजट में भी मामूली कटौती की गयी है और 1. 11 लाख करोड़ के revised estimates से कम करके 1. 10 करोड़ किया गया है. मेरे संसदीय क्षेत्र में कितने महत्वपूर्ण railway के projects अभी भी लंबित है अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो Mumbai Urban Transport Project की बात करूँ तो इस बजट में इसकी बढ़ोतरी 550 से 650 करोड़ हुई है जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ. मेरा निवेदन रहेगा की इसके अंतर्गत सभी परियोजनाओं का कार्यान्वन एक निर्धारित समय में हो जिससे traffic congestion कम हो.

महोदय आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है. India's unemployment rate (UER) for the month of November 2020 stood at 6.51% according to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) data. While the urban unemployment rate stood at 7.07%, rural UER was 6.26%. महोदय हम सबको पता है की सबसे ज़्यादा job creation सरकार करती है जिसम PSU का बहुत बड़ा योगदान है. सरकार ने इस वर्ष भी disinvestment की बात की और अब इस सूचा में LIC भी शामिल है. जिस तरह से सरकार इन ASSETS को बेच रही है और **PRIVATIZATION की तरफ हम बढ रहे है. हमने BSNL और MTNL के हालत देखी है और मेरा सरकार से निवेदन है कि** हमें अपने PSU को और बढ़ावा देना होगा।

(इति)

*DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairman, Sir, forty-seven hon. Members have spoken on the Union Budget. It is natural that some would praise it to the sky and others term it as the worst depending on which side of the aisle they are sitting. I would like to be pragmatic and highlight the situation on the ground arising out of this pandemic of Covid-19 as I have seen it as a doctor. Sir, a couple with a combined earning of Rs. 1,20,000 with three children, all of whom were studying in private schools, has shifted their children to government schools as they both have lost their jobs. This is not an isolated case. It is prevalent all over the country.

This is realised even more when we hear the cries of the MSMEs who have sought help from all quarters. It is an undeniable fact that unemployment has touched unseen heights. I wish that the Government does well for the sake of these people and addresses the pleas of the MSMEs.

It is appreciable that the Govt has increased spending on infrastructure like roadways, railways and health. That the government is patting itself on its shoulders is surprising as this has been an established norm for millennia. Most temples and water projects have been developed under kings during famine. Even developed nations have built their infrastructure during recession for the past few hundred years. The logic for this is cheaper employment and helping the people is a double benefit where unemployment is addressed and nation building is done.

Sir, while the infrastructure is welcome, in my constituency, in the guise of development, an illegal project for expansion of Adani-owned Kattupally Port is planned. This involves several thousand hectares of private and Government-owned land and a reclaimed land from sea will be donated for private growth at public expense. This project is illegal on three counts. One, it violates the CRZ rules as the erosion in this area is very high. Two, eco-sensitive area of Pulicart lake is less than 10 km and this project is in violation. Three, the wetlands are being converted to industrial land in violation of rules regarding the preservation of wetlands. This project will cause waterbodies and rivers to be dried up leading to water shortage in an area where we are already suffering huge water losses and it will also lead to flooding. We

* Laid on the Table

have thwarted the public hearing which was kept 20 km away to prevent participation of local people. I hope the Government will abandon this decision to save itself from condemnation of the people at present and in future.

In the same breath, it is sad to note that no mention is made for allocation to National Waterways which will help the nation with cheap transport for goods. NW-4 which will benefit my constituency has not been initiated.

I have spoken in this august house regarding MPLADS and I reiterate that it should be provided for as it is the people's money and will especially help the people in the post-Covid economic ravage which every constituency is experiencing.

The privatisation of all public assets is scary. Sir, this is the asset of future generations. It is akin to a family selling the family jewels. I request for aborting this plan. Sir, the hon. Prime Minister is talking of Atma Nirbhar, change it to 'Think in India'.

(ends)

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I rise to speak in support of the Budget and to congratulate the Finance Minister for the pathbreaking budget during the Pandemic year.

Sir, the economic experts sitting in the Opposition benches are arguing that the economy is in a freefall. However, to their ignorance, the numbers tell a different story.

The economy is on the path of revival and our Economic Survey 2021 predicted a `V' shape recovery-recession flowed by a strong recovery. The Survey projects the real economy to grow at 11 per cent in 2021-22. Two more reports, RBI's Financial Stability and National Statistical Office, first advance estimate a V-shape recovery.

The optimism of the Indian economy is also echoed in the reports of the International Monetary Fund and World Bank. The IMF in its latest World Economic Outlook Report highlighted that despite global pandemic, the Indian economy will reboot and grow at 11.5 per cent in 2021-22. We will once again become the fastest-growing major economy of the world.

I want to reiterate that the fundamentals of the Indian economy remain strong. Just look at the numbers – consumer price inflation declined from a peak of 9.3 per cent in 2013-14 to 5 per cent in 2020; the current account deficit has significantly declined from a peak of 5 per cent in 2012; India now runs a surplus in its current account at 2.4 per cent of GDP; foreign exchange reserves have reached an all-time high of $590 billion; and India has improved its ranking significantly in World Bank's Ease of Doing Business Index from above 150 in 2014 to 63 in 2020.

The Union Budget is presented at the time of the global Pandemic. Like many other countries, we have also been hit hard by the economic impact of the Pandemic. But despite the Pandemic, Madam Finance Minister has presented a very transparent Budget.

Let me highlight my area of work. The health and wellness are an important pillar of this Budget. Investment on health infrastructure has increased substantially. The total Budget outlay for healthcare is INR 2.23 lakh crore, which is an increase of 137 per cent. The new PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana

* Laid on the Table

with an outlay of INR 64,180 crore is truly pathbreaking. This is to build capacities in primary, secondary and tertiary care. An additional INR 5,000 crore has been allocated for COVID-19 vaccines.

The Finance Minister had maintained a delicate balance between fiscal discipline and boosting growth by increasing the capital expenditure to 5.5 lakh crore, an increase of 35 per cent. Increased capital expenditure will ensure crowing in of private investments. Commitment to augment countries national infra projects by enhancing capital expenditure to 7,4000 projects. A big thrust is given on monetising assets to achieve the targes of National Infrastructure Pipeline. Seven new National Textile Parks and reforms on customs duty on textile produce are being carried out. All these will help boost growth and generate employment.

We have come clean on our fiscal numbers by incorporating the off-budget deficit numbers into the budget itself for the sake of honest macro-economic stability. An unprecedented event in India's economic history.

Schemes for the welfare of people are National Education Mission has witnessed an increase of 21 per cent. National Health Mission budget increased by four per cent; the National Rural Drinking Water Mission has seen an exponential increase in the allocation in 2021-22 at Rs.50,100 crore. This is an increase of Rs.49,000 crore (346 per cent) from the revised estimate of 2020-21. Allocation to the PMGSY has increased by nine per cent over the RE of 2020-21 to Rs.15,000 crore. In 2019-20, allocation to the scheme has been cut by Rs.4,930 (26 per cent) from the budgeted stage to the revised stage.

I will conclude by quoting economist Mr. John Maynard Keynes. Keynes, in his seminal work, "The General Theory of Employment, Interest and Money" argued that animal spirits – emotions of confidence, pessimism, hope, etc. play a critical role in driving investors' confidence. My Government in the past six years have initiated key reforms like Labour Codes, Farm Reform Laws, GST, Insolvency and Bankruptcy Code, Real Estate Regulation Act, Reduction in Corporate Tax and Monetary Policy Committee to revive the animal spirits of the economy.

The success of Government in reviving the optimism is reflected in the investor confidence. The FDI is at the all-time high of $ 72 billion. Over the last few years, Government has initiated comprehensive measures of recognising NPAs and resolving the stressed assets through Bankruptcy Code, recapitalisaiton of public sector banks and reforming the banking sector via mergers of public sector banks. In this Budget, we have moved a step further on resolving the NPAs problem. The soon to be established Development Finance Institution and Asset Reconstruction Company will permanently resolve the stressed asset crisis of the banks.

I will end by saying that the worst is over, and the Budget is a step in the right direction to put us back on the path of high economic growth trajectory.

(इति)

*SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Thanks to hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitaraman ji, for introducing such a great Budget. This Budget lays the foundation stone for hon. Pradhanmantri ji's vision to make India a $5 trillion economy with the essence of 'Atmanirbhar Bharat' even after such a great pandemic situation.

India has emerged as a world leader in every manner just because of the leadership of our beloved Pradhanmantri, Shri Narendra Modi Ji. Concentration on increasing basic infrastructure to provide facilitation to inbound investment and also to the local investors as well. India is moving ahead with great pace after the low we have seen because of COVID situation. Developing status of India is increasingly creating interest in foreign investors to come and setup their companies here, and we have seen the huge 'V-shape' recovery in economy.

IMF has projected that India will recover with the highest growth in the world. Make-in-India and ease of doing business are the major opportunity for India, which help in increasing investment. We have great potential, but we only need positive approach and a vision of the Government, which can take it further and achieve such goals.

Under the aegis of hon. Prime Minister our country is moving forward in this because of our positive thoughts and vision for development.

माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने अभिभाषण में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर कार्य करते हए, और माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अन्योदय के विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमत्री जी के नेतृत्व में देश में दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए कोरोना संकट मे पार पाने का कार्य किया है। जिसकी तारीफ आज पूरे विश्व में हो रही है। कोरोना संकट के समय भारत सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बढावा दिए जाने हेतु 27 लाख करोडो आन्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की जिसकी वजह से आज से फिर से अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देख रहा है। प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को इस मंकट के समय संबल देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दश के 80 करोड नागरिको को अनाज उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जिस पर 2.76 लाख की राशि खर्च की गई।

माननीय मंत्री महोदया, देश के कोरोना वारियर्स दारा किये गए त्याग और समर्पण का धन्यवाद देते हुए कहा कि देश सेवा में इनके द्वारा जो त्याग की भावना दिखाई गई है, उसके लिए देश उनका आभारी है। देश में इस मंकट के समय कोरोना वारियर्स के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय रहा है। भारत सरकार द्वारा देश के कोरोना वारियर्स के इस त्याग को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इन्हें ही

* Laid on the Table

कोरोना वैक्सीन देने का कार्य किया है। माननीय मंत्री जी, द्वारा इस वर्ष में बजट की घोषणा का ध्येय मुख्य रूप से स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ ह्यूमन कैपिटल और इनोवेशन पर कार्य करना है। भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ की आपने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का सर्वाधिक बजट जारी करते हुए देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने हेतु प्रावधान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार इस बार देश के स्वास्थ्य बजट में 300% की वृद्धि की गई है, जो कि अपने आप में एतिहासिक है। देश के नागरिकों को स्वच्छ जल की आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हर घर नल योजना पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य हेतु 2.87 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। इससे पूर्व भी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य हेतु 5500 करोड रूपये की राशि जारी की गई है। मेरा लोकसभा क्षेत्र चुरु थार का प्रवेश द्वार माना जाता है। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा ठण्ड और सबसे ज्यादा गर्मी हमारे ही क्षेत्र में होती हैं। मेरा लोकसभा क्षेत्र हमेशा से ही पानी की कमी की वजह से जूझता रहा है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में भी केंद्रीय अंशदान के माध्यम से चुरू लोकसभा क्षेत्र में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुचाने हेतु 2 योजनाओं पर कार्य किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत भी मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक और वातावरण की स्थिति को देखते हुए प्रथम वरीयता देते हुए जल्द से जल्द इस योजना का क्रियान्वन किया जाए। साथ ही अटल भूजल मिशन के तहत भी भारत सरकार द्वारा चुरू जिले का चयन किया गया है। भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना में भी चुरू जिले को प्रथम वरीयता दी जाए। सरकार का प्रयास है कि आमजन के जीवन को और सुलभ करने के लिए रेलवे और राजमार्गों में अधिक से अधिक निवेश कर आधारभूत संरचना के विकास पर अधिकाधिक कार्य किया जाए। इसी क्रम में पिछले छः वर्षों में मेरे लोक सभा क्षेत्र में अनेकों कार्य भी हुए हैं। रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। यह आमजन की सवारी का सबसे सरल और सुगम माध्यम है। भारत सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्र जो अभी भी रेल सेवा से वंचित है उन्हें भी जोड़ा जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में आमजन द्वार पिछले समय से सीकर, यनोख, सादुलपुर, तारानगर, सरदारशहर, लालगढ़, सरदारशहर, हनुमानगढ़ आदि मार्गो पर रेल सेवा प्रारम्भ किए जाने की मांग रही है। रेल मंत्रालय द्वारा इन मार्गों पर सर्वे भी कराए गए हैं, लेकिन हर बार नेगेटिव सर्वे रिपोर्ट बताकर इन मार्गों पर रेल सेवा का कार्य नहीं शुरू हो सका है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे वचित स्थानों के लिए रेलवे की प्रक्रिया में बदलाव कर इन स्थानों को रेल सेवा में जोडा जाए। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के तहत भी बजट का आवंटन किया जाए और catagory B C श्रेणी के स्टेशनों पर भी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सुजानगढ़ स्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, देश भर मे यात्री सालासर बालाजी के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं। मालासर धार्मिक आस्था का एक बहुत ही मुख्य केंद्र हैं और हर वर्ष लाखों की तादाद में यात्री यहाँ पहुँचते हैं। सुजानगढ़ स्टेशन काफी पुराना है व स्टेशन काफी नीचा भी हो गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सालासर बालाजी जैसे महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए सुजानगढ़ स्टेशन

का पूर्ण निर्माण फिर से करते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। इसके माथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र पडिहारा, छापर और नोहर स्टेशन भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, लेकिन इनकी ऊचाई अभी भी मीटरगेज के अनुसार ही छोटी है, अत नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत इन स्टेशन को लेते हुए इनकी ऊचाई उठाने का कार्य किया जाए। पिछले काफी समय से मेर लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा माग की जा रही है की category B व C श्रेणी के स्टेशन पर भी रेल कोच डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है की मेरे लोकसभा क्षेत्र के चुरू, सादुलपुर, रतनगढ़, सुजानगढ़, नोहर व भादरा में रेल कोच डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाए। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा मानव सहित रेल फाटकों को हटाकर वहां पर RUB का निर्माण करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में आमजन द्वारा काफी RUB बनाये जाने हेतु मांग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में RUB का निर्माण करवाया जाए। रेवाडी, सादुलपुर खंड पर km no. 199/5-6 (गुगलवा, बेवड, भेन्सली), 204/6-7 (भोजाण-सरदारपुरा), 229/ 4-5 (लम्बोर-गगोर), एनएच 52 जयपुरिया पट्टा, 257/4-5 (सिरसला हाल्ट स्टेशन), 302/1-2 (मोलीसर छोटा, सुरतपुरा, सेहला), 340/ 7-8 (राजलदेसर-रतनगढ़) सादुलपुर हनुमानगढ़ खंड पर 68/7-8 (नरहडीया मोहल्ला, सादुलपुर), 166/4-5 (पहाडसर-ढढाल), 154/4-5 (ढीरगारला), 115/1-2 (भादरा स्टेशन) हिसार सादुलपुर खंड पर 58/7-8 (NH 52-लुटाना पूर्ण) आदि स्थानों पर RUB निर्माण करवाया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और इसी प्रकार आगे आने वाले समय में भी कार्य पूरा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु 1.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि आज तक का सबसे अधिक योगदान भारत सरकार द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक भारतमाला सड़क परियोजना का कार्य भी अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा जिससे देश को मालवाहन के लिए एक डेटिकटेट मार्ग मिलेगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय राजमागों का कार्य पूर्ण हो चुका है और 3 राजमागों का कार्य प्रक्रियाधीन है। इन तीना मे मे सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है सिरसा से चुरू वाया नोहर साहवा, तारानगर है, जिनकी घोषणा पर माननीय प्रधान मंत्री जब मेरे गृह जिले चुरू आये थे, तब की थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और पंजाब से सीधे अहमदाबाद और मुम्बई को जोड़ने का सीधा मार्ग होगा। राजस्थान राज्य सरकार के पास भी इस मार्ग हेतु भूमि हस्तातरण किया जाना प्रस्तावित है, जो कार्य अभी तक नहीं हो सका है। मेरा इस मामले में सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क मार्ग हेतु जल्द से जल्द राशि जारी कर इसका कार्य शुरु करवाया जाये ताकि क्षेत्र के आमजन को इसमें फायदा मिले। इसके साथ-साथ अन्य दो राजमार्ग नाथूसरी से रिंग्स वाया भादरा, सिधमुख, सादुलपुर, झुंझुनु, उदयपुरवाटी व लोहानी से श्री डूंगरगढ़ का कार्य भी जल्द से जल्द करवाया जाए।

भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए 2022 तक सभी किसानों

की आय दोगुनी करने का वादा किया था। उत्पादों की MSP में वृद्धि कर सरकार ने इसकी शुरुआत की है। साथ ही किसान सम्मान निधि में भी देश के सभी किसानो को शामिल कर व राशि को 10000 रुपये प्रतिवर्ष कर इस ओर प्रभावी कदम उठाये है। पिछले काफी समय से देश में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है की आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जल्द से जल्द प्रभावी नीति बनाई जाए और देश के किसानों को इस से छुटकारा दिलवाया जाए। देश को किसानों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जहां नहर के माध्यम से पानी जा रहा है वहां डिग्गी निर्माण के कार्य करवाए जाए ताकि किसान पानी संचित कर बाद में काम में ले सके। किसानों को विद्युत कनेक्शन और सौलर कनेक्शन भी जल्द से जल्द सुनिश्चितता की जाए।

मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके नेतृत्व और विजन से देश आने वाले समय में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की क्षमता और दृढ़ निश्चिय ही है, जिसकी वजह से आज भारत इस आँकड़े को छूने का विचार कर रहा है।

यह बजट देश को नए प्रगति पथ पर ले जाने वाला है। मैं मुख्य रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इन मांगो को शामिल कर बजट आवंटन किया जाए।

(इति)

***डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बजट 2021-22 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत किया गया बजट कोविड-19 के उपरांत लॉकडाउन आदि के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए एक नवीन भारत-आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इस बजट से ही भारत नए दशक में विश्व पटल पर आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित हो पायेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, व्यापारी/कारोबारी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

उक्त बजट पूर्णतः सबका साथ - सबका विकास की सोच को पूर्ण करता प्रतीत होता है। इस बजट पर कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कोरोना के समय केन्द्र सरकार द्वारा किया गया लॉक डाउन का निर्णय एक सही निर्णय था जिसकी वजह से देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन प्रशासनिक निर्णयों की बदौलत ही भारत आज विश्व को कोविड-19 की वैक्सीन निर्यात करने की स्थिति में आया है।

कृषि सुधार एवं किसान कल्याण को प्राथमिकताः

मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रथम दिन से ही संकल्पित है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस क्रम में एक बेहतरीन कदम है। इससे छोटे किसान जिनके पास बहुत कम भूमि है, को वर्ष भर में 6000/- रूपये की सीधे आर्थिक मदद मिलने से अपने कृषि संबंधी कार्यों में सहयोग प्राप्त होता है। मोदी जी के दृष्टिकोण को देखते हुए ही इस मंत्रालय का नाम कृषि मंत्रालय से कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय रखा गया है। कुछ लोग अपने राजनैतिक लाभ के लिए किसानों में नवीन कृषि कानूनों के प्रति भय अथवा डर का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्हें डराया जा रहा है कि नवीन कृषि कानूनों से किसानों की जमीन छिन जायेगी जो कि सरासर गलत है।

जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी एवं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी व केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रियों द्वारा संसद में अपने वक्तव्यों में बार बार स्पष्ट किया गया है कि इन नवीन कृषि कानूनों का उद्देश्य किसान के लिए बाजार को खोलना है, ना कि मण्डियों को बन्द करना। मण्डियों को सुदृढ करने के क्रम में 1000 मण्डियों को ऑनलाईन किया जा चुका है। इसी प्रकार इस बजट में 1000 मण्डियों को ई-बाजार के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है।

गत् बजट में किसानों को अपनी फसल अन्यत्र ले जाकर बेचने के लिए आरंभ की गयी किसान रेल सेवा भी एक अच्छी पहल है। जो कि समय के साथ और अधिक लाभकारी साबित होगी।

---

* Laid on the Table

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढाते हुए एम.एस.पी. को लागत का डेढ गुना करना एक बेहतरीन प्रयास है।

इसी क्रम में माईक्रो इरिगेशन के बजट में दोगुने की बढोतरी कर इसे 10 हजार करोड रखा जाना एक बेहतरीन कदम है। इससे किसानों को बूंद - बूंद सिंचाई जैसी नवीन तकनीकों तक पहुँचने में सुविधा होगी।

<u>मजबूत स्वास्थ्य संरचना:-</u>

इस बजट में केन्द्र सरकार ने पिछले बजट की तुलना में 137 फीसदी की बढोतरी करते हुए 94 हजार करोड से बढाकर 2.38 लाख करोड का प्रावधान किया है, जो कि ऐतिहासिक है।

राशि 64,810 करोड रूपये से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आरंभ करना बजट में प्रस्तावित किया गया है, जो कि आमजन के स्वास्थ्य से जुडी एक अहम घोषणा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस महामारी के चलते हमने अपनों को खोया है। लोक सभा एवं राज्य सभा के हमारे साथी हमसे बिछुड गये। कोरोना (कोविड-19) के लिए वैक्सीन हेतु 35 हजार करोड रूपये खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जो वर्तमान समय की स्वास्थ्य संबंधी सबसे महती घोषणा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले 112 आकांक्षी जिलों में सम्मिलित हैं। इस बजट में मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की गयी है। जिसके तहत इन सभी आकांक्षी जिलों में पोषण के बेहतरीन परिणाम हेतु रणनीति बनाई जाएगी।

<u>विकसित आधारभूत अवसंरचना:</u>

केन्द्र सरकार ने देश में मजबूत आधारभूत अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु इस बजट में 1 लाख 18 हजार करोड रूपये का प्रावधान सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए किया गया है। इससे सडक ढांचे के विस्तार की गति और तेज होगी तथा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बजट में सार्वजनिक परिवहन को और जनसुलभ बनाने, विभिन्न शहरों में मेट्रो के विस्तार कार्य को आगे बढाने, 20 हजार नयी बसें शुरू करने का प्रावधान किया, जो कि सभी मैट्रो शहरों हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय है। देश की रेलवे प्रणाली को आधुनिक रूप से विकसित करने के दृष्टिकोण के साथ इस बजट में 1.10 लाख करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

भारतीय रेल वर्ष 2023 तक शत प्रतिशत ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तेजी से कार्य कर रही है।

देश को आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अवसंरचना सेक्टर का सिरमौर बनाने हेतु अगले 05 वर्षों में 1.97 लाख करोड रूपये व्यय करने का लक्ष्य एक अति महत्वपूर्ण निर्णय है।

इसी प्रकार प्रत्येक घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत अगले 05 वर्ष में 2.87 लाख करोड रूपये व्यय करने और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत अगले 05 वर्ष में 1,41,678 करोड रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित

है। इन निर्णयों से भारत का आधारभूत ढाँचा विकसित होगा और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहायक होगा।

<u>गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण:</u>

देश की महिलाओं को चूल्हे के धुंए से मुक्ति दिलाने हेतु आरंभ की गयी उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक 08 करोड महिलाएं लाभान्वित हुयी हैं। इस बजट में इस लाभ को देखते हुए इस योजना से 01 करोड नवीन लाभार्थी महिलाओं को जोडने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय में भारत में अपने घर से दूर अन्य राज्यों में फसे मजदूरों को राशन सामग्री हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को देखते हुए भविष्य के दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार द्वारा 'एक देश एक राशन कार्ड' का निर्णय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय है। इस योजना को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिससे कहीं का भी निवासी व्यक्ति किसी भी राज्य में उसे मिलने वाले राशन को प्राप्त कर सकेगा। अतः मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के इस बजट हेतु आभार प्रकट करता हूँ।

(इति)

1005 hours

HON. SPEAKER: Hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir.

As I begin, I thank all the 77 hon. Members who have really taken a keen interest on the Budget and its contents and have spoken very much in detail. At a time, post-pandemic, after the contraction of the economy, the Government, consulting a lot of experts, has come up with a Budget which has a blend of stimulus related efforts; also, the hon. Prime Minister, even during the pandemic, has not lost the opportunity to continue with reforms. So, in that way, this Budget, coming as it does post-pandemic, has actually set the pace for India to become Atmanirbhar. The pandemic is, probably, reviving in some countries as the second wave is coming. After the pandemic, we had a very positive approach spearheaded, from the front, by the Prime Minister himself. So, we have had a kind of retraction in the pandemic and it can be seen from the fact that the death rate is the lowest in the world, active cases have come down, and, in a way, I can state, with a bit of a hesitation because the pandemic is unpredictable, that we have actually managed to bend the curve. As a result, the revival of the economy looks a lot more sustainable and this Budget, therefore, gives the necessary impetus.

Now, very many Members have spoken on the contents of the Budget and, therefore, the debate was a lot more meaningful. I will certainly give answers to some of the points raised by the Members and also reflect on some other thoughts which have come from various Members.

But before I get into the specific issues raised and before I reply to the specific issues, what I want to highlight is, as I said at the beginning, we have focussed on stimulus plus reforms. An opportunity has been taken out of the challenging situation of the pandemic to continue with reforms. This did not deter the Government from taking up reforms which are going to be necessary for sustaining a long-term growth for this country. As a result, very many steps were taken and announced even during the Atmanirbhar package. In this Budget, we have kept the pace up and announced measures which are for reforms; they are not just one-off, not just every now and then, but they are reforms riveted in a policy. Therefore, this is going to give us a neat background; a lay out was

spread before the Parliament for people to know that these are not subjective, kneejerk reforms. Every now and then the Opposition has questioned them. But these reforms are going to lay a path for India to be one of the top economies of the world in the coming decade and further.

(1010/KKD/VB)

So, that is the kind of an approach, which is a courageous approach of a Government which believes that the people of India have mandated it to do such an exercise.

I was very encouraged to see several of our MPs – many of them very young, probably the first time entrants -- speaking with such fervour about the kind of reforms, which the Prime Minister is spearheading; and that gives hope for this economy and for democracy because India's 2/3rd population is the youth of this country, who hold the hope for this future. The hope is that we have to service, attend and facilitate, and this Budget is drafted the way in which it is drafted.

Therefore, the policy, particularly the disinvestment in the PSE policy, does not allow for any kind of elementary or rudimentary approach to it. After all, since 1991, the opening up the economy and the justifiable claims that many of us – irrespective of the Government – have made that poverty reduction in real terms is happening since the time public enterprises and also private enterprises have all given an opportunity for India to revive its economy from the notorious licence quota raj. That is why, I reiterate this fact that this Budget draws on the experience of the hon. Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat seeing so many revivals happening at a time when the licence quota raj was going away post 1991. Then, based on that experience and commitment to reform, which is sustaining commitment to reform, which is blended into this Budget, therefore, it is based on the policy.

Hon. Speaker, Sir, I draw your attention to the fact that in the economic history of India, it is important to trace this route. Since 1948 when with great adoration we adopted socialist policies, with great adoration we nationalised institutions, and with great adoration we had a kind of blend of India, hybrid socialism plus certain kind of licence quota raj, all of which started denigrating Indian businesses, all of which made business absolutely difficult to perform, and it constricted our enterprises, particularly the small and medium ones. Too

many questions, too many licences and too many regulations ended stifling these businesses. Therefore, you may look at the trajectory of India's economic history post-Independence from 1948. I am not going to elaborate as to why I have picked up these years. You know it. Hon. Members know it. It was started in 1948, 1955, 1969; and it peaked in 1975. All of these were strongly socialist, not truly the kind of socialism which the western nations or even Russia spoke about, but the hybrid kind of a socialism, ending the Indian entrepreneurs' capacity to take this economy along; and it is that, which the same party, between 1948 and 1975, which happily took upon itself the 1991 reforms. I concede, it was under duress. There was a shift from the socialism to complete opening up of the economy. Till today, they take the credit; I have no problem. Till today, they would like to harp on: "Oh, in 1991, it is we, who opened up the economy; it is we, who have given you a free market approach, and it is we, who are the reformist.'

The very same party, from 1948, which constricted the Indian economy, in 1991 says: "We have opened up and given reforms.' They repeatedly ask us, ask the Prime Minister: "Where is your reform credential? What have you done in reforms?' The same party, then says: "You have not got that commitment; you do not know what economics is; you do not know how to manage economy, and therefore, you are not the people to do reforms. It is us, we can do it."

(1015/RP/PC)

There is no apology from them. They say: "We started from socialism to communalism to complete licence quota raj and then, of course, opening up of the Indian economy and, therefore, we are everything. We are socialists at one point in time and we are communists at another point in time; the license quota and crony capitalism at another time; and finally, even opening up of the Indian economy, it is us." No, Sir, I would like to put it, now, before this House that since *Jan Sangh* days, BJP has consistently believed in India, respecting Indian entrepreneurial skills, Indian managerial skills, Indian trade skills, Indian business skills and Indian youth. We did not borrow something from somewhere and give a hybrid. …(*Interruptions*) At one point in time, because they were close to Russia, they did one thing, which is, a very-command controlled regime, the centralised planning regime and, then, they suddenly think: "Oh my God! Even China is moving in that route of supporting capitalism, therefore, we will also

have to do it'. No, Sir. Our belief in India, our belief in Indian businesses and our belief in Indian economic strength has been consistent from *Jan Sangh* to BJP to, now, BJP, also going in a steady line of believe in Indian enterprises, given them the maximum freedom and given them the respect that they so deserve.…(*Interruptions* Oh, sorry, I thought, the Finance Ministers talk on economy and economics.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप उनको जवाब मत दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठकर मत बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The Finance Ministers talk on economy,Sir, the policies which govern economy also is, in fact, primary matters for the Finance Ministers.…(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): She is talking about *Jan Sangh*, Sir. …(*Interruptions*) Is this relevant? …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is absolutely relevant because it is a precursor to BJP and ideologically consistent with us. …(*Interruptions*) Did you have any doubt?…(*Interruptions*)Thank you. …(*Interruptions*)

Sir, therefore, respecting wealth creators, respecting tax payers and respecting honest citizens is something which we consistently follow and that is why, in responding to the President's Address, the hon. Prime Minister spoke about small farmers, respecting wealth-creators and unless wealth-creators create wealth, there is nothing which is going to be with the Government to distribute to the poor and migrant labourers. Unless the wealth-creators give the taxes and generate that kind of a lubrication in the economy, you are not going to have any money to distribute, Sir. Therefore, let us understand, consistently talking and also facilitating economy is a primary responsibility of any responsible Government. That is what we are doing now.

Sir, specific questions which were raised by several Members on health for instance or on defence, I will very quickly respond without taking specific hon. Member's name but once I cover the topic, I am sure, it addresses many of the Members. On agriculture for instance, there was this question, 'why did you reduce the budget by about Rs. 10,000 crore? Are you not going to take care of *kisan*?' Sir, that is absolutely misread. The data given in the Budget on that

account has been misread and I will tell you, why. It is because benefits worth Rs. 1.15 lakh crore have been transferred to the bank accounts of 10.75 crore farmers since the inception of this particular scheme of *Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana*. In 2019-20 and also in the BE of 2020-21, both, I am comparing BE to BE, 2019-20 BE to 2020-21 BE, the allocation of Rs. 75,000 crore was made under this Scheme. Of course, in the RE of 2020-21, the allocation has been rationalised.

(1020/NKL/IND)

When I say "rationalised", you may understand it as "reduction". I will tell you why you may understand it as "reduction". …(*Interruptions*) There is nothing to heckle, Sir. …(*Interruptions*) I will tell you why you may understand it as "reduction". It became Rs. 65,000 crore, and one of the main reasons for that is this. The allocation to PM Kisan Scheme has been this much because our estimate was that about 69 lakh estimated farmers from West Bengal have not received as per our allocation because the list had not come to us. When we included those 69 lakh farmers into the account and made the provision of Rs. 75000 crore, it could not be utilised. Therefore, in RE, it came down to Rs. 65,000 crore. …(*Interruptions*) These were the 69 lakh farmers, for whom we made the provision in the BE, for whom the money was waiting but because the list of those farmers did not come to us, we were not able to pay them, and to that extent, the amount had to be said that we have not utilised it. That is not cutting down on the allocation. It is clearly saying that the State for which we made the provision did not use it. Therefore, Sir, there is a reduction, and we are not hiding why the reduction is. But it is important to highlight that a State shows that its farmers should not be given the money which the hon. Prime Minister is giving for the whole country. So, shedding crocodile tears for farmers does not help. The money is lying there. …(*Interruptions*)

Next, Sir, there were questions about health that have we actually reduced the allocation to health. Also, it was said that we are bringing in water and sanitation; we are bringing in nutrition, and therefore, really, we have not paid attention to health. That is not true. Bringing in water and sanitation is not just a figment of our imagination but even the WHO has said that water and sanitation contribute to health. If there is no management of sanitation efforts – bringing in toilets and other things are also in that scheme of things, and if you do not have

good drinking water, Nal se Jal is for that purpose – you are going to have health related problems. That is why, even in the Budget Speech, I very clearly said that we are taking a holistic approach to health. It is addressing preventive health; it is addressing curative health; and it is also addressing well-being. Otherwise, you are not going to get a holistic health-related governance. …(*Interruptions*)

The WHO mentions, and I quote:

> "Safe drinking-water, sanitation and hygiene are crucial to human health and well-being. Safe and sufficient WASH plays a key-role in preventing numerous neglected tropical diseases. Diarrhoeal deaths as a result of inadequate WASH were reduced by half during the Millennium Development Goal Period (1990-2015) with the significant progress on water and sanitation provision playing a key role."

A globally recognised approach to good health is to take care of water and sanitation. Therefore, we have not done experimenting with something; it is a comprehensive logical approach that we have taken. Having said this, I will firmly establish that in spite of bringing in water and sanitation, and *poshan,* the allocations to the core health has not come down. On the contrary, it has gone up. I will tell you how it has gone up. Health and Family Welfare in the BE of 2020-21, the year that we are nearing finish, had Rs. 65,012 crore. In this coming year, for which the Budget has been presented, that is, 2021-22, Rs. 71,269 crore has been allocated, and it marks 9.67 per cent growth. There is no reduction there.

The Ministry of AYUSH, in the year 2020-21, the year that we are finishing now, had a provision of Rs. 2,122 crore which has gone up to Rs. 2,970 crore, which is a 40 per cent increase.

(1025/MMN/KDS)

Dr. Harsh Vardhan is here next to me. Health research has been provided Rs.2,100 crore in this year which is coming to a close whereas it is now provisioned in the BE, for the coming year, Rs.2,663 crore which marks 26.8 per cent growth. So, on three core headings, which are normally referred to as health, we have only increased it. Therefore, there is no shortage in the

allocation. On the contrary, there is an increase in allocation. …(*Interruptions*) I will speak about it.

Then, there is a question that there is no mention about the allocation to the Defence. Why are we hiding the details about Defence? No, not at all. When it comes to Defence as a word, no mention is absolutely right. …(*Interruptions*) Professor, you are a Professor. I would expect you to go into the details. …(*Interruptions*) I think the hon. Member, Mahua Moitra has a lot to say. Even during the debate, she has said it. She is welcome to say it, Sir, with your permission. But I think it will be good if she can hear me out first.

Coming to the Defence expenditure, as a matter of interest, I would like to take up the amount allocated during, let us say, 2013-14. It was Rs.1,16,931 crore in 2013-14, the last year of UPA. The Defence expenditure being so huge, unless we pare it down into three compartments, you are not going to get a true picture. It is not a convenient compartment but it is a recognised compartment. All the three of them are so. One is under revenue, the other is capital and the third goes to pensions. *Mananiya* Rajnath Ji is here. I will read out the figures to say what is the allocation now taking care of all the three requirements, and compare it with 2013-14. Under revenue, the allocation was Rs.1,16,931 crore in 2013-14, under capital, it was Rs.86,741 crore under the UPA period of 2013-14 and under pensions, it was Rs.44,500 crore. What is it now in the year that is ending? It is Rs.2,09,319 crore under revenue. Under capital, the allocation is Rs.1,13,734 crore as opposed to Rs.86,000 in 2013-14. What is it for the pensions? It is Rs.1,33, 825 crore as opposed to Rs.44,500 crore.

One thing I readily point out much before enthusiastic hon. Members from the Opposition would get up and say, 'Oh, oh, from last year to this year, it has come down.' Yes, it has come down on the account of pensions because last year, the year that is ending -- we had given the figure -- the growth was about 19.4 per cent and the amount till now is Rs.1,33,825 crore whereas now it is Rs.1,15,850 crore. So, there is a reduction of 13.4 per cent in pensions and just under that head, there is a reduction. Why has it happened so?

A couple of years ago, after the introduction of OROP, there were a lot of pending questions, issues and queries which were raised. All of which were accumulating as arrears. At one time we cleared it last year, which, therefore, accounted for a higher allocation. This year, now that we have resolved,

rationalised and stabilised, naturally that one-time payment, which was made, will not be repeated and that is clearly laid out and we are not even hiding it. We have no pretention to say, oh, no, it has come down. We are not waffling on that. This is the fact. …(*Interruptions*) I am sorry. I mentioned that. …(*Interruptions*) Yes, I will tell you from last year to this year. Last year, it was Rs.1,13,734 crore under capital head and this year it is Rs.1,35,061 crore marking 18.8 per cent increase between last year and this year on capital head. …(*Interruptions*)
(1030/VR/KDS)

Sir, on the questions of employment related matters, that is, MGNREGA, which is normally quoted saying that we have not been sincere about, I will certainly take this opportunity to read out some numbers, if you please allow me that kind of a time.

It isoften said, “Oh, you opposed MGNREGA; we were the ones who brought it in and we have great claims to MGNREGA”. Yes, you may have given birth to it. No questions, Madam. You have given birth to MGNREGA, you can take the credit for it. But equally take the credit for having mismanaged MGNREGA, take the credit for C&AG paragraphs on MGNREGA, take the credit for having given MGNREGA to ghost workers, take the credit for MGNREGA going to non-existing workers*.....(Interruptions)*. Take the credit for that also. *....(Interruptions)* So, Congress Party, I am sorry to take the name of a party on a debate during Budget, gives birth to all these very good schemes. No doubt, they are very good schemes. But it lacks the will to use them properly and lacks the will to use them openly and transparently. The moment it was given birth, it misused them to favour cronies. *....(Interruptions)* “हम दो, हमारे दो” इसके लिए काम आता है। *....(Interruptions)*

Sir, I am reading the figures with regard to MGNREGA. *....(Interruptions)* Hon. Member, Kodikunnil Suresh *ji*, I am reading the figures. *....(Interruptions)* Please hear the numbers. *....(Interruptions)*

Then, do not ask us the questions on MGNREGA, ask the State Governments. You asked us the questions, I am giving you the reply. *....(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Do not mention the name of Congress. *....(Interruptions)*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Of course, I will mention Congress because you take the credit for it. *....(Interruptions)* Anyway, I do not want to lose my time to give a proper answer. *....(Interruptions)*

Sir, there are two tendencies. Again, I will take the name of the Congress Party. One, they give birth to such schemes and then, used it for their cronies. Each time you can see the hypocrisy in the way the figures come out. I would explain the tendency through MGNREGA. What is the tendency? We will have a scheme. We will announce huge BEs for it, that is, allocate big amounts through budgeted estimates, but actually, would not utilize it. Each year would end up with the actuals being far lesser than the original allotted amount. That means, either they do not care for it or they give it to their cronies and forget the actual workers. यही होता है। बीई से आरई का डाटा मैं दे देती हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि 'मनरेगा' के ऊपर आपके प्यार का ऐक्चुली क्या नतीजा निकलता है। *....(Interruptions)* That *pyar* (love) does not translate into activity. *....(Interruptions)*

In 2009-10, BE was Rs.39,100 crore. Actual utilization was Rs.33,000 crore only. God knows why they put in Rs.6000 crore! Then, Rs.40,100 crore came to being Rs.35,000 crore. In 2011-12, BE was Rs.40,000 crore and only Rs.29,000 crore were used. The rest remained unutilized. *....(Interruptions)*

Sir, next year, out of Rs.33,000 crore, utilization was only Rs.30,000 crore. In 2013-14, out of Rs.33,000 crore, funds utilized were only Rs.32,000 crore. In 2014-15, the last year before us coming, out of Rs.34,000 crore, only Rs.32,000 crore were used.

But, later on, from 2015-16 – pleases see the utilization level – when BE was Rs.34,699 crore, Rs.37,000 crore were utilized. In 2016-17, allocated BE was Rs.38,500 crore, Rs.48,214 crore were utilized. *....(Interruptions)* In 2017-18, BE was Rs.48,000 crore and the utilization was Rs.55,000 crore. In 2018-19, allocated BE was Rs.55,000 crore and funds utilized were Rs.61,815 crore. *....(Interruptions)*

(1035/SAN/CS)

…(*Interruptions*) In 2019-20, Rs. 60,000 crore were allocated while Rs. 71,686 crore were utilised which means that for a demand-based programme, we also keep giving.

Sir, 2008-09 was a distress because of global financial crisis. Even then, your utilisation was less which means you will talk about crisis when it comes to

others, but not for yourselves. In 2020-21, the year of the pandemic, Rs. 61,500 crore were allocated because Budget was presented in February, much before the Corona crisis. Although we had given only Rs. 61,500 crore in the Budget, as the year went - Corona crisis, pandemic, lockdown and then, after the lockdown, migrant workers going back to their villages – we have increased that to Rs. 1,11,500 crore because that support had to be given in the villages. At the end of the year, it may well be that it will be utilised only to the extent of Rs. 90,000 crore, but it is still far higher than ever utilised under the MGNREGA. Therefore, for the forthcoming year, we have given Rs. 73,000 crore and are fully willing that through the Supplementary Demands for Grants, which happen at least two times if not three times, we are going to give more and more, if necessary, so that the migrant workers, who have not returned to their jobs in the cities or anywhere else and who choose to remain there, can still be continued giving support. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there were lot of questions saying we have not given adequate support to the MSMEs, which is a bit of a surprise for me. I think, even during the lockdown, the announcements which were made were made clearly saying that we are addressing the distress which the MSMEs will face in two different ways. One, by suspending some of the clauses of the IBC, we made sure that no one from the MSMEs will be pulled to the courts or for resolution or for failure to pay their due debts and so on. Therefore, that was one way. That ensured that nobody was going to be drawn to the court or nobody was going to be declared insolvent. Similarly, we also kept extending dates of due payments or any kind of compliance that they have to do. So, we extended the deadline till 31st March of this year on many scores so that they are not burdened with having to pay taxes, having to file their returns or having even two plain compliance papers to be filed. So, we have given them relief on the compliance side of things.

Equally, we have given relief from the point of view of giving some money so that they can have additional working capital, extended term loans and so on without being asked for any new additional security. This, if I only say for a minute, approach that we took will tell you how clearly the intent was to help everybody. Banks were instructed to send SMSes, to call on the phone, to send

e-mails, to go to the house or the office of the MSME, if they are available post-lockdown was lifted, but before that through an SMS, saying that we are willing to give you loan; please come and take it without additional security. The instruction given to the banks was that they will not deny it unless the person himself or the company itself says that 'I do not want it.'. So, it was given to everybody. The choice to say 'no' was with the borrower and not with the bank. So, not one company or not one MSME - even if it is a one single-person MSME, a nano-unit - was ignored.

(1040/SNT/KN)

Also, let me underline the fact that when we kept saying MSME, MSME, we did not exclude others who did not strictly come under the category of MSME. Anyone who had an account in the bank could go and say give me loan under this Emergency Credit Guarantee Liquidity Support Scheme, and they were included.

There were questions raised and it was said: oh no but tourism sector; oh no but some other sector; we are not called MSME, but will you not give us? We kept issuing a lot of clarifications calling and saying no, we may have used the word MSME but this is available for anyone who has got a bank account. A lot of companies did not have that money because during the lockdown they could not operate but when they opened, they had to buy raw materials, they had to pay workers, they had to pay electricity bills. For all that, working capital was increased. It was given without a question.

Here, I would like to mention because hon. Members also observed about the functioning of public sector banks. I will say that having amalgamated a lot of these banks, in spite of the amalgamation related work still going on, banks very clearly exposed their staff, and I am grateful, even during the lockdown, to Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. They went and gave all the cash credit which were made during the initial months through the Bank MITRAS.

Similarly, in the Emergency Credit Guarantee, they extended it to all the companies which wanted the help. So, Emergency Credit Guarantee was one of the things which was extended to MSME. Also, we had a Subordinate Debt Scheme through which companies which were already in distress – not just viable companies getting Emergency Credit Guarantee – were given under the Subordinate Debt Scheme a kind of assistance wherein the individual promoter

could borrow. He put it into the company as his equity and thereby lift the company's stature, get more assistance from the bank, and run the business.

So, when we extended these schemes, they were not some schemes being produced mindlessly. A lot of mind application happened. At the level of the Prime Minister, a lot of inputs were coming. Leaders of businesses were meeting him. Even during the lockdown through our webinars, continuously inputs were gathered, and from the PMO they were sent to us. We worked on it and every scheme was tailormade for a situation such as the pandemic.

I am proud to say every Department of the Government of India spent hours on end planning to give it to the people who are affected in the pandemic. Therefore, the approach that Government of India has taken to address the pandemic situation may be completely different but has served India better than the way in which some of us were being advised: oh, copy this country; oh, look at them; they have given 20 per cent of their GDP; give it now. We applied our mind to make sure all the advises were taken on board but designed something which our own industries were telling us that if you do it like this, it will help us. Therefore, we gave it to them, and did not blindly copy as was advocated by many people.

Sir, Pradhan Mantri SVANidhi Yojana is for those who are constantly accusing us of dealing with cronies. SVANidhi does not go to cronies. *… (Not recorded)* get land in States which are governed by some parties, like Rajasthan once upon a time, Haryana once upon a time. I can give you the details.

The Minister Shri Arjun Ram Meghwal has been repeatedly saying the kind of allegations which are coming for the lands taken away at throwaway prices from farmers. They gave farmers pittance and took away the lands. That is *… (Not recorded)* operating. '*Hum do humare do*' is that. We are two people taking care of the party and there are two other people who have to be taken care of. The *… (Not recorded)* will take care of that.

We do not do that. SVANidhi is tailored. PM SVANidhi Yojana is tailored for those small traders who are there in the streets, who are selling their little wares and making their families happy with whatever they earn from there. Rs. 10,000 is given to them as working capital for one year tenure. They take Rs. 10,000, and do some business and return that. If necessary, they can take once more.

(1045/RBN/MM)

That is given to 50 lakh street vendors. They are not cronies. They are not anybody's cronies. Leave alone our cronies, they are not even your cronies. They are the people who think of the Prime Minister who is working for the poor *dalits*, backwards, and the poor. They are the people who benefit out of the SVANidhi. They are the people who also benefit out of MUDRA. They are also the people who benefit out of PM's stand-up capital, which is being given at the district level for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and also for women. There, we do not do any work for *… (Not recorded)*. We do not do work for any cronies. We work for the common citizen who believes in the Prime Minister.

Mr. Speaker, Sir, I would like to repeat some of those specific steps that the Government has taken even during the pandemic. I will just recall once, the number of people benefited out of them. Then, you yourself will tell me where are the cronies. They are very much hiding probably in the shadow of the party which has been rejected by the people. The shadows have invited the cronies to even set up a port in Kerala. Hon. Member, Dr. Shashi Tharoor is present here, who belongs to that State, which under his party's rule invited one of those cronies, who they remember every now and then, to even develop a port. They invited the crony. There was no open tender, and there was no global tender. The crony was invited then. But now they have the temerity to call us crony capitalists! You have the temerity to call us crony capitalists! Remember, you invited one of them, who you repeatedly call a crony, but requested that crony to develop a port in your State. That happened because no *… (Not recorded)* is living in Kerala. *… (Not recorded)* lives here. …(*Interruptions*) Please have the patience to hear who are our cronies. Our cronies are the common *janta* of this country.

Under PM Awas Yojana, more than 1.67 crore houses have been completed. Do cronies have these Awas Yojana houses? They are the common people of our country who get the Awas Yojana houses. How many houses were electrified under the Sowbhagya Scheme? Since October 2017, 2.67 crore houses have been electrified. They are not the houses belonging to any crony capitalist. Household toilets were constructed. Nearly 11 crore toilets were constructed. Now, it is more than that. Are they crony capitalists? Do they need it? The one who needs it gets it. …(*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, the leader of the largest opposition party has still some courage to get up and speak on PM-CARES. I thought the MoS Finance, during the last Session, pointedly told them what is PM-CARES, who audits it, where does that money goes, etc. as opposed to the way in which the PM National Relief Fund was giving money for family trust. It has been already explained. Maybe I will send you the video clip which is going on in social media. Adhir ji, you will learn a lot of things from it. Were you not present? I think that it was the Session in which you called him *Himachal ka … (Not recorded)*. That was the Session when it happened. I would like to remind you that. That was the Session in which you called my MoS, who is the hon. Member of this House for five times now, *Himachal ka … (Not recorded)* and he got up to tell you what actually was the PM National Relief Fund. So, that debate is over, done with, and dusted. You can go and remind yourself through the social media. …(*Interruptions*) Do not worry. I will send you that clip. Have a look at it and then come back.

Under the PM Gram Sadak Yojana, more than 2,11,000 kms of roads have been built since 2014-15. The benefits of Gram Sadak Yojana do not go to the private gated communities of *… (Not recorded)* and crony capitalists. Whose life lines are these? …(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैडम क्रोनी-क्रोनी बोलती जा रही हैं …(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हम नहीं बोल रहे हैं…(व्यवधान)

(1050/GG/SRG)

Sir, Professor is a very alert Member of the House. When other Members speak, he catches every word and says, “Hey, but this one”, “Hey, but that one”. But you noticed one thing, Sir? एक्चुअली क्रोनी कैपिटलिज्म का एलिगेशन डालने वाले कांग्रेस से कोई यह बात करता है, Professor never gets up. He shivers. Must not talk in front of Congress! All the courage is only on us. …(*Interruptions*) All the courage is only on us. …(*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): What *… (Not recorded)* is this? …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, nobody talks *… (Not recorded)* …(*Interruptions*) Don’t you say that. …(*Interruptions*) Oh! Insulting! …(*Interruptions*)

Sir, the number of farmers registered under e-NAM …(*Interruptions*) The number of farmers registered under e-NAM is 1,00,69,000. The number of digital

transactions happening in the UPI is …(*Interruptions*) Absolutely, continuously calling the Prime Minister all abuses. Very unfortunate. …(*Interruptions*)

Sir, the number of farmers registered under PM Fasal Bima Yojana is nine crores. From farmers, you take away their land for cheap, but we do not do that. We send Rs. 6000 to their account. Through Direct Benefit Transfers, nine crore farmers are benefited. They are no *… (Not recorded)* …(*Interruptions*). Loans sanctioned under Mudra Yojana go to 27 crore people who are really running small businesses. So, MSME or small businesses have all been absolutely taken care of by this Government. So, much before really anyone comes up with questions or false allegations, of late, false narratives are the ones which are being propagated rather than coming to the House and talking in details about what is being offered in the Budget or any other programme.

Sir, there are two or three specific questions and after that, I will come to the conclusion. Member Supriya Sule Ji had asked this question and I partly sort of got up to reply her on what is that 41 and 42 per cent allocation in the Finance Commission. I think roughly that has been explained as to what is 42 percent and why it has come down to 41 per cent. It has not actually come down; it is the due appropriate share for the States. But the question she had then asked and which I chose to answer during the reply was what happens to this modernization fund for defence and internal security. That is a proposition which is not even before me. while the Finance Commission's comment on a non-lapsable fund for defence is something in principle we have agreed to, but the modalities and other things will have to be worked out talking with the Defence Minister and the entire Defence team. So, this particular thing has been mentioned in the Action Taken Report submitted to the Parliament, but the modalities will be worked out and we will see to it in the due course.

I think it was Shri N.K. Premachandran who questioned about discrepancy. I want to tell him which he saw as a discrepancy in the numbers in the Budget Speech about Aatmanirbhar package, estimated at 27.1 lakh crore vis-à-vis Rs. 29.86 lakh crore announced by the Government, there is no discrepancy. I want to let the hon. Member know about it. Within 48 hours of declaring the lockdown, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced with an estimated value of Rs. 2.7 lakh crore and that was announced for free food grains, free cooking gas, direct cash transfer to the farmers, for the women,

for the elderly citizens and so on. I had mentioned this in para 4 of my Speech. But later the Government announced three Aatmanirbhar packages with the total financial impact of about Rs. 27.1 lakh crore including the financial impact of measures taken by the RBI. The combined financial impact of Garib Kalyan Yojana and Aatmanirbhar package is Rs. 29.87 crore. Therefore, there is no discrepancy. I want to let the Member know about it.

(1055/AK/RV)

The Member, Shri Premachandran, also asked as to how do you see that this Budget would increase demand in the country. This was the question that he legitimately asked. I would like to point out that the course we have taken for giving stimulus to the economy through spending on developmental activity; through spending on infrastructure; and improving the CAPEX of the Government has resulted in the increase in capital outlay from Rs. 4.12 lakh crore in the current year, which is nearing end, to Rs. 5.54 lakh crore in the new BE 2021-2022, which is a substantial increase and when money is spent on capital expenditure, all of us would agree, the multiplier effect will immediately create jobs and that creation of jobs will also have an impact on the core industry demands because there will be need for more cement, steel, etc. and that demand will also generate more and more jobs. So, it will have both direct and indirect impact on the economy immediately and also be sustained in the medium and long term. …(*Interruptions*)

There was another question that the Member, Shri Premachandran, asked that how can we justify that in 2019-2020 -- there was no COVID, of course, there was no COVID -- the Budget Estimate of fiscal deficit was 3.3 per cent of the GDP whereas in the Revised Estimate for that very year it has been shown as 4.6 per cent. I would definitely like to answer that question because I am sure that it is a matter of interest for a lot of Members. In August, 2020, the Government has placed a Statement of Deviation on the fiscal deficit as per the provisions of Section 7 (3) (b) of the FRBM Act in the Parliament. Hon. Member, I draw your attention to this Statement, which outlines the reasons for deviation of 0.8 per cent from the revised target of fiscal deficit of 3.8 per cent of GDP for the year 2019-2020. The deviation was necessitated on account of structural reforms both on the supply and on the demand side. Therefore, that was brought in.

One important aspect, Sir. Some Members have questioned whether allocations for Minority Affairs and whether allocations for SC and ST have been reduced. No, they have not been reduced. The total allocation for Minority Affairs is Rs. 4,811 crore in the BE of 2021-2022, which is an 8.6 per cent increase for that Ministry higher than even the actual expenditure. Therefore, that has not been reduced.

On the SC / STs, the overall allocation provided for the welfare of SCs have shown an increase from Rs. 83,257 crore in 2020-2021 compared to Rs. 1,26,259 crore in this BE presented as Budget now for 2021-2022. The overall allocation provided for the welfare of STs have also shown an increase from Rs. 53,653 crore in the BE of 2020-2021 to Rs. 79,942 crore in the BE of 2021-2022.

Sir, I think I have addressed most of what Members had asked. However, there is one issue on which I want to draw the attention of the Members.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, what about the rate of employment?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : I have given a lot of information on employment, Opposition Leader.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): What about cash transfer?

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Can you reduce the excise on gas, diesel and petrol? …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, I will come to one issue on which I certainly want to draw the attention of this House. There is a culture in this House since when the Parliament was established and all of us have been swearing by the Constitution.

(1100/SPR/MY)

We have been functioning effectively to make India a strong democracy. But it was such a disappointment for me; I was here that day to hear the former President of the Opposition party, stand up and say,`I will only speak on the farmers' issue, then, I will go quiet’. Hon. Speaker, Sir, because there was a lot of demand, and you, gently reminded saying, there is this Budget discussion now, and that we should discuss the Budget. …(*Interruptions*) I concede that. No worries. What am I doing? I would like to ask you, what am I doing? I am talking about the Budget. I am replying to the Members who stood up and spoke on the Budget debate; I am replying to each one on their issues. Each Member stood up and spoke about the issues which they thought were significant. …(*Interruptions*) Please listen. Please don’t unnecessarily read my mind in advance. …(*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, the attempt here is to reply to each Member for the various issues that they have raised, and I shall reply for the issues raised, and even justifying now. I agree, Oh farm issues! Definitely are relevant for the Budget. Even the hon. Member, who is not present here, I am not taking his name but I also want to address the issues raised by him that day. Farm issues will have to be spoken about because they are also part of the budgetary discussion. …(*Interruptions*) Don’t worry. I am answering. …(*Interruptions*) Please hear. …(*Interruptions*) You don’t want me to answer the issues raised by your hon. Leader. I am answering. …(*Interruptions*) Don’t worry, I am answering that. …(*Interruptions*) You don’t mind. …(*Interruptions*) Sir, if you have heard the hon. Member, Shri Suresh says, I should take the name. If you give me the permission, hon. Speaker, Sir, in the absence of that Member, I will take his name. …(*Interruptions*) Alright, Sir. …(*Interruptions*) And the Member had said, `Farm Bills are also part of the Budget. I am laying the foundation, and therefore, I am speaking about it’. Therefore, I would respond, Sir. I am sure, you will help me. Since Shri Kodikunnil Suresh has given me permission, and you, I suppose, wouldn’t mind me, Shri Rahul Gandhi stood up, and spoke … …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी किसी का नाम ले रही हैं, अगर वह सदन के सदस्य हैं तो मंत्री जी उनका नाम ले सकती हैं। इसमें क्या दिक्कत है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह सदन का सदस्य है, इसलिए नाम ले सकती हैं। यह उपस्थित या अनुपस्थित का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य का नाम ले सकती हैं। वह सभी सदस्यों का नाम ले रही हैं, जिन्होंने बजट पर चर्चा की है।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: When the foundation was being laid for the speech on the Budget, which never happened, on the matters raised during that laying of the foundation, there are some things which I want to ask. I will also state my expectation when he stood up to lay the foundation. My expectations were that he will explain why the Congress Party has taken a U-turn in its position. In the 2019 election manifesto, they said very similar things that we have done in the farm Acts. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, again, you are distorting. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, please allow me to give a response. This kind of disruption is unwarranted.…(*Interruptions*)

(1105/NK/UB)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जाइए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Have I said anything unparliamentary for this disruption? We expected that he would stand up. This is number one, I have ten such things to say. दस विषयों के ऊपर मैं अपने एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखना चाहती हूं।, जिसके ऊपर कभी न कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देना ही पड़ेगा। वह बजट स्पीच पर खड़े होकर फाउन्डेशन ले कर रहे थे, वे बजट स्पीच नहीं हुई थी। फर्स्ट इश्यू में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बजट पर चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बातें बोलेंगे, कुछ स्पष्टीकरण देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों यू टर्न लिया, पहले इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों स्टैंड बदला?

सेंकड, फार्मर्स के ऊपर इतना ध्यान देने वाली कांग्रेस फार्म लोन वेवर्स के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा करते थे कि हमें वोट दे दो, फार्म लोन दे रहे हैं। जनता ने भरोसा रखकर वोट दिया, मगर मध्य प्रदेश में इसका इम्पिलेमेन्टेशन नहीं हुआ, फार्मर्स आज तक लोन मांग रहे हैं, हमारा लोन वेवर्स क्यों नहीं हुआ? वोट मांगा और वोट ले लिया, सरकार बनाने का बहाना किया, अभी सत्ता उनके हाथ में नहीं है। फार्म लोन के बारे में गुमराह करके किसानों को बैकस्टैब करके चले गए, राजस्थान में फार्म लोन नहीं हो रहा है, आज भी कम्पलेंट्स है।

मेरा एक्सपेक्टेशन था। ...(व्यवधान) कर्ज माफी राजस्थान में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में भी कर्ज माफी नहीं हुई। मेरी एक्सपेक्टेशन यही था कि जब वरिष्ठ नेता भाषण देने से पहले फाउन्डेशन ले कर रहे थे, कम से कम यह मानेंगे कि कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, उस पर बयान देंगे, लेकिन बयान नहीं दिया।

तीसरा, मैंने सोचा, वह बजट भाषण देने से पहले फाउन्डेशन ले कर रहे हैं, उस समय कम से कम यह बात बोलेंगे कि मैंने पंजाब सीएम को आदेश दे दिया, जो काला कानून है और जिसके द्वारा किसान के जेल जाने का प्रोविजन है, पांच लाख रुपये के फाइन का प्रोविजन है, दोनों प्रोविजन्स को हटाने के लिए मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को आदेश देकर आई हूं। इस बारे में पार्लियामेंट में वह खुलासा करेंगे, इस बारे में मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, लेकिन वह भी नहीं हुआ।

चौथा, राहुल गांधी जी उस दिन बजट के ऊपर नहीं, बल्कि फार्म लॉस के ऊपर बात कर रहे थे। उस समय मैंने यह भी एक्सपेक्ट किया, कम से कम यह बात बोलेंगे कि किसान के पराली के विषय में उनको बहुत ही दुख-दर्द है। पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा कुछ राहत दिलाएंगे, जिससे पराली का प्रॉबल्म नहीं रहेगी और उनको वह राहत दिलाएंगे, वह इसकी भी घोषणा करेंगे। ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया, मगर वह भी नहीं हुआ। मैंने यह भी एक्सपेक्ट किया कि जो तीन कानून हैं, उसमें कम से कम एक खंड निकालेंगे कि देखो इस क्लॉज की वजह से नुकसान होने वाला है, इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया और समर्थन दिया, फिर मन बदल दिया। इन तीन कानूनों में से एक भी पाइंट दिखाएंगे।

(1110/SK/KMR)

This is against the farmer. मैंने सोचा, मैंने एक्स्पेक्ट किया कि वह कम से वह बात फाउंडेशन ले करने के समय बोलेंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। पांचवां प्वाइंट हो गया।...(व्यवधान)

अब मैं सिक्स्थ प्वाइंट पर आ रही हूं। मैंने यह भी एक्स्पेक्ट किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें छोटे किसान पर बोलीं। मैंने सोचा कि उन विषयों में, छोटे किसानों से, हम दो हमारे दो के लिए किसानों से जमीन हड़पते गए। मैंने सोचा कि वे खड़े होकर यह बात बोलेंगे कि प्रधान मंत्री जी, आपने तो स्मॉल फार्मर्स पर इतना अच्छा बोल दिया, प्लीज़ फार्मर्स की जमीन वापस कर दो, हमने तो सस्ते में उनसे ले ली, यह किसानों की जमीन है, हम राजनीति में हैं, हमें खड़े होना है, राजनीति में हमारे परिवार और हमने खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। इधर हक करके बोल सकते थे, हम दो, हमारे दो में ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, लेकिन नहीं कहा। वह भी नहीं हुआ। मेरी सिक्स्थ एक्स्पेक्टेशन नहीं हुई।...(व्यवधान)

मेरी सातवीं एक्स्पटेशन है। प्रधान मंत्री जी ने डॉ. मनमोहन सिंह जी की क्योटेशन पढ़ी, उनकी तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसानों के लिए किए गए थे, यह भी बोले। मैंने उस दिन, फाउंडेशन ले करने के समय सोचा, बजट इम्पोर्टेंट नहीं है, किसान कानून इम्पोर्टेंट है, वे कम से कम बोलें। क्यों डॉ. मनमोहन सिंह जी की स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल रही है? इसकी याद प्रधान मंत्री जी ने

दिलाई। मैंने सोचा कि कम से कम वे मानेंगे। हां, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने ऐसी बात की है, I have to respect. We will respect now. We will not dishonour Dr. Manmohan Singh. यह कहेंगे, ऐसी मैंने एक्स्पेक्टेशन रखी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। ...(व्यवधान) That was the seventh.

मेरी आठवीं एक्स्पेक्टेशन थी। ...(व्यवधान) क्योंकि किसान कानून बजट का भाग हो सकता है, इसलिए बजट की चर्चा के समय बहुत से मैम्बर्स ने यह प्रश्न उठाया। मुझे याद है और मैंने सुना। क्या एपीएमसी देश भर में यह कानून आने के बाद बंद हुआ है? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं एक्स्पेक्टेशन के साथ प्रश्न भी पूछ रही हूं, to prove even if one APMC mandi was shut. Not one was shut. But you are standing up and speaking here. ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है। Rs.30,000 crore which will be collected through the Agricultural Development Infrastructure Cess will actually be going to the States so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से स्टेट्स को एपीएमसी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए फंड भी दे रहे हैं। यह भी नहीं बोला, लेकिन फाउंडेशन ले करते रहे और वापस चले गए बिना बजट पर चर्चा किए हुए। ...(व्यवधान)

नौवां प्वाइंट, यह मेरी एक्स्पेक्टेशन थी लेकिन अब मेरा प्रश्न है। Why does he choose to insult Constitutional authorities? Why does he choose to insult Constitutional authorities? क्योंकि उस दिन इधर सम्माननीय स्पीकर साहब की इन्सल्ट हुई, उनका बड़प्पन है, आप लोगों ने मुझे चुनकर बिठाया है, इसलिए House should run as per the rules of this House. ऐसे करके बात छोड़ दी।...(व्यवधान) मगर इधर इन्सल्ट, इससे पहले डॉ. मनमोहन जी की इन्सल्ट इस कानून के ऊपर। ...(व्यवधान) डॉ. मनमोहन जी जब विदेश में प्रधान मंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस को फाड़कर कूड़े में फेंका। ...(व्यवधान) Why does he choose to insult? ...(व्यवधान)

(1115/GM/SK)

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद हाउस में चर्चा होती है, खत्म होने के बाद उसी विषय पर चर्चा करना और उसी विषय को बहाने के साथ बोलते रहना, continuously insulting Constitutionally elected authorities. महामहिम राष्ट्रपति हों या माननीय प्रधान मंत्री हों, तब के प्रधान मंत्री हों या अब के प्रधान मंत्री हों, कन्टीनुअसली इन्सल्टिंग। ...(व्यवधान)

दसवां प्वाइंट, कन्टीनुअसली फेक नरेटिव्स करते रहे। ...(व्यवधान) अरे, कोविड आ गया, पूरा भारत नुकसान में चला जाएगा। ...(व्यवधान) अरे, इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरी क्योटेशन्स हैं, समय-समय पर वरिष्ठ नेता बोलते रहे।...(व्यवधान) मेरे पास पूरी क्योटेशन्स हैं। I do not want to waste the time of the House on quotations. But the Saaransh is this. I will constantly say things which will demean India, which will show India in poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake

narratives; nothing will go well for India. यही कहते रहे, कहते रहे। हमारे खिलाफ Kind of mischief- I am using a lighter word – करने वाले देश के साथ, पार्टी की ओर से, सरकार से एमओयू नहीं।…(व्यवधान) सरकार से सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके, जब देश के बॉर्डर पर कुछ क्राइसिस होता है, तब हमसे बात न करते हुए, हम को छोड़ो, सरकार से बात न करते हुए, उनके दूतावास से बात करते हैं कि बॉर्डर में क्या हो रहा है? …(व्यवधान) ऐसा करने वाले और कभी भारत देश का भरोसा न करते हुए बाकी सबका भरोसा करने वाले और Joining the 'breaking India' fringe group. …(व्यवधान) पार्टी के एक वरिष्ठ, सीनियर नेता का फ्रिंज ग्रुप के साथ बार-बार पोलिटिक्स करना और भयंकर एब्यूज़, total unacceptable terminology for Constitutionally elected heads का उपयोग करते रहना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कटाक्ष होने के बाद एपोलोजाइज करना और दोबारा वही साइकल में, एब्यूज़ करो, एपोलोजाइज करो, एब्यूज़ करो, एपोलोजाइज करो, इसी रास्ते पर चलना, डिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी करना। …(व्यवधान) I am very scared to think he is probably becoming doomsday man for India. …(व्यवधान)

हमारे लिए दु:ख की बात है कि पॉर्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर सरकार को कटघरे में रखकर प्रश्न पूछने का रोल करने वाली अपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में …(व्यवधान) और डूम्सडे मैन जो रिपीटिडली एब्यूज़ करता है, …(व्यवधान) मैं यह बात भी बोल रही हूं।…(व्यवधान) You cannot have this objection. You are bound to answer. …(*Interruptions*) Sir, let them have the strength to accept this. In Parliament, debate on Budget happens traditionally. …(*Interruptions*) Budget debate happens every year. In free India's history, discussion on We won't discuss Budget करने वाले अपोजिशन लीडर क्या रोल प्ले करना चाहते हैं? कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं? I want to aso ask of you, Budget happens every year. …(*Interruptions*)

चौधरी जी, आप ज़रा सुनिए …(व्यवधान) राज्य सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता बजट पर चर्चा करते हैं और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं।

(1120/MK/RCP)

वह जवाब चाहे पसंद हो, नापंसद हो, एक्सेप्टेबल हो या न हो, उसके बाद वे एक पोजिशन लेते हैं। वह इधर क्यों नहीं हुआ? उसी पार्टी का राज्य सभा में एक पोजिशन और इधर दूसरा पोजिशन है। यह क्या तरीका है? With these 10 questions …(*Interruptions*) We will tell you about everything that you want. …(*Interruptions*) कांग्रेस पार्टी के दो विषय में कहना चाहती हूं। Please sit down, Chowdhury *ji*. …(*Interruptions*) मैं दो टेंडेंसी के बारे में बताकर अपनी बात खत्म कर रही हूं। मुझे दो टेंडेंसी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक फेक नरेटिव्स की टेंडेंसी है।

हमने मनरेगा क्रिएट किया, हमने ये किया है, लेकिन, आप ही उसको आगे बढ़ाने का मन नहीं बना पाए। आप उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं हैं। एलोकेशन है, लेकिन यूटिलाइजेशन कम है। इसी प्रकार, हर स्कीम में अपने लिए कुछ देखने की आदत भी एक टेंडेंसी है। उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है। ये कहते हैं कि हमने बैंक को नेशनलाइज्ड किया है। लेकिन, पूरे बैंक का उपयोग

फोन बैंकिंग द्वारा करके एनपीए छोड़ कर चले गए। यह है उनकी टेंडेंसी। This is one tendency to create institutions, misuse them, use it for our own. 'हम दो, हमारे दो' and at the end of the day, keep accusing others. That is one tendency. The second tendency is this, हमें पार्लियामेंट में जो-जो कहना है, वह कहेंगे। हम आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन्स डालेंगे, आपके ऊपर एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, लेकिन जब आप सिस्टम के तहत खड़े होकर प्वाइंट बाई प्वाइंट जवाब देने के खड़े होते हैं, मगर सुनने को तैयार नहीं है, जैसे अभी हो रहा है। कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वाक आउट करो। बजट डिबेट में भी वही हुआ। इसलिए, हमें कांग्रेस पार्टी की इस दो टेंडेंसी को पहचानना चाहिए। इससे सपष्ट होता है कि उनका belief in democratic, elected Parliamentary system is completely खत्म। धन्यवाद।

(इति)

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) ORDINANCE AND JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL

1122 hours

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 28 और 29। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021। सांविधिक संकल्प, श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

"That this House disapproves of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 1 of 2021) promulgated by the President on 7 January, 2021."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, On behalf of Shri Amit Shah, I beg to move:

"That the Bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बिल के बारे में हल्का सा बता दीजिए।

1123 बजे

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट, 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर को 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू एंड कश्मीर यू.टी. को विथ लेजिस्लेचर और लेह और कारगिल जिलों को मिलाकर लद्दाख को यू.टी. बनाते हुए विद्आउट लेजिस्लेचर को रेक्गनाइज किया गया। इन दोनों यूटीज का देश के साथ कम्पलीट इंटीग्रेशन के बाद हर एक भारतवासी का 'वन नेशन, वन कांस्टिट्यूशन' का सपना था, जिसको नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। इसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसी दृष्टिकोण से पब्लिक वेलफेयर को हर लेवल पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, विकास की ओर इन दो स्टेट्स को ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

(1125/SJN/RK)

मगर जो कैडर था, उसमें सिर्फ जम्मू-कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस थे, क्योंकि आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद लगभग 170 सेन्ट्रल एक्ट पहली बार हम जम्मू-कश्मीर में लागू कर रहे हैं। अलग-अलग डेवलेपमेंटल एक्टिविटीज़ जो 70 सालों से जम्मू-कश्मीर में नहीं हुई थीं, उनको निग्लेक्ट करते थे, पहली बार जम्मू-कश्मीर अब्रोगेशन के बाद अभी वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए चाहे सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों, राज्य सरकार के

अलग-अलग कार्यक्रम हों, इसके अतिरिक्त सोशल अपलिफ्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हों, उनको एग्जीक्यूट करना जरूरी था। इसके लिए अलग-अलग स्कीमों के द्वारा कैडर स्ट्रेन्थ को बेहतर करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी हैं।

जम्मू-कश्मीर का अग्मुट कैडर के साथ मर्ज़र करने के प्रपोज़ल से यूनियन टेरिटरी का जो भी कैडर है, चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, उसको अग्मुट कैडर के साथ ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की सेवा लेने के लिए किया है। पहले यह ऑर्डिनेंस था, अभी इसे विधेयक के रूप में हम आपके सामने लाए हैं। इसके कारण जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग एक्टीविटीज़ को बढ़ाने के लिए जो कैडर स्ट्रेन्थ कम थी, अभी सेन्ट्रल पूल, अग्मुट पूल से कैडर को ले सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी महानुभावों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2021 को प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

और

> "कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

1127 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, मेरी पहली आपत्ति यह है कि जो मंत्री जी कह रहे हैं, उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। Invoking and promulgating Ordinances at regular intervals does not augur well for the parliamentary democracy of our country. The Government can certainly promulgate Ordinances, but it should be preceded by an emergent or extraordinary situation. If it goes on promulgating Ordinances at regular intervals, it shows that the Government is losing confidence and faith in the parliamentary democracy of our country.

The fact is that the Government has promulgated the Ordinance in a very supercilious manner. Without any reason or rhyme, you are simply indulging in the route of Ordinance. There lies our objection, and that is why I have moved a Statutory Resolution.

You should not appear as a 'Government of Ordinances'. You can discuss the matter during the regular Sessions of the Parliament. We had never objected to summoning of the Winter Session of Lok Sabha.

(1130/PS/YSH)

But it is the NDA Government which had not subscribed to the view expressed by us that Winter Session should be summoned because a number of issues were there to be discussed.

सर, मसूदी साहब को बोलने के बाद इंटरवीन कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बोल लीजिए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The amendment to Section 13 provides for the applicability to the UT of Jammu and Kashmir all other Articles in addition to Article 239A of the Constitution, which refers to elected members of the Legislative Assembly applicable to UT of Puducherry. The parent Act already provides for the applicability of Article 239A which relates to the creation of Legislature or Council of Ministers, or both for certain Union Territories.

The second issue is with regard to merging of All India Services Cadres as has been mentioned by you. Our hon. Home Minister is also here. The Ordinance amends Section 88 sub-Section 2 by stating that all the officers of the existing cadre of Jammu and Kashmir shall be borne and become part of the AGMUT cadre and all future allocations of All India Services Officers for the

Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, shall be made to AGMUT cadre. The Ordinance amends Section 88 sub-section 3 by stating that the officers so borne or allocated on AGMUT cadre shall function in accordance with the rules framed by the Central Government. The move will help to tackle the shortage of All India Services Officers in Jammu and Kashmir as has been argued by you owing to an earlier rule fixing the ratio of direct recruitments in civil services to promotees from Jammu and Kashmir State Civil Services (Kashmir Administrative Services) at 50:50 instead of 67:33 formula followed in other States.

Hon. Speaker, Sir, our point of contention is loud and clear. इस सदन में बड़े धमाके के साथ धारा 370 को एब्रोगेट किया गया। 35ए को एब्रोगेट किया गया। आपने पूरे देश को यह सपना दिखाया कि हम जम्मू कश्मीर में स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। सभी को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा। आतंकवाद खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेगा, वगैरह-वगैरह। लेकिन आज डेढ़ साल लगभग होने जा रहा है और अब आप कानून ला रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में कैडर नहीं है। आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. नहीं है, इसलिए आप बाहर से कैडर मांगना चाहते हैं। यही तो बात है। मुद्दा तो यही है कि 'अगमुट' से कैडर मांगना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में कैडर नहीं है। आप यह जरूर स्वीकार करेंगे कि आपने बिना तैयारी के साथ 370 का एब्रोगेशन किया है। मेरा यह कहना है कि अगर आपने तैयारी के साथ किया होता तो डेढ़ साल बाद आपको कैडर की कमी महसूस नहीं होती।

दूसरी बात यह है कि यह कैडर लोकल होना जरूरी है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है, जहाँ आम लोग सरकार की नौकरशाही पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सरकार वहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट भुगत रही है। वहाँ पर काफी ट्रस्ट डेफिसिट है इसलिए मैं आपको सलाह के रूप में यह कहना चाहता हूँ कि लोकल ऑफिसर्स को ज्यादा से ज्यादा तैनात करना जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. को 'अगमुट' से इम्पोर्ट करते हैं। वे वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, वहाँ का कल्चर नहीं जानते हैं, वहाँ का तेवर, रूप-रेखा नहीं जानते हैं। कश्मीर एक अलग किस्म का राज्य है।

(1135/RPS/SMN)

वहां के जमीनी स्तर से जिन व्यक्तियों की जान-पहचान है, who is very much acquainted with the cultural roots of that particular State, they should be entrusted for these jobs. इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां ट्रस्ट डेफिसिट गहरा होता जा रहा है और अब आप बाहर से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ला रहे हैं, जो दो साल के बाद ट्रांसफर भी हो जाएंगे, तो इसमें आपको फायदा क्या होगा, इसकी आपको हमसे ज्यादा जानकारी जरूर है, लेकिन यह बात भी सही है कि इन लोगों के साथ आम लोगों का, जमीनी स्तर के लोगों के उतने ताल्लुकात नहीं रहते हैं। 'अगमुट' कैडर वाले तीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज

चलाते हैं और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, जहां अभी 'अगमुट' कैडर है और वे खुद चाहते हैं कि उनके स्टेट के लिए एक डेडिकेटेड कैडर होना चाहिए, जैसे अरुणांचल प्रदेश। आपने खुद कहा था कि जम्मू-कश्मीर से आज अनुच्छेद 370 और 35ए को एब्रोगेट करके हम स्थायी समाधान के रास्ते पर आगे निकलेंगे। यह बात आपने इस सदन के अंदर बताई थी, लेकिन अब जो काम हो रहा है, वह टेम्परारी है। यह टेम्परारी स्टेटस है। अब आगे इस ढंग से कैडर नियुक्ति के चलते आप जिस दिशा में जा रहे हैं, उससे मुझे शक होता है कि कब यह स्थायी बन्दोबस्त होगा? स्थायी बन्दोबस्त कब होगा? कब जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा? आपने जम्मू-कश्मीर में क्या किया है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। पहले बताइए कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 एब्रोगेट होने से पहले कितने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स थे, अभी कितने हैं, आपको कितने ऑफिसर्स की जरूरत है और इस जरूरत को आप कैसे पूरा करेंगे?

हम लोग जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े चिन्तित हैं। चिन्तित इसलिए हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में अभी तक सामान्य हालात पैदा नहीं हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी चलती है। जम्मू-कश्मीर में लोगों के अंदर डर है और वहां भय का माहौल अभी तक मंडरा रहा है। जम्मू-कश्मीर के हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब फारूख अब्दुल्ला जी, मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला साहब - सबको आपने हिरासत में ले लिया। कितने अनगिनत लोग अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, इसके बारे में हमारे सामने कोई तथ्य नहीं है। आप जम्मू-कश्मीर को हिन्दुस्तान का एक हिस्सा मानने के बाद भी, जो पहले से उसका हिस्सा था, आपने सपने दिखाए थे, फिर भी आपने उस समय सारे जम्मू-कश्मीर को एक कैदखाने में बदल देने की कोशिश की थी, आप याद करके देखिए। जहां जम्मू-कश्मीर में लाखों की तादाद में फौजें तैनात हुई थीं। जम्मू-कश्मीर में हर बीस, तीस या चालीस मीटर के बाद कंक्रीट की वॉल बनाई गई थी। जम्मू-कश्मीर में सारी इंटरनेट सेवाएं, सारे कम्युनिकेशन्स को बन्द कर दिया गया था, जैसे कि वह हिन्दुस्तान का एक अलग हिस्सा है। फिर भी आप जम्मू-कश्मीर में सामान्य हालत बहाल करने में नाकामयाब रहे। आप कह सकते हैं कि वहां डीडीसी चुनाव कराए गए हैं, लेकिन डीडीसी चुनाव में भी हमने टी.वी. पर क्या देखा? उम्मीदवार को आपकी सिक्योरिटी एक कैदखाने के अंदर बन्द करके रखती है। कितने सारे लोगों ने डीडीसी चुनाव में भाग लिया है और कितने भाग लेने में सफल नहीं हुए हैं, आपको यह जानकारी है, क्योंकि अनगिनत पोलिटिकल वर्कर्स, आपकी इस जबर्दस्ती डेमोक्रेसी को बहाल करने के मसले में जेल में, हिरासत में दिन गुजार रहे हैं।

आपने बहुत सारी स्वच्छता लाने की कोशिश की। रोशनी स्कीम और रोशनी एक्ट से आपने बहुत सारे घोटाले निकालने की कोशिश की, क्योंकि वहां के हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो रोशनी स्कीम है, उसमें आप देखिए कि कहां घोटाले हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ से, आप हाई कोर्ट गए और रोशनी स्कीम में जांच न हो, इसके लिए आपने वहां अपनी तरफ से जोर-शोर से कोशिश की। The DDC elections were marred by the detention of political leaders. The onslaught on nomads and the unidimensional discourse of the Roshini Scheme were all set on the tactics of the BJP Government at the Centre and they were

employed to eliminate any chance of resurgence of its opponents in the erstwhile Himalayan State, particularly in the Muslim majority Kashmir valley.

(1140/SNB/SPS)

The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir while participating in the IT 2020 Global Summit in November 05, 2020 said, 'The young population is ready to be an entrepreneur and contribute to *Atmanirbhar* Jammu and Kashmir. We are devising a new path, new policies, and new technological tools to strengthen our business ecosystem.' However, the pertinent question where is that newness is. There is unemployment, restriction, lost avenues, and total confusion.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): आप क्या बोल रहे हैं? सर, आप बिल पर बोलिए। …(व्यवधान) आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम बिल पर ही तो बोल रहे हैं। रूडी जी, यह बिल का ही हिस्सा है। Giving the plea to retreat the forest land, the present Administration came down heavily on the nomads and stepped up its anti-encroachment drive depriving at least a score of Gujjar and Bakriwala families of their decade long dwellings. The demolition was more pronounced in Pahalgam, Anantnag and Badgaon districts. क्या गलत कह रहे हैं? रोशनी एक्ट लाए। हाई कोर्ट ने कहा कि रोशनी एक्ट इल्लीगल है। आपने जब देखा कि बीजेपी के कद्दावर नेता इसमें फंस जाएंगे, आप इसका विरोध करने लगे।

हमारा यह कहना है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 एब्रोगेट करने के बाद आपने जो सपना दिखाया था, वह सपना बहाल नहीं हुआ है और जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुआ है। वहां नब्बे हजार करोड़ से ज्यादा का बिज़नेस खत्म हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप कब और कैसे सुधार करेंगे, आप खुद बताइए।

अमित शाह जी, आपने सदन के अंदर यह भी कहा था कि आप ब्राह्मणों को वापस ले जाएंगे। क्या आप आज तक एक पण्डित को वापस ले जाने में सफल हुए? आप कहते हैं कि हम गिलगित-बल्तिस्तान को वापस लाएंगे। वह तो बाद की बात है, लेकिन जो इंटरनली डिस्पैच्ड हुए हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर घाटी में नहीं जा पाते हैं, कम से कम उन लोगों को तो ले जाइए और वहां बसाइए। वह आपके दम में नहीं है।

आपने इण्डस्ट्रियल सेक्टर को तीन हजार एकड़ जमीन दे दी है, लेकिन पण्डित लोगों को 200 से 300 एकड़ जमीन देने में आप कामयाब नहीं हुए हैं। इन पण्डित लोगों को आप सामने रखते हुए, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 का जो इलेक्शन मेनिफेस्टो था, उसमें आपने वादा किया था कि आप पण्डितों को वापस ले जाएंगे। क्या आप ले जाने में सफल हुए, नहीं हुए। आप कम से कम यह

बात तो कहिए कि मैंने वादा तो किया है, लेकिन रात गई तो बात गई, चुनाव गए तो वादा गया, आपको कम से कम यह तो बोलना चाहिए।

महोदय, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दो किस्म की तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक तकलीफ तो यह है कि एब्रोगेशन के तुरंत बाद लॉकडाउन हो गया, दूसरा लॉकडाउन कोरोना के बाद हुआ। इन दोनों लॉकडाउन को झेलते हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर त्राहि-त्राहि मच चुकी है। इसलिए आप नई चीज़ सोचिए, नए सिरे से कश्मीर के मुद्दे को सोचिए, क्योंकि मैं यह अगमुट लाने का विरोध करता हूं, इसलिए कि आप ऊपर से एड हॉक मेजर क्यों लेते हैं, आप यह स्टेटहुड बनाकर दीजिए और आप स्टेटहुड में अपना कैडर बनाइए, तब हम मानेंगे कि आप स्टेटहुड की दिशा में जा रहे हैं। डीडीसी कर दिया है, लगता है कि स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सदन के अंदर स्पष्टीकरण दें कि आपका मकसद क्या है, आप किस हालत में हैं और आप कहां जाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

(इति)

(1145/RAJ/RU)

1145 बजे

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): स्पीकर साहब, मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय लॉ मिनिस्टर ने दो बातें कहीं है। यह कहा है कि हिन्दुस्तान, हमारा मुल्क मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे कानून मंत्री जी ने कल सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया है। यह कानून दोनों कॉन्स्पेप्ट्स का वायलेशन है। 5 अगस्त, 2019 को एक तरफा फैसले हुए, गैरकानूनी, गैरआइनी, किसी से पूछे बगैर फैसले हुए हैं। यह जम्मू-कश्मीर के सवा करोड़ लोगों के खिलाफ एक आक्रमण, एलान ए जंग से कम नहीं था। हम ने यह फैसला किया है कि हम जायज़ तरीके से इसका विरोध करेंगे। इसी विरोध के सिलसिले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं, बल्कि 15 पेटिशंस दाखिल हुई हैं, उनमें इस कानून को एक असॉल्ट के तौर पर पेश किया गया है और यह कहा गया है कि ये सभी गैरआइनी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर करने के बाद हियरिंग के लिए फॉर्मली एडमिट किया और इसको एक कॉँस्टिटूएंट बेंच में भेज दिया। इसे वहां भेजने के बाद यह तवक्को की जाती है कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है कि इन इंस्टीटूशन रिस्पेक्ट हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। कॉँस्टिटूशनल प्रॉपरिटी और कॉँस्टिटूशनल मोरैलिटी जो तकाजा करती है, वह यह तकाजा करती है, तब तक हम उस सस्पेक्ट कानून को इम्प्लिमेंट न करें, जिसकी ज्यूडिशियल स्क्रूटनी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, क्या यह जायज है या नहीं। अगर हम ने याचिका दी है कि इस पर इम्प्लिमेंटेशन रोक दी जाए, मगर यह नहीं हुआ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जरूर की है कि अगर ये कोई स्टेप उठाएंगे तो हम उसे वापस करने के लिए पावरलेस नहीं हैं। वहीं एग्जेक्यूटिव की तरफ से एक हिंट था कि आप ऐतराज कीजिए, आप इसको आगे इम्प्लिमेंट नहीं कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक विकल्प था कि वह पहले दिन ही हमें यह कह दें कि आपकी याचिका में कोई दम नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि यह कहा कि पहली नज़र में इसमें दम है और पांच जजों के कॉँस्टिटूशनल बेंच को रेफर किया गया। उसके बाद जो पहला कानून है, उसको इम्प्लिमेंट नहीं करना चाहिए था, उसके बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट में दर्खावस्त देनी चाहिए थी कि वह एक्पीडाइट करे, सुनवाई करे और यह निर्णय दे कि क्या यह आइन के मुताबिक कदम उठाया गया है। हमारा यह मानना है कि जो 5 अगस्त को किया गया है, वह आइन का उल्लंघन है और आइन पर एसॉल्ट से कम नहीं है। इस पसेमंजर में यह जो बिल है, यह उसी का हिस्सा है, जो इम्प्लिमेंटेशन प्रॉसेस शुरू हो गया है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का कॉँस्टिटूशनल बेंच कहे कि आपने जो पहला सेट-अप उठाया है, वही आइन के खिलाफ है, क्योंकि धारा 367 को, इंटरप्रेटेटिव क्लॉज को सब्सटेंटिव चेंज के लिए इस्तेमाल किया है। आपने आर्टिकल 3 का उल्लंघन किया है। आपने इसके बारे में स्टेट से नहीं पूछा है। आपके पास धारा 370 को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के आइन का क्या हुआ? क्या इस पार्लियामेंट को हक है कि वह उस आइन को खत्म करे, जिस आइन पर सारे मुल्क ने जम्मू-कश्मीर को मुबारक दी थी कि आपने यह आइन बनाया है। वह वहां के युवराज के ऑर्डर के तहत बनी है, वह ऑर्डर अपनी जगह पर मौजूद है। इस

पार्लियामेंट के पास अख्तियार है कि वह आइन खत्म करे। वह एक कॉंस्टिटूएंट पावर है, उसको एक कॉंस्टिटूएंट असेम्बली ही खत्म कर सकती है। आप दिन ब दिन कंफ्यूजन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो इसका मकसद है।

आज का जो अमेंडमेंट है, बिल्कुल खराब है। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो 5 अगस्त को कहा था, इस फ्लोर पर जो वादा किया था कि यह रिस्टोर हो जाएगी, अगर वह रिस्टोर हो जाएगी तो इसमें 93वां अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? एक लैजिस्लेजर की कल्पना करने की क्या जरूरत है? यह सिग्नल ठीक नहीं जा रहा है। आप यह जानते हैं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है? एक साल में करीब 400 सिविलियन डेथ्स, करीब 100 एनकाउंटर्स, 20 आर्म्ड एनकाउंटर्स अर्बन एरियाज में, करीब 200 सिक्योरिटी फोर्स के जवान, उनमें से कुछ ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं। कहीं पर डेवलपमेंट का अता-पता नहीं है।

क्या पहले डेप्यूटेशन पर ऑफिसर नहीं आते थे? अगर कभी हमारे यहां कम एलॉटमेंट होती थी तो क्या वह सप्लिमेंट नहीं होती थी? इसको अमेंड करने का क्या मकसद है? आप एक डेमोक्लस सोर्ड जम्मू के ऑफिसर पर रखना चाहते हैं। क्या आप मिजोरम जा सकते हैं? You are not part of it. आज की तारीख में हमारे जिले में 80 प्रतिशत पदों पर बाहर के ऑफिसर्स हैं।

(1150/VB/SM)

जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि जो फंडामेंटल बातें हैं, जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं, उनसे वे बेखबर होते हैं, कोई ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं होता है। क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो की-ऑफिसर होता है, उसको टोपोग्राफी के बारे में, वहाँ की अलग-अलग समस्याओं के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या यहाँ 70 साल में नहीं किया जा सकता था, हम तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पार्ट थे, जो हमारे यहाँ के ऑफिसर्स थे, वे या तो वहाँ के लोग क्वालिफाई करते थे या तो आप बाहर से एलॉट करते थे।

इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लॉज 13 की कोई जरूरत थी ही नहीं, अगर हम इसे लेंगे against the backdrop of whatever was said by the hon. Home Minister on the floor of the House on 5th August, 2019. उसमें संशोधन करने की क्या जरूरत है?

ज़नाब, कुल मिलाकर आप जम्मू-कश्मीर को अनसरटेंटी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा फ़र्ज है कि हम देश को कहें कि आप जो कुछ कह रहे हैं, वह मिस्ट्रुथ है, ज़मीनी सूरते हाल वह नहीं है। 550 दिनों में हिम्मत नहीं होती कि आप 4 जी रिस्टोर कर पाते। वह नहीं हुई। कहीं पर टूरिज्म का नामोनिशान नहीं है। आप बाहर से फ्रूट इम्पोर्ट कर रहे हैं ताकि हमें डिसएम्पॉवर करें, हमारे सेब को चुनौती दे रहे हैं।

सैंड माइनिंग का जो मामला है, वह तो एक बड़ा रैकेट बन गया है। माइंस एंड मिनरल्स कंसेसशन रूल्स जब बने थे, तो आपने ही विरोध किया था। आपकी सरकार में जो मेम्बर्स थे, उन्होंने ही इसका विरोध किया था। इससे तो जम्मू, कठुआ, उधमपुर के गरीब लोगों का रोजगार मारा जाएगा। लेकिन अब वही हो रहा है। इसलिए ज़नाब, मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि यह स्टेप एक रांग

डायरेक्शन में है। इससे वहाँ के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। जम्मू-कश्मीर देश के साथ था, कांस्टिट्यूशन की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, लेकिन आज लोगों का कुछ भी भला नहीं हो रहा है।

ज़नाब, आपके जो अपने वायदे हैं, जो आपने 5 अगस्त को किए थे, उन वायदों को अमल में लाइए। होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि पोजिशन री-इंस्टेड हो जाएगी। स्टेट का नहीं, हम कहते हैं कि 4 अगस्त की पोजिशन आप रिस्टोर कीजिए। अगर आप मिजोरम, मणिपुर जाकर वहाँ के लोगों को बधाई देते हैं, उनसे कहते हैं कि प्राइम निनिस्टर साहब ने आईएलपी की सूरत में आपको एक उपहार दिया है, तो जम्मू-कश्मीर के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं?

'एक देश, एक कानून' की बात की जाती है। अगर आप बोडोलैंड पर समझौता करते हैं, वहाँ पर बोडो टेरीटरी के लिए 10 हजार स्क्वायर माइल्स जमीन देते हैं, तो वहाँ के लिए 'एक देश, एक कानून' की बात क्यों नहीं आती है? अगर हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री बोडोलैंड, मणिपुर या सेवन स्टेट्स में जमीन नहीं खरीद सकता है, तो जब जम्मू-कश्मीर की बात आती है, तो वहाँ इसे करने में क्या परेशानी है?

ज़नाब, हमारे एस्पिरेशंस की रेस्पेक्ट कीजिए। आप जो नॉर्थ-ईस्ट में कर रहे हैं, उतनी हद तक तो हमारी ऑटोनॉमी थी नहीं। वहाँ आप आई.एल.पी. का प्रावधान कर रहे हैं। वहाँ जो आदमी जाएगा, उसको परमिट लेना पड़ेगा। उतनी ही देर तक उसे वहाँ रहना होगा, जितना परमिट में लिखा होगा। अगर सात दिन का होगा, तो सात दिन ही रुक सकता है। When it comes to Jammu and Kashmir, why should you look at it with a different angle? Why should there be any kind of discrimination? जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने क्या लिया है, उन्होंने तो कंट्रीब्यूट किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ का एक इंजीनियर उत्तराखण्ड में अपनी जान खो बैठा। वह एक सीनियर इंजीनियर था, वहाँ पॉवर प्रोजेक्ट बना रहा था। बशरत अहमद ज़रगर तो जम्मू-कश्मीर का था। उसकी जो मालियत है, उसमें एक घर लेने की भी व्यवस्था नहीं है।

ज़नाब, इसलिए जम्मू-कश्मीर के साथ इंसाफ कीजिए, उसकी उमंगों का रेस्पेक्ट कीजिए। जो सियासी एस्पिरेशंस हैं, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, तो यह मामला हल हो जाएगा। आप दूरियाँ मत बढ़ाइए।

जैसा कि मैंने पहले कहा, वहाँ के लोगों को गले लगाइए। जम्मू-कश्मीर आपके साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आप ही उसको दूर जाने के लिए पुश कर रहे हैं।

मेरी यही गुज़ारिश है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की मानना करते हुए, उसकी रेस्पेक्ट करते हुए, जो कांस्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट मत कीजिए।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

(1155/PC/KSP)

1155 बजे

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, मैं सबसे पहले हमारे मित्र श्री अधीर रंजन चौधरी जी की जो चिंता है कि जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास होना चाहिए, वहां अधिकारियों की कमी रही तो क्यों रही? मैं इस बारे में यह बोलना चाहता हूं कि कानून में यह जो संशोधन आया है, यह जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए, उसके पूर्णत: देश के साथ इंटीग्रेशन के लिए आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अपने एक अनुभव से शुरू करना चाहता हूं। मैं वर्ष 2016 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का सदस्य था, आज भी हूं। हमारी कमेटी कश्मीर के स्टडी टूर पर गई थी। श्रीनगर में हमारा जो वीआईपी कनवॉए था, जिस गाड़ी में मैं बैठा था, उसमें मेरे साथ एक लाइज़न ऑफिसर के रूप में एक पुलिस इन्सपैक्टर बैठा था। मेरी गाड़ी के सामने एक टैक्सी घुस गई। मैंने इन्सपैक्टर से कहा कि यह कैसे हो सकता है? वीआईपी कनवॉए में एक टैक्सी कैसे घुस सकती है? पुलिस इन्सपैक्टर ने कहा कि सर, यह तो यहां पर आम बात है। वहां वीआईपी कनवॉए में कोई टैक्सी घुस जाए, तो यह एक आम बात है।

1156 बजे (श्री भर्तृहरि महताब पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, हम एक टूरिस्ट प्लेस पर गए, वहां कुछ लोगों ने मुझे पहचाना। हमारे गाजियाबाद-मेरठ के कुछ टूरिस्ट्स वहां थे। वे मुझे जानते, पहचानते हुए कि मैं एक पुराना पुलिस ऑफिसर हूं, वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर, हम लोग जम्मू से एक टैक्सी लेकर यहां आए हैं। हम पहलगाम जा रहे थे, वहां से लगभग दस किलोमीटर पहले लोगों ने स्टॉप लगाकर रखा है, वहां के लोकल टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी वालों ने वहां बैरिकेडिंग की हुई है। उन्होंने कहा है कि इस टैक्सी को छोड़ना पड़ेगा और हमारी टैक्सी लेनी पड़ेगी। महोदय, यह केवल एक टूरिस्ट स्पॉट की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, सब जगहों पर यही हालत थी। कश्मीर के आईजी श्री जावेद मेरी जान-पहचान के थे, मैंने उनको फोन किया कि कुछ लोगों की यह शिकायत है कि वे दिल्ली की टैक्सी नहीं, जम्मू कश्मीर की टैक्सी लेकर यहां घूमने आए हैं, लेकिन हर टूरिस्ट स्पॉट पर जाने से लगभग पांच-सात किलोमीटर पहले वहां के लोग उनको जाने नहीं देते हैं, वे उन्हें गाड़ी बदलने के लिए मजबूर करते हैं। वे अपनी टैक्सी के मनचाहे पैसे वसूल करते हैं। वहां के आईजी ने मुझसे कहा कि सर, यहां तो बरसों से ऐसे ही चल रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।

आज यह जो बिल आ रहा है, इससे वहां के अधिकारियों को मालूम चले कि देश में क्या चलता है। देश के अंदर कानून का राज है, तो कैसे है। इस कश्मीर का चतुर्मुखी विकास हो, उसके लिए यह बिल आया है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का और अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इसे अंग्रेजी में 'सीमलेस इंटीग्रेशन' कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी देश के लोगों के साथ कैसा संबंध हो, वर्ष 2019 के कानून में जो थोड़ी-बहुत कमी रह गई थी, उस कमी को दूर करने का यह एक प्रयत्न है। पिछले डेढ़ वर्षों में जिस प्रकार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया गया है, यह उस दिशा में एक प्रयत्न है।

सभापति महोदय, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम आता है, तो एक तरफ मेरे मन में गौरव का भाव पैदा होता है, तो दूसरी तरफ दु:ख और ग्लानि का भाव भी आता है।

(1200/IND/KKD)

सभापति महोदय, तीन-चार दिन पहले हमारे विपक्ष के नेता अंग्रेजी में बोल रहे थे कि : “My heart bleeds. वे अच्छा भाषण दे रहे थे, कई लोगों ने कहा। मुझे भी लगता है, on the one hand I feel proud but on the other hand, my heart also bleeds. जब जम्मू-कश्मीर के इतिहास की हम बात करते है और उसे भारत माता का माथा, भारत माता का भाल मानते हैं। उस चमकते हुए भाल की क्या हालत हुई, यह देखने की बात है। हमें इस बात का गर्व भी होता है कि पिछले 650-700 वर्षों से पहले जम्मू-कश्मीर की धरती पर जितने विद्वान और पंडित पैदा हुए, उतने देश के किसी भू-भाग में पैदा नहीं हुए। कल्हण जैसे इतिहासकार पैदा किए, जिसने लगभग तीन हजार वर्षों का इतिहास राजतरंगणी में लिखा। चरक, वाग्भट जैसे आयुर्वेद आचार्य पैदा किए। लगड जैसे वैदिक ज्योतिषविद पैदा किए। अभिनव गुप्त जैसे संहिताचार्य पैदा किए। पंच तंत्र लिखने वाले विष्णु शर्मा जैसे लेखक पैदा किए और कहा जाता है कि कश्मीर की एक-एक इंच भूमि तीर्थ भूमि थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? आपको मालूम होगा, दुख और ग्लानि से सिर झुक जाता है, जब कश्मीर के अंदर एक काला रक्त रंजित इतिहास लिखा जाने लगा और वह इतिहास जब हमारे सामने आता है, तो बहुत दुख होता है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को शायद ध्यान नहीं होगा, इस इतिहास की शुरूआत वर्ष 1339 से होती है, सुल्तान शाह मीर आते हैं। उसका पौत्र सिकन्दर आता है। उसके बाद दाजी चक आता है, औरंगजेब आता है। जिस प्रकार वहां का सुल्तान बनने के बाद गैर मुस्लिमों का कत्लेआम चला, जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए, तब वहां के लोग वहां से भागने लगे। तब कश्मीर का एक काला इतिहास लिखा गया। गुरु तेग बहादुर जी भी वहां गए। हम उनकी 400वीं जयंती मना रहे हैं। वे कश्मीर के लोगों के समर्थन में खड़े हुए। फिर 1819 में महाराजा रंजीत सिंह आए, तब जाकर कश्मीर के लोगों को इन्होंने मुक्त कराया। लेकिन 480 वर्षों के इतिहास में वहां जो गैर मुस्लिम 100 प्रतिशत थे, वे धीरे-धीरे 10 प्रतिशत रह गए। एक रक्त रंजित इतिहास कश्मीर का रहा है। 1819 से लेकर 1947 तक के कुछ समय वहां शांति रही। आजादी से पहले जब पूरे देश में ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ चल रहा था, उस समय कश्मीर के अंदर ‘राजा को भगाओ’ ‘राजा को निकालो’ का आंदोलन चल रहा था। 1947 के बाद भी कश्मीर में जिस प्रकार से कट्टरपंथ, जिस प्रकार से इस्लामीकरण, जिस प्रकार से अलगाववाद, जिस प्रकार से रुस्तम-ए-इस्लाम के नारे दिए गए कि किस प्रकार से वहां राज किया जाए और उस समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम था, उसे बयां नहीं किया जा सकता है। जो 480 साल के काल में नहीं हुआ, वह अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस के शासन में कश्मीर में हो गया। हजारों कश्मीरी पंडितों को मारा गया। अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। हजारों पंडितों को मारा गया, उन्हें भगाया गया। उनकी लूट, कत्ल, बलात्कार किया गया। यह बात सही है कि उन्हें जो न्याय दिया जाना चाहिए था, वह हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। यह एक प्रकार का नरसंहार था। यह बड़े दुख की बात है और हमारे माननीय सदन को जानना चाहिए कि नरसंहार किया गया, घर जलाए गए, बलात्कार किए गए लेकिन एक भी केस में किसी को सजा नहीं मिली। यह कितने दुख की बात है। इस प्रकार के अधिकारी वहां थे, इस प्रकार के शासक वहां थे, इसलिए वहां बदलाव करने की जरूरत थी।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह जो seamless integration देश के साथ नहीं हुआ, जहां 370 की धारा थी, उसके साथ-साथ एक और बात थी। सारे देश में जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी आते हैं, उसमें 67 परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 33 परसेंट राज्यों के अधिकारी भर्ती किए जाएंगे लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने बार-बार भारत सरकार से निवेदन किया कि हमारे अधिकारियों की 50 परसेंट नियुक्ति करो। उन्होंने कहा कि हम बाहर के अधिकारी नहीं चाहते हैं, हमारे कश्मीर के लोगों को प्रमोट किया जाए और ये सिलसिला वर्ष 1950 से लेकर दिसम्बर, 2013 तक चलता रहा। साल दर साल ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यों के अधिकारी 33 परसेंट थे, कश्मीर में 50 परसेंट किया गया। वहां आफिसर्स की कमी हो गई। आप रोशनी योजना की बात कर रहे थे। हाई कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया।

(1205/KDS/RP)

आपको मालूम होगा कि इस 'रोशनी योजना' के तहत जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या हुआ? लाखों एकड़ फॉरेस्ट जमीन पर कब्जा किया गया, क्योंकि फॉरेस्ट कानून ही वहां लागू नहीं था। यह दुख की बात है कि सारे देश में फॉरेस्ट कानून लागू था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह लागू नहीं था। इसी कारण फॉरेस्ट की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया और सरकार ने इसमें उनकी मदद की। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, ने कहा कि इससे हम फीस लेंगे और 25 हजार करोड़ रुपये सरकार को मिलेंगे, लेकिन पीएसी और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 25 हजार करोड़ की जगह केवल 76 करोड़ रुपये मिले। बाकी रुपया कहां गया, उसका क्या हुआ?

महोदय, एक समुदाय विशेष के लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1994 में 3 मस्जिदें थीं और आज वहां पर 100 से ज्यादा मस्जिदें हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए केवल कुछ एकड़ जमीन की बात हुई थी। उस पर पूरे जम्मू-कश्मीर में कितना हो-हल्ला मचा। सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और यहां पर हजारों एकड़ जमीन दी गई, लेकिन उस समय की सरकार ने कुछ नहीं किया। उस समय किस प्रकार का शासन जम्मू-कश्मीर में चल रहा था और किस प्रकार के अधिकारी वहां काम कर रहे थे।

महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि वर्ष 2019 में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा-370 और 35ए को खत्म किया गया, जिसने अलगाववादियों, आतंकवादियों, बिचौलियों, भ्रष्टाचारियों, सत्ता पर काबिज लोगों और पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी धन्य हैं। वह तो इतिहास के लिए 'अमिट शाह' बन गए। उन्होंने धारा-370 लागू की ताकि जम्मू-कश्मीर का देश के साथ एकीकरण हो सके। हम सब सांसदगण भी, जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, इस गौरवशाली इतिहास के भागीदार बन गए। इस बिल की जो मोटी-मोटी बातें हैं, मैं उन पर आता हूं।

महोदय, हमारे श्री अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे कि यह छोटा सा बिल है। सैक्शन-13 और सैक्शन-88 में थोड़े से बदलाव की बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जम्मू-कश्मीर के कुछ अधिकारी इस बात को कहेंगे कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को बाहर क्यों भेजा जाए? 13 स्टेट्स के अंदर 3 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अधिकारियों का अदल-बदल हो सकता है। कितने

अधिकारी जम्मू-कश्मीर के ऐसे होंगे जो दिल्ली नहीं आना चाहते? कितने अधिकारी ऐसे होंगे जो चण्डीगढ़ या गोवा नहीं जाना चाहते? आखिर वे अधिकारी क्यों नहीं जाना चाहेंगे? उनका परिवार भी जाना चाहेगा और वे भी जाना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कितना अत्याचार जम्मू-कश्मीर में हुआ और उसके बावजूद किसी एक को भी सजा नहीं मिली। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जम्मू-कश्मीर में जो कैडर था, वहां के अधिकारियों को पता था कि इन्हीं पॉलिटीशियन्स, इन्हीं मंत्रियों के अधीन उनको सारा करियर बिताना है। अगर उनके पास कोई ऑप्शन होता कि वे दूसरी यूनियन टेरिट्री में जा सकते हैं, वे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि स्टेट्स में जाकर काम कर सकते हैं, तो शायद वे इतना दबकर काम न करते। उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली थी कि वे ईमानदारी से कानून का पालन करेंगे। अगर यह पहले ही हो गया होता तो इतना बड़ा जनसंहार कश्मीर में नहीं हुआ होता।

महोदय, मैं कह रहा था कि जम्मू-कश्मीर में ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की कमी आई। वहां पर 54 परसेंट ऑल इंडिया ऑफिसर्स की कमी है। मेरे पास पूरी डिटेल है। 390 सैंक्शन्ड अधिकारी थे, जिनमें से आईएएस के 137, आईपीएस के 147 और आईएफएस के 106 पद सैंक्शन्ड थे, लेकिन वैकेंसी केवल 210 थीं। वहां 50 परसेंट कश्मीर के अधिकारी होते हुए भी, 54 परसेंट की अतिरिक्त वैकेंसी निकली है। मेरे कुलीग्स वहां थे, हम लोग बात करते थे, कॉंफ्रेंस में मिलते थे। हर साल डीजी कॉंफ्रेंस होती है। मैं उनसे बोलता था कि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट वहां के अधिकारियों को मालूम ही नहीं है। ट्रेनिंग लेकर भी वे भूल गए। निर्भया कांड के बाद वर्ष 2012 में 'पोक्सो एक्ट' बना ताकि हम अपने बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेज से बचा सकें, लेकिन यह कश्मीर में लागू ही नहीं है।

(1210/CS/NKL)

यह कितनी बड़ी शर्म की बात है, जैसे फॉरेस्ट एक्ट की बात मैंने आपसे कही थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को कश्मीर के अंदर बहुत डैमेज किया गया। मुझे लगता है कि पत्थर फेंके जाते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता था, लेकिन देश की संसद में, उस समय जो माननीय सांसद यहाँ थे, उन्होंने देश के लिए डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट कानून पास किया था, लेकिन वह कश्मीर के अंदर लागू ही नहीं है। इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, क्योंकि वह कानून वहाँ लागू ही नहीं था। वहाँ हम ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, सुशासन की बातें करते हैं, हम लोग भी ऐसे कानून लाना चाहते हैं। आरटीई एक्ट लागू नहीं हुआ। आरटीई एक्ट, आप लोगों की सरकार में लाए थे। राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन आपकी सरकार लाई थी, लेकिन वह कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट होता तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता, लेकिन वह वहाँ लागू ही नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वहाँ पर लागू ही नहीं था। अगर आज इस देश में एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये बचे हैं, जो गलत हाथों में जाते थे, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा आधार कानून है, लेकिन वह कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। 2.87 लाख करोड़ रुपये यूपीए सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को दिए। वे कहाँ गए? कहाँ डेवलपमेंट हुआ? वहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि आधार एक्ट जैसे कानून वहाँ पर लागू नहीं किए गए। सोशल जस्टिस के बारे

में, राइट टू फेयर काम्पन्सेशन में किसानों की बातें हम कर रहे हैं, इस सदन में भी हम किसानों की बातें कर रहे हैं। किसानों की जमीन ले लो, कुछ भी करो, उनको उचित मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए वहाँ कानून लागू ही नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, एजुकेशन एक्ट की बात मैंने की, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज का कानून लागू ही नहीं है, फेमिली कोर्ट्स एक्ट लागू ही नहीं है, इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट वहाँ पर लागू ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन वहाँ उसका कानून ही नहीं है। वहाँ पर कोई कानून लागू ही नहीं होता था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनेंसी एक्ट लागू ही नहीं है। मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वहाँ पर लागू ही नहीं है। प्रोवीजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वहाँ पर लागू ही नहीं है। इंप्लायमेंट प्रोवीडेंट फंड, हमारे लेबर क्लास के लोगों के प्रोवीडेंट फंड की हम रक्षा कर सकें. यह वहाँ पर लागू ही नहीं है। क्या इन अधिकारियों को इस बात का एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं है? सारे देश के अंदर ये कानून लागू हैं। क्या जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अधिकारियों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश के अंदर किस प्रकार का कानून चाहिए, कैसे देश के लोगों के लिए सुशासन लाया जाए, कैसे लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाए? आज इस बात की जरूरत है। जब हमारे ये अधिकारी दूसरे कैडर में आएंगे, यूटी का कैडर जो मर्ज हुआ है, मैं कहता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है। एक-डेढ़ साल कोई बड़ी बात नहीं है। यह हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ के अधिकारी बड़े खुश होंगे। उनको भी सीखने को मिलेगा। जब सीखने को मिलेगा तो हमारी जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, सेंटर से स्पांसर्ड जितनी स्कीम्स हैं, सोशल जस्टिस की जितनी स्कीम्स हैं, उनको अच्छी तरह से लागू किया जाएगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अधिकारी रहा हूँ, इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ। बहुत बार किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को अगर हम डिपार्टमेंटल कोई सजा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसका बाहर ट्रांसफर कर दें, लेकिन ट्रांसफर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसका कैडर नहीं था। आज सरकार के पास वह ऑप्शन खुलकर आया है कि अगर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अंदर कोई अधिकारी सरकार के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर काम नहीं करेगा, तो उसकी बदली कल को अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है, उसका ट्रांसफर अंडमान निकोबार में किया जा सकता है। उन अधिकारियों के पास यह मोरल राइट भी होगा। जहाँ राजनेताओं का विरोध करने की उनके पास ताकत आएगी, वहीं सरकार के पास भी यह ऑप्शन होगा कि अगर वे काम ठीक से नहीं करेंगे और सोचेंगे कि जम्मू-कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में या लद्दाख में बैठे रहेंगे, तो उनकी पोस्टिंग गोवा के अंदर भी हो सकती है।

मेरा कहने का मतलब है कि रिवार्ड और पनिशमेंट के हिसाब से, लोकहित में और सारे देश के अंदर एकरूपता आ सके, एक यूनिफॉर्मिटी आ सके कि सारे देश के अंदर जितने कानून हैं, वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी लागू रहेंगे। जिस प्रकार से सारा देश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है और विकास की एक अच्छी यात्रा कर रहा है, लेकिन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर इतना पिछड़ गया, अपने कारण पिछड़ गया, हमारे राजनेताओं के कारण, अधिकारियों की कमी के कारण और उन अधिकारियों को इस प्रकार से कूपमंडूक बना दिया गया।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि तालाब में पानी होता है, समय के साथ-साथ पानी गंदा हो जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन नदी का बहता हुआ पानी, नदी का पानी पीने के काम भी आता है, इंडस्ट्री के भी काम आता है और बहते हुए पानी से हम ऊर्जा, बिजली बना सकते हैं। जो अधिकारी वहाँ तालाब की तरह बैठे थे या कूपमंडूक की तरह वहाँ पर बैठे थे, उनको एक बहुत बड़ा ऑप्शन हम दे रहे हैं, एक नेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं। इससे उनका मेंटल होरिजन बढ़ेगा और वे आगे बढ़ेंगे।

(1215/KN/MMN)

हम सब लोग मिलकर कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। हम लद्दाख का विकास करेंगे और इस देश का भी विकास होगा। वहां का अनुभव लेकर दूसरी जगह आएंगे, बाहर के अधिकारी वहां पर जाएंगे, तो इतना अच्छा सुशासन आएगा और वहां चहुंमुखी विकास होगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1215 hours

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I rise here to oppose the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.

Sir, at the outset, I would like to express to this august House that I am deeply grieved and pained when I heard our hon. Prime Minister coining a term '*andoloan jeevis'* in the context of our farmers' protests.

The phrase 'Rights of Man' by Delisle Burns has helped to create two great Republics of modern times in France and America. But our hon. Prime Minister has derogatively chosen another term, '*andolan jeevi'* when it comes to the basic rights of our farmer brothers and sisters to protest and to show their resistance.

Sir, coming to the discussion on the Bill, again this has given me an opportunity to be reminiscent of an old term. …(*Interruptions*) Sir, I am concentrating on the Bill only. I am coming to the Bill only.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Are you obsessed with *andolan jeevi?*

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): No, I have every right to express my grief. Now I am coming to the Bill. …(*Interruptions*) I am not yielding. I have every right to express my grief and pain.

Coming to the Bill, again, this has given me an opportunity to be reminiscent about an old term called the 'Social Contract' coined by Rousseau, which is back in vogue. It is also a two-word term on which the foundation of a democracy rests. It is a contract between the ruled and their rulers, where the ruled give up their freedom on an assurance by the ruler that their natural rights, namely, life, liberty, property and civil rights shall be protected.

But when the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 was implemented, the BJP Government has not only breached that contract but also

it has buried the democracy. You have buried federalism. You have buried the rights of liberty as well as the civil rights of the people of Kashmir. This Bill, which seeks to replace the Ordinance, tries to solve the issue of All-India Service Officers in the two Union Territories created after the abrogation of article 370. I have a query in that to which I will be coming soon.

When you promulgated that amendment, we were told that as soon as normalcy returned, the status of statehood will be restored. With this Bill, our hope is now gone. We thought that that was the last straw but now this is the last straw and you are going to be pinning up nail after nail after burying peace in Kashmir.

In August, 2019, you not only bifurcated the State but reduced the status to that of a Union Territory thereby increasing the chance of a direct Central hand in the day-to-day management. I am reminded of the famous opening lines of Charles Dickens' Tale of Two Cities, which said, "This is the best of times and this is the worst of times." I would say this is the worst of times that India has ever witnessed in her pages of history. The BJP Government has imposed all the draconian laws. You have imposed CAA. You have imposed NRC. Now, you have the three draconian anti-farmer laws, which are hanging like a Damocles' sword above your head. I am sure definitely you will have repercussions in the forthcoming elections.

I would like to quote the great Thiruvalluvar who said:

Kudi thazhi ik koal ottum manila mannan
Adi thazhi nirkum ulagu

The meaning is, "A king, who would respect his subject's opinion and rule for their benefits, will not only be respected but also be loved by the people." …(*Interruptions*)

Sir, I am coming to the Bill. Has the BJP Government opted for a referendum before revoking article 370? Has it cared to ask the opinion and consider their feelings? When you boast of a paperless budget, you are running a compassionless, commitment-less, dedication-less, visionless Government which has brought such draconian laws.

(1220/VR/MM)

Sir, there is a tendency of the Government to bypass this Parliament, to take away the people's rights and follow the Ordinance route. And, this is the route. *....(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, she is repeatedly saying that the Parliament has been bypassed. *....(Interruptions)* Similarly, Mr. Hasnain *Sahab* had also said it. *....(Interruptions)* This Bill was fully passed in this House and also in the other House. *....(Interruptions)* You are abusing the sanctity of the Parliament. *....(Interruptions)*

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, the DMK has always withstood on its principles of federalism and democracy. *....(Interruptions)* Sir, our great leader Anna had evoked:

> *"We have a federal structure. That is why the framers of the Constitution wanted a federal structure and not a unitary structure, because many political philosophers have pointed out, India is so vast – in fact it has been described as a sub-continent – the mental health is so varied, the traditions so different, the history so varied that there cannot be a steel framed unitary structure here.*

Sir, by reducing the stature of Jammu and Kashmir from a State into a Union Territory, you have not only failed to bring the administration closer to the people but rendered a serious blow to our federalism.

Sir, so far as this Bill is concerned, as I said, I have a query on the Bill. The Statement of Objects and Reasons of this Bill states:

> *"Section 88 of the said Act provides that the members of the cadres of Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service for the existing State of Jammu and Kashmir shall continue to function in the existing cadres. There is a huge deficiency of the officers of All India Services in the Union Territory of Jammu and Kashmir."*

Sir, I may be forgiven for my ignorance. But I would like to get a clear explanation of this phrase 'huge deficiency'. What does this mean by 'huge deficiency'? It is also supplemented by another sentence and, that is –

> "The developmental schemes, Centrally sponsored schemes and other allied activities suffer due to non-availability of All India Officers in the existing cadres of the Jammu and Kashmir as such there is a requirement of merging it with Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Union Territories cadre so that the officers in this cadre can be posted in the Union Territory of Jammu and Kashmir to meet out any deficiency to some extent."

Your Government boasts itself on pioneering '*aatma-nirbharta*' or self-dependence. If there is huge deficiency of the officers in the Union Territory of Jammu and Kashmir to meet out any challenges, then why not put more efforts in making it more self-reliant from the local officers themselves? Why must we have to merge the cadre and have the region depend on other States?

Here also, I am reminded of a quote by Rousseau, who said,

> "*To form a State, not only the intelligent or the competent enter the contract, but all, both intelligent and the non-intelligent. As parties to agreement, all are equal though in other ways they are dissimilar. This is the meaning of political equality. How to make this real, it is difficult to say, but equality is not a chimera, and it is the duty of the Government to maintain equality, even appointing or even the maintenance of the cadre status.*"

Sir, Section 3 of the Bill, which amends Section 88, says –

> *"The officers so borne or allocated on Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories cadre shall function in accordance with the rules framed by the Central Government."*

Here, the cat is out of the bag and skeletons come out of the cupboard because 'rules framed by the Central Government' is the key sentence wherein the federal rights of the States are put at stake and this is a nail on the coffin of the democracy and the federal structure.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Please conclude.

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, if you are going to mandate this sort of *modus operandi* with a lot of brutal majority, what is the guarantee that tomorrow with the same *modus operandi* the Government would not bifurcate the States like West Bengal, Kerala and Tamil Nadu because I am sure they are going to lose in the electoral mandate?

Sir, our party leader, M.K. Stalin has strongly opposed all these draconian laws and I also place it on record that I oppose this Bill vehemently. Let me conclude this by saying that John Locke, the father of Liberalism, had argued that the obligation to obey civil Government under the social contract was conditional upon the protection of the person. Sovereigns who violated these terms could be justifiably overthrown. Revolt is the right of the people. For when injustice becomes law, resistance becomes duty.

Thank you very much.

(ends)

(1225/SAN/GG)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Prof. Sougata Ray.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): *Dada*, you have to speak better than her.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): No, I cannot. She is very good.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): You have to speak better than her. Otherwise, you will lose all ground. She is sitting next to you.

You sit to speak, not rise to speak.

1225 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I sit to speak, as advised by Mr. Rudy, on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.

HON. CHAIRPERSON: I think, you have to move to the mike side.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I cannot move. Ms. Mahua is sitting next to me. What to do? …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Mr. Rajiv Pratap Rudy will say that you have been unseated!

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes, I have been shifted.

Sir, I am very happy that the Home Minister is here to pilot the Bill. He has got relief from visiting the State of West Bengal for, maybe, electoral purposes. So, he has got some time in Delhi to look after the nation's affairs. I am glad about it.

Sir, the Bill is a minor Bill, as has been pointed out. …(*Interruptions*) यही तो दुख की बात है कि देश को नहीं देख कर, केवल पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हुए हैं।…(व्यवधान) यही तो हमारा दुख है। …(व्यवधान) देश को देखिए। …(व्यवधान) देश बहुत बड़ा है। …(व्यवधान) वहां जा कर मोटुआ लोगों को समझाते हैं कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, तुमको सिटीज़नशिप देंगे। …(व्यवधान) अभी तक नहीं दिया है। …(व्यवधान) तो यही समझाने के लिए जाते हैं। …(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): हमारी पार्टी बनाने वाले बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। …(व्यवधान) आप क्या दोगे? …(व्यवधान) जो आज दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): बिधूड़ी जी, बैठो, तुम्हारा क्षेत्र तो दिल्ली शहर में है। …(व्यवधान) तुम बैठ जाओ। …(व्यवधान) यह बहुत बड़ा देश है। …(व्यवधान) तुम बैठो। …(व्यवधान)

Sir, there are two amendments. One is to Section 13 where the Bill amends it by stating that in addition to Article 239A, any other provision of the Constitution which refers to elected Members of Legislative Assembly of a State is also applicable to the Union Territory of Puducherry, will also to the Union Territory of Jammu and Kashmir. The other amendment is to Section 88(2). The Ordinance amends it by stating that all the officers of the existing cadre of Jammu and Kashmir shall be borne and become part of the AGMUT Cadre and all future allocations of All India Service officers for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh shall be made through the AGMUT – Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories - Cadre.

Before I speak on the Bill proper, let me repeat my earlier assertion in this House that abrogation of Article 370 was a wrong step. It disturbed the condition

that happened at the time of partition, the accession of Jammu and Kashmir to India. It is in pursuance of BJP's political agenda that they mentioned Shri Shyama Prasad. Of course, he was wrongly detained and died. He was a martyr. They are pursuing that agenda. It is not an agenda which really concerns the people of India.

For the first time in the history of the country, the Home Minister abolished a State – what a draconian step – and made it into a Union Territory, took away the rights of the people of a State where there was an elected Assembly and made them into a Union Territory. They did it to Ladakh; one would have no objection, but doing it to Jammu and Kashmir is taking away the democratic rights of the people. Now, I want to ask the hon. Home Minister that almost two years after the event, what he has achieved. Last year, there were 400 civilian deaths in Jammu and Kashmir; clashes with militants are going on; and development is at a standstill. Though the recently completed district-level elections were a good thing, that is the only good thing that has happened up till now, but the development that they promised has not happened.

(1230/SNT/RV)

They have posted a *… (Not recorded)* who got defeated as an *… (Not recorded)*. …(*Interruptions*) I am not naming anybody. He is not the ideal man. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): No, still insinuation is there. This should not go on record.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Why?

HON. CHAIRPERSON: It is insinuation.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Have I named anybody, Sir?

HON. CHAIRPERSON: It is insinuation, you do not have to name anyone. It is insinuation. That should not be part of the record.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Alright, if you feel that way, Sir. They have not put a *… (Not recorded)* if you like that.

The situation in Jammu & Kashmir leaves much to be desired. 4G Internet was restored after 500 days. What a draconian step! The students had to study from homes due to pandemic. They did not have the facility of Internet and so they suffered and the Government has offered them no sops as to how their education would continue. It was not a wise step, may I repeat.

Though BJP may have implemented their divisive agenda, it has not been good for the country. This is not the way that you use your majority in Parliament

to change the status quo which has been time-tested, time-honoured. I do not say that everything that happened after Independence was good. I do not think that arrest of Sheikh Abdullah in 1953 was a good step. I do not think that Kashmir was ruled in a very good way. But still, you had to arrest all the leaders of the national political parties, put them under house arrest. They have only been released now. Farooq Abdullah was in house arrest for so long, Omar was there, Mehbooba Mufti was there. Government did not come forward to say when they will be released. So, what has happened has not been good for the country.

Sumathy when speaking referred to Charles Dickens in *A Tale of Two Cities*. It was the best of times, it was the worst of times, it was the spring of hope, it was the winter of despair. In Kashmir, this is the winter of despair and that is still lasting.

Now, having said this, let me come to a few points in the Bill.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): There is beautiful snowfall in Kashmir these days. You have not seen that.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): A beautiful garden was created on the banks of Dal Lake when Ghulam Nabi Azad was the Chief Minister. That is there but we miss all this.

SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN' (MUNGHYR): You should visit Dal Lake. Have you gone to Kashmir, *Dada*?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I have gone so many times there. It is like home.

Sir, what is happening is that J&K cadre officers are merged with the AGMUT. What is the reason cited? It is cited that there are not sufficient number of Indian Administrative Service, Indian Forest Service and Indian Police Service officers in Jammu & Kashmir cadre. According to the Government, the development was suffering. Centrally Sponsored Schemes were not being implemented. The Government has still not announced a new set of postings. We have learnt that most of the transfers are likely to be at SP level.

Since Jammu & Kashmir is a sensitive region, the senior cadre officers are likely to hold on to hometown. That is the guess. Now, this merger has been opposed by officers in Kashmir, though they have not come out in the open. A former senior IPS officer and retired Inspector General of Police, J&K, *… (Not recorded)* has asked the Central Government to revisit the decision to cut the quota for local officers in IAS and IPS in the recently formed Union Territory.

(1235/RBN/MY)

Earlier, direct recruits were there and people went on promotion to these cadres. The extension of various Central laws to the UT of Jammu and Kashmir is expected to enhance the progress. But the decision of the DoPT, implementing 67:33 ratio in All-India Services is bound to impede already retarded, rather negligible career progression of Kashmir Administrative Service and Kashmir Police Service officers.

The Prime Minister has decided to lower the quota from the existing 50 per cent to 33 per cent of the local officers from State Services to IAS, IPS and Indian Forest Service in Jammu and Kashmir and Ladakh. It is a wrong step. A local officer told the Tribune, a daily published from Chandigarh, that 50:50 formula was introduced only to encourage local officers to enhance their chances of promotion and induction in the IAS and IPS. As you know, from the SP level, it is IAS.

Earlier, the 50:50 formula was approved by UPA II. This 67:33 formula will seriously affect the promotion prospects and career prospects of Kashmir Administrative Service and Kashmir Police Service officers.

I join my lady colleague, Shrimati Sumathy, in calling the abrogation of article 370 as draconian. I join her in opposing the Bill which was absolutely unnecessary. I join Shri Adhir Ranjan Choudhary in saying that this Ordinance was unnecessary, ill-timed, undemocratic and against the principles of the Constitution. Thank you.

(ends)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, यह कहा गया है कि जब बिल इंट्रोड्यूश होता है तो वह या तो स्टैण्डिंग कमेटी में जायेगा, या सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, या सरकार हाउस में बिल लाएगी। बिल में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल 370 का डिस्कशन नहीं कर सकते, 35-ए का डिस्कशन नहीं कर सकते।

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): I am sorry I do not agree with you.

1238 hours

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Hon. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.

On behalf of my Party, the YSR Congress, we support this Bill whole-heartedly and I would like to put forth our views on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 that seeks to replace the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, which was promulgated on 7th January, 2021.

At present, there is a huge deficiency of officers of All India Services in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The development of welfare schemes, Centrally Sponsored Schemes and all other allied activities suffer due to non-availability of All India Services officers in the existing cadre of Jammu and Kashmir. As such there is an immediate requirement of merger with AGMUT so that the officers in the cadre can be posted in the Union Territory of Jammu and Kashmir to meet out any deficiency to some extent.

(1240/SRG/CP)

In this manner, it seeks to amend Section 13 and Section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019.

Sir, in his special address on April 21, 1947, Sardar Patel Ji had outlined the task before civil servants in an independent India and laid down certain principles of `Surajya' or good governance. He said and I quote: “Your predecessors were brought up in the traditions in which they kept themselves aloof from the common run of the people. It will be your bounden duty to treat the common men in India as your own.” Therefore, for building an environment that is conducive to development and prosperity, there has been a need to provide for a fresh face to the bureaucracy with recent reforms made with regard to the civil services in the country to make it people-centric and people friendly.

In this regard, I would like to put forth certain suggestions. The Government’s Second Administrative Reforms Commission (ARC) which was constituted in 2005 finally submitted its report in the year 2009, highlighted several constraints to the development of a highly efficient, transparent and accountable Civil Service. These included a mismatch between positions and skill sets, and recruitment that was not competency-specific. Moreover,

attracting talent and nurturing excellence, ensuring transparency and accountability along with participatory and representative decision-making were some issues that were needed to be addressed.

Another important factor was relating to defined accountability. A large segment of delays in the bureaucracy has come from the fact that there is a long hierarchical decision-making structure with no clear decision-making rights defined.

Before concluding about the bureaucracy, I would like to remind this House of the numerous persecutions faced by the Kashmiri Pandits in the erstwhile State. They were forced to flee their homes, jobs and livelihoods. I would request the Government to reserve at least five per cent jobs in all the public and private sectors in the Union Territory to sustain the livelihoods of this community.

In this light, if this Bill is given assent to, it can be said, it will mark the beginning of the era of integration and the end of the era of isolation for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Therefore, I convey my party's support to this Bill.

With these words, I conclude my speech.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Thank you, Shrimati Chinta Anuradha. You have spoken on the Bill only. I would like to tell Mr. Nishikant Dubey Ji that the rule which was mentioned actually does not apply to the point that he was raising. But it should be borne in mind by all the speakers that we should confine our discussion to the Bill only. Let us not digress to other aspects.

Shri Rajiv Ranjan Ji.

1243 बजे

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति महोदय, यह बिल वास्तव में बहुत छोटा बिल है। यह बिल सीधे जम्मू और कश्मीर के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर कई सदस्यों ने बात की, धारा 370 की बात की, 35(ए) की बात की। अब वह विधवा विलाप करने का समय नहीं है, विधवा विलाप करने की बात खत्म हो गई। हम लोगों ने भी धारा 370 पर समर्थन नहीं किया था, लेकिन आज वह कानून है। अगर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं और इस संसद ने उस कानून को पास किया और कानून बना दिया, तो वह कानून आज लागू है और उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब यह विधवा विलाप की ही बात हुई। अभी जम्मू-कश्मीर के विकास की बात हो रही है और आप धारा 370 की बात कर रहे हैं।

अभी हम हसनैन साहब की बात सुन रहे थे। हसनैन साहब ने कहा कि वहां के लोगों में विद्रोह है। कई और साथियों ने भी कहा, दादा ने भी कहा, कई क्वोट पढ़कर उन्होंने सुनाये। उन्होंने कहा कि वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि उनका हक मारा जाएगा।

(1245/NK/AK)

इस बिल में भारतीय सेवा के अधिकारियों की बात है, लोकल अधिकारियों का हक कहां मारा जा रहा है? स्टेट सर्विस में जो रिक्रूटमेंट होती है, जो स्टेट सर्विस में रिक्रूट होंगे, उनका हक कहां मारा जा रहा है? कहीं का बात कहीं जोड़ दे रहे हैं, गाय का सिंग बैल में जोड़ दे रहे हैं, बैल का सिंग गाय में जोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जब धारा 370 लागू थी, आजादी के बाद से आज तक कितना पैसा जम्मू-कश्मीर को दिया गया, जम्मू-कश्मीर पर यदि किसी ने शासन किया है तो क्षेत्रीय दलों ने किया या कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। आज तक जम्मू-कश्मीर का विकास क्यों नहीं हुआ?

चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य या उसके पहले राज्य सभा के सदस्य के रूप में हमें भी जम्मू और कश्मीर जाने का कई बार मौका मिला है। दादा, जम्मू और कश्मीर के डल लेक की बात कर रहे थे, उसके पहले क्या स्थिति थी? उसके बगल से आप क्रास नहीं कर सकते थे, डल लेक से बदबू आती थी। कश्मीर का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल पहलगाम और गुलमर्ग है। आप श्रीनगर से पहलगाम और गुलमर्ग जाते तो तीन-चार घंटे का समय लगता था, कहीं सड़क नहीं था।

आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वहां विकास करना शुरू किया है और विकास के हित में यूनियन टेरिटरी ऑफिसर्स की कमी को देखते हुए इसे मर्ज करने का फैसला किया है तो यह स्वागतयोग्य है। सदन के सभी सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज वहां तेजी से विकास हो रहा है। हम वहां जाते रहते हैं। हम माता वैष्णो देवी का दर्शन करने भी जाते रहते हैं। वहां हम देखते हैं और पता करते हैं। जब वहां मल्लिक साहब गवर्नर थे, उस समय भी हम गए थे। वहां विकास हो रहा है और तेजी से विकास हो रहा है। उस विकास को गति देने के लिए केन्द्र सरकार यह बिल लायी है तो इस बिल का जितना भरपूर समर्थन किया जाए, वह उचित है। इसलिए आज हम इस बिल का समर्थन करते हुए सदन के बाकी माननीय सदस्यों से भी कहेंगे कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर जब कभी चर्चा हो तो विधवा विलाप कीजिए, आज की तारीख में विधवा विलाप मत कीजिए। जम्मू-कश्मीर के विकास के साथ अपने-आप को जोड़ने का काम कीजिए। आज उसके भागीदार बनिए और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इति)

1247 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करते हां।

सभापति महोदय, आज आप घंटी मत बजाना, मैं पार्टी की तरफ से अकेला बोल रहा हूं, आज प्लीज मुझे बोलने देना। अभी राजीव रंजन साहब बोल रहे थे, जहां आज पूरे देश से बढ़िया लोगों को छांट कर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की देश हित में जरूरत है। वहां पिछले 70 सालों से दलितों, गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों का हक छीना गया। आज उनको हक दिलाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी इस को बिल लेकर आए हैं कि देश के बढ़िया ऑफिसरों को वहां लगाया जाए तो इसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको हो क्या गया है? अभी परसों रात मैंने बोला, किसानों के बारे में कि बाहर कुछ बोलते हैं, सदन में बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी आए तो सही और प्रोफेशनल की तरह बोल कर चले गए। हम लोगों को स्टूडेंट्स समझकर चले गए, यहां तुम भी स्टूडेंट्स हो तो फिर सारे स्टुडेंट हैं। अगर तुम प्रोफेसर हो तो बाकी सारे भी प्रोफेसर हैं, सुनो और समझो ताकि बढ़िया विपक्ष की भूमिका अदा कर सको।

माननीय वित्त मंत्री जी बोल कर गई हैं कि कांग्रेस द्वारा विपक्ष की भूमिका अदा नहीं की जा रही है। ऐसे में वह सदन में न बैठें जो मुख्य विपक्ष हो, वह अपने को कमजोर तो कर ही रहे हैं, हम भी विपक्ष हैं, हमें भी मार रहे हैं और हमारी भी बदनामी हो रही है, यह बहुत शर्म की बात है।

(1250/SK/SPR)

बिट्टू जी मेरी तरफ कैड़ा-कैड़ा देख रहे हैं। बिधूड़ी जी दिल्ली के गुर्जर हैं और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुर्जर हूं। आप ऐसे कैड़ा-कैड़ा मत देखो। …(व्यवधान)

1250 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी नेता कुमारी मायावती जी हैं और हम बढ़कर आगे तारीफ करते हैं और अगर गलत बात लगती है तो माननीय मोदी जी भी सामने बैठे होते हैं, अमित शाह जी अभी बैठे हैं, हम अपना विरोध वहां भी दर्ज करते हैं। हम बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। इसी क्रम में, मैं कहना चाहता हूं कि यहां लेह के सांसद बैठे हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं कि सुनने में लगता है कि यह आदमी देशहित में बोल रहा है और इसे तो बिल्कुल ईनाम देना चाहिए। यह आदमी गरीबों के हित में, दलितों के हित में और पिछड़ों के हित में बोलता है। 370 के समय देश में तूफान आया था, अमित शाह जी ने गुर्जर बकरवाल के बारे में, गुर्जरों के बारे में, जम्मू-कश्मीर में बोला था। मैं तीन दिन पहले इनकी स्पीच सुन रहा था, गुर्जर बकरवाल के बारे में बोला, गुर्जर समुदाय के बारे में बोला तो मुझे लगा कि गुर्जरों और पिछड़ों के देश में और जम्मू-कश्मीर में 1947 की आजादी से अब जो हक छीने जा रहे थे, अब उनको मिलेंगे। गुर्जरों को उनका हक मिलेगा।

माननीय सभापति, हमारे सामने सत्यपाल जी बैठे हैं। हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं। मुम्बई पुलिस में कमिश्नर रहे हैं। मेरठ में इनका और हमारा लोकसभा क्षेत्र मिलता है। इनका एक विधान सभा क्षेत्र मेरठ में है और मेरा भी है। आपने सारी बात की, जब गृहमंत्री जी कश्मीर के गुर्जरों के बारे में बोल सकते हैं, हम हमेशा जाटों के बारे में, यादवों, कश्यपों के बारे में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, जम्मू-कश्मीर में 29.4 परसेंट गुर्जर बकरवाल हैं, अगर आप भी एक शब्द कह देते तो पूरे देश के गुर्जर आपके साथ हो जाते। इससे हमें भी बढ़िया लगता कि हम जाटों की बात बोलते हैं और हमारे लिए भी किसी ने कोई बात बोली है। हम बीजेपी

के सांसदों की तारीफ खुलकर कर रहे हैं, ऐसे हम भी चाहते हैं कि सत्यपाल जी कुछ बोलते। सत्यपाल जी, धन्यवाद कि आपने खड़े होकर गुर्जरों का समर्थन किया।

कुमारी बहन मायावती जी दलितों, गरीबों, शोषितों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही हैं। कांग्रेस दलितों के नाम पर ढोंग करके, उत्तर प्रदेश के गरीब घरों में राहुल गांधी जी और …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जाकर खाना खाकर दलितों को खुश करना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर में दलितों को 1947 से हक नहीं मिले हैं, सरकार उनको हक दिलाना चाहती है फिर भी ये विरोध कर रहे हैं तो एडमिट करो कि तुम दलितों, गरीबों, मज़लूमों, कमज़ोरों और पिछड़ों के खिलाफ हो। खिलाफ हो या फेवर में हो, पहले इसका फैसला करो फिर विरोध करो।

जम्मू-कश्मीर से संबंधित किसी भी बिल पर यहां खड़े होकर विरोध करते हैं। अगर विपक्ष में विरोध करना ही है तो इसका मतलब है कि तुम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हो, तुम लोग गरीबों का विरोध कर रहे हो, तुम लोग पिछड़ों का विरोध कर रहे हो, तुम लोग मज़लूमों का विरोध कर रहे हो, तुम लोग अक्लियत के उन लोगों का विरोध कर रहे हो, जिनको आजादी से अब तक हक नहीं मिले हैं। ये लोग अब कुछ और कहेंगे, जैसे बिट्टू जी ने इशारा किया, हम तो भाग नहीं रहे हैं लेकिन तुम अपना सोचो कि किधर को भागोगे।

एक बात और है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, चाहे लेह-लद्दाख हो या जम्मू-कश्मीर हो, देश की जितनी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, ज्यादातर गांव मुस्लिम गुर्जर, गुर्जर बकरवाल के हैं। ये लोग हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश हित में काम करते हैं।

(1255/MK/UB)

वे कई बार उग्रवादियों द्वारा नरसंहार किए जाते हैं। पिछड़े, दलितों में बाल्मीकि समाज आते हैं, जितने भी आते हैं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। वहां जो लोग हैं, आप चाहे उन्हें मुस्लिम गुज्जर कहिए या गुज्जर बकरवाल कहिए, वे हमेशा आतंकवादियों का डटकर विरोध करते हैं और लोहा लेते हैं। देश की सीमा पर रहकर पाकिस्तान को चने चबाते हैं। कांग्रेस ने 70 साल या 60 साल के करीब, जो हक छीना है, हम माननीय गृह मंत्री जी से चाहते हैं कि उन सीमा पर जितने गांव हैं, वहां एक ऐसी व्यवस्था करें कि हर गांव में दो पुलिस वाले और दो बीएसएफ के, यानी फोर्स के चार लोग रहें। उस गावं के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस बनवाए जाएं, जिससे उनमें एक सुरक्षा की भावना आए। उनके लगे कि दिल्ली में बैठी भारत सरकार देश में हमारे बारे में सोच रही है। उन लोगों के पास खाने के लिए पूरे साधन हैं। वहां बहुत लोग ऐसे हैं, जो घुम्मक्कड़ हैं। …(व्यवधान) मैं आधी मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पहली बार मुझे अमित शाह जी के सामने बोलने का मौका मिला है। मुझे बोलने दीजिए। आज तक जिन्दगी में लगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां उनका दूध, पनीर और घी का काम है। उनका दूध सड़ता है, उनका पूरा घी नहीं बिकता है, इसलिए, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा एसईजेड बने, जिसमें उनके बढ़िया तरीके से दूध के प्रोडक्ट बन सकें। उनके लिए एसईजेड बनाकर देश में या विदेश में बिक्री की सुविधा प्रदान की जाए। उन्हें ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे उनको लगे कि सरकार उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रही है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1257 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I stand here to deliberate on the Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021. Four things are to be said. The Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance was promulgated by the President of India on 7th January, 2021, just three weeks or so before the Budget Session commenced. The question always arose legally and constitutionally, is this Government or any Government competent enough to issue an ordinance? The issuance of an ordinance has to be immediate. There has to be some specific reason as to why an ordinance has come. Till now, I have not heard anything from the Government's side that why it became expedient to bring an ordinance on 7th January when the House was going to meet on 29th January, 2021. What was the exigency? What was the immediate cause that an ordinance was necessary and that too relating to enhancement of the quota of IAS and IPS Officers? This needs to be explained.

In addition to Article 239A, which says, 'any other provision of the Constitution which refers to the elected members of a legislative assembly of a State and is applicable to the Union Territory of Puducherry will apply to the Union Territory of Jammu & Kashmir and also to the Union Territory of Ladakh', when this is the provision, I feel no reason why there should be opposition to this Bill today. All the officers of the existing cadre of Jammu & Kashmir shall be borne and become part of the AGMUT Cadre, and all future allocations of All India Service Officers of the Union Territory of Jammu & Kashmir and the Union Territory of Ladakh shall be made to AGMUT Cadre.

(1300/KMR/SJN)

I also do not find any reason to oppose this. “All the officers allocated on AGMUT Cadre shall function in accordance with the rules framed by the Central Government”. This is actually one of the major reasons why this has come into effect.

As regards amending Section 88 of Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, I would like to mention what has been there in the Bill. Here I would like to mention that Article 370 of the Constitution has not been abrogated. It is not abolished but has been practically been put on hold. The provision that was there will not be in force.

After the so-called abrogation of Article 370, Parliament was not in session and the President was satisfied that circumstances existed to promulgate this Ordinance. The question as to what were those circumstances that existed which rendered it necessary for him to take immediate action, needs to be answered. That needs to be explained.

There are practically two sections in the Bill. First, Section 13 where the Act provides that Article 239A of the Constitution, which is applicable to the Union Territory of Puducherry, shall also apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Article 239A provides for the Constitution of a Union Territory of Puducherry with a legislature which may be elected, or partly nominated and partly elected, or a Council of Ministers, or both with such Constitutional powers and functions in each case as may be specified in the law. This is there in Section 13.

The amendment is that in addition to Article 239A, any other provision of the Constitution which refers to the elected members of a legislative assembly of a State and is also applicable to the Union Territory of Puducherry will also apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. Here, it has been made clear, I hope the Minister will also explain, that there is a provision. It is not that by removing or making the State into a Union Territory that Assembly loses its nomenclature. Assembly will be there as Assembly is there in Puducherry. Assembly can also be formed in Jammu and Kashmir. In that respect, the conception that is being created that with the status of a State not being given to Jammu and Kashmir, the Assembly will not be there, is not correct. Assembly will be there and Assembly can be made there.

Accordingly, as with the Assembly of Puducherry, the Assembly of Jammu and Kashmir also can function.

Section 88(2) specifies that Members of the IAS, IPS and IFoS serving in the State of Jammu and Kashmir would continue to serve in the two Union Territories based on allocation decided by the Central Government. In future, postings of officers of the two Union Territories would be with Arunachal, Goa, Mizoram, Union Territory Cadre. This Bill amends it by stating that all the officers of the existing cadre of Jammu and Kashmir shall be borne and become part of the AGMUT cadre. All future allocations of All India Services for the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be made as per the AGMUT cadre. There is no difference of opinion on this.

In Section 88(3), the provisional strength, composition, and allocation of officers currently borne on the existing cadre of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh shall be such as the Lt. Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir may by order determine. This is the Section in the principal Act. The amendment is stating that officers so borne or allocated by AGMUT cadre shall function in accordance with the rules framed by the Union Government. This is the limited amendment that is before us for consideration. I find there is not much difference of opinion relating to this Bill on the existing extension of various Central laws to the Union Territory of Jammu and Kashmir and also to the Union Territory of Ladakh. The basic question which can be discussed today or is being discussed today is that with the extension of what has happened after the so-called abrogation of Article 370, whether all laws of the Union of India are now being implemented in Jammu and Kashmir.

(1305/GM/YSH)

Has that brought peace and development and enhanced the quality of life in Jammu and Kashmir or Ladakh? This needs to be discussed. As many hon. Members have spoken and in future also will be speaking, there were a number of laws which were not being implemented in Jammu and Kashmir and today those laws are being implemented. I am just giving an instance. Corruption charges against political persons and officers in Jammu and Kashmir were not being probed by the Central Bureau Investigation. They were not given permission to go into that. Allegations against the officers or political persons

were also being curtailed during earlier times. Now, those things are there. One can go into investigation and activities there. So, in a way,

I would say development activities have been done in a rapid way. I am aware a large number of finances have also been provided to Jammu and Kashmir and to Ladakh. I would say the quality of life would also improve. But the concern here is that the DoPT is implementing the ratio of 67 to 33 in the All India Services. The question is whether it is going to impede an already retarded, rather negligible career progress of Kashmir Administrative Service and Kashmir Police Service officers? This is a question that the Government can explain to the people at large, both in Jammu and Kashmir and in the Union Territory of Ladakh. This did not happen in the 50s, 60s or 70s; this happened only during Mr. Omar Abdullah's Chief Ministership that a specific provision was made that there will be 50 per cent officers from the Kashmir cadre who will be getting promotion and remaining 50 per cent will be from the All India Services care. This is the provision which was specifically made and now through this Bill, that amendment is going to be affected. Now, it will be as it is with other States in the ratio of 67 to 33; so also it will be with Jammu and Kashmir. In that respect, I would say it is one of the best decisions which the Government has taken. I would say this is just an extension of the amendment of Article 370 that was made in August 2019. Why did it take such a long time? I think the Government can tell us. Officers who are engaged in Union Territory cadre always prefer to stay in Delhi or at the most they want to be in Chandigarh. Nobody wants to go to Andaman and Nicobar, what to say about going to the North East States. Here, Goa is an extension of most of the officers who are in the Union Territory cadre. People of Jammu and Kashmir are also in that category as Goa, Mizoram and Arunachal.

I believe another problem may arise and I think the Government is aware of it, and that is that it is a border State. It has to fight onslaughts of terrorists. There are home-grown people also who indulge in arson.

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री नामा नागेश्वर राव जी।

…(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैडम, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। It has to be ensured that those officers who work in border States, that too in areas of Jammu and Kashmir and Ladakh, continue for a specific period of time. They should not be alarmed that after two or three years, they will be leaving that State and going to some other State. This is necessary because unless they are posted there for quite some time, they cannot build up rapport with the local officers who are engaged at the district level, taluka level or the sub-divisional level.

(1310/RCP/RPS)

To have that command, it is not only for the police officer who will be the top most officer of the district, it is the District Magistrate, the Deputy Commissioner who will be actually managing the revenue affairs of that district. They need to stay there for a continuous period of time so that they can build up rapport. This apprehension needs to be removed that, yes, special attention also will be given to those officers who are placed from this cadre in those States, especially the border State of Jammu and Kashmir.

I need not go into some other historical aspects. Thank you, Madam.

(ends)

1311 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.

मैडम, इस बिल के सेक्शन 13 में एक अमेंडमेंट है और सेक्शन 88 में एक अमेंडमेंट है। ये दोनों अमेंडमेंट्स जम्मू-कश्मीर के लिए जरूरी हैं। जम्मू-कश्मीर का जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अभी एक्ट बन गया है, जब उस बिल के बारे मे 2019 में बात की गई थी, उस समय हमारी पार्टी – टीआरएस पार्टी ने जमकर उसका सपोर्ट किया था। उसी तरह से अभी इन दोनों अमेंडमेंट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लीडर केसीआर साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो तेलंगाना बना है, उसके बनने के बाद वहां जिस तरह से छ: सालों में डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, उसके भी डेवलपमेंट की जरूरत है। उस डेवलपमेंट को मन में रखते हुए इन अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है।

मैडम, मैं इस हाउस में एक बात बोलना चाहता हूं। जब 15वीं लोक सभा चल रही थी, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और फारूख अब्दुल्ला साहब भी उस टाइम में मिनिस्टर थे। हाउस चलने के टाइम में कंटीनिवसली जम्मू-कश्मीर में डिस्टर्बेंस हो रहा था, स्टर्न स्टोन पेल्टिंग होता था, करीब 300 लोग एक्सपायर हुए हैं। उसी टाइम में फारूख अब्दुल्ला साहब ने यह बताया था कि एक तरफ यहां हाउस चल रहा है और उधर काफी कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके बारे में बात करनी चाहिए और उस डिस्टर्बेंस के बारे में सारे लीडर्स को उधर जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने यह डिसीजन लिया था, लीडर्स के साथ बात की थी। उस समय अपोजिशन में स्वर्गीय सुषमा जी भी थीं। मैं भी उस टाइम अपनी पार्टी का लीडर था। हम सबको लेकर चिदम्बरम साहब तीन दिनों के लिए जम्मू-कश्मीर गए थे। हमने वहां इसकी परिस्थिति देखी थी। अगर हम खुद एक होटल में हैं तो उस होटल से आगे जाने के लिए हम लोगों को एलाउड नहीं था। अभी ओवैसी साहब यहां नहीं हैं, उस टाइम में सीपीएम के सीताराम येचुरी और मैंने चिदम्बरम साहब को यह बताया कि साहब, आप सिक्योरिटी दीजिए या मत दीजिए, हम लोग यहां आकर होटल में बात करके रिटर्न होने वाले नहीं हैं, जरूर अंदर जाकर हम लीडर्स के साथ बात करना चाहते हैं। तब चिदम्बरम साहब ने यह बताया था कि नहीं, हम सरकार की तरफ से आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, हम लोगों ने इधर ही बैठकर बात करने के लिए सोचा था और हम लोग इधर से ही सबसे बात करेंगे, जो नहीं आया, उसके पास हम लोग नहीं जाएंगे। मगर हम लोग रुके नहीं थे। येचुरी जी, ओवैसी साहब और मैं उन लीडर्स के पास गए थे। इसके बाद हमको सिक्योरिटी मिली, हम वहां गए, बात की। मैं इस बात का जिक्र यहां इसलिए करना चाहता हूं कि तब कंडीशन इस तरह की थी। अभी अच्छा हुआ है, स्टेट बन गया है। अब वहां इलेक्शन्स होंगे, उसका डेवलपमेंट होगा। अभी हमारे साउथ इंडिया से भी लोग जम्मू-कश्मीर जाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं। रीसेंटली दो-तीन लोगों ने मुझसे बात की थी। जम्मू में कुछ फूड इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह स्टडी करने के बाद वे लोग अभी इंट्रेस्टेड हैं। जम्मू-कश्मीर ए पार्ट ऑफ इंडिया है।

(1315/SPS/RK)

वह इण्डिया में इण्डिया को सपोर्ट करने, जम्मू कश्मीर में हर चीज को सपोर्ट करने के लिए हम आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बोलना चाहते हैं। हमारी आखिरी एक रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर साहब तो यहां नहीं हैं, मगर किशन रेड्डी साहब हैं, वह हमारी बात का जिक्र करके, उसका रिप्लाई कराएंगे। एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 के अनुसार तेलंगाना बना है। अभी हमारे तेलंगाना में आईएएस, आईपीएस की शॉर्टेज है। जहां 208 आईएएस चाहिए थे, वहां अभी 136 हैं और आईपीएस की संख्या 140 थी, लेकिन वह 105 है। किशन रेड्डी साहब, हमारे तेलंगाना से मंत्री हैं। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि वे इस शॉर्टेज को खत्म करेंगे। इसके साथ ही इस बिल को हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है।

(इति)

1316 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much for giving me this opportunity.

The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill is a simple Bill. To a certain extent it is a *fait accompli*, involving merger of IAS, IPS, IFS, and so on of Jammu and Kashmir with the cadre of civil services officers of Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh. That is okay.

Madam, while we are discussing this issue, I would humbly appeal to the Government to have an introspection of what exactly has happened after the abrogation of Article 370 of the Constitution. We have heard a number of claims from the Government's side, like after abrogation of Article 370 J&K has become a paradise. I would like to say with all the politeness that these are all exaggerated stories, and banalise kind of things.

You have let two years elapse. You could have done it much earlier. Backwardness is still there in J&K. Fake encounters are still going on. I am not denying application of certain Centrally sponsored schemes but serious attempts have not been made for redressing their genuine grievances. That exactly is the fact.

I would just like to ask one thing. When are you going to give back the statehood to them? You have made a number of declarations that it will be done as soon as possible. What is the time frame for that? I would humbly request the Government that if it is an honest declaration, give an assurance before the House when you are going to give back statehood to J&K.

Employing local people as officers has some relevance. Why are you transferring officers from other States like Goa, Mizoram, and so on to J&K? The local nature of a particular State should be kept in mind while making transfers. When you are transferring officers, please keep in mind that the officers so transferred should reflect the local ethos. Trustworthiness and cooperation are important and that should also be maintained.

As far as a clean administration is concerned, the integrity and impartial attitude of bureaucrats are its important ingredients. You are unnecessarily creating some confusion. I do not want to say much about that. Even in Lakshadweep some move is going on. The Government may have some liking or disliking for officers but while posting officers it should not think that the

officers should work as catalytic agents for implementing the Government policies. There must be some criteria. I would like to say that some bad signal, regarding the Government's approach, is coming from Lakshadweep.

(1320/PS/RAJ)

Then, I would like to say one more thing. Now, what is happening? You are all saying that wonderful things are happening there. Things are going from bad to worse. I am going to conclude now. Still, they are having problems. So, what I am saying, in brief, is that instead of making tall talks, realise the ground realities. The Government should react according to the sufferings of the people. Instead of making some sugar-coated promises and doing propaganda, do things sincerely. That is what I want to say. Be real in all these kinds of things. These were the few words that I wanted to express. Thank you very much.

(ends)

1321 hours

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for affording me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.

I stand to speak in support of the Bill. I will confine myself to only Section 3 of this Amendment Bill which reads and I quote: “In section 88 of the principal Act, for sub-sections (2) to (6), the following sub-sections shall be substituted, namely:- (2)The members of the Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service for the existing cadre of Jammu and Kashmir, shall be borne and become part of the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union territories cadre (AGMUT) and all future allocations of All India Services Officers for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh shall be made to AGMUT cadre for which necessary modifications may be made in corresponding cadre allocation rules by the Central Government.”

Madam, this Bill, which seeks to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019, by itself is unexceptional. It simply means that once J&K and Ladakh have become UTs, under the IAS Cadre Rules of 1954, the merger with the UT cadre is only a logical corollary. This would apply *mutatis mutandis* to the IPS and IFS cadres as well. So, it is not just as if there is a shortage of Officers which the Government seeks to make up that this particular Amendment has been brought about. That is the argument which especially hon. Adhir Ranjan Chowdhury was making, कि समय पर याद क्यों नहीं आया कि वहां ऑफिसर्स की कमी थी। क्यों यह अभी याद आया है? ऐसा कुछ नहीं है, यह व्यवस्था की बात है। It is an institutional thing which simply flows out of the Act which was passed in 2019.

The historic Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019 sought to bring down the curtain on the unfinished agenda of Indian Independence. Of all the Princely States -- that had acceded to India with almost similar instruments of merger -- it was only Jammu and Kashmir which was accorded a status so special by virtue of Article 370 and Article 35A, that instead of bringing J&K into the national mainstream, it fostered over time a feeling of separateness and an identity distinct from the rest of India - a kind of sub-national identity. This identity is being bandied about by a lot of our friends from the Opposition. A lot of identities exist in India. India is a very diverse land. So, let us not even talk about

distinctiveness of a particular region in India. Almost, every region in India has its own distinct identity. Now, this led to a vicious cycle of violence and terrorism that threatened India's national security and internal peace.

An Article that was supposed to be the instrument of J&K's merger into the Indian Union, became the reason that prevented this very merger. That this temporary and transitional provision with respect to Jammu and Kashmir had to go at some point was clear to everyone. The incongruity of एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान was visible to all but it needed a Syama Prasad Mukherjee to bring it to the national focus. The successive Governments in Delhi have sought to dilute the provisions of these Articles.

(1325/SMN/VB)

It was said that status quo had to be maintained but status quo is never static. Status quo is active and that is why, the previous Governments also sought to dilute these provisions but none could muster the political will and the courage to overcome the vested interests which are developed over the last seven decades and do away with the constitutional anomaly. It fell on our hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji and our Home Minister Shri Amit Shah Ji to pick this challenge, bring in the J&K Reorganisation Bill, 2019, and put this agenda at rest for all times to come. Let there not be any doubt about this. This issue as far as this country is concerned perhaps stands settled for good. The naysayers and the doomsday advocates were plenty. But over the last one and a half years, it is amply clear that a firm leadership backed by a national resolve can help sort out a seemingly intractable problem. Violence is receding. Development is on its course. वैसे भी अभी डेढ़ साल ही हुआ है, जिसमें से एक साल तो कोरोना ही खा गया, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। वहाँ पर हो रहे डेवलपमेंट की पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी। उसके बारे में विस्तार से मंत्री जी बताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। And most importantly, political activity is coming back to normal. Democracy and democratic form of governance is taking centre stage again which was evidenced in the successful conduct of the District Development Council elections. I must congratulate all the parties, which otherwise had opposed the Reorganisation Bill, that were all party to these elections.

Now, this amendment is specifically dealing with the All India Services. Sardar Vallabhbhai Patel in the Constituent Assembly discussions in 1949 had stated and I quote:-

"The Union will go, you will not have united India if you have not a good All India Service."

I agree that this was said when the Indian State was in its infancy and there were various fissiparous tendencies which were at work. But then the UTs of J&K and Ladakh are newly created administrative entities. I agree that hitherto there were All India Services which were working in the State of Jammu and Kashmir but now, a fresh beginning has to be made. As was said by many other Members also, there are so many laws, almost 170 of them, which need implementation in that State. In any case, it must be recognised that there is a severe deficit of All India Service officers in Jammu and Kashmir. I will give just one example. Dr. Satyapal Singh also referred to this. Against a sanctioned strength of 137 in the Indian Administrative Service, only 58 are in place and out of these 58, only 41 are in Jammu and Kashmir after adjusting for those on deputation. This whole talk is that 50 per cent which was the State Civil Services and which were filling up the All India Services ranks, it should be maintained and not reduced to 33. We can see from the facts in front of us. What the state of the Civil Services there is. This is evidently on account of conditions that have prevailed in the State for decades. In spite of its natural charms, the State of Jammu and Kashmir was not a preferred option for young officers. I bear testimony to this because I come from one of these administrative services.

I will give another example. The AGMUT cadre which consists of three States and six Union Territories, now eight with the inclusion of Jammu and Kashmir and Ladakh, has almost 290 IAS officers with them. Except Delhi in terms of population, and Arunachal Pradesh in terms of size, all these States and Union Territories are fairly small. Chandigarh a city, which I had the honour of serving as deputy commissioner, is just about 12 lakh population and has a spread of about 15 kilometres by 14 kilometres. But it has 12 IAS officers and almost half a dozen IPS officers manning the services there. After the passing of this Bill, the UTs of J&K and Ladakh will have access to this pool of All India Service officers that are allocated to AGMUT cadre. Furthermore, officers promoted to the All

India Services from J&K State Services will be exposed to other parts of the country.

An argument was given why outsiders should be welcome in a State. Well, this is a very old argument and it has been settled for good. At the time of Independence also, All India Services were meant to cater to the requirements of the nation building and the progress and development of the nation and that is why, this service has a kind of attraction which it still does. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं चंडीगढ़ में था, तो वहाँ के जो डीएसपीज हैं, वे एसपी नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि एसपी बनने के लिए उन्हें आईपीएस में प्रमोट होना पड़ेगा और आईपीएस में प्रमोट होने का मतलब यह है,

(1330/SNB/PC)

They will be part of the AGMUT cadre and so they will be transferable to all the other Union Territories and States which will be covered under the AGMUT cadre. So, let us not get into this argument कि लोकल आदमी की उसके क्षेत्र के प्रति, उसके प्रदेश के प्रति बहुत ज्यादा कमिटमेंट है। कमिटमेंट जरूर होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा था कि खड़ा पानी एक समय के बाद सड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए उसमें प्रवाह रहना बहुत जरूरी है और उसको नया पानी मिलता रहना चाहिए।
Also, the availability of increased number of officers with diverse and vast administrative experience, expertise and proven calibre can definitely help improve the administration of these newly formed UTs in these challenging times and speed up the economic development. यूटी कैडर में होने का एक और फायदा यह है, because of their access to Government of India they will have access to excess funds. That is what the general practice is in almost all the Union Territories. Needless to say, that the transfer of officers to and from across the country to Jammu and Kashmir and Ladakh will also help integration of J&K with the rest of the country.

I am not one of those who is a votary that All India Services are the steel-frame of India. Our steel-frame is our Constitution, our democracy, and the cultural ethos. But Indian Civil Services do play their part and there is no denying that post-Independence All India Services have brought about a stability, administrative uniformity, and a sense of belonging to a single unifying entity called India. This is only one element of the larger picture, but an important one nonetheless. It will take time, patience, huge amount of administrative skill, and political wisdom to achieve J&K's integration with the Indian Union, politically, administratively, and emotionally. But it is a worthy endeavour that we all must strive for.

Madam, Chairperson, with these words, I seek the support of this august House to pass this Bill. Thank you.

(ends)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री केसिनेनी श्रीनिवास – उपस्थित नहीं।

1332 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.

This is a consequential amendment to the Constitutional amendment that we passed in the year 2019. A big controversy has now cropped up and we also had challenged the constitutional validity of the legislation when it was considered and passed by this august House. It is for the first time in the history of India that a State has been divided into two Union Territories and the status of Statehood of a particular State has been lost. This has happened for the first time in the history of India. It was assured, when the Bill was considered and passed, by the hon. Home Minister that the Statehood character of Jammu and Kashmir would be restored when the law-and-order situation improves and things become normal. So, I would like to know from the hon. Home Minister as also from the Government of India about providing the Statehood status of Jammu and Kashmir. It is because it was an assurance given by the Government on the floor of the House that when normalcy would return, definitely this would be done. It means that normalcy has not returned to Jammu and Kashmir and it is the reason for which the Statehood character of Jammu and Kashmir is not being provided.

With regard to the Bill, two amendments have been proposed. I have no objection or opposition to the proposed amendments because it is required and essential to set right the original Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019. With respect to Section 13 of the Act, it is about all the elected representatives of the State Legislative Assembly and article 239A is being well explained and it is being applicable to Jammu and Kashmir along with Puducherry. The proposed amendment to Section 88 is regarding Administrative Service. The hon. learned Member who spoke is an experienced person in the field. It is a welcome step by the Government which seeks to provide sufficient and adequate administrative personnel in the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. It is very much required so as to maintain the law and order situation and also for development of Jammu and Kashmir. We have no objection as far as these two amendments are concerned.

(1335/RU/IND)

But the main question to be asked is about the real state of affairs of Jammu and Kashmir now. The news and views which we are getting through the media are not satisfactory and an alarming situation is still prevailing there. That is the news which we are getting from the media and various reports.

I would like to know the actual state of affairs in the State of Jammu and Kashmir now because the State of Jammu and Kashmir has got divided into two Union Territories, namely, Ladakh and Jammu and Kashmir. I want to know about the law and order situation there. I do accept that the election of the local bodies has been held in a smooth way and it was absolutely a success of everybody. Dr. Farooq Abdullah spoke on the Motion of Thanks to the President's Address. The views and other reports which we are getting are not satisfactory. So, we would like to know the actual state of affairs, especially the law and order situation, also whether the civil rights and the fundamental rights of the citizens or the people of that State are being well protected and how they are being maintained.

I would like to make a suggestion to this august House. Last time also, we made a suggestion that an all-Party delegation, at least one representative from each political party, should visit the State of Jammu and Kashmir to have a first-hand information regarding the state of affairs of Jammu and Kashmir. This is a suggestion which I would like to make.

As far as the amendments are concerned, we have no stringent opposition but still, I would urge upon the Government of India to bring back normalcy at the earliest by protecting the civil rights of the people residing there and also bring back the Statehood of Jammu and Kashmir.

With these words, I conclude.

(ends)

1337 बजे

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति जी, मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री, माननीय गृह मंत्री और एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा बिल सदन में लाकर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में जितने भी कैडर्स चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस का हो, उन्हें AGMUT कैडर के साथ मर्ज करने का जो निर्णय होने जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे हमारे आफिसर्स की कार्य क्षमता बढ़ेगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा, लोगों को अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिलेगा। खास कर लद्दाख के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यूटी बनने से पहले यहां दो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दो एसएसपीज, ऑल इंडिया कैडर के थे, लेकिन आज उनकी जगह पर कम से कम 15-20 ऑल इंडिया लेवल के लोग वहां काम कर रहे हैं। यह जाहिर है कि ऐसे बार्डर इलाके चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू-कश्मीर का हो या जहां भी हो, यह बार्डर इलाके की प्रोसपैरिटी, बार्डर इलाके की डेवलपमेंट और जो पिछड़े इलाके हैं, ऐसे इलाकों के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आज यह निर्णय इसलिए होने जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि देश को डेफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ कैसे ले जाएंगे।

(1340/KDS/SM)

मेरे पास जम्मू-कश्मीर कैडर का जो डेटा है, उसके मुताबिक आईएएस कैडर पोस्ट की संख्या 137 है, लेकिन अभी सिर्फ 59 आफिसर्स हैं और अभी 78 पद खाली हैं, यानी 56.93 परसेंट डेफिशिएंसी है। इसी तरह आईपीएस में 55.1 परसेंट डेफिशिएंसी है। इसी तरह आईएफएस में 48.11 परसेंट डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को मीट-अप करने की जरूरत है। इस डेफिशिएंसी की वजह से वहां सैंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना हो या एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाना हो, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इन चीजों में जो डेफिशिएंसी है, उसे एफिशिएंसी में किस तरह कंवर्ट करेंगे, इसे ध्यान में रखते हुए यह बिल सदन में लाया गया है।

महोदया, यह मर्ज होने के बाद चाहे लद्दाख यूटी हो, जम्मू-कश्मीर यूटी हो या अन्य यूटीज हों, जैसे अरूणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, गोवा हो, इन जगहों के गवर्नेंस में एक यूनिफार्मिटी आएगी। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफार्मिटी आएगी और साथ ही हमारे अपने आफिसर्स को बाहर जाकर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे लोगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यदि ऐसा होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस आएगी। मैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक अलग किस्म का राज्य है। हमें यही मानसिकता तो बदलनी है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग राज्य नहीं हैं, देश का अटूट अंग हैं। यह स्टेप लेने के बाद हमारे आफिसर्स अदर्स पार्ट ऑफ दि नेशन जाएंगे और दूसरे राज्यों से हमारे यहां आएंगे, तभी तो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी, तभी तो देश में सशक्तिकरण का नारा स्थापित होगा। यदि अभी भी यह मानसिकता लेकर चलेंगे कि ये राज्य अलग हैं और बाकी राज्य अलग हैं, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें यही सोच बदलनी है, इसलिए हम कहते हैं कि सोच बदलो,

देश बदलेगा। यहां हसनैन मसूदी जी लोकल आफिसर्स की अहमियत के बारे में कह रहे थे और कह रहे थे कि बाहर से जो लोग आएंगे, उन्हें वहां की भाषा नहीं पता, रहन-सहन का नहीं पता।

महोदया, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब लोकल की बात आती है, तब सिर्फ अपने लोगों के ही लोकल होने की बात आती है। सदन में माननीय मंत्री जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, वे इस बात का समर्थन करेंगे कि लद्दाख यूटी बनने से पहले वहां एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट लेह और कारगिल में और एक एसपी की पोस्ट लेह और कारगिल में थी। वहां इन्होंने कभी किसी लोकल को नियुक्त नहीं किया। तब उनका नारा कुछ अलग होता है। वे कहते हैं कि यह बार्डर का इलाका है, इसलिए यहां बाहर से आफिसर आना चाहिए, पता नहीं आप क्या कर बैठेंगे, जब टेरेरिस्ट एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की बात आती है, वहां लोकल को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बनाकर रखा। हमने भी सोचा कि सुधार होगा। न तो टैरोरिज्म में सुधार आया और न क्षेत्र का विकास हुआ। ऐसे लोकल को रखकर क्या करेंगे? हमें एक साथ देश के साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है।

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी कहते हैं 'वोकल फॉर लोकल', यह लोकल का नारा तो अब शुरू हो रहा है। देश में जितने भी लोग हैं, वे इस देश के लोकल हैं। हम दूसरे राज्यों से आए आफिसर्स का वेलकम करना चाहते हैं, चाहे आईएफएस कैडर हो, आईएएस कैडर हो या आईपीएस कैडर हो। वे लद्दाख में आकर सेवा करें, तभी लद्दाख का विकास होगा, तभी बॉर्डर एरिया का विकास होगा। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि एक्सपीरिएंस्ड आफिसर्स देने की कृपा करें। उन्हें वैल एक्सपीरिएंस हो, उनकी वैल एफिशिएंसी हो, तब जाकर बॉर्डर इलाकों का विकास होगा। यूटी बनने के बाद मोदी सरकार ने इसे मुमकिन किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। जब लोकल की बात हसनैन मसूदी जी करके गए, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके माध्यम से सदन के और माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर बॉयफरकेट होने के बाद, अलग-अलग यूटी बनने के बाद हमारे बहुत सारे लोकल आफिशियल कश्मीर में तैनात हैं। जब हम कहते हैं कि उन्हें लद्दाख भेजो, तब वे कहते हैं कि अभी आफिशियली डिवाइड नहीं हुआ। जिन आफिसर्स का प्रमोशन ड्यू है, उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए लेकिन तब वे कहते हैं कि लद्दाख अलग यूटी बन गई है। वहां अभी भी कुछ लोग हैं, जो प्रमोशन में गड़बड़ी कर रहे हैं।

महोदया, जब लोकल को बढ़ावा देने की बात आती है, तो मैं एक बात जरूर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

(1345/CS/KSP)

जम्मू-कश्मीर में जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, खासकर वाल्मीकि समुदाय है, गोरखा समुदाय है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं, इनको इन्होंने न स्टेट का (पीआरसी) परमानेंट रेजीडेंशियल सर्टीफिकेट दिया, न वोटिंग राइट दिया, न लैंड राइट दिया, आज किस मुंह से ये लोग लोकल की बात करते हैं। हालांकि वे सदियों से जम्मू-कश्मीर में बैठे हैं। आज मोदी सरकार ने यह निर्णय लेने के बाद, यूटी बनने के बाद, वाल्मीकि समुदाय हो, गोरखा समुदाय हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो,

सबको वहां का डोमिसाइल सर्टीफिकेट दिया, वोटिंग राइट दिया, लैंड राइट दिया। अभी यहां हमारे बीएसपी के साथी, नागर साहब बोल रहे थे, वे बड़े दिल वाले हैं, वे अपोजीशन में बैठकर भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, यह होना चाहिए और साथ में उन्होंने यह भी कह डाला कि कांग्रेस पार्टी खुद तो डूब चुकी है, हमको भी ले डूबी है, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। ये अलग-अलग स्टेज पर, अलग-अलग मतलब के लिए अलग-अलग बातें करते हैं। देश के नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में तो यह कांग्रेस पार्टी सोच ही नहीं सकती है।

मैं देख रहा था, जब महामहिम राष्ट्रपति जी उद्बोधन कर रहे थे, तब इन्होंने बायकॉट किया। बजट पर डिसकशन खत्म हो गया, तब ये लोग बजट पर बोलने के लिए आ गए। आज जम्मू-कश्मीर रीआर्गनाइजेशन एक्ट (अमेंडमेंट) का जो बिल यहां लाकर एजीएमयूटी कैडर में मर्ज होने की बात कर रहे हैं, तब ये लोग 370 की बात कर रहे हैं। इससे समझ आ रहा है कि यह पार्टी दिशाहीन पार्टी है। ये कंप्लीटली डायरेक्शन खो चुके हैं। इसलिए मैं समाजवादी वालों से, जितने भी अपोजीशन में अन्य दल बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी पार्टी के साथ चलेंगे, ये खुद तो डूब चुके हैं, आपको भी ले डूबेंगे।

मैं ज्यादा न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि इस बिल के साथ-साथ लद्दाख का अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाकर लोकल ऑफिसर्स को इंडक्शन का अच्छा मौका मिलेगा। हमारे लद्दाख के ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि वे गोवा में जाकर सर्व करें, अरुणाचल में जाकर सर्व करें, मिजोरम में जाकर सर्व करें। अदर स्टेट्स में जाकर क्या अच्छी-अच्छी चीजें चल रही हैं, वहाँ जाकर, उन्हें सीखकर हमारे स्टेट में लागू करें। अदर स्टेट्स के ऑफिसर्स भी हमारे स्टेट लद्दाख में आकर बार्डर इलाके का विकास करे। इस देश का, इस सरकार का "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" का विजन है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1347 बजे

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): महोदया, यह जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक लाया गया है, इसकी राजनीतिक मंशा इतनी सरल नहीं है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जो जम्मू-कश्मीर का विभाजन किया गया था, दो केन्द्र शासित प्रदेशों में उसका गठन किया गया था, उसको स्थायित्व देने का है।

मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूँ कि जब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, तो यह बात कही गई थी कि उससे अमन, शांति होगी, उससे देश में विकास होगा, जम्मू-कश्मीर में दूध और मधु की नदियाँ बहेंगी। पिछले 17 महीनों में जो हुआ है, वह उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको सिर्फ पाँच आंकड़े देना चाहता हूँ, जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, जम्मू-कश्मीर में 550 सीज फायर वायलेशन हुए। 19 जून, 2018 को जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और वहाँ पर पहले गवर्नर रूल, फिर राष्ट्रपति शासन और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज लगा, तो वर्ष 2018 में 2,936 सीज फायर वायलेशन हुए। वर्ष 2019 में 3,299 सीज फायर वायलेशन हुए। वर्ष 2020 में 5,133 सीज फायर वायलेशन हुए। क्या यह अमन और शांति का पैमाना है?

मैं आपको दूसरा आंकड़ा देना चाहता हूँ। यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में बहुत विकास होगा। कश्मीर में तो पिछले 17 महीनों में कोई इंडस्ट्री आई नहीं और जम्मू में जो इंडस्ट्री थी, वह भी बंद हो गई। जम्मू के तीन जिले हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू, जो पंजाब के बगल में लगते हैं, उन्हीं में ले-देकर जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्री है। अब उसकी परिस्थिति क्या है, जम्मू रीजन में 12,997 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे।

(1350/KN/KKD)

आज सिर्फ 5,890 काम कर रहे हैं, 7,107 मतलब 60 प्रतिशत जम्मू की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वे पिछले दो वर्ष में बंद हो चुकी है। मानव अधिकार संगठन ने अनुमान लगाया है कि जब से विभाजन हुआ है, जम्मू कश्मीर का 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और पहले 120 दिन में जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके अनुमान के अनुसार 17,877 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहां पर जो पर्यटन इंडस्ट्री है, वहां पर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई है

अब मैं इंटरनेट पर आता हूं क्योंकि इंटरनेट इसलिए जरूरी है कि यह डिजिटल ऐज का स्टीम ईंजन है। 05 अगस्त, 2019 से लेकर मार्च, 2020 तक 213 दिन इंटरनेट बंद रहा और मार्च 2020 से लेकर आज तक 70 बार और इंटरनेट को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है, वह 16.2 प्रतिशत है। देश में दूसरे नम्बर के ऊपर है।

जम्मू कश्मीर में जो स्कूल्स हैं, वे अगस्त, 2019 से 14 मार्च, 2020 तक कोविड आने से पहले 202 दिन तक बंद रहे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह का विकास है? यह किस तरह की अमन-शांति है? आप यह किस तरह का वहां पर माहौल बना रहे हैं कि सीज-फायर वायलेशन्स बढ़ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, वहां पर जो लोग हैं, उनको कर्फ्यू के तहत रहना पड़ता है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 09 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के विभाजन की जो यह परिस्थिति है, यह टेम्परेरी परिस्थिति है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा।

18 अक्टूबर, 2020 को हमारे गृह मंत्री जी ने सीएनएन नेटवर्क 18 को इंटरव्यू में यह बात कही, जो ग्रेटर कश्मीर अखबार में छपी कि: "There is no question of going back or restoration of Statehood of Jammu and Kashmir." इन्होंने हिन्दी में कही होगी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज 17 महीने हो गए, प्रधान मंत्री के स्तर पर, गृह मंत्री के स्तर पर दोबारा-दोबारा यह बात कही जाती है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को वापस किया जाएगा और दूसरी तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, जो 1945 से चलता आ रहा है, उसको आप भंग करके एगमुट (AGMUT) कैडर में मर्ज कर रहे हैं। यह किस तरह का संदेशा भेज रहे हैं। क्या आपकी नीयत और नीति में फर्क है, क्या आपकी मंशा में फर्क है और अगर फर्क है तो देश को आप सीधा-सीधा बताइए कि हम जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड नहीं देंगे, उसको यूनियन टेरिटरी स्टेटस में ही रखना चाहेंगे। मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी भी यहां पर आ गए हैं।

1353 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून है, उसको संवैधानिक चुनौती दी गई है और एक संवैधानिक खंडपीठ के सामने वह मामला लंबित है। यह बात सही है कि उच्चतम न्यायालय ने उस कानून को स्टे नहीं किया है। लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस यह कहती है कि जब किसी कानून को, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई हो, तो उसको संशोधन करने के लिए जो कॉन्सीक्वेंशियल लेजिसलेशन है, उसको नहीं लाना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रता से गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक उसकी कॉन्स्टीट्यूशनेलिटी डिसाइड नहीं हो जाती और मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी लगानी चाहिए कि जल्द से जल्द डे-टू-डे सुनवाई करके उसकी कॉन्स्टीट्यूशनेलिटी पर फैसला करना चाहिए। जब तक कॉन्स्टीट्यूशनेलिटी पर फैसला नहीं होता, तब तक यह जो संशोधन विधेयक है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको आप वापस ले लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर शर्मा।

(1355/MM/RP)

1355 बजे

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है।

महोदय, मैं हैरान हूं कि जब भी कभी जम्मू-कश्मीर की बेहतरी की बात आती है तो नेशनल कांग्रेस और एनसी वाले तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं और रुकावट डालने का काम करते हैं। मैं देखता हूं कि जब भी कोई ऐसा कानून आता है, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा होता हो तो नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस वाले परेशान हो जाते हैं। मैं देख रहा था कि कांग्रेस और एनसी के लीडर को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर अब बदल रहा है, जम्मू-कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जम्मू-कश्मीर के लोग एनसी और कांग्रेस वालों का समझ चुके हैं। अब वो आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक के बाद एक कदम जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वे एक के बाद एक कदम जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए उठा रहे हैं। यह बिल जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए है, जम्मू-कश्मीर के विकास को तेजी मिलेगी। मैं नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा क्या नुकसान जम्मू-कश्मीर के लोगों को होने वाला है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। यह वैसा ही विरोध मुझे लगता है, जैसे आप किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य और आधार नहीं है, आपको विरोध करने के लिए विरोध करना है, इसलिए आप इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में अब काम बढ़ गया है। अभी बहुत कुछ करने को है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू-कश्मीर में आ रहे हैं। सेंट्रल स्पोंसर्स स्कीम्स हैं। समय से प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। समय से प्रोजेक्ट्स बने, पूरे हों और पूरी निगरानी भी हो और जो प्रोजेक्ट बनता है, उसके लिए जो पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वह प्रोजेक्ट पर पूरा लगे। इस बिल के माध्यम से यह सब कुछ होने वाला है। आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू शहर के बीचों-बीच एक नदी बहती है। उसका विकास साबरमती नदी की तर्ज पर करना था। इसका प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन अधर में लटका है। जब इसकी तहकीकात की गयी तो यह पाया गया कि ऑफिसर्स कम हैं। एक-एक ऑफिसर्स के पास कई-कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं, समय की कमी की वजह से वे उन प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट्स अधर में लटक जाते हैं। इसलिए हमारे ऑफिसर्स वहां पूरे होने चाहिए, वह इस बिल के माध्यम से होंगे।

मैं अधीर रंजन जी और मसूदी साहब को यहां सुन रहा था। एक तरफ तो कहते हैं कि डीडीसी के चुनाव बहुत अच्छी तरह से हुए हैं और लोग खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग परेशान हैं। मुझे यह समझ नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं, इसने हमें बताया है कि जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति है। चुनावों के रिजल्ट ने भी बताया है कि लोग

चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो। लोगों ने इसका स्वागत किया है, चुनावों में हिस्सा लिया है। बिना किसी घटना के ये चुनाव सम्पन्न हुए हैं। लाखों लोगों ने वोट डाला है और जम्मू में 70 वर्ष में पहली बार उन्हें अपने अधिकार मिले हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी कदम जम्मू-कश्मीर के लिए उठाए जा रहे हैं, वे जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजे कानून बहुत जरूरी है। जम्मू-कश्मीर को बढ़ावा देने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा तो जम्मू-कश्मीर में रोजगार बढ़ेगा। जम्मू-कश्मीर कैडर के अलावा और ऑफिसर्स लेने में, आप सब जानते हैं कि बड़ी परेशानी है और बड़े तरीके लेकर बीच से निकलना पड़ता था, लेकिन वह सब कुछ अब नहीं करना होगा।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू-कश्मीर में आईएएस ऑफिसर्स की कमी नहीं रहेगी। इसका लाभ जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए होगा। जम्मू-कश्मीर का विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए यह कानून पास किया जाए और नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस इस बिल का विरोध न करे, अन्यथा जो हालात आज आपके देश भर में और जम्मू-कश्मीर में हैं, इससे भी बदतर हालात में आप चले जाएंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1400/GG/NKL)

1400 बजे

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): स्पीकर सर, मैं इस बिल की मुखालफत में खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी की एक कनसिस्टेंट पोजिशन है कि जब इस हुकूमत ने दफा-370 को अपनी ब्रूट मेजोरिटी की ताकत की बुनियाद पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको खत्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, और मेरा यह कंटीन्यूअस मॉक ऑफ है। सर, मैं इस बिल की मुखालफत इसलिए भी करता हूँ, क्योंकि इसी ऐवान में खड़े हो कर वजीरे दाखला ने कहा था कि यह हुकूमत, जल्द से जल्द रियासते जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप अपने उस वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर कैडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इज़हार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की रियासत को दोबारा बहाल किया जाएगा, वह सच्चाई पर मुबनी नहीं था। वे सिर्फ अलफ़ाज़ या जुमले थे।

सर, तीसरी बात यह है कि एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुफ में ज्यादा हैं, मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुफ बहुत कम था।

सर, मैं आपके सामने आदाव शुमार आपके सामने रखता हूँ। सैक्रेटी की 24 पोस्ट्स हैं, जिनमें से सिर्फ पांच कश्मीरी मुसलमान हैं। आईएएस की 58 पोस्ट्स में से सिर्फ12 मुसलमान हैं, यानि 17.24 पर्सेंट हैं। सन, 2011 की मर्दुमशुमारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28 फीसदी हमारे हिन्दु भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे कि टायर-2 में दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर्स सर्विस कहते हैं, 220 मुसलमान हैं, यानि 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। सर, आइपीएस में 66 पोस्ट्स हैं, जिनमें से सिर्फ सात ही मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में से 108 यानि 43.54 फीसद मुसलमान हैं।

अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है। यह आपकी गलतफहमी है और आपके दिमाग में जो फीड किया गया है, वह नफरत की बुनियाद पर है। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुरबत की सतह से नीचे का तनासुब 10.21 है और पूरे भारत में 21.92 है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। चौथी बात यह है कि आपके गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रूकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम यह कहते हैं, आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर मुमालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर आप उनको ले कर गए न? आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को ले कर गए। अब तीसरी मर्तबा यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप उनको ले कर जा रहे हैं। आखिर क्या यह हुडियाई नहीं है? क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप ऑल पार्टी के एक डेलिगेशन को ले कर जाइए।

आप यूरोप के डेलिगेशन को कश्मीर ले कर जा रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं।

सर, मैं वजीरे दाखला से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कितने कश्मीर के बच्चे, आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में हैं?

स्पीकर साहब, मैं आपको एग्जाम्पल दे कर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि एक बिलाल अहमद कूपवाड़ा का बच्चा है, जो कि अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, वह श्रीनगर से 1600 किलोमीटर दूर जेल में है। उसका वालिद 25 हजार रुपये में अपनी गाय को बेच कर हाई कोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो और एग्जाम लिखाओ। आप उसको नहीं मानते हैं। एक और फैयाज है जो बरेली की जेल में है। उसका वालिद 35 हजार रुपये का कर्जा ले कर गया। अब आप बताइए। नवीज है, जो बारामुला का रहने वाला है, उसके वालिद जमीन बेच कर गए। आखिर कितने बच्चे पीएसए के तहत जेल में हैं? आप उनको कब छोड़ेंगे।

स्पीकर साहब, मैं आखिर में कह रहा हूँ कि यहां पर जितनी नामनिहाज सेक्युलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इकदाम की ताईद की है, तैयार हो जाइए, यह हुकूम जो करती है, यह दोबारा दोहराएगी। हम तारीख में देखेंगे कि खुदा न खास्ता चेन्नई को अहमदाबाद को बेंगलूरू को, हैदराबाद को, यूनियन टेरेट्री ये लोग बनाएंगे। कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए हैं। यहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठ कर ताली मार रहे हैं, जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बैंगलूरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय-हाय करेंगे। आपकी यह कनसिस्टेंट पॉलिसी है।

सर, इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर से जो सवालात किए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और यह टूजी से फोर जी कर के आपने अहसान नहीं किया है। यह अमेरिका के दबाव में आपने किया है। ब्रैड फेयरमैन से भारत के सफीर ने मुलाकात की। अमेरिका ने स्टटेमेंट दिया और आपने दो दिन में 4जी को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। यह गलत है और इससे कश्मीरी आवाम का का डिसएंपॉरमेंट होगा, एहनिलेशन बढ़ेगा।

शुक्रिया।

(इति)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، میں اس بِل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس لئے کھڑا ہوں، کیونکہ میری پارٹی کی ایک کنسِسٹینٹ پوزیشن ہے کہ جب اس حکومت نے دفعہ370 کو اپنی بروٹ میجوریٹی کی طاقت کی بنیاد پر انکانسٹی ٹیوشنل طریقے سے اس کو ختم کیا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کنسٹی ٹیوشنل بریچ ہے، اور میرا یہ کنٹینیوس موقف ہے۔ سر، میں اس بِل کی مخالفت اس لئے بھی کرتا ہوں کیونکہ اسی ایوان میں کھڑے ہو کر وزیرِ داخلہ نے کہا تھا کہ یہ حکومت، جلد سے جلد ریاستِ جموں و کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کرے گی۔ آج آپ اپنے اس وعدے سے منحرف ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ جموں و کشمیر کیڈر کو ایم گُٹ میں ملا رہے ہیں تو اس سے آپ کی نیت کا صاف اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس ایوان کو اُس وقت وعدہ کیا تھاکہ جموں وکشمیر کی ریاست کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، وہ سچائی پر مبنی نہیں تھا۔ وہ صرف الفاظ یا جملے تھے۔

سر، تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جہاں پر مسلمان تناسب میں زیادہ ہے، مگر پہلے سے افسر شاہی میں ان کا تناسب بہت کم تھا۔

سر، میں آپ کے سامنے اعدادو شمار رکھتا ہوں۔ سیکریٹری کی 24 پوسٹس ہیں، جن میں سے صرف 5 کشمیری مسلمان ہیں۔ آئی۔اے۔ایس۔ کی 58 پوسٹس میں سے صرف 12 مسلمان ہیں، یعنی 17.24 فیصد ہے۔ سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر میں 68.31 مسلمانوں کی آبادی ہے اور 28 فیصد ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے۔ مگر اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹائر-2 میں دوسرے درجے کے 523 انتظامی افسرن ، جسے کشمیری ایڈمِنسٹریٹیو آفیسرز سروس کہتے ہیں، 220 مسلمان ہیں، یعنی 42.6 کشمیری مسلمان ہیں۔ سر، آئی۔پی۔ایس۔ میں 66 پوسٹس ہیں، جن میں سے صرف 7 ہی مسلمان ہیں۔ دوسرے درجے کے افسران میں 248 میں سے 108 یعنی 43.54 فیصد مسلمان ہیں۔

اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا سر، یہاں پر یہ کہا گیا کہ کشمیر بڑا بیکورڈ ہے۔ کشمیر کا خطہ بیکورڈ نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور آپ کے دِماغ میں جو فیڈ کیا گیا ہے، وہ نفرت کی بنیاد پر ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اس خطہ میں غربت کی سطح سے نیچے کا تناسب 10.21 ہے اور پورے بھارت میں 21.92 ہے۔

میں سرکار سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ جموں و کشمیر کی ریاست کے اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے غلط فیصلے کی بنیاد پر دوسرے ایوان میں ایک بھی کشمیری رکن پارلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک بھارت کی تاریخ میں تیسری مرتبہ ہوا ہے۔ میرا چوتھا سوال حکومت سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، آپ کا ماننا سہی ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کےدیگر ممالک کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ ان کو لے کر گئے نہ؟ آپ تو یوروپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے۔ اب تیسری مرتبہ یوروپ کے سفیروں کو 16 فروری کو خبر ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہیں۔ آخر یہ ہوڈیائی نہیں ہے؟ کیوں یوروپ کے لوگ کشمیر جائیں گے؟ آپ آل پارٹی کے ایک ڈیلیگیشن کو لے کر جائیے۔ آپ یوروپ کے ڈیلی گیشن کو کشمیر لے کر جا رہے ہیں۔ کیا آپ چاہ رہے ہیں مداخلت کرنا، اس کو انٹر نیشنلائز آپ کر رہے ہیں۔

سر، میں وزیرِداخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کتنے بچے جو کشمیر کے ہیں، آگرہ کی جیل میں، بریلی کی جیل میں، امبیڈکر کی جیل میں ہیں۔

محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کو ایک مثال دے کر ختم کر رہا ہوں کہ ایک بِلال احمد کپواڑہ کا بچہ ہے، جو کہ امر سنگھ کالج، سری نگر کا ہے، وہ سری نگر سے 1600 کلومیٹر دور جیل میں ہے۔ اس کے والد 25 ہزار روپئے میں اپنی گائے کو بیچ کر ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس بچے کو سری نگر ٹرانسفر کرو اور ایگزام لکھاؤ۔ آپ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک اور فیاض ہے جو بریلی کی جیل میں ہے۔ اس کے والد 35 ہزار روپئیے قرض لے کر گئے۔ نویزہے، جو بارہ مولہ کا

رہنے ولا ہے، اس کے والد زمین بیچ کر گئے۔ آخر کتنے بچے پی-ایس-اے۔ کے تحت جیل میں ہیں؟ آپ ان کو کب چھوڑیں گے؟

اسپیکر صاحب، میں آخر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنی بھی نام و نہاد سیکیولر پارٹیوں نے حکومت کے اس اقدام کی تائید کی ہے۔ تیار ہو جائیے، یہ حکومت تو کرتی ہے نہ، یہ دوبارہ دوہرائیگی۔ ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ چینئی کو احمد آباد کو، بنگلوروں کو، حیدرآباد کو، یونین ٹیرٹری یہ لوگ بنائیں گے۔ یہ کشمیر میں تو ایک ایگزامپل بنا دئیے ہیں۔ یہاں تجربہ کیا گیا۔ آج یہ سب بیٹھ کر تالی مار رہے ہیں، جب لکھنو یو-ٹی۔ بنے گا، جب بنگلورو یو-ٹی۔ بنے گا، جب ممبئی یو-ٹی۔ بنے گا اس وقت ہائے-ہائے کریں گے۔ آپ کی یہ کنسِسٹینٹ پالیسی ہے۔

سر، اس لئے میں نے ہوم منسٹر سے جو سوالات کئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ 2جی سے 4جی کا آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ یہ امریکہ کے دباوُ میں آپ نے کیا ہے۔ بریڈ فیرمین سے بھارت کے سفیر نے ملاقات کی۔ امریکہ نے اسٹیٹمینٹ دیا اور آپ نے دو دن میں 4-جی بحال کر دیا۔ آپ اس مسئلے کو انٹر نیشنلائز کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہےہ اور اس سے کشمیری عوام کا ڈس امپاورمنٹ ہوگا ایلینیشن بڑھے ہوگا، بہت شکریہ سر۔۔

(ختم شد)

(1405/MMN/RV)

1405 hours

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, the Union Government has planned the merger of J&K cadre of IAS, IPS and Indian Forest Service into the UT cadre. The J&K All-India Services ceased to exist for fresh inductees when the Modi Government recently re-categorised the State into two UTs, J&K and Ladakh, after scrapping article 370.

According to the J&K Reorganisation Act, which came into force in October, 2019, the cadre was merged into the AGMUT cadre. The law, however, stated that the officers already serving in the J&K cadre would continue in the existing cadre.

The cadre controlling authority of AGMUT is the Ministry of Home Affairs while that of other States, it is the Department of Personnel and Training. I think this merger will create more confusion and fear. There is no clarity on it. It will leave the serving officers confused and unsure about their future prospects.

Our hon. Prime Minister and the hon. Home Minister have said on record in this House that the UT status of J&K is a temporary provision till the law and order situation improves in J&K. Then, what sense does it make to permanently merge the J&K cadre with the UT cadre?

There is also a need to formulate a transfer policy for the officers to be transferred to Ladakh. It should be with the consent of the officers and it is not to make J&K and Ladakh another place of punishment posting for the officers who do not toe the Government line.

*Sir, I want to say something important. Punjab has had a very close relationship with Jammu and Kashmir. Guru Tegh Bahadur ji sacrificed his life for the sake of Kashmiri Pandits. Maharaja Ranjit Singh, the ruler of Punjab, had also ruled over Kashmir for forty years. He helped develop Jammu and Kashmir and took it to new heights.

In 1948-49, when tribals & Pakistani soliders attacked Kashmir and had almost captured Srinagar, then Sikh regiment soldiers gave the invaders a

---

* Original in Punjabi.

befitting reply and pushed them back. They helped Kashmir remain out of the clutches of Pakistan.

Sir, Punjabi speaking people comprise 2% of Kashmir's population. In Canada, U.S.A. and U.K., Punjabi has been accorded the status of one of the official languages. The Dogri language spoken by a large number of people in J&K is similar in nature to the Punjabi language.

HON. SPEAKER: Hon. Member, please conclude.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHDOOR SAHIB): Sir, I request the Hon. Home Minister Sir to grant Punjabi the status of an official language of Jammu & Kashmir so that the dignity of Punjabi speakers is maintained in the state.

Thank you. Jai Hind.

(ends)

1409 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस बिल को लेकर श्री किशन रेड्डी जी आए, उस पर श्री अधीर रंजन चौधरी जी से लेकर जसबीर सिंह जी तक इस सदन के 18 सम्माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। कुछ लोगों ने पक्ष में रखे, कुछ ने विपक्ष में रखे। कुछ लोगों ने तथ्यात्मक रखे, कुछ लोगों ने राजीनीतिक तरीके से रखे और मैंने सबको करीब-करीब ध्यान से सुना है।

(1410/MY/VR)

मैं जो नहीं सुन पाया, उसको मैंने यहाँ पर बैठकर नोट किया है। हमारे ऑफिसरों से भी जानकारी प्राप्त हुई और मेरे साथी एमओएस से भी प्राप्त हुई है। उसको मैंने पढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कृपया जम्मू-कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दें, जिससे जनता गुमराह हो जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे, उस दिशा में आपने क्या किया है। मैं जरूर इसका जवाब दूँगा। आपने मुझे जवाब देने का मौका भी दिया है। अभी धारा 370 हटे हुए 17 महीने हुए हैं और आप हमसे हिसाब माँग रहे हैं। 70 साल तक आपने क्या किया है, क्या आप इसका हिसाब लेकर आए हैं? आपने 70 साल तक क्या किया है? अगर आप 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब माँगने का समय ही नहीं आता।

माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहाँ पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड आ गया। लगभग एक साल तक सब कुछ बंद रहा और आप हमसे हिसाब माँग रहे हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हिसाब देता हूँ। मैं पाई-पाई का हिसाब देता हूँ, एक-एक काम का हिसाब देता हूँ, एक-एक बात का हिसाब देता हूँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका मिला, वे जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब माँगने के लायक है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, लेकिन वह भी चले गए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है। इस मामले में कोर्ट में लंबी बहस हुई और बाद में पाँच जजों की बेंच को यह मामला सौंप दिया गया। अगर इतनी अनकन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती तो सर्वोच्च अदालत को कानून पर रोक लगाने का पूरा अधिकार था और वह रोक लगा देती। परंतु यहाँ पर कोई स्टे नहीं है, सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता है। उन्होंने उसको विचाराधीन रखा। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी, तब हम जरूर जाएंगे और जवाब देंगे। इसमें सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी यह कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण हम जम्मू-कश्मीर के पूरे विकास को रोक कर बैठ जाए। वहाँ पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए।

माननीय सदस्य श्री तिवारी जी मुझे कह रहे हैं कि हम जाएं और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दें कि इसकी जल्दी सुनवाई कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसे हटाया है। लेकिन, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हैं। ना हाँ और न ना, आप बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं और दोनों ओर बोल रहे हैं। यह तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकते हैं कि जल्दी सुनवाई कीजिए। यह भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है। जिसमें 70, 80 और 100 वकील खड़े होंगे, पार्टियाँ इतनी होंगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। यह आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसके एक बड़े हिस्से की सुनवाई हो चुकी है। पाँच जज का बेंच भी बन चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई की मोड से पुन: फिर से एक बार आमने-सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक हम कोई काम नहीं करें। यह किस प्रकार का उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं।

(1415/CP/SAN)

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी. सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि यह बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। बिल को पॉयलट तो मैं कर रहा हूँ, लेकर मैं आया हूँ, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहाँ से ड्रॉ करते हो? अपने मन की आशंकाओं को जम्मू-कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूँ कि इस बिल का जम्मू-कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेना-देना नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। यह कह रहे हैं कि स्टेटहुड ही देना है तो एगमुट में क्यों लेकर आए? जरा एगमुट कैडर को ही समझ लेते हैं। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है, क्या गोवा राज्य नहीं है, मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही हैं। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। ये सारे राज्य हैं और एगमुट कैडर के अंडर में हैं, जहाँ पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहाँ पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वे राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एगमुट कैडर के हैं, वही मसूरी में ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जहाँ जम्मू-कश्मीर कैडर के लोग पहले ट्रेनिंग लिया करते थे। यह ऑल इंडिया कैडर है और ओवैसी साहब इसका हिन्दू-मुस्लिम में विभाजन करते हैं। आपके मन में सब चीज हिन्दू-मुस्लिम है। ओवैसी जी, मैं तो आपको समझता हूँ। आप देश के अफसरान को भी हिन्दू-मुस्लिम में डिवाइड कर दें। आपका क्या कांसेप्ट है? एक हिन्दू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। हम किस प्रकार के देश में आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या को हिंदू-मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आपको सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेकुलरिजम? …(व्यवधान) हिंदू-मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगा, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए।

उन्होंने एक और निवेदन किया कि टू जी से फोर जी विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है, जिसका वे समर्थन करते थे, वह यूपीए की सरकार चली गई है। यह नरेन्द्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले यह देश करता है। इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलायी जाएं, इसके लिए समय चाहिए था। अधीर रंजन जी, आप हमें ही टू जी और फोर जी पूछ रहे हैं। आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर, टू जी, फोर जी छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। उस वक्त सारे अधिकार कहां गए थे? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त सारे अधिकार कहां गए थे? जब विपक्ष में बैठते थे, तब अपने समय में क्या किया था, वह भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें टू जी और फोर जी का कह रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का, सलामती जहां नहीं होगी, वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। यह नई फैशन शुरू हो गई है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा। यह तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था, कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने बड़े-बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कह दिया कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। मैं एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं। मैं मानता हूं कि पूर्ववत सरकारों ने भी जो वादे किए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। धारा 370 के बारे में कहा गया कि धारा 370 और 35(ए), देश की सरकार का जम्मू-कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था।

(1420/NK/SNT)

यह एग्रीमेंट जरूर था, लेकिन हम लोग पढ़ने में टेम्परेरी शब्द भूल जाते हैं। यह टेम्परेरी था, जो लोग सत्रह महीने का मेरे से हिसाब पूछ रहे हैं कि स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैंने भी कहा है कि स्टेटहुड टेम्परेरी है। सत्रह महीने में ही हिसाब मांगते हैं, टेम्परेरी धारा 370 सत्तर सालों तक चली, उस वक्त हिसाब क्यों नहीं मांगते थे? टेम्परेरी प्रोविजन कब तक टेम्परेरी रहेगा। टेम्परेरी प्रोविजन को क्यों नहीं उखाड़ देते, क्यों कोई नहीं पूछता था क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हो रही थी। यह सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती है। यह सरकार देश के हित में फैसला करती है। यह सरकार देश की भविष्य को सुधारने के लिए काम करती है।

हम आएंगे और जाएंगे, लोकतंत्र में जीतेंगे और हारेंगे, हम इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर नहीं रख सकते है और न ही हम रखना चाहते हैं। यह आपकी पॉलिसी है और आपको ही मुबारक हो।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल ऑफिसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे भला कोई समझाए, देश भर में आईएएस व आईपीएस ऑफिसर भेजे जाते हैं तो क्या लोकल आफिसरों का अधिकार चला जाता है तो जम्मू-कश्मीर में कैसे चला जाएगा?

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आपने रेशियो बदल दिया है, 50-50 से 67-73 कर दिया है।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है, बंगाल में भी यही रेशियो है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, कश्मीर में अलग था।

श्री अमित शाह: महोदय, अलग क्यों रखना? क्या कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? क्यों इसे अलग रखना। कश्मीरी युवाओं को देश के ऑल इंडिया कॉडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाई होता और स्कूल न जला दिए गए होते, बच्चों को मदरसों में जाने के लिए मजबूर न करते तो कश्मीर के बच्चे भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जला दिए गए? आप मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। इतने लोग मर गए और क्या-क्या हो गया? मनीष भाई, याद कीजिए, कांग्रेस का शासन क्या होता था, हजारों लोग मारे जाते थे और सालों तक कर्फ्यू रहता था, परिस्थितियों का आंकड़ों के आधार पर आकलन कीजिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे तू-तू, मैं-मैं होती है।

कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है। जो अशांति का समय था, मैं उसे अब याद नहीं करना चाहता हूं। भगवान करे, कभी ऐसी अशांति दोबारा न हो, न ही होगी क्योंकि अब हमारी सरकार है। मसूदी साहब कहते हैं, अस्सी प्रतिशत जगह पर डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरोसा क्यों नहीं है? देश के हर राज्य की स्थिति है कि डायरेक्ट रिक्रूटेड ऑफिसर होते हैं। इसका प्रो-रेटा है, जब लोकल ऑफिसरों का प्रोमोशन होता है तो वह भी जगह लेते हैं। पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्रास्ट्रक्चर इसी के आधार है। जम्मू-कश्मीर में चीप पोपुलेरिटी के लिए यह कहना कि अस्सी प्रतिशत ऑफिसर बाहर के हैं। कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान हैं और इसी भारत में जन्मे हुए हैं, बाहर का क्या होता है?

नई पैटर्न और नई फैशन विकसित की गई है, बाहर का है। दादा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। यह गलत रास्ता है। इस रास्ते से देश की भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को दे दिया, मणिपुर को दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? मसूदी साहब, आप जरा सच बोला कीजिए, आप जज हैं और सब कुछ पढ़ते हैं। सभी अकार्ड निकाल कर पढ़िए, किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दिया है। वर्ष 1950 से हमारे देश की जनता से एक वादा था कि इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में इसको समाप्त कर दिया है।

मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें कीं और मैं भी करना चाहता हूं। धारा 370 से क्या मिला, गृह मंत्री जी इसका हिसाब दें। आपने कहा है तो मैं हिसाब दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार के आने के बाद वहां पंचायती राज की शुरूआत हुई है, पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है।

(1425/SK/RBN)

जब देश का संविधान लिखा गया और संविधान की एडिटिंग का काम समाप्त हो गया तो डॉ. अम्बेडकर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट की थी। डॉ. अम्बेडकर के उस वाक्य को इस देश के लोकतंत्र को स्वर्ण अक्षरों में मंडित करके रखना चाहिए। उन्होंने कहा था- राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब, दलित और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, जबकि कश्मीर में अब तक राजा रानी के पेट से ही पैदा हुए। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, इसीलिए उनको धारा 370 स्यूट करती थी।

मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए। अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7 परसेंट वोटिंग हुई। कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी। यहां शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन में चुनाव कैसे हुए थे, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता हूं। परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता है, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ है, अशांति हुई है, अवसर का उपयोग किया है। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। 51 प्रतिशत मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है। जिन्होंने धारा 370 वापस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था, वे साफ हो गए। उनके साथ कश्मीर की जनता को मैंडेट भी नहीं रहा, चुनाव हारे हैं।

दिसंबर 2018 में पंचायत के चुनाव में 74 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ। कुल 4483 सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए। 35029 क्षेत्रों में से 33000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे, मत पत्र से लेंगे, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, सरपंच बना है, जिला पंचायत का सदस्य बना है कल एमएलए बनेगा, उसे किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू-कश्मीर की अवाम उसे अपना नेता बना लेगी। नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में माहिर हैं।

जम्मू-कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, मैं इसके लिए जम्मू-कश्मीर की जनता, सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू-कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से देश के गृह मंत्री होने के नाते बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी, उसे आप सबने मिलकर पूरा किया है।

हम चुनाव कराकर नहीं रुके, उनको अधिकार दिया, उनको बजट दिया गया। पहले 5000 रुपये भी सरपंच को सरकार से मांगने पड़ते थे, ऐसी स्थिति थी। आज हमने उनको स्थिरता प्रदान की है। पंचायतों को सुदृढ़ किया है। वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे के पूरे 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया है। उनके बैंक एकाउंट में लगभग 1500 करोड़ रुपये सीधे डालकर जम्मू-कश्मीर के गांवों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है।

उनको मध्याह्न भोजन योजना सौंपी गई, आंगनवाड़ी सौंप दी गई, आईसीडीएस सौंप दिया गया, मनरेगा के काम की मॉनिटरिंग सौंप दी गई। अभी-अभी एलजी साहब ने निर्णय किया है, खनन का अधिकार पंचायती राज संस्थानों को दे दिया। देश में ऐसा कहीं नहीं है। इससे वे आत्मनिर्भर होंगे और अपने गांवों का विकास करेंगे। डिसैंट्रलाइजेशन किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम धारा 370 हटाने के कारण हुआ है, जो 70 साल तक नहीं हो सका था।

माननीय अध्यक्ष जी, बीडीसी के अध्यक्ष को डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है। आतंकवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच, पंच और बीडीसी अध्यक्ष के लिए 25 लाख की राशि की व्यवस्था की गई है।

(1430/MK/SRG)

उनकी क्षमता संवर्द्धन के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी बनाया है, क्योंकि वे लोग काफी नए हैं। वहां परम्परा ही नहीं थी। वहां नई परम्परा स्थापित हो रही है। इनकी ट्रेनिंग के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। स्थानीय ईकाइयों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि क्या फर्क आया है? फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, वहां पर सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे। केवल चुने हुए प्रतिनिधि और एमएलए जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर दो दिन और एक रात का निवास करना कम्पलसरी कर दिया है। अब वे वहां जाकर जमीनी स्थिति देखने लगे हैं। यह उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के जो काम अटके हैं और जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का काम किया गया है। उन्हें पंचायत को सशक्तिकरण करने का काम दिया गया है। प्रत्यक्ष रूप से वहां यह अभियान दो बार चला है। उसमें से लगभग 20 हजार छोटे-मोटे काम सामने आए हैं। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब बनाना था, तालाब तो था, मगर, उसमें पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर लिए गए थे, ऐसे 20 हजार से ज्यादा काम ढूंढ़े गए। वे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। तीन बार यह कार्यक्रम हुआ है और बहुत सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जनभागीदारी नहीं हुई। पांच लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास आदि के प्रमाण-पत्र वहीं मौके पर दिए गए। उन्हें जम्मू-कश्मीर की राजधानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये निरंतर चलने वाले कार्यक्रम हैं। ये पूछते हैं कि हमने क्या किया है? इसलिए, मैं इनको बताता हूं। 50 हजार परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10 हजार युवाओं को कवर किया गया है, छह हजार नए काम शुरू किए गए और 4440 क्रिकेट और फुटबॉल की किट गांव में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट के बैट दिए गए। इसकी व्यवस्था हमने की है। 'मेरा शहर, मेरा गौरव' के तहत यह काम शहरी विकास के लिए भी किया है।

जहां तक विकास के काम को गति देने का सवाल है, मोदी जी जब से प्रधान मंत्री बने, तब से जम्मू-कश्मीर उच्चतम प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर ने बहुत सहा है। मैं उनके दर्द को कुछ शब्दों में यहां बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सहा है। प्रधान मंत्री विकास पैकेज 'पीएम योजना' की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण हुआ और मेगा विकास का जो पैकेज था, उसके तहत 58627 करोड़ रुपये के परिव्यय की 54 योजनाएं थीं। बाद में, व्यय 26 परसेंट और बढ़ाया गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से सात केंद्र की थीं और 13 संघ राज्य की थीं। ये काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। 54 में से 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी 8 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार, हमने 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने काम कर दिया है।

आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में काम शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। जम्मू के रिंग रोड को हम वर्ष 2021 में पूरा कर देंगे। 8.45 किलो मीटर लम्बी बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। सबसे बड़ी बात यह है, पीयूष भाई यहां बैठे हैं, वर्ष 2022 में हम कश्मीर की घाटी को रेलवे से जोड़ने का काम भी समाप्त कर देंगे। दादा जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वह अब हो रहा है। यह आपको मालूम होना चाहिए। चिनाब नदी पर 359 मीटर विश्व की सबसे ऊंची रेल पुल का निर्माण कार्य चालू है। यह अगले साल पूरा हो जाएगा। शहरी परिवहन के लिए लगभग 10599 करोड़ का डीपीआर तैयार कर दिया गया है। लाईट, रेल और ट्रांजिट सिस्टम को भी हम चार वर्ष में पूरा करेंगे।

(1435/SJN/AK)

जम्मू और कश्मीर में उसके दो कॉरिडोर होंगे। परियोजना के डीपीआर को आकार दे दिया गया है।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर राज्य में हाइड्रो पावर की बहुत बड़ी संभावनाएं थीं। मगर उसका दोहन नहीं होता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक से नहीं चलता था। आप जो कह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां अफसर चाहिए। हम जम्मू-कश्मीर को मंथर गति से नहीं चलाना चाहते हैं। हम जम्मू-कश्मीर के विकास को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं। इसीलिए अफसर चाहिए, इसीलिए वहां अफसर भेजना चाहते हैं।

मान्यवर, वहां पर प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। वहां लगभग 14,867 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता तराशी गई है। उसमें से 70 सालों में 3,504 मेगावाट का दोहन किया गया है। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि 14,000 मेगावाट में से 3,500 मेगावाट का दोहन हुआ था। जो अभी 17 महीने का हिसाब पूछते हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि 70 वर्षों में 3000 मेगावाट और सिर्फ 17 महीनों में 3,490 मेगावाट का काम हम शुरू कर चुके हैं। आपकी चार पीढ़ी ने जो काम किया है, हमने डेढ़ साल के अंदर वह काम किया है। आपको यह मालूम होना चाहिए। पिछले दो वर्षों में लगभग 3,000 मेगावाट की जो परियोजनाएं बंद पड़ी हुई थीं, उनको भी चालू करने का काम किया गया है। 3,300 मेगावाट की नई परियोजनाएं शुरू करेंगे। पाकल दुल 1,000 मेगावाट की है और कीरू 626 मेगावाट की है। सावलाकोट 1,856 मेगावाट, दुलहस्ती दूसरा चरण 258 मेगावाट, उरी (एक) दूसरा चरण 240 मेगावाट और छोटी पनबिजली योजनाएं लगभग 12 मेगावाट की हैं, जो 123 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी।

मान्यवर, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता था, मगर मुझे उकसा-उकसाकर हिसाब मांगा गया है। मैं भी क्या करता? इसलिए मैं डिटेल में बताना चाहता हूं। सबके लिए बिजली बन तो जाएगी, लेकिन पहुंचेगी कैसे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांवों तक होना चाहिए, बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन घरों तक होना चाहिए। इसलिए हमने 'सौभाग्य योजना' के तहत जम्मू-कश्मीर के शत-प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।...(व्यवधान) हम कर चुके हैं। 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 सालों से बिजली नहीं मिली थी, हमने इन 17 महीनों में उनको बिजली देने का काम किया है। ये हिसाब मांगते हैं।...(व्यवधान) इस वर्ष 36 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाकर

एलओसी पर स्थिति केरन और मुंड़ियां जो कि अंतिम गांव हैं, हमने उनको भी बिजली से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। पहले वहां डीजल जेनरेटर से सिर्फ तीन घंटे सरकार की ओर से बिजली दी जाती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था की गई है।

मान्वयर, बिजली के साथ एक चीज और जीवन की महत्वपूर्ण जरूरत है। ये फोर-जी को मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हिसाब से फोर-जी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर हमारी मान्यता अपनी जगह स्थिर है। फोर-जी भी जरूरी है, मगर जल अत्यंत जरूरी है। इसलिए सितंबर, 2022 तक सभी 18.16 लाख परिवारों को पाइप के द्वारा घर में पानी पहुंचाने की योजना पूरी कर ली जाएगी। जब मैं यह कह रहा हूं, तब पूछेंगे कि आप तो वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं। अभी चार जिलों के शत-प्रतिशत घरों में पानी पहुंचाने का काम हम पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2022 तक हम बाकी के जिलों का काम पूरा करेंगे। उसके साथ हमने विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को भी जोड़ने का काम किया है।

मान्यवर, हमने यह तय किया है कि वर्ष 2020-21 के अंदर ही 5,300 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें 700 किलोमीटर की सड़क कश्मीर में और 4,600 किलोमीटर की सड़क जम्मू में बनेगी। हर गांव को वर्ष 2022 यानी आज़ादी के 75 साल तक सड़क से जोड़ने का काम भी हम जम्मू-कश्मीर में पूरा कर देंगे। इसका बजटरी प्रोविज़न भी हो गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा आर्टिकल 370 और 35ए जैसे झुनझुने पकड़ाते थे। न बिजली की बात करते थे, न पानी की बात करते थे, न नौकरियों की बात करते थे, न स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू-कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता तीन परिवारों ने क्या की है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने 70 साल तक शासन किया है, आपने जम्मू-कश्मीर की आवाम के स्वास्थ्य के लिए क्या किया है? आप उसका हिसाब लेकर आइए और हमारे एमपीज़ के साथ चर्चा कीजिए।

(1440/YSH/SPR)

मान्यवर, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार के कालखण्ड में और 17 महीनों में, ये 17 महीने, 17 महीने बोलते रहते हैं, इस दौरान हमने जम्मू कश्मीर में पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपये की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

मान्यवर, 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्ष 2022 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया जच्चा-बच्चा अस्पताल, जम्मू में हड्डी व जोड़ के नए अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक्स, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण, इसके तहत आता है। देश भर के 60 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' का आशीर्वाद देकर पाँच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है।

मान्यवर, मसूदी साहब पूछते थे कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया है? क्या किया? एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, शासन का जनता के साथ एग्रीमेंट होता है। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है। देशभर के अन्दर पाँच लाख तक की स्वास्थ्य योजना, जो 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना' के नाम से जानी जाती है, 'पीएम जय योजना' के नाम से जानी जाती है, वह गरीबों के लिए है। प्रधान मंत्री जी जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना को लेकर आए। उसके तहत जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो, रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को पाँच लाख तक की सुविधा आरोग्य के लिए देने का काम किया है।

मान्यवर, मैं देखता था। मैं वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में उपस्थित था। लोगों की आँखों में आँसू थे। एक बूढ़ी महिला, कश्मीर घाटी की माँ बता रही थी कि हमारी 70 सालों तक किसी ने चिंता नहीं की। नरेन्द्र मोदी जी ने आकर हमारी चिंता की और आज मुझे इलाज करवाने के लिए किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरी सरकार वहाँ बैठी है, जो मेरा इलाज करवाएगी। मान्यवर, हमने हर एक व्यक्ति को 'सेहत योजना' के तहत कवरेज देने का काम किया है और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर बहुत कम राज्यों में से एक राज्य है, जिसका हर एक व्यक्ति 'स्वास्थ्य योजना' के तहत कवर किया गया है।

मान्यवर, हम कोविड के खिलाफ लड़ाई भी इसी समय लड़े, जो 17 महीने का हिसाब मांगा जाता है, उसी दौरान लड़े और सबसे अच्छा कोविड़ प्रबंधन एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। टीकाकरण का काम भी बहुत स्मूथ तरीके से घाटी और जम्मू दोनों तरफ चल रहा है।

मान्यवर, हमने एम्स की स्थापना की है। दो एम्स बनाने का काम किया है और लगभग 4 हजार करोड़ रुपये एम्स के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर भेजे हैं। इसकी शुरूआत हो गई है। 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है। 70 साल में तीन थे और 17 महीने में 7 कॉलेजेस हैं। अनंतनाग, बारामुला, राजौरी, डोडा, कठुवा, हंदवाड़ा और उधमपुर में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की शुरूआत हुई है और हमने उनमें से पाँच मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को, एक टेम्परेरी परिसर के अन्दर शिफ्ट व्यवस्था के आधार पर पढ़ाने का काम काज शुरू कर दिया है। किसी की राह नहीं देखी है। हम वर्ष 2022-23 तक दो मेडिकल कॉलेज भी चालू कर देंगे। जम्मू कश्मीर के लगभग-लगभग 1100 बच्चे डॉक्टर बनकर वहाँ के गरीबों की सेवा करेंगे। हमने ऐसी व्यवस्था की है। आप हमें पूछ रहे हो कि हमने क्या किया? क्या आपने कभी इतनी संवेदना के साथ काम किया था। मान्यवर, तीन परिवार धारा 370 का झुनझुना दिखाकर शासन करते रहे। आपने कितने सालों तक शासन किया? माननीय अध्यक्ष जी, जो असुविधाएं थी, जो कष्ट था, जो दुख था, उसको एड्रेस करने का इन्होंने कभी काम नहीं किया। अध्यक्ष जी, हम वहाँ पर (15) पंद्रह एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी चालू कर रहे हैं, उसकी मंजूरी दे दी गई है और जिसमें पाँच नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करने का प्लान रखा है। हमने राज्य कैंसर संस्थान भी शुरू किया है। एक श्रीनगर में है और दूसरा जीएमसी जम्मू में है।

(1445/RPS/UB)

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने अलग-अलग लगभग 115 योजनाएं नरेन्द्र मोदी जी के शासन में आने के बाद इस देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के लिए बनाई हैं, मगर उनका वहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, जब से राष्ट्रपति शासन लगा, तब से लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। तीन लाख 57 हजार 405 लाभार्थियों को इसमें कवर किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख 60 हजार 685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया है। उजाला योजना के तहत 79 लाख 54 हजार लाभार्थियों के घर में उजाला करने का काम हमने किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 प्रतिशत, शत-प्रतिशत घरों को आज ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का शत-प्रतिशत इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा के लगभग आठ लाख लाभार्थी हैं, LPG DBT के लगभग 31.77 लाख लाभार्थी हैं। केसीसी ऋण और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो लक्ष्य दिया गया था, वह पूरा हो गया है, अब हर किसान को छ: हजार रुपये उसके बैंक एकाउण्ट में किसी बिचौलिए के बगैर मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसके अतिरिक्त 2019-20 में जो छात्रवृत्ति थी, उसका कवरेज इन 17 महीनों में तीन गुना बढ़ा दिया गया है, अब आठ लाख छात्रों को डीबीटी के माध्यम से प्री और पोस्ट छात्रवृत्ति मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2021 तक हमने लक्ष्य रखा है कि अन्य साढ़े 9 लाख लोगों को छात्रवृत्ति की कवरेज में लेकर आएंगे।

मान्यवर, मनीष जी ने कहा कि जम्मू में इतनी फैक्टरियां बन्द हो गई हैं और इसी कालखण्ड में बन्द हो गई हैं। मनीष जी, सिर्फ रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए कह रहा हूं कि फैक्टरियां बन्द होने की रेंज 18 साल की है। 18 साल में बन्द हुई सभी फैक्टरियों का आंकड़ा आपने 17 महीनों के एकाउण्ट में डाल दिया है। वह रिकॉर्ड जरा क्लियर करना चाहिए। 18 साल में जितनी फैक्टरियां बन्द हुई हैं, उनका आंकड़ा इन्होंने 17 महीनों में डाल दिया है, इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लियर कर दूं।

मान्यवर, अब ये कहते थे कि 17 महीनों में क्या हुआ? जम्मू-कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ी हर्डल यह थी कि यदि वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसे भूमि नहीं मिल सकती थी। अनुच्छेद 370 हटाई, उसके बाद जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति बनी है कि जम्मू-कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएं। छ: महीने पहले ही हमने यह कार्य किया और कानून लाए हैं। अब भूमि मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। वहां उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार ने एप्रूव किया है और जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी इसको एप्रूव कर दिया है।

मान्यवर, उनको मालूम है कि कोविड के कारण पूरे विश्व में मन्दी है। मनीष जी पंजाब से आते हैं, जरा पंजाब के आंकड़े लेकर आ जाएं, वहां आपकी सरकार है। राजस्थान के आंकड़े लेकर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के आंकड़े लेकर आ जाओ, जहां तक मन्दी की बात है, इन सबसे जम्मू-कश्मीर के आंकड़े अच्छे हैं।

मान्यवर, ये मन्दी की बात कर रहे हैं, मन्दी के बारे में पूछ रहे हैं, पहले इंडस्ट्री लगती ही नहीं थी। मैं उस पर बाद में आता हूं। आपके शासन में 12 साल तक सारे स्कूल बन्द रहे। पूरे स्कूल बन्द

रहे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया और अब आज आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं। तनिक ढंग से सोचिए कि हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए।

मान्यवर, ये 4जी के बारे में बोलते हैं, आपने तो मोबाइल ही बन्द कर दिए थे। 4जी, 2जी, 1जी, ज़ीरो जी – कोई जी वहां नहीं था, मोबाइल ही बन्द था, सिम कार्ड ही बन्द था और आज ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं?

मान्यवर, हम जो योजना लेकर आए हैं, ये लोग जो यहां कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आई, अब वहां जाकर अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी जमीन चली जाएगी। मैं जम्मू-कश्मीर की आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है, सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू-कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। अब सरकार की वह जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता है, यह नरेन्द्र मोदी की सरकार है। वह जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योगों के लिए है।

(1450/SPS/KMR)

इस जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। एक लैंड बैंक बनाई है। मैं इस विषय पर आगे आता हूं। हम जो पैकेज योजना लाए हैं, इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपये का वर्ष 2037 तक पूरा व्याप रखा है। इससे लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इसमें तीनों प्रकार की सहायता देने वाले हैं।

मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, उनको पांच सौ करोड़ रुपये तक के ऋण को 6 प्रतिशत ब्याज पर भारत सरकार देगी। इससे उनको उद्योग लगाने में बड़ी सहायता हो जाएगी। हमने जीएसटी के लिए भी पैकेज में बहुत सारा आयोजन किया है। उद्योग में जो उसके प्लांट और मशीनरी की वैल्यू होगी, उसके 300 प्रतिशत तक उसको जीएसटी रिफण्ड किया जाएगा, पूरा का पूरा 300 प्रतिशत। एक मायने में जैसे, वह 100 रुपये लगाएगा तो उसको सरकार 300 रुपये जीएसटी के माध्यम से वापस दे देगी। ये पूछेंगे कि इसको सब्सिडी क्यों नहीं बनाया है, हमने इसको सब्सिडी इसलिए नहीं बनाया है, जिससे कि फर्जी उद्योग न लगें। जीएसटी तभी भरा जाता है, जब उद्योग चलता है। जब उद्योग चलता है तो रोजगार मिलता है, उद्योग चलता है तो बिजली की खपत होती है, उद्योग चलता है तो बाकी एन्सिलरी इंडस्ट्रीज भी लगती हैं। जो उद्योग चलाएगा, उसको 100 रुपये लगाने पर 300 रुपये तक का जीएसटी रिफण्ड वापस दे दिया जाएगा।

मान्यवर, छोटे उद्योगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। मैंने जो कहा है - लैंड बैंक, आपको आश्चर्य होगा कि 29,030 कैनाल का लैंड बैंक बनाया गया है, जो सरकारी है। जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति की कोई जमीन नहीं जानी है। ये 29,030 कैनाल जो है, इतना ही है कि हम इनके लिए रोशनी लेकर आएंगे, रोशनी लाकर अंधेरा नहीं करेंगे। जो सरकारी जमीन थी, वह आपने रोशनी के नाम पर अपने चट्टों-बट्टों में बांट दी। हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्रीज को देंगे तो इंडस्ट्रीज इसके अंदर विकसित होंगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की

खपत बढ़ेगी, जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह अपने आप आत्मनिर्भर राज्य बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी बहुत आगे बढ़ाया है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। युवाओं की नौकरियों के लिए हमने त्वरित भर्ती अभियान भी चालू कर दिया है। वर्ग चार में दस हजार रिक्तियां चिह्नित की गई हैं और 8,575 रिक्तियां सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापित कर दी गई हैं। पहले इसमें बहुत चिट्ठियां चलती थीं। कितनी योग्यता है, इसके आधार पर नौकरियां नहीं देते थे, चिट्ठियों से नौकरियां बांटी जाती थीं। हमने इन सारी नौकरियों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञापन देकर भरने का निर्णय किया है। जो क्लास थ्री और क्लास फोर है, उसमें मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लगभग 14,161 पदों के लिए सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन कर दिया है और 2,050 पदों के लिए लिखित परीक्षा शुरू हो गई है, यह मैं क्लास वन और क्लास टू की बात कर रहा हूं और इसमें 324 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर वर्ष 2022 के पहले 25 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन करके 25 हजार युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे।

मान्यवर, बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15 हजार छोटे-छोटे ऋणों के मामले दिए गए हैं। ये मामले पहले भी दिए जाते थे, लेकिन सिर्फ सूची ही रह जाती थी। मुझे यह कहते हुए आनंद है कि लगभग 4,600 महिलाओं सहित 19 हजार मामलों में से 15 हजार मामलों को लोन देने का काम भी समाप्त कर लिया गया है और वे अपनी छोटी-छोटी इकाइयां चालू कर रहे हैं। युवा उद्यमों के लिए 242 करोड़ रुपये का लोन और दिया गया है। मिशन यूथ के तहत भी ढेर सारे काम किए हैं। उन्हें क्रिकेट और फुटबॉल की किट दी गई है। बहुत सी चीजें हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं।

(1455/RAJ/GM)

हम आविष्कार, नवाचार और इनक्यूबेशन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से क्षमता निर्माण के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह ग्रामीण बीपीओ स्थापित किए जाएंगे और आईटी टावर्स भी बढ़ाए जाएंगे। जो हस्ताक्षर किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक साल के अंदर वे आईटी टावर्स अपना काम करने लगेंगे। हम ने बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, चाहे वह विद्युत का क्षेत्र हो, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो या वित्तीय सुधार हो।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो सरकार आती थी, उनके लोगों की ही सुनवाई होती थी। अभी जम्मू-कश्मीर, एलजी ने अपने खुद के स्तर पर संस्थागत तंत्र और व्यक्तिगत बैठकें करके तहसील तक की सभी फरियादें जम्मू-कश्मीर, एलजी तक आ जाए, इस प्रकार का एक साइंटिफिक खाका तैयार किया है। इससे छोटे से छोटे व्यक्ति की फरियादों पर भी सुनवाई की जाएगी। इसलिए मैं यह कहता हूं, अम्बेडकर जी का एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि राजे रानी के पेट से नहीं आने चाहिए, जनता के वोट से आने चाहिए। जब रानी के पेट से राजा आता है, तब जनता की दरोकार नहीं करता है, जनता की सरोकार भी नहीं करता है और न उनकी सुनवाई करता है। मगर जब वोटों से चुने हुए लोग वहां बैठते हैं, हमारे जम्मू-

कश्मीर के एलजी पर दादा ने टिप्पणी की थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर दादा, आप भी पार्टी न बदले होते, तो आप कई बार हार चुके होते। लोकतंत्र में हार-जीत होती रहती है।...(व्यवधान) इसीलिए जीते हैं।

मान्यवर, एक अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए भी बहुत हो-हल्ला हुआ था कि नागरिकता चली जाएगी, बहुत लोग बाहर से यहां घुस जाएंगे, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अब तक 30.44 लाख व्यक्ति और परिवारों को प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। कहीं से कोई कम्प्लेन नहीं है और न कोई लाइन लगी है।

मान्यवर, हम नया भूमि कानून लाए तो उसमें भी यह था कि आपकी जमीन चली जाएगी। कोई मुझे बता दे कि किसकी जमीन चली गई है। बिहार में भूमि कानून नहीं है, तो कोई बंगाल से आकर बिहार की जमीन ले लेगा। मैं गुजरात से चुन कर आता हूं। गुजरात में कोई भूमि कानून नहीं है, तो महाराष्ट्र से आकर कोई गुजरात की जमीन खा जाएगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उससे कुछ नहीं हुआ। आज इंडस्ट्री को आने का बहुत अच्छा वातावारण नए भूमि कानून के कारण बना है, जिसका जम्मू-कश्मीर की जनता ने भी स्वागत किया है।

मान्यवर, मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी, पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजी और 2642 वाल्मीकि परिवार, 792 गोरखा परिवार एवं 43 अन्य परिवार को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे कर उनके साथ सालों से जो अन्याय हुआ है, हम ने उसको समाप्त कर दिया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये दुनिया भर के लोगों के बोले हुए कोट-अनकोट यहां पर कोट करते हैं। कोट-अनकोट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोले हैं, वह उनका कोट-अनकोट है। मगर जब आप पैर में पहनने वाला गहना कानों में पहन लेते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। जो कोट-अनकोट बोले गए हैं, वह हमारे शासन के लिए सुसंगत नहीं हैं। अन्याय और मानवाधिकार के लिए जितनी भी बातें होती हैं, वे हमारे शासन के लिए नहीं हैं। ये तीन परिवारों ने जो शासन किया है, उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। क्या मानवाधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है, पाकिस्तान से जो देश की सरहद में आए हैं, उनके लिए सीमित नहीं है, जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए हैं. उनके लिए सीमित नहीं है, इनके लिए नहीं है, जो सूफी-संत भगा दिए गए हैं, उनके लिए नहीं है, जो वाल्मीकि लोग वहां 70 सालों से मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे थे, उनके मानवाधिकार नहीं है। उनके लिए आपके मन में क्यों भावनाएं नहीं आती हैं। क्योंकि वह आपका वोट बैंक नहीं है। मानवाधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है, हम मानवाधिकार को मानवाधिकार की दृष्टि से देखते हैं, चाहे कितना भी विरोध हो। आपको यह कहने का साहस नहीं है कि वाल्मीकि को वहां मताधिकार मिलना चाहिए। जो पाकिस्तान से शरण में आए हैं, उनको मताधिकार मिलना चाहिए, आपमें यह कहने का साहस नहीं है, क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं।

(1500/VB/RCP)

वाल्मिकी माताओं की चौथी पीढ़ियाँ आ गईं, वाल्मिकी बच्चियों को नौकरी नहीं मिल सकती है, उनको इसका अधिकार नहीं है। इसलिए मानवाधिकार की बात के लिए आपके पास शब्द भी नहीं है और संवेदना भी नहीं है। लेकिन हमारे पास शब्द भी है, कृति भी है और संवेदना भी है।

मान्यवर, रोशनी जैसे कानून को रद्द कर दिया गया है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। पहले तो वहाँ भ्रष्टाचार के लिए कानून ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं न कि धारा 370 क्यों हटी है, क्योंकि वहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं था, वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था, वाल्मिकी लोगों को अधिकार नहीं था, ट्राइबल्स को अधिकार नहीं था, ओबीसी को अधिकार नहीं था, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं थी, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, इसलिए इस पर क्यों रोक लगाना? देश के ढ़ेर सारे अच्छे कानून वहाँ लागू किए गए। देहज के लिए वहाँ कोई कानून ही नहीं था और आप हमें समझा रहे हो कि धारा 370 को क्यों हटाया।

मान्यवर, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के लगभग 26,319 विस्थापित, युद्ध के समय आए हुए 5,300 विस्थापित, छम्ब के 10,065 विस्थापित, पश्चिमी पाकिस्तान के 5,764 विस्थापित, कश्मीरी प्रवासी, जिनके बारे में बहुत ही संवदेना के साथ श्री अधीर रंजन जी बता रहे थे, तो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संख्या 44 हजार है, यह मैं उनको बताना चाहता हूँ। यही नरेन्द्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों के हर परिवार को, जिनके पास राहत-कार्ड है, उनको 13 हजार रुपए प्रति माह सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, उस समय कांग्रेस का शासन था और वह उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई। इसलिए वे अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए। उनको हम नि:शुल्क राशन देते हैं। पुनर्वसन अंग के रूप में कश्मीर घाटी में तीन हजार नौकरियाँ दे दी गई हैं और छ: हजार लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ हम वर्ष 2022 तक बसा देंगे। इससे हमारा वर्षों पुराना स्वप्न पूरा होगा। अधीर रंजन जी, हम तीन हजार लोगों को नौकरियाँ दे चुके हैं। अगर आपने 70 साल में एक भी नौकरी दी है, तो बताओ? हमने छ: हजार लोगों को घर बनाने की योजना के लिए जमीन भी आवंटित कर दी है और बजट का आबंटन भी हो गया है, इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है।

प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले के लिए देश भर में रिज़र्वेशन किया गया है। पहाड़ी-भाषी जनसंख्या के 1 लाख 74 हजार परिवारों को आरक्षण के नियमों में संशोधन करके चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यह धारा 370 हटने के कारण मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गाँवों के 70 हजार लोगों के लिए मैं इसी सदन में बिल लेकर आया था, जिनको रिज़र्वेशन दिया गया है। पहले इनको रिज़र्वेशन नहीं दे सकते थे। 1.16 लाख बीपीएल परिवार के लोगों को अब 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो धारा 370 के कारण नहीं मिलता था। 1500 सफाई कर्मचारी परिवारों को पूरा अधिकार देने का काम किया गया है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है।

मान्यवर, धारा 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर में अब किसी के साथ अन्याय हो, इस बात की संभावना को ही समाप्त कर दिया गया है।

शिक्षा, प्रशिक्षण और कैरियर के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। संवैधानिक और कानूनी मामलों में भी, जहाँ तक लद्दाख का सवाल है, मेरे युवा साथी नामग्याल जी यहाँ हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014-15 से 2019 तक 4,164 करोड़ रुपए की धनराशि जम्मू-कश्मीर सरकार के द्वारा लद्दाख में भेज दी गई है। हम कितना भी भेजें, उसका महत्व ही नहीं था। वह लद्दाख पहुंचता ही नहीं था। इसलिए वर्ष 2014 से 2019 के बीच में 4,164 करोड़ रुपए और 31.10.2019 से यानी धारा 370 हटने के बाद अधीर रंजन जी, 31.03.2020 तक 3,518 करोड़ रुपए हम भेज चुके हैं। जो पाँच साल में मिलता था, वह लद्दाख वालों को 17 महीने में मिला है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, लद्दाख को दो नए डिग्री कॉलेज भी दिए गए हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जिला अस्पताल के अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया है। सुमति जी, ये सब 17 महीने में ही हुए हैं।

(1505/PC/RK)

लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच नए टूरिस्ट सर्किट भारत सरकार ने बनाए हैं, पांच नए ट्रैकिंग-रूट्स भी खोले गए हैं। सुदूर क्षेत्रों में सब्सिडाइज़्ड हैलिकॉप्टर्स की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे टूरिज़्म बढ़े। लद्दाख में लगभग 7,500 MW की क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। …(व्यवधान) यह लद्दाख के लोगों की लाइफलाइन होगी। …(व्यवधान) इससे ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। …(व्यवधान)

परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को रिवाइव किया गया है। …(व्यवधान) नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिग्पा की स्थापना नवंबर, 2019 की कैबिनेट में कर दी गई है। …(व्यवधान) कारगिल हवाई अड्डे की व्यवहारिकता अध्ययन, फिजेबिलिटी स्टडी के लिए लद्दाख प्रशासन और विमानपत्तन विभाग का एग्रीमेंट हुआ है। मिशन फॉर इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 28,870 ऐसे पौधे, जो ठंड में भी जिंदा रह पाएं, उनको लगाने का काम किया गया है। …(व्यवधान) ई-गवर्नेंस की दिशा में, जिससे गांवों तक ई-गवर्नेंस पहुंचे, इसके लिए ढेर सारी सुविधाएं, जैसे ई-स्टैम्प, ई-कोर्ट फीस शुरू कर दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिर्टी का भी अनुमोदन कर दिया गया है। …(व्यवधान) विकास पैकेज के तहत जो 80 हजार करोड़ रुपये था, उसका उचित हिसाब भी लद्दाख को दिया गया है और सभी राज्यों में, जैसे गुजरात भवन होता है, यूपी भवन होता है, बिहार सदन होता है, लद्दाख को भी 70 वर्षों के बाद अपना भवन और यहां पर अपना सदन मिला है। …(व्यवधान)

भारत सरकार की कई योजनाएं वहां थीं, उनमें लगभग 80 प्रतिशत कवरेज कर दिया गया है। रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 11 पुलों और 578 किलोमीटर रोड्स का काम हाथ में लिया गया है। जोजिला टनल का काम शुरू कर दिया गया है, रिमोट एरिया में टेलीकनेक्टिविटी के सुधार के लिए 80 सेट-फोन्स और 124 मास्ट्स स्थापित किए गए हैं। पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कारगिल और लेह में 500 KW के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स स्थापित किए गए हैं, 11 KV की 66.25 किमी और 45 किमी एलटी लाइन बिछाई गई है, तीन गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए गए हैं, कारगिल में 20 बेडेड

अस्पताल बनाया गया है। ट्रेजरी सिस्टम की जगह पीएफएमएस लागू किया गया है, जिससे अनुकूलता हो। लेह में 1,000 MT का कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम पूरा कर लिया गया है, ताकि इतने ठंडे प्रदेश के लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

पशमीना गोट्स की संख्या में 17 महीने में 6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, जो रिकॉर्ड है। आज तक कभी इससे आगे नहीं बढ़ा गया। लद्दाख के पिछड़े क्षेत्र के लिए विकास पैकेज, लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का पैकेज प्रधान मंत्री जी ने तय किया है, जो आने वाले दिनों में लद्दाख को मिलने वाला है।

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि धारा-370 हटाने के बाद क्या किया? मुझे इतना ही कहना है कि आप धारा-370 को राजनीतिक रूप से बोलने के बजाए, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी की साइट पर सारी डिटेल्स थीं, अगर किसी ने स्टडी कर के बिल पढ़ा होता, तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होता, न ये पूछते, न मैं जवाब देता। इन्होंने पूछा, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा।

अभी भी मेरा इतना ही कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम राजनीति का हिस्सा न बनाएं। राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आ जाइए राजनीतिक मैदान में, दो-दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है। ...(व्यवधान) यह देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं। शंकाएं, कुशंकाएं उनके मन में पड़ी हैं, उन पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको कुरेदना हमारा काम नहीं है।

छोटी सी राजनीतिक इच्छापूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। सबने कहा था कि प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था, गृह मंत्री ने वायदा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। ...(व्यवधान) मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों से वायदा करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मिलेगा। आपका विकास, जो अटक गया है, इन तीन परिवारों ने जिस विकास को रौंदकर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर, जैसे ही उचित परिस्थिति होगी, जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेना-देना नहीं है। इस बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई भी संभावना समाप्त नहीं होती है। मैं इतनी स्पष्टता कर के फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की आवाम और लद्दाख के लोगों से कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है।

(1510/IND/PS)

नरेन्द्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है, नरेन्द्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है, नरेन्द्र मोदी सरकार भावना से चलती है और हम मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो और यह पूरा देश आपका है। आपके साथ पूरा देश खड़ा है, इतना विश्वास देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पूरे सदन से विनती करता हूं कि कम से कम इस बिल को सर्वानुमत से हम पारित करें, इतना ही मेरा निवेदन है।

(इति)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, सुबह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में अपनी स्पीच दी थी और दोपहर में हमारे गृह मंत्री ने अपनी बात रखी है। दोनों ही बजट स्पीच हैं, एक हिंदुस्तान की बजट और दूसरी आपके बयान के मुताबिक लगता है कि जम्मू-कश्मीर का बजट है। इसके साथ चार राज्यों में चुनाव हैं, इसकी झलक भी देखने को मिली, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर को नए तरीके से स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। सुबह जब सूरज उगता है, उसके पहले थोड़ा अंधेरा रहता है और अंधेरे के बाद जब सूरज निकलता है, तो उससे पहले मुर्गी चिल्लाने लगती है। मुर्गी की यह सोच होती है कि हम चिल्लाते हैं, इसलिए सूरज उगता है। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, जब मंत्री का भाषण समाप्त होता है, तब जो भी बिल को पायलट करते हैं तब मुद्दे पिन प्वाइंटेड बिल में से या भाषण में पूछने चाहिए। इसमें मुर्गी, अंडा, मुर्गा नहीं आता है।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप प्वाइंटेड बात पूछिए। आपका सांविधिक संकल्प है, आप उस पर पूछें।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, यह सांविधिक संकल्प है, इसलिए इसमें राइट टू रिप्लाई है। मैं राइट टू रिप्लाई के अधिकार से बात रख रहा हूं। आपने घंटों अपना भाषण किया। आप हमें भी दो-चार बातें रखने का मौका दीजिए। आप कहते हैं कि हम विरोधी को मौका देते हैं।
श्री अमित शाह : मान्यवर, उनका बोलने का समय समाप्त हो चुका है।…(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं और मेरा माइक भी चल रहा है।

महोदय, मैं जो बोला यदि उसमें से कोई मुद्दे उपस्थित हुए, तो ही ये बोल सकते हैं। बिल पर इनका भाषण समाप्त हो चुका है।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपने जो कहा, मैं उसी पर आता हूं। आपने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बहुत तरक्की हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, वगैरह-वगैरह। मैं आपकी सुविधा के लिए सरकारी हिसाब का जिक्र करना चाहता हूं। The core sectors of the economy of Jammu and Kashmir have witnessed a steep decline after the abrogation of Article 370. Due to the communication blockade, curfews, and militant threats in the past five months alone after the abrogation, the economy of Kashmir lost INR 178.78 billion and more than 90,000 jobs in the sectors of handicraft, tourism and information technology. The horticulture sector is in distress, tourism is in shambles, and students are suffering because of the ongoing internet blockade. …(*Interruptions*) It is for the first time in the past 70 years that rural Kashmir is facing such a great degree of economic slowdown.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिल के सांविधिक संकल्प पर यदि आपको कोई आशंका है, तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी क्लीयर करेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यदि अमित शाह जी यह कहें कि मैं सुनना नहीं चाहता हूं, तो मैं नहीं कहूंगा। यदि अमित शाह जी कहेंगे कि मैं सुनना चाहता हूं, तो मैं जरूर कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप बिल पर बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा भाषण दिया है।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, यह गलत इंटरप्रटेशन हो रहा है कि मैं उनको सुनना नहीं चाहता। मैंने सभी सदस्यों को ध्यान से सुना है, इसी सीट पर बैठ कर सुना है और एक-एक बात को नोट किया है।…(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। जब उनका बोलने का समय था, तब वे बोले नहीं। बाहर से किसी ने कागज भेज दिया कि इसे पढ़ो। अब उसे पढ़ रहे हैं। मान्यवर, सदन ऐसे नहीं चलता है। यदि मेरे भाषण में से कोई नया मुद्दा उपस्थित हुआ है, तो वे जरूर कहें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह सदन की प्रणाली है। जब उनके बोलने का समय था, तब वे इसे पढ़ते। अभी जो यह पढ़ रहे हैं, वह भी किसी सदस्य ने जरूर पढ़ा है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मेरी नोटबुक नीचे रखी हुई है। इस प्रकार से यदि वे कहें कि मैं उन्हें सुनना नहीं चाहता, यह सही नहीं है। मैं उन्हें सुनना चाहता हूं, लेकिन नियमों के तहत सुनना चाहता हूं। आप नियम तोड़कर नहीं बोल सकते हैं। …(व्यवधान) आप नियमों के तहत नहीं बोल रहे हैं।

(1515/KDS/SMN)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अमित शाह जी, आप कहते हैं कि कागज कहां से लाए हैं। आपका खुफिया तंत्र है, आप पता कर लीजिए कि मैं कहां से कागज लाया हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप जैसे सरकारी दस्तावेज मेरे पास नहीं हैं। हमने सदन के अंदर गुहार लगाई थी कि जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बाद एक ऑल पार्टी डेलिगेशन जम्मू-कश्मीर जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपकी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि एक ऑल पार्टी डेलिगेशन वहां जाए। हम यूरोप से लाते हैं, दिल्ली में सारे एम्बेसडर्स को बुलाते हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाते हैं।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने यह बात ठीक नहीं कही है। ऑल पार्टी डेलिगेशन कभी भी जाना चाहे, जा सकता है, चाहे आज चला जाए।…(व्यवधान) आप जाएं, मैं कहां रोक रहा हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, वहां जा कर आ चुके हैं।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : महोदय, मुझे रिकार्ड क्लीयर करना पड़ेगा, अधीर रंजन जी बताएं कि कब जाना चाहते थे? आप तब जाना चाहते थे, जब धारा 370 हटाई और आप मरहम लगाने नहीं जाना चाहते थे, बल्कि उकसाने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए परमिशन नहीं मिली।

माननीय अध्यक्ष : संसद की संसदीय समिति वहां वर्तमान में ही जाकर आई थी। मैंने उन्हें परमिशन दी थी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम लोग ऑल पार्टी जाना चाहते हैं। आप यह बताइए कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट और यूएपीए में कश्मीर घाटी में कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया और जेल में डाला।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं या नहीं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अमित शाह जी, धारा 370 एब्रोगेट करने से पहले जम्मू-कश्मीर की पर-कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की एवरेज इनकम से ज्यादा थी। आप इस तरह का बयान देते हैं कि डल लेक मोदी जी ने बनाया है। पंडितों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2021 को प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

…(व्यवधान)

खंड 2

माननीय अध्यक्ष: श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“Page 1, line 8, -

after “reference to”

insert “election and”.” (1)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एनके प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Speaker, Sir, on behalf of Shri Amit Shah I beg to move:-

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1520/SNB/CS)

[*]लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, with your permission I would like to raise a very serious matter of urgent importance regarding backdoor appointments in various parts of the country.

Sir, the Union Public Service Commission (UPSC) as well as the State Public Service Commissions are the constitutional organisations through which the regular appointments to various posts are being made. But it is quite unfortunate to note that in the State of Kerala and even in the State of West Bengal thousands of regular appointments are being made through the backdoor.

1521 hours (Shrimati Meenakshi Lekhi *in the Chair*)

Madam, when there is a list of the Public Service Commission, nobody is being given appointment from that list. Instead of that without considering the appointment and recruitment from the PSC list, backdoor appointments, and regularisation of contractual and temporary employees having 10 years of service are being done. This is unconstitutional and are also against legal provisions.

In the State of Kerala thousands of candidates who are in the list of the Public Service Commission are not getting their jobs but through the backdoor, instead relatives of relatives of party workers, their wives and party sympathisers are getting the jobs. Meritorious and well-qualified candidates are not getting jobs in the State. They are on the streets and many of them are contemplating suicide. So many cases of suicides have been reported and a big protest against this is going on. Even in the State of west Bengal also such an agitation is going on.

So, my submission to the Government of India is to have some regulation in this matter because these are constitutional organisations. The Public Service Commissions are the appropriate authority through which the regular appointments could be made. But with disregard to the constitutional organisation backdoor appointments are being made by the State Governments. Some regulatory mechanism by way of a legislation is required. I would like to

---

[*] Please see Supplement for the list of Members who have associated.

urge upon the Government of India to intervene in the matter so that recruitment through the Public Service Commissions is done in a proper way.

Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

पिछले कई दिनों से दिन-प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई दरें हैं, दरों में जो वृद्धि हो रही है, वह एक चिंता का विषय बन चुका है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोरोना के कार्यकाल के बाद जिस तरीके से हर दिन डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते रहे हैं, उसकी वजह से आम आदमी के जीवन के ऊपर बुरा असर हो रहा है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर, हो चाहे अन्य कोई वाहन हो, उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो चुका है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि आप डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई दरों के ऊपर कुछ न कुछ नियंत्रण पाने की कोशिश करें और आम आदमी को राहत दें। मैं यही विनती करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Chairperson, I would like to inform your goodself that the transportation of cargo materials including essential commodities like rice, sugar, foodgrains etc., and building materials like cement, brick, steel, and furniture are all transported to Lakshadweep from Calicut port, Kerala and Mangalore port, Karnataka since times immemorial.

Madam, Lakshadweep is a geographically isolated far-flung Union Territory which is directly administered by the Union Government. Lakshadweep is solely dependent on Calicut port, Kerala and Mangalore Port because everything is transported to Lakshadweep. It is learnt that the Lakshadweep Administration has taken an initiative to completely stop the transportation of the above-mentioned items from Calicut to Lakshadweep and proposes to replace it with only Mangalore port, Karnataka. This action by the Lakshadweep Administration would completely cut off the southern group of islands from the nearest port in Calicut in Kerala bringing hardship to the southern islands, namely Amini, Kavarrati, Kalpeni and Minicoy. This would also result in loss of economic opportunity and employment and would ultimately increase the cost of transportation of the above-mentioned items to the islands and consequently the end product at the island would be sold at higher prices than the MRP.

That is why, through you, I would like to draw the attention of the Government to this matter so that the Administrator of Lakshadweep reconsiders his decision that is going to be implemented right now. Shri Bipin Rawat has told in a recent interview that Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep should be treated as places where aircraft carriers should be used. If it is to be treated as a place for use of aircraft carrier, first of all, peace and tranquillity should be maintained in those areas.

(1525/RU/KN)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Madam Chairperson, on the 1st February, 2021, the military in Myanmar carried out a coup d'etat seizing power and arresting Aung San Suu Kyi as well as the President of Myanmar, Win Myint. This preposterous action took place on the day when the new Parliament was supposed to meet. It was reminiscent of what happened in Myanmar in 1962, 1988 and then again in 1990.

In the election held on the 8th November, 2020, the National League for Democracy won 394 out of the 664 seats in Parliament where 25 per cent of 166 seats are reserved for the military while the military-backed USDP (Union Solidarity and Development Party) was able to win only 33 seats.

My request to you, Madam, to the Government through you is, India is the largest democracy. We stand for certain values and certain ideals. India is the only country after its Independence in 1947 which did not go either under military rule or under a one-Party rule.

Therefore, given the fact that we are a non-permanent Member of the United Nations Security Council, India must lead by example and create an international coalition in order to ensure that pressure is brought on the Myanmar military to respect the verdict of the 8th November election, release Aung San Suu Kyi, release the elected Members of the Parliament, release the President of Myanmar, and restore democracy in that country. This is my request to you, Madam.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Madam, I also have the same issue which I would like to highlight in front of this House.

Aung San Suu Kyi has been elected with absolute majority in Myanmar. Without Chinese nexus with the military of Myanmar, the Military Army cannot

topple the absolutely elected and democratically elected Government in Myanmar.

Madam, 1st February, 2021 is a black day for Myanmar. I have to draw the special attention of the Government of India to this issue. The Government of India should lead in restoring democracy in Myanmar because India has got more than 1000 kilometres of border with Myanmar. All the underground movement leaders of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and all the North-Eastern States are hiding in Myanmar. Myanmar Army and Indian Army had good relations. Myanmar Army arrested the underground leaders of the North-East and handed them over to the Government of India and Indian Army. That good gesture should be maintained.

Madam, we should not make the mistake we made in 1962. When Myanmar first came under military rule, the western countries made economic sanctions against Myanmar and Government of India, in those days, put those sanctions against Myanmar. So, in return and as repercussions of that sanctions, all the Indians living in Myanmar had been flushed out from Myanmar. That should not be repeated.

That is why, I have a request to the Government of India. The Government of India should lead to restore democracy in Myanmar and Act East Policy towards the South Asians is also going to be stopped because we have the border with Myanmar.

So, I would like to draw the attention of the Government of India to this issue.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I would like to inform you with extreme pain about the accident at a firecrackers factory in my constituency, Virudhunagar District of Tamil Nadu. In the incident, 15 workers died and many workers are under serious condition with 90 per cent burns.

You are aware that the district of Virudhunagar has one of the largest firecracker industries which has great potential for foreign revenue and it caters to 85 per cent of the country's necessity.

(1530/SM/MM)

This is a manufacturing hub also and it is in the MSME sector. It employs around eight lakh people in the industry itself.

I would like to remember that hon. former Prime Minister Dr. Manmohan Singh had announced *ex gratia* payment of Rs.2 lakh for the victims of an accident which happened which happened in 2012 in Mudalaipatti. After 10 years, hon. Prime Minister Shri Narendra Modi announced yesterday Rs.2 lakh from Prime Minister's Relief Fund for those people who are lost.

I would like to request the hon. Prime Minister to increase the amount to Rs.5 lakh for the deceased and Rs.1 lakh for injured as a token of consolation, giving temporary relief to the family of the poor labourers.

I would like to request the hon. Prime Minister to form a Central team to study the impact of the industry's safety network also. Thank you

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): सभापति जी, मैं एक बहुत ही महत्व के विषय पर मैं बोलना चाहती हूं जो कि महिलाओं से संबंधित है।

महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि आंगनवाड़ी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार दिया जाता है। इस योजना में जो लोग काम करते हैं, वे बड़े पैमाने पर एक बड़ा सर्कल बनाकर काम करते हैं या उसमें ठेकेदार लोग काम करते हैं। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां यह काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जिला परिषद के माध्यम से चलता है, लेकिन लोगों ने कोर्ट में रिट पेटिशन दी है कि यह योजना महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा चलायी जाए। इसके लिए रिट पेटिशन दी गयी है। इस पर कोर्ट ने निर्णय भी दिया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो पा रहा है। मैं यह बात यहां बताना चाहती हूं कि महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के माध्यम से यह योजना चलायी जा रही है। इस योजना का रिव्यू किया जाए और जिन-जिन राज्य सरकारों के माध्यम से या उन लोगों के माध्यम से, जो षड्यन्त्र करते हैं क्योंकि यह काम बड़े पैमाने पर होता है इसलिए मैं तो इसको षड्यन्त्र ही बोलूंगी, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चलायी जाए। यह मेरी मांग है। इसके माध्यम से हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी और सरकार जितना भी पैसा महिलाओं की उन्नति के लिए देती है, मैं समझती हूं कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम मिलता है तो सही रूप में वे सक्षम बन पाएंगी।

सभापति जी, मैं यह चाहती हूं कि जिन राज्यों द्वारा यह योजना महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से नहीं चलायी जा रही है, उनका संज्ञान लेकर संबंधित राज्यों को खत लिखें और कोर्ट में जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं, उस पर राज्यों सरकारों द्वारा क्यों अमल नहीं किया गया है, उसको देखा जाए। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को सक्षम बनाएं। इससे हम जितनी भी निधि यहां से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए देते हैं, मैं समझती हूं कि वह निधि उन के पास पहुंचेगी। इसके माध्यम से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम मिलेगा और इससे महिलाएं सक्षम बनेंगी। मैं चाहती हूं कि इस पर जल्द से जल्द महिला और बाल कल्याण मंत्रालय निर्णय ले। धन्यवाद।

TRIBUNALS REFORMS
(RATIONALISATION AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

1532 hours

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): आइटम नंबर 30, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Madam, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sittharaman, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952, the Customs Act, 1962, the Airports Authority of India Act, 1994, the Trade Marks Act, 1999 and the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and certain other Acts.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 और कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Madam, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 31, श्री कृष्ण पाल।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री कृष्ण पाल : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(1535/GG/KSP)

*लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे - जारी

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): सभापति महोदय, मैं लखीमपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, जो देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन का क्षेत्र है। मैं सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पांच करोड़ गन्ना किसानों को राहत देते हुए, 4100 करोड़ रुपये से अधिक की कई योजनाओं द्वारा सीधे गन्ना किसानों के खाते में पैसा भेजने के अलावा सरकार ने घरेलू एथनॉल रेक्टिफाइड स्प्रिट और एल्कोहल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एथनॉल पर आयात शुल्क बढ़ा कर चीनी मिलों को राहत दी है, जिससे किसानों के गन्ना भुगतान में मदद मिलेगी। ऐसे सभी चीनी मिलों में जहां एथनॉल उत्पादन की इकाइया नहीं हैं, को एथनॉल उत्पादन शुरू करने का अवसर दिया है। पेट्रोल में दस प्रतिशत मिश्रित करने और कैमिकल उद्योग में एथनॉल की भारी मांग को पूरा करने के लिए एथनॉल उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। चूंकि चालू पेराई सीजन में चीनी उद्योग से 285 करोड़ लीटर एथनॉल उत्पादन का अनुमान है। जो हमारी जरूरत से कम है तथा पांच प्रतिशत आयात बढ़ा कर इसकी कीमत बाहर से लाने पर 42 से 44 रुपये प्रति लीटर रहने की संभावना है] जो भारत में उत्पादित लाभदायक मूल्य से अधिक है। इसलिए भी चीनी उद्योग को एथनॉल उत्पादन से अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है, जिसका सीधा लाभ गन्ना किसानों को होगा। प्राइवेट सैक्टर की ज्यादातर चीनी मिलों में एथनॉल के प्लांट लगे हैं या लग रहे हैं। परंतु सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल्स व भारत सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलों में आम तौर पर एथनॉल के प्लांट नहीं लगे हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य की कुल 158 चीनी मिलों, जिनमें 24 मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं, उनमें मात्र आठ चीनी मिलों में एथनॉल का उत्पादन प्रारंभ हो गया है या प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। परंतु बड़ी संख्या में सरकारी व चीनी मिलों में सुविधा न होने के कारण प्राइवेट चीनी मिलों से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा व किसानों को भुगतान आदि से संबंधित कठिनाइयां आती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी की सभी मिलों में जो नौ चीनी मिलें हैं, देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला है, सभी प्राइवेट सैक्टर सहित हमारी बिलराया शुगर फैक्ट्री की सहकारी चीनी मिल में भी एथनॉल उत्पादन की इकाइयां व विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की कृपा करें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, देश भर के प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम चालू है। मेरे चुनाव क्षेत्र के पिंपरी-चिंचवाड शहर में स्मार्ट सिटी के तहत डेवल्पमेंट का काम चालू है। इस डेवल्पमेंट में जिस कनसेल्टेंट एजेंसी का चुनाव किया है, वह ऐजेंसी सभी शहरों में ठेकेदारों से मिलीभगत कर के एस्टिमेट बनाती हैं ओर ठेकेदारों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका को इस कारण भारी नुकसान होता है। महोदया, इसमें कई सारे ठेके एक ही कंपनी को मिले हैं। जबकि जो ठेका मिलता है, वे सब ठेकेदार उसको चुनते हैं। स्मार्ट सिटी का काम केवल दिखावे के रूप में होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार

---

* Please see Supplement for the list of Members who have associated.

से यह मांग करता हूँ कि पिंपरी-चिंचवाड में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम के बारे में उच्चस्तरीय जांच की जाए और जो गलत काम हो, उसकी पूरी तरह से जांच कर के कार्रवाई की जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापित महोदया, मैं रूल - 223 के तहत इस सदन के सदस्य श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ दिए गए प्रिविलेज के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परसों जो कुछ भी इस पार्लियामेंट में हुआ, वह इस देश को जानने वाला है। यह देश जानता है कि यह जो लोक सभा है, स्पीकर उसके पीठाधीश पदाधिकारी होते हैं और जो आप जैसे सभापति हैं, वे पीठाधीश होते हैं, वे इस सदन को चलाते हैं कि सदन की गरिमा कैसे चलेगी। लेकिन परसों जिस तरह से उन्होंने खड़े हो कर इंस्ट्रकशन दिया और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर लोग खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने मौन व्रत धारण करवाया, इससे यह लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। कांग्रेस लोकतंत्र की ऐसी … *(Not recorded)* पार्टी है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। …(व्यवधान) मैं जानता था। …(व्यवधान) मैं जानता हूँ – 223 नियम है।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): एक मिनट, जब आपकी बारी आए, तब बोलिए, अभी आप बैठिए। डिस्टर्ब मत करिए।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, मैं जानता था कि इसी तरह के प्रश्न होंगे क्योंकि कल राकेश जी ने और संजय जायसवाल जी ने कहा। …(व्यवधान) रमेश जी बैठिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: रमेश और सोनकर जी, आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भी ठीक वही हरकत कर रहे हैं। बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इस पार्लियामेंट में क्या हुआ है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का और इस संसद का कितना अपमान किया है और किस तरह के प्रिविलेज यहां हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। इस सदन के सदस्य सन् 1963-64 में रामसेवक जी थे। उनसे एक गिलास पानी यहां लोक सभा में गिर गया, उनके ऊपर प्रिविलेज हो गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। मनीराम बागड़ी जी बहुत फेमस सांसद थे, यहां उन्होंने केवल बैठे-बैठे एक बार स्पीकर के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, उनके ऊपर प्रिविलेज हो गया और वे सदन से बाहर कर दिए गए। मधु लिमिये जी जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनके ऊपर दो प्रिविलेज हुए। सन् 1966 में मार्च में एक प्रिविलेज हुआ और नवंबर में एक प्रिविलेज हुआ। प्रिविलेज इस बात के लिए हुआ कि वे किसी एक विषय को ले कर कोर्ट में चले गए और स्पीकर ने कहा कि मेरी गरिमा के खिलाफ है और उन पर कार्रवाई हो गई। और तो और राज्य सभा में जब इमरजेंसी लागू हुई तो डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी जी जो बात करते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पीसी के आधार पर इस लोकतंत्र की … *(Not recorded)* कांग्रेस ने केवल बाहर दिए हुए बयान के आधार पर उनके ऊपर प्रिविलेज कर दिया और उनको पूरी की पूरी राज्य सभा सदस्यता से निष्कासित कर दिया

(1540/RV/KKD)

सभापति महोदया, हम उस पार्टी के आदमी हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक मैं यहां सांसद था। एक दिन पार्लियामेंट बंद हो गयी। पार्लियामेंट बंद होने के बाद लालू प्रसाद जी, जो अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम मॉक पार्लियामेंट करेंगे क्योंकि किसी विषय पर, वेतन बढ़ाने के ऊपर हंगामा चल रहा था। उस मॉक पार्लियामेंट में हमारे कुछ सदस्य, गोपीनाथ मुण्डे जी, जो अब नहीं हैं, वे हमारे उप नेता थे, उन लोगों ने केवल उसमें भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ जी ने यह तय किया कि जिन लोगों ने उस मॉक पार्लियामेंट में भाग लिया है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर शो-कॉज़ हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस सदन की गरिमा को बचाने के लिए आज सभी एम.पीज़. से, सभी दलों के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस घटना की भर्त्सना नहीं होनी चाहिए? यदि प्रोपागैण्डा के आधार पर, केवल सुब्रह्मण्यम स्वामी के बयान देने के आधार पर यदि उनकी राज्य सभा की सदस्यता जाती है तो क्या स्पीकर की डिग्निटी के खिलाफ बोलने के कारण उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए।

महोदया, इसलिए, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मेरी पिटीशन को प्रिविलेज कमेटी में दीजिए और राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Chairman, please allow me to speak …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Suresh-ji, I will allow you to speak at your time, and not now.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): मैडम, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं, यह समस्या गरीब से लेकर अमीर तक सभी की समस्या है। आप और हम सब जानते हैं कि बीच में एक साल हमारा कोरोना काल में गया। कोरोना काल में क्या-क्या हाल हुए, यह सभी को मालूम है। छोटे से लेकर बड़े लोगों तक, चाहे वह कितना भी पैसे वाला हो, उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में काफी लोगों की नौकरियां गईं, काफी लोगों का व्यवसाय ठप हुआ, काफी लोगों की सैलरी कम हुई, जिसमें हमारे सभी सांसदों की भी कम हुई और मंत्रियों की भी कम हुई।

ऐसे समय में जो पेट्रोल और डीज़ल के दाम हैं, वे जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, यह बहुत ही गम्भीर समस्या मुझे लगती है। मैं जानता हूं कि जब क्रूड ऑयल का रेट 110 रुपये था, उस समय 65 रुपये प्रति लीटर की दर से हमें पेट्रोल मिला करता था। आज क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 60 रुपये है और मेरे नागपुर में, जहां से मैं सांसद हूं, वहां पर आज पेट्रोल 91.26 रुपये प्रति लीटर है। इसकी मुख्य खासियत बताना चाहता हूं कि अगर हमने इसे बायफर्केट करके देखा तो जो basic price exclusive of excise and VAT है, यह केवल 28 रुपये 26 पैसे है। उसके ऊपर लगने वाले अनेक टैक्सेज, जैसे एक्साइज़ ड्यूटी, सेन्ट्रल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड है। फिर

स्टेट गवर्नमेंट का वैट आता है, फिर उनका सेस आता है। अभी एग्रीकल्चर का भी सेस लगने वाला है। इन सबको जोड़कर 91 रुपये 26 पैसे उसका आज रेट है। इसका मतलब कि आज 28 रुपये 26 पैसे के पेट्रोल पर जो टैक्स लग रहा है, इसमें 62 रुपये टैक्स है, क्योंकि राज्य अलग टैक्स लेता है और केन्द्र सरकार अलग-से टैक्स लेती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस पेट्रोल-डीज़ल को भी जी.एस.टी. में ले आइए कि कम से कम जनता को 50 रुपये में पेट्रोल और डीज़ल उपलब्ध हो सके।

(1545/MY/RP)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के ग्राम रनियापुर थाना- सिरसिया निवासी प्रभुनाथ s/o रामकिशन (उम्र-22), अजय s/o सीताराम (उम्र-35), छोटू s/o स्वर्गीय देशीराम (उम्र-37), हरिलाल s/o कंधाईलाल (उम्र-30), वेद प्रकाश s/o काली प्रसाद (उम्र-22), जो उत्तराखंड में 07/02/2021 को नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से लापता हो गए हैं। आज तक कुछ पता नहीं चला है।

महोदय, अब मैं एक दूसरी घटना के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जिला बलरामपुर, ग्राम कौवा बाजार के निवासी (आई. ई. एस.) सुभान अली की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर बी.आर.ओ. (रक्षा मंत्रालय) यू.टी लद्दाख प्रान्त में कार्यरत थे। 22 जून, 2020 को उनकी जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण वे लापता हो गए। आज तक उनका भी कुछ पता नहीं चला है। मैंने 09/07/2020 को माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों मामलों की पुख्ता जानकारी पीड़ित परिवार को दें। उस परिवार को जीवनयापन के लिए कम से कम 25-25 लाख रुपये और पीड़ित परिवार के घर में से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की कृपा करें।

श्री रामदास तडस (वर्धा): सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा अंतर्गत नागपुर-भुसावल-नागपुर पैसेंजर, वर्धा-भुसावल पैसेंजर, काजीपेट पैसेंजर कोविड महामारी की वजह से बंद हो गयी थीं। उस समय एक साथ तीन गाड़ियाँ बंद हुई थीं। बाद में ये गाड़ियाँ हिंगणघाट में रूकने वाली थीं। हिंगणघाट कपास का हब है। पुलगाँव में एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री डिपो है। ये सभी गााड़ियों के बंद होने के कारण वहाँ से प्रवासियों का आना-जाना मुश्किल हो गया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जन सामान्य प्रवासी वर्ग के हित को ध्यान में रखकर इन सभी गाड़ियों को शुरू करना चाहिए।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): आदरणीय मैडम चेयरपर्सन जी, मैं आपके माध्यम से भारत का ध्यान अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। यह जो सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट है, इसमें जो लोग

काम करते हैं, उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, मुख्य सेविका, आँगनबाड़ी वर्कर, टेक्निकल असिस्टेन्ट और सीनियर इनवेस्टिगेटर जैसे लोग काम करते हैं। भारत सरकार के जो आईसीपीएस की स्कीम्स हैं, इनमें टीकाकरण का काम, सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन का काम, हेल्थ चेकअप का काम, आँगनबाड़ी स्कीम्स, नेशनल क्रेडिट स्कीम, पोषण अभियान, ओल्ड एज होम्स स्कीम, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम है। इन सारी स्कीम्स के लिए वे लोग वहाँ पर काम करते हैं। कोरोना के समय भी ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अंडमान-निकोबार की जनता की भरपूर सेवा की हैं और उनको कोरोना से बचाया है।

मैडम, अब जो तकलीफ और दुख की बात है कि पिछले छह महीने से वहाँ के इन वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली है, ऑनरेरियम नहीं मिली है। मैं पिछले वीक आदरणीय मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी से मिला था। उन वर्कर्स का पेमेंट कराने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। मैडम ने यह कहा था कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वह सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। मैंने कल भी आदरणीय मिनिस्टर मैडम से बात की कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि वहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया है। छह महीने से उनको पेमेंट नहीं मिली है। उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा फाइनैन्शियल क्राइसिस है। उनकी पेमेंट भी बहुत कम रहती है। मेरा आपसे माँग है कि जल्द से जल्द उनका पेमेंट कराया जाए। यही मेरी सरकार से माँग है।

(1550/NKL/CP)

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Thank you, hon. Chairperson Madam, for giving me this opportunity.

I would like to request the Ministry of Railways, through you, to re-operate the Chennai Egmore-Puducherry Express via Melmaruvathur Railway Station, and Mangalore-Chennai Express and Chennai-Mangalore Express via Kulithalai Railway Station, which were stopped temporarily due to the COVID-19 pandemic.

I would also like to request the Ministry to provide the stoppage of Tiruchirappalli-Rameswaram Express and Pallavan Express at Keranoor Railway Station, Pudukkottai district, as per the request of the public.

Thirdly, I would request to provide the stoppage of Mysore-Mayiladuthurai Express, Mannargudi-Kovai Express, and Kovai-Mannargudi Express at Kulithalai Railway Station, as per the request of the people of my Constituency, which would help them for easy commutation, and it will also save time.

Lastly, I request the Ministry to install digital display board for Express trains stopping at Kulithalai Railway Station. Thank you very much.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, hon. Chairperson, for giving me this opportunity.

The Supreme Court questioned the Government about the delay in clearing Collegium recommendations for judicial appointments to various High Courts last month. The delay aggravates the situation as 47.5 lakh cases are pending before High Courts as per India Justice Report 2020. Reportedly, 189 proposals for judicial appointments are pending with the Government. In February last year, the Supreme Court had conveyed its alarm at the rising number of judicial vacancies in various High Courts. Some of them were functioning only with half of their sanctioned strength.

The appointment of Judges to the Kerala High Court is getting delayed even as the number of pending cases is mounting. A number of seven High Court Judges would retire this year which could further impact the pendency of cases. This will bring down the number of High Court Judges to 30. Currently, there are 37 Judges against the sanctioned strength of 47.

Hence, the Government of India should evolve a time-frame for clearing the Collegium recommendations for judicial appointments to various High Courts in order to reduce the mounting pendency of cases in the High Courts.

Thank you very much.

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Chairman Sir, thank you very much for allowing me to raise an important issue related to the farmers in my constituency. The Prime Minister's Crop Insurance Scheme has been started in the name of Prime Minister but the private insurance companies are looting the farmers under this Government scheme.

Around 14,53,540, farmers in my constituency Osmanabad have deposited Rs. 1112 crore as premium for crop insurance. The State Government came to support us financially when the standing crops were completely devastated in my constituency due to heavy rains but these insurance companies refused to help us.

Only Rs. 104 crore have been given to 3,11,420 farmers in my constituency. In this way, these crop insurance companies are minting money by deceiving the farmers and the Government.

---

* Original in Marathi

Insurance companies say that the claim for insurance should be made within 72 hours after the damage to the crops and it is mandatory to file the claim online. But the reality is that most of the farmers do not have smart phones and during the calamity, they cannot even charge their phones. Not filing the claim online cannot be the basis for refusal of their claims. These conditions should be relaxed and crop insurance should be done through the Government Insurance Companies only.

Thank you.

(1555/NK/MMN)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): सभापति महोदय, कलवा-ऐरौली एलिवेटेड रेलवे लाइन तीन लोक सक्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली लाइन है। यह भिवंडी, कल्याण और थाणे लोक सभा क्षेत्र को जोड़ती है। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने वर्ष 2015 में 428 करोड़ रुपये बजट आबंटित करके इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। इसमें अलग-अलग अड़चनें आईं। हम तीन सांसद हैं, मैं खुद भिवंडी लोक सभा क्षेत्र से हूं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोक सभा से हैं और राजन विचारे थाणे लोक सभा से हैं। हम तीनों सांसद चाहते हैं कि यह काम जल्द से जल्द शुरू हो। हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस काम में देरी की वजह से अब इसका खर्च बढ़कर 519 करोड़ रुपये हो गया है। इस एलिवेटेड रेलवे लाइन को शुरू करने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना था, राज्य सरकार की जमीन मिल गई, एमआईडीसी की जमीन मिल गई, झुग्गी-झोपडी वालों के लिए एमएमआरडी ने 924 मकान बनाकर उन लोगों को शिफ्ट करने का प्रावधान किया है। सिडको डेवलपमेंट अथॉरिटी की कुछ लैंड है लेकिन अभी तक यह लैंड रेलवे को हस्तांतरण नहीं होने से काम शुरू नहीं हो पाया है।

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा एमआरवीसी के माध्यम से यह काम होने जा रहा है, इसलिए दोनों की पचास-पचास प्रतिशत इसमें लागत लगने वाली है। मेरे लोक सभा क्षेत्र कसारा से कल्याण और वांगनी से कल्याण तक के जो यात्री हैं, अगर उनको नवी मुंबई जाना है तो थाणे जाकर रेल चेंज करनी होती है, जिसकी वजह से उनको वहां पहुंचने में देरी हो जाती है।

मेरी आपके माध्यम से विनती है कि रेल प्रशासन को राज्य सरकार से कोऑडिनेट करके जल्द से जल्द, जो लैंड एक्विजिशन बची है, उसको पूरा करके काम शुरू करें ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है, उससे उनको छुटकारा मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The Seven Balloons Barrage project on the Girna River is a crucial project for catering to the drinking water supply and irrigation in my Lok Sabha constituency of Jalgaon. Currently, there is no barrage on the nearly 140 km long Girna River. The construction of seven barrages with smart pneumatically-operated weirs at the Girna River of Jalgaon District has been given administrative approval by both the Central and

State Governments. The farmers of North Maharashtra region have been suffering from problems of poor irrigation and drought for decades now. This project is a first of its kind in the country and its operationalization will benefit the farmers and the citizens in the areas of Chalisgaon, Amalner, Dharangaon, Bhadgaon, Pachora and Jalgaon. I request the Government to kindly consider this as an innovative project and grant approval for disbursal of necessary funds for the implementation of the project.

The Padalse project on the Lower Tapi River or the Nimna Tapi project as is known locally, is an important project in Amalner Taluka in my Jalgaon Constituency. The project will provide irrigation as well as drinking water supply to nearly 60 villages in Amalner Taluka. There are two rivers that flow through Jalgaon district, namely, the Tapi River and its tributary, Girna River. I regret to inform that even after 70 years of Independence, there are only a handful of projects on these rivers for the benefit of farmers of North Maharashtra.

I would request the Government to consider these projects under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. Thank you.

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Madam, I would like to draw the attention of hon. Defence Minister regarding the issue of Vehicles Research and Development Establishment (VRDE) situated in my Ahmednagar Lok Sabha Constituency.

Madam, VRDE is a premier DRDO lab established at Ahmednagar in 1947. It has been instrumental in design, development, and delivery of state of the art systems to the Indian Armed Forces. It has got a working strength of 450 permanent employees having technical and scientific expertise. It has got 200 service officers and approximately 450 contractual employees. News is doing rounds regarding a committee which has been established, which has recommended the merger of VRDE into CVRDE Chennai, R&D (E) and with offices at various other places across India. These recommendations by the Committee have created an element of doubt and fear in the minds of the people of Ahmednagar.

My request, through you, hon. Madam, is that the Government should provide a clarification on the actual status or decisions by the Ministry regarding VRDE and implementation of the recommendations so as to dispel any kind of false news. Thank you.

(1600/VR/SK)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the House to a very important issue related to COVID-19. From being lauded having the best response to the pandemic in the country, Kerala has now become one of the worst COVID-19-hit States. While the Coronavirus is showing a downward trend in most of the States, Kerala is among the few States that continue to be a case of concern. Kerala presently has the most COVID-19 patients with Ernakulam, that is, my district registering the highest active cases at 10,450.

The State Government of Kerala has totally failed in managing the pandemic. They have actually spent more time in managing PR of the Government. But the cases were not attended properly. For a State that constitutes only 3 per cent of India's population, Kerala is contributing to more than one-fourth of the total cases added in the country over the past week. Compared to the national positivity rate that is hovering between 5 and 6 per cent, Kerala is seeing a positively rate of about 12.4 per cent in the recent days.

It is told by the State Government of Kerala that COVID-19 is treated free of cost in the State of Kerala. But it has been a huge financial impact on the underprivileged and the common section of people across Kerala because the ani-viral injection has been charged heavily for this medicine. Also, the Kerala Arogya Suraksha Paditi (KASP) scheme was introduced by the Kerala Health Department. But it should be extended to all the private hospitals so that more and more patients get the benefit of KASP.

Also, the vaccination process, which is going at a very slow pace, has to be taken on a serious note. Vaccination has to happen at different levels which would definitely help the process. I would like to urge the Central Government to send a special team to take care of the COVID-19 situation, especially in my district Ernakulam.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र- कर्नाटक बॉर्डर अंतर्राज्यीय विवाद लंबे समय से लटका हुआ है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के साथ 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया है जिसमें बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बीदर, और गुलबर्गा और बेलगावी, कारवार, और निप्पनी के शहरों में 814 गाँव शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र चाहता है कि उनका राज्य के साथ विलय कर दिया जाए। विवाद की उत्पत्ति 1956 में भाषाई और प्रशासनिक कारणों के साथ राज्यों के पुनर्गठन में निहित है। पूर्ववर्ती

बॉम्बे प्रेसीडेंसी के एक बहुभाषी प्रांत, जिसमें वर्तमान कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे। 1948 में बेलगाम नगरपालिका ने अनुरोध किया कि मुख्यतः मराठी भाषी आबादी वाले जिले को प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए। हालांकि, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बेलगाम और बॉम्बे राज्य के 10 ताल्लुकों को तत्कालीन मैसूर राज्य (जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था) का एक हिस्सा बना दिया। सीमाओं का सीमांकन करते हए, राज्य आयोग के पुनर्गठन ने मैसूर में 50 प्रतिशत से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले ताल्लुकों को शामिल करने की मांग की। अभी यह मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 17 मार्च 2020 को सुनवाई होनी थी जिसकी कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई की तारीख कोविड-19 के वैश्विक विवाद के कम होने के बाद ही तय की जाएगी। विभिन्न कारणों के कारण, 23 जनवरी 2017 के बाद सुनवाई नहीं की जा सकी।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय विवाद पर फैसला नहीं देता, तब तक इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी की है।

(1605/MK/SAN)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यंत ही हृदय विदारक और गंभीर समस्या की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सबको पता है कि पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली जिला में ऋषि गंगा और धौली गंगा के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। 14 किलो मीटर रेंज का ग्लेशियर अचानक पिघला और बहुत बड़ी विपत्ति और विपदा आ गई। माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी तत्परता और ताकत के साथ वहां के लोगों को रिलीफ देने के लिए और जो 200 से अधिक लोग लापता हैं, उनको निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में पालिगंज विधान सभा क्षेत्र का एक ग्रामीण नौजवान लड़का, जो एनटीपीसी का काम चल रहा है, उसमें वह कार्यरत था और अचानक इस घटना में वह भी लापता हो गया। दु:खद स्थिति यह है कि उसकी शादी अभी दो महीने पहले हुई थी। उसक पूरा परिवार बिलख रहा है। उसकी बूढी मां, उसकी पत्नी, उसके परिवार के चार-पांच लोग चमोली गए हुए हैं। मगर, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था। पूरी ताकत से उस पर कार्रवाई हो रही है। मुझे विश्वास है कि उसका पता चल जाएगा। सिर्फ पटना के ही नहीं, बिहार के कई लोग लापता हैं। लोग मर्माहत हैं। मैं कल गृह मंत्री जी से भी मिला था और आग्रह किया था कि उस लापता अभियंता, जिसका नाम मनीष है, का पता लगाया जाए। हमारे क्षेत्र के चेसी गांव में ही उसका ससुराल है, लड़का-लड़की दोनों मेरे क्षेत्र के ही हैं। पूरा परिवार बिलख रहा है। वे कल से हमारे यहां बैठे हुए हैं। सैंकड़ों चाहने वाले लोगों ने मुझे फोन किया है। उनके साथ और भी कई लोग होंगे, मेरे ख्याल से सबकी जानें चली गई होंगी। मैं चाहूंगा कि सरकार अविलंब उनका पता लगाकर उनका शव उनके

परिवार को हैंड ओवर कराने की कृपा करें। उस परिवार को कम से कम 25 से 50 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई जाए। अभी उसकी पत्नी के हाथ के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। उस बच्ची के लिए नौकरी की व्यवस्था हो जाए, तो मैं समझता हूं कि बड़ी कृपा होगी। मुझे पूरा भरोसा है और हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, पूरी ताकत के साथ मनीष को पता लगाने का काम किया जाए और उसके परिवार को हर संभव मदद दिया जाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का आज मौका दिया है। मैं सोचती हूं कि जब मैं अपनी बात रख दूंगी, उसके बाद आप भी मुझसे सहमत होंगी। काफी सारे सांसद मेरे बोलने से पहले एशोसिएट करने की तैयारी में हैं।

मैं समझती हूं कि पिछले साल सरकार की प्राथमिकता कोरोना से जूझने में अपना योगदान देने की रही है। इसके चलते सांसदों का जो स्थानीय विकास निधि है, उसका पूरा वर्गीकरण कोरोना से जूझने के लिए अगले साल तक के लिए कर दिया गया है। लेकिन, लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से हमको चुनकर भेजते हैं, तो वे हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र राज्य में जो सरकार है, हम महाराष्ट्र के सांसदों की तो इतनी दुर्गती हो गई है कि हमारे कार्यकाल में जो कार्य मंजूर हुए थे, वर्तमान सरकार उसी को रद्द करती जा रही है। हमें जनता के सामने जाना पड़ता है। हम विकास का काम लेकर नहीं जा पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे। यदि सरकार 100 फीसदी नहीं, तो कम से कम कुछ हद तक हमारे स्थानीय विकास निधि को यूज करने की सहूलियत देगी, तो हम भी कुछ काम लेकर जनता के सामने जा पाएंगे। क्योंकि, इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही काम होगा। मुझे लगता है कि आज यहां मौजूद सारे सांसद मुझसे रिलेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि फिर से जनता के सामने जाकर उनके मुद्दे उठाने के लिए और चुनाव के समय उनके सामने वोट की अपील करने के लिए हमारे पास कोई तो चेहरा हो। कोरोना में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन, हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी निधि से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहती हूं कि सांसदों को अपने स्थानीय विकास निधि को खर्च करने की सहूलियत भारत सरकार जरूर दे। धन्यवाद।

(1610/SJN/SNT)

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सभापति महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ष 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव्ड हुआ था। सिरसा हरियाणा के अंदर एनएच 9 के ऊपर है और चुरू एनएच 52 के ऊपर है। यह 173 किलोमीटर का नेशनल हाइवे वर्ष 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव्ड हुआ था। इसके बाद इसका डीपीआर का काम दिया गया था। आज डीपीआर के काम को पूरे हुए दो साल से ज्यादा का समय हो गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हाइवे है। इस रोड की ऐसी हालत है। हालांकि आज की तारीख में यह स्टेट

हाइवे के रूप में है। जब से प्रिंसिपली अप्रूवल हुआ है, तब से स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तारानगर से चुरू 35 किलोमीटर की रोड के ऊपर कम से कम ढाई घंटे का समय लगता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर चुरू होने के कारण वहां बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रिंसिपली अप्रूव्ड हैं और दो-दो सालों से जिनका डीपीआर बन चुका है, उन राष्ट्रीय राजमार्गों को नंबर दिया जाए। नंबर देने के पश्चात् बजट का आवंटन किया जाए, ताकि वह रोड बन सके। वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। डायरेक्ट पंजाब से गुजरात को जोड़ने के लिए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाइवे है। हमने बहुत मेहनत और कोशिश करके उसको अप्रूव्ड करवाया था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि सरकार इसके लिए बजट का आवंटन करे।

*DR. BHARATI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Hon. Madam Chairperson, thank you very much. Today, I am going to raise a very important issue. Whether it is Corona pandemic or any natural calamity, our farmers remain the backbone and driving force of our economy.

In my constituency Nashik, farming related works for the crops like grapes, wheat, onion, gram and other rabi crops are going on and watering of the crops during these days is very important. But a GR has been issued by Government of Maharashtra regarding paying of electricity bills. They are going to stop electricity supply if you fail to pay the pending electricity bills. Electricity department is disconnecting the supply of electricity even in such villages even though most of the farmers have paid their bills and only a few farmers are unable to pay.

I condemn this decision of Maharashtra Government and through you, I demand to restore the supply of electricity to the poor and needy farmers in my constituency.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairperson.

Madam, you are really aware of the five State Assembly elections which will be held very soon. The Election Commission is going to announce the dates in this month or in the beginning of the next month. The Government of Kerala has been regularizing lakhs of temporary and contractual employees without following reservation policy. Thousands of Scheduled Castes and Scheduled

* Original in Marathi.

Tribes, educated unemployed youth are being denied their employment opportunities in Kerala.

Madam, you are very much aware of the fact that Scheduled Castes and Scheduled Tribes educated unemployed youth get employment only through Public Service Commission or Employment Exchange. In private sector, there is not any reservation. Only in the Government sector, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe youth will get reservation. Elections are very near in Kerala. The Government of Kerala is bypassing Public Service Commission and the Employment Exchange.

Madam, you are aware that Public Service Commission is a constitutional body. But the State Government is politicalizing the Public Service Commission, and backdoor appointments are going on. Ultimately, Madam, our poor unemployed youth of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting chance either in Government service nor in private sector.

(1615/RBN/YSH)

This is a very serious situation. So, I would like to request the hon. Central Government, through you, to intervene in this matter and ask the State Government to stop this back door appointment. This is back door appointment because *… (Not recorded)* of the leaders, MLAs, MPs, ex-MPs and Ministers of the *… (Not recorded)* are being given permanent employment.

Therefore, I would like to request the Government of India to intervene in this matter and stop the back door recruitment in Kerala Government service. Thank you.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सभापति महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना, मेरे संसदीय क्षेत्र की अतिमहत्वपूर्ण और बहुत पुरानी परियोजना है। इस परियोजना की वर्ष 2014 से पहले की स्थिति यह थी कि इसका सारा काम ठप्प पड़ा हुआ था। इस परियोजना को सरकार के माध्यम से कुछ भी धनराशि नहीं मिल रही थी।

सभापति महोदया, मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि इस परियोजना को वर्ष 2014 से अब तक लगातार धनराशि आबंटित की जा रही है। उसके माध्यम से यह परियोजना अपनी गति को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है।

सभापति महोदया, इस परियोजना में एक छोटी सी अड़चन आती है। यह अड़चन रोजगार से जुड़ी हुई है। इस परियोजना में हमारे सभी अभ्यर्थियों का भूमि अधिग्रहण हो गया है और जिनका भूअधिग्रहण हुआ है और उससे रोजगार का जो विषय जुड़ा हुआ है, वह अब लंबित पड़ा है। मेरे

आग्रह पर रेलवे का दिनांक 11.11.2019 का जो आदेश था, उसमें यह था कि जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, उनके अधिग्रहण के बाद उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। इसी आशा से मैंने पहले भी इस विषय को आपके माध्यम से सदन में रेल मंत्री जी के सामने रखने का प्रयास किया था। उस आदेश में यह था कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे मण्डल के जो अधिकारी हैं, उस मंडल के माध्यम से लगातार यह कहा जाता है कि इस आदेश के विपरीत दिनांक 11.11.2019 के बाद आपके जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार हम आपको रोजगार उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे यहाँ के सभी अभ्यर्थी, जिन्हें रोजगार मिल चुका है और जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, वे आशान्वित हैं कि आने वाले समय में उन्हें भूअधिग्रहण के इस विषय से रोजगार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि रेल मंत्री जी के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की विशेष कृपा की जाए।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): मेरा सबसे आग्रह है कि आप एक-एक मिनट में अपनी बात खत्म करें। काफी माननीय सदस्य बचे हुए हैं। हमें पाँच बजे तक हाउस को उठाना है, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक मिनट से अधिक समय कोई न ले।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। आपने मुझे सदन में बोलने के लिए मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र भरतपुर की तरफ दिलाना चाहूँगी। मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर वर्ष 2013 में एनसीआर में शामिल कर लिया गया था। मुझे बड़ा दुख है कि मेरे द्वारा कई बार बोलने के बाद और पत्र-व्यवहार करने के बावजूद भी आज तक हमें एनसीआर में शामिल होने का लाभ नहीं मिला है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि एनसीआर की जो भी सुविधाएं हैं, वे भरतपुर जिले को मिले, जिससे भरतपुर जिले में भी विकास की गंगा बह सके।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र की तरफ आकृषित करना चाहती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रेन आम जन-जीवन की लाइफ लाइन है और आवागमन सुलभ हो सके, इसके लिए रेल मंत्रालय भी प्रतिबद्ध है। कोविड-19 की गाइडलाइन की वजह से अनेक ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर नहीं हो रहा है।

(1620/RPS/SRG)

मैडम, आपने मुझे समय कम दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं, मैं अपने आपको खुशनसीब समझती हूं कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आती हूं, वहां रेलवे और हाइवे, दोनों की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन आज लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि वहां रेल का ठहराव नहीं हो रहा है।

गया से धनबाद तक जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अभी वह बन्द है। वाराणसी से आसनसोल तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी बन्द है। इसकी वजह से दैनिक कर्मियों को रोज आने-जाने में काफी परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि उन ट्रेन्स का परिचालन जल्द से जल्द शुरू

हो। कई ऐसी ट्रेन्स हैं, जिनका ठहराव कोडरमा स्टेशन, चौधरी बांध, सरमाटांड़, परसाबाद में होना है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि सियालदह राजधानी एक्सप्रेस (12313 और 12314) का कोडरमा में ठहराव किया जाए। इसी तरह 12321 और 12322 का चौधरी बांध स्टेशन पर ठहराव किया जाए। परसाबाद स्टेशन पर 12801 और 12802 ट्रेन्स का ठहराव हो, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ, चूंकि हम चार धाम यात्रा की भी सुविधा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह बाबा धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। इसलिए कोडरमा से देवघर और देवघर से लेकर तारापीठ, जो वेस्ट बंगाल में रामपुर हाट में है, तक एक नई ट्रेन की शुरूआत की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): धन्यवाद, सभापति महोदया।

सभापति महोदया, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में श्रीगंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ जिला भी है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन पर सोलर ऊर्जा पैनल स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। यह जिला मुख्यालय एक रेलवे हब के रूप में विकसित हो सकता है। यहां से बहुत सी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं और यहां से बठिंडा की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। यहां पर वाशिंग लाइन है और पर्याप्त जगह है।

सभापति महोदया, हनुमानगढ़ में रेलवे की करीब 300 एकड़ भूमि है, जिस पर कब्जा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वाशिंग लाइन के लिए 300 एकड़ भूमि पर्याप्त है, इसलिए वहां पर एक वाशिंग लाइन लगाई जाए। वहां सोलर पैनल स्थापित करने से सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा और यह रेलवे स्टेशन एक ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो जाएगा।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कोरोना काल में मेरे संसदीय क्षेत्र में जितनी ट्रेन्स बन्द हुई हैं, उनमें से काफी ट्रेन्स चालू हो गई हैं और काफी ट्रेन्स आज भी बन्द पड़ी हैं। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वे सारी ट्रेन्स पुन: बहाल की जाएं, ताकि रेल यात्रियों, मजदूरों, किसान वर्ग और सेना के जवानों, आदि सभी यह को सुविधा मिल सके, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं और वहां पर सेना का काफी आना-जाना होता है। धन्यवाद।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Madam, in 2010, a Kendriya Vidyalaya was sanctioned in Subarnapur district within my Parliamentary constituency. For the last 11 years, it has been functioning out of temporary premises, even though it has a student strength of over 5000. Now, in January 2019, the foundation stone for the Kendriya Vidyalaya building was laid by none other than our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, and in September, 2019 Rs. 4,70,00,000 were sanctioned for the construction of this building. However, the total estimate for the construction of the Kendriya Vidyalaya is Rs. 15,03,00,000. Madam, through you, I would like to request the

hon. Minister of HRD, I am lucky he is sitting here, to release this balance money as early as possible as the Parent-Teacher Body has approached me since the children are suffering undue inconvenience. There is no playing field. I would request hon. Minister to look into the issue urgently.

(1625/SPS/AK)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : सबसे आग्रह है कि हमको पांच बजे उठना है, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिसकी सिफारिश वर्ष 2015 में हमारी संसदीय समिति द्वारा भी की जा चुकी है। हालांकि, सरकार की विशेषज्ञ समिति ने इसे 12 लाख रुपये करने की सलाह दी है, लेकिन सरकार से आग्रह है कि इसे टुकड़ों-टुकड़ों में न बढ़ाकर, 6 से 8 लाख, 8 से 12 लाख और 12 से 15 लाख रुपये न करके, सीधे 15 लाख रुपये किया जाए।

इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों में जो गेजेटेड दर्जा प्राप्त परिवार हैं, उनको भी ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया जाए, क्योंकि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, जो हमारी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उसको चलाने के बावजूद भी, ओबीसी के कोटे की वैकेंसीज का बैकलॉग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को 15 लाख रुपये बढ़ाते हुए, गेजेटेड दर्जा प्राप्त परिवारों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए निर्णय लें।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): सभापति महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे शून्य काल में मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा के कुछ विषय उठाने का मौका दिया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत 65 से 35 वें नंबर पर आ गया है। हम 5 वें नम्बर पर आ सकते हैं, अगर जो बातें मैं कह रहा हूं, वे बातें मान ली जाएं। अगर उचित कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के मापदण्डों को देखते हुए, अगर ताजमहल को रात में 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इसी प्रकार से अगर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाए तो वहां लोग दो दृष्टियों से आएंगे, एक तो मैच देख लेंगे और दूसरा ताजमहल भी देख लेंगे। इससे विदेशी दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। इसी प्रकार से यमुना नदी पर बैराज, बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरता हुआ भू जल स्तर बहुत संकट पैदा कर रहा है। आगरा उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा वाहिद जिला है, जिसके 99 परसेंट ब्लॉक प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं, जिनको हम डार्क ब्लॉक कहते हैं। अगर बैराज बन जाएगा तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, पेयजल संकट दूर हो जाएगा और गिरता हुआ भू जल स्तर ऊपर हो जाएगा। इसी के साथ-साथ ताजमहल की बुनियाद लकड़ी पर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि उसको नमी की जरूरत है तो उसके लिए पानी हो जाएगा। वहां वाटर स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। हर शहर, जिसमें नदी है, वहां रिवर फ्रंट ने ही पर्यटन को बढ़ाया है। जैसे, साबरमती अहमदाबाद में है,

टेम्स, लंदन में है या गोमती, लखनऊ में है। मेरी एक मांग यह है। दूसरा, सैनिक स्कूल के लिए कहा गया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : बघेल जी, एक ही विषय रखिए, बाकी अगली बार रखिएगा। अब आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : जीरो ऑवर में दो विषय नहीं आते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। आपने बैराज का आग्रह कर दिया है, बाकी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एंव पूर्वी चम्पारण जिले की जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में विशेषकर बरसात के समय में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बिहार में आई बाढ़ के कारण उक्त तीनों जिलों की कई ग्रामीण सड़कें एंव पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके है, जिनकी मरम्मत, सडकों का समुचित रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में निर्मित ऐसी सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी अनुरक्षण की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य सरकार को करना जरूरी है, क्योंकि अनुरक्षण की अवधि समाप्त होने पर विभाग निधि के अभाव में इन सडकों पर कोई कार्य नही करते हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सडकें एंव अन्य ग्रामीण सड़कें तथा पुल-पुलिया ध्वस्त होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आम जनजीवन एवं विकास कार्यो पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एंव पूर्वी चम्पारण जिले की जर्जर ग्रामीण सड़कों एंव पुलों को चिह्नित करते हुये, उनकी मरम्मत एंव निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

It is my privilege to raise this issue in this august House expressing the aspiration of Netaji admirers and INA families to organize the concluding ceremony of *Parakram Diwas* in Manipur where the actual INA campaigns took place on the Indian soil.

(1630/SPR/RAJ)

A high-level committee, organising a year-long celebration of the 125th Birth Anniversary of Netaji, is a welcome step in the right direction in the national interest.

Madam, Manipuris are very proud to be a part of the freedom struggle as they are directly linked with the INKA campaigns. It was at Moirang, Manipur, the Indian tri-colour flag was first hoisted on April 14, 1944, on the Indian mainland. Although, Andaman was the first. The first INA office on the Indian soil was set up at Moirang some 34 km. away from Imphal. This is also one of the places where the INA operated the First Provincial Government of Independent India. From this location, the slogan *Delhi Chalo* was further echoed and reverberated. More than 7,000 INA soldiers waged the Imphal battle.

With this admirable historical background, I, on behalf of the people of Manipur, and the INA associates, would like to seek your kind indulgence for a favourable consideration to the proposal of holding the closing ceremony of Netaji's 125th Birth Anniversary celebration in and around Moirang, Manipur. An amazing show stopper event of *Parakram Diwas* in Manipur would be a fitting tribute to Netaji and INA.

श्री सय्यद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान ऐसे तबके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी आवाज सदन तक नहीं पहुंचती है। महाराष्ट्र में हमालों को मराठी में माथाड़ी कहते हैं, यानी जो सर पर थैले रख कर, रेलवे वैगन या ट्रकों से उतारते हैं या मार्केट में काम करते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं। उन्हें माथाड़ी कहते हैं। उनका शोषण न हो, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 25 साल पहले माथाड़ी बोर्ड्स बनाए। तकरीबन ऐसे 36 माथाड़ी बोर्ड्स बनाए गए हैं, जो महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में हैं – पुणे, कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती। इनका मकसद यही था कि कोई इन माथाड़ियों का शोषण न करे, लेकिन यह हो रहा है कि जो मेहनत करते हैं, उनको डायरैक्ट पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि वह पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास जाता है। उसका चेयरमैन कोई पॉलिटिकल अप्वाइंटी होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेहनत-मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, लेकिन माथाड़ी बोर्ड 30 प्रतिशत पैसा अपने पास रख लेता है और 70 प्रतिशत पैसा उन्हें देता है। अगर पिछले 25 सालों का हिसाब निकाल कर देखें, तो बोर्ड जो 30 प्रतिशत पैसा अपने पास रखता है, उसमें से 12 प्रतिशत कम्पोनैंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए है। कम्पोनैंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट्स, 1952 के तहत किसी भी संस्था/संगठन में 22 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में जमा होना चाहिए। लाखों मजदूरों का पैसा पीएफ के नाम पर जमा किया जा रहा है, लेकिन एक रुपए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में जमा नहीं किया जा रहा है, उसमें नहीं दिया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। मैं समझता हू कि अगर सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी तो सभी 36 बोर्ड्स के चेयरमेन जेल के अंदर जाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मजदूरों की देख-रेख करने की होती है, उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं सरकार

से यह अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जो पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा गया है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में ट्रांसफर किया जाए।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्री जगदम्बिका पाल।

कृपया, आप सभी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आप ने तीन मिनट कहा है।

माननीय सभापति : नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया है। मैं वह बात कह रहा हूं, जिससे आप भी संबंधित हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसे वे लोग हैं, जो आपके मतदार हैं, जो आपका समर्थन करते हैं। यह अत्यंत महत्व का विषय है। सदन के समक्ष यह विषय कई बार उठ चुका है। इसके लिए इस सदन की सहमति मिली है और कई सत्र में मंत्रियों की तरफ से भी आश्वासन मिला है। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जो दिल्ली के घाटों पर भी सुनने को मिलती है और आपके क्षेत्र से लेकर अन्य कई जगहों पर बोली जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोकप्रिय मुहावरे का प्रयोग मोदी जी ने किया है। आज यह भाषा मॉरिशस में सेकेंड लैंग्वेज हो गई है, वहां के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और नेपाल में पढ़ाई जा रही है, दुनिया के 25 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

(1635/VB/UB)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्री जगदम्बिका जी, अब भूमिका बनाना बंद कीजिए और अपनी बात कहिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर बैठे हैं और अभी गृह मंत्री जी यहाँ से गए हैं, इसमें कोई परिव्यय नहीं है, कोई व्यय नहीं है। लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाएँ इससे जुड़ी हैं, यह हमारी मातृभाषा है। निश्चित रूप से यह भाषा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका महत्व कई देशों में है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): My Constituency of North Chennai is a highly industrialised area. Though it has brought advantages of employment, there are disadvantages also where there is a huge amount of pollution of water, air and soil.

With this backdrop, I would like to bring to the attention of the Government that there is a port in Kattupalli owned by Adani. It is called ‘Kattupalli Adani Port’ (MIDPL Port). There is a proposal for expansion of this Port to three times of the existing size. I would like to bring to the notice of this House that this is illegal on three accounts. First, it is in violation of the Coastal Regulation Zone Notification

where they have notified that the areas which have high erosion should not be taken up for any import activity. The erosion in this area has already been documented to be about 15 metres per year.

The second point is that there is a prohibition of conversion of wetland to industrial land. Here, in this proposal, they are having about 6000 hectares of land which is going to be taken up for this project out of which, one third is private, one third is public and one third is a reclaimed land of the sea. The amount of reclamation of the land is going to be used where it is going to affect the people of the local districts.

The third point is that, according to the Environmental Impact Assessment Act, it says that eco-sensitive areas should not be affected and there is a Pulicat Lake over there. The fishermen and farmers of these areas would be affected. There are water bodies which will be taken up for this project which will also cause flooding and water scarcity. I would like to request the Government to ensure that this project is dropped.

श्री सुनील सोरेन (दुमका): माननीय सभापति महोदया, झारखण्ड राज्य में वर्ष 2019 में तीन नए मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना की गई थी, इनमें से एक हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका में स्थापित फुलो-झानों मेडिकल कॉलेज भी है। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेज में से दुमका मेडिकल कॉलेज की स्थिति अति दयनीय है। यहाँ लैब, कैडेवर एवं रसायन की सुविधा का अभाव है। इसके साथ-साथ यहाँ लैब असिस्टेंट और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। इतना ही नहीं, यहाँ पुस्तकालय एवं पुस्तकालय कर्मियों की भी कमी है।

कॉलेज में चिकित्सा-शिक्षक की कमी के कारण चिकित्सकों का घोर अभाव है। यहाँ बिजली-पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित एक राष्ट्रीय टीम निरीक्षण हेतु दुमका मेडिकल कॉलेज गई थी। दुमका मेडिकल कॉलेज की संरचना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदण्ड के अनुसार नहीं होने के कारण नए सत्र में छात्र-छात्राओं का नामांकन बन्द कर दिया गया है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदण्ड के अनुरूप उपरोक्त वर्णित गंभीर समस्याओं का निदान अतिशीघ्र किया जाए ताकि छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन व्यवस्थित ढंग से हो सके और छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Madam Chairperson, there is a long pending request for setting up of a government medical college in Raigarh which is an aspirational district. I met Dr. Harsh Vardhan also and he promised that once the DPR is sent from the State Government, he would expedite the

approvals. There have been a lot of agitations from different civil societies, Press Union, the Congress Party, many other people, and we have had rallies and so on, but the State Government has turned a deaf ear to the valid request of the tribal people in Raigarh District. A similar protest has been happening in Kendrapara District and Bhadrak District also. I would request through you, Madam, the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan ji, to write to the State Government and seek the reason as to why the DPR was not sent so far and why the State Government is not looking after the development or setting up of a government medical college in an aspirational district like Raigarh.

(1640/PC/KMR)

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र है। वह सारन जिले की चार असेंबली कांस्ट्टिुएंसी और सीवान जिले की दो असेंबली कांस्ट्टिुएंसी मिलाकर बना है। वहां दो केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से एक केन्द्रीय विद्यालय मशरख में है। वहां केन्द्रीय विद्यालय का भवन बन गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस विद्यालय को दो पाली में, दो शिफ्ट में चलाने की अनुमति दें। जो केन्द्रीय विद्यालय महाराजगंज में है, वह भवन विहीन है, बच्चों के बैठने की स्थिति नहीं है, उन्हें काफी परेशानी होती है, बरसात के दिनों में भी काफी दिक्कत होती है।

अत: वहां भवन बनाने की अनुमति दी जाए। मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं कि आप नई शिक्षा नीति लाकर अलग-अलग तरीके से, पूरे देश में शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह टैक्निकल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, इसलिए वे इस पर अपने स्तर से कुछ आश्वस्त कर दें कि आगे आने वाले दिनों में इस कार्य को वे देखेंगे। धन्यवाद।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Madam Chairperson, I would like to bring to the kind notice of hon. Minister of Health and Family Welfare various concerns of Bidi Manufacturers Association of our Telangana State and across other parts of our country.

Bidi industry is a cottage industry and provides employment to over 85 lakh bidi workers. Most of them are in rural areas and that too women. Moreover, the Bidi manufacturing factories do not contribute to any pollution nor do they require power and machinery. But sadly, the industry is not getting any support or incentives from the Government.

Now the Ministry of Health & Family welfare, Government of India, proposes to amend COPTA 2003. Most of the proposed amendments are

directly going to affect sale of bidis drastically. This in turn will affect production of bidis drastically. As a result, livelihood of over 2.60 crore tobacco farmers and farm workers; over 85 lakh bidi workers; over 40 lakh tribals engaged in plucking tendu leaves; and over 72 lakh traders, retailers/panwalas will be affected.

The proposed increase in fines for offences will open flood gates of corruption across the country. I, therefore request the hon. Minister to withdraw the proposed amendments in the interest of livelihood of 4.57 crore people dependent on tobacco industry.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, कोरोना महामारी के कारण ट्रेन्स बंद हो गई थीं। वे ट्रेन्स अब वापस धीरे-धीरे शुरू की जा रही हैं, लेकिन उनके स्टॉपेज कम कर दिए गए हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में, जिस ट्रेन से मैं पिछले छ: सालों से बराबर आ रहा था, वह मेवाड़ एक्सप्रेस थी। वह निज़ामुउद्दीन से उदयपुर के लिए चलती है। वह मेरे लोक सभा क्षेत्र में मंडलगढ़ स्टेशन पर रुकती थी। अब चूंकि उस ट्रेन का वहां रुकना बंद हो गया है, इसलिए मेरा उस ट्रेन से आना भी बंद हो गया है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जो ट्रेन्स लॉकडाउन की वजह से बंद की गईं थीं, वे अब शुरू हो रही हैं। इसलिए, उन ट्रेन्स के जो पहले स्टॉपेज थे, वे स्टॉपेज ही मेंटेन रखे जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में लोगों को कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

महोदया, मैं अपने जिले जौनपुर में बजाज कंपनी द्वारा बिजली की सप्लाई आपूर्ति किए जा रहे सौभाग्य योजना के दुर्भाग्य के बारे में आपके समक्ष एक-दो बातें रखना चाहता हूं।

इस योजना के तहत 60 हजार एनर्जी मीटर्स लगाए गए हैं, जिनमें से 40 हजार मीटर्स तो बिलकुल ही चार्ज नहीं किए गए हैं। कागजों में बहुत गांवों को संपूर्ण दिखाया गया है, जबकि हकीकत में वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इससे जनता में बहुत आक्रोश है।

(1645/IND/GM)

जौनपुर के लगभग 760 गांव ऐसे हैं, जिनमें खंभे लगा दिए गए हैं।…(व्यवधान) आप टोका-टाकी मत कीजिए। मैं जो बयान दे रहा हूं वह सही है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्याम सिंह जी, आप सिर्फ प्वाइंटेड बात कीजिए।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

माननीय सभापति : गलत सही की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ प्वाइंटेड बात कीजिए। आपके पास एक मिनट का समय है। केंद्र सरकार से जो डिमांड करनी है, वह कहिए।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदया, हम यहां प्रदेश की बात कर रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यहां प्रदेश की बात नहीं कर सकते हैं। आप केंद्र सरकार से जो चाहते हैं, वह बताइए।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदया, जब हम गांव का दौरा करते हैं, तब जो दलित हैं, गरीब हैं और जो पिछड़े हैं, जिनकी बस्तियां हैं, जहां पोल लगाया गया है लेकिन वहां तार भी नहीं हैं। मीटर भी नहीं है, उनको भी बिजली विभाग गलत बिल भेज देता है और हजारों रुपया वसूल करता है। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस समस्या का हल होना चाहिए।

मेरा दूसरा बिंदु है कि दिन में अठारह घंटे बिजली सप्लाई होती है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दूसरी बात नहीं रख सकते हैं। आप बैठ जाएं।

श्री विनोद कुमार सोनकर जी।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदया, मैं कौशाम्बी लोक सभा से निर्वाचित हो कर दोबारा आया हूं। कौशाम्बी लोक सभा में दो जनपद प्रतापगढ़ और कौशाम्बी हैं। कौशाम्बी 4 अप्रैल, 1997 को जिला बना, जिसके कारण सारे शैक्षणिक संस्थान चाहे इंजीनियरिंग कालेज हों, मेडिकल कालेज हों या डिग्री कालेज हों सब के सब प्रयाग जिले में चले गए। कौशाम्बी जनपद के पौराणिक महत्व को देखते हुए उसे जिला बनाया गया। जब यह नया जिला बना, तो यहां केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आरक्षित की गई। मैं पिछले छह साल से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वहां एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए, जिसके लिए आपके विभाग द्वारा जमीन का सर्वे भी किया गया। जब जमीन को रिजेक्ट किया गया, तो दूसरी जमीन दी गई और विद्यालय को अस्थायी चलाने के लिए एक जगह का सर्वे किया गया। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज इस विषय में कुछ भाषण दें। पिछले साढ़े छह साल से मैं लगभग छह-सात बार इस विषय को उठा चुका हूं और कौशाम्बी लोक सभा में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिनके पास शैक्षिक व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जमीन भी दे दी गई है और अस्थायी परिसर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। वहां केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दें। आज सौभाग्य से मंत्री जी सदन में हैं। यदि वे कोई आश्वासन दे दें, तो बेहतर होगा।

श्री संजय सेठ (राँची): महोदया, झारखंड में रांची के अंदर एक भारी उद्योग एचईसी है। उसमें कामगारों का एरियर बकाया है। ऐसे 7300 कामगार हैं, जिनका 1997 से लेकर 2008 तक का बकाया है। उनमें से बहुत से बूढ़े हो गए हैं और कितनों का देहांत हो चुका है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। मेरा भारी उद्योग मंत्रालय से अनुरोध है कि उनका एरियर चुकता कराएं। पहले जब बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी परियोजना में यदि जगह बिकेगी, उस पैसे से एरियर के बकाया को वसूल कर लिया जाएगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे जो 7300 करीगर हैं, वे रांची की रीढ़ हैं और यह उनके पसीने की कमाई है। उनके एरियर के पैसे का जल्द भुगतान किया जाए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): महोदया, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा जनपद का पूरा देहात का क्षेत्र है, राजस्थान के बार्डर के साथ लगे हुए गांव के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पानी की बहुत किल्लत है। वहां जल स्तर 400 मीटर तक नीचे चला गया है और सिंचाई की बहुत दिक्कत है। लगभग 10 हजार हेक्टेयर किसानों की भूमि बंजर हो गई है। पहले वहां खारा पानी हुआ करता था, अब वह भी नहीं है। अकबर के जमाने से लेकर अब तक वहां पानी की समस्या चलती आ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी

ब्लॉक में एक नहर की व्यवस्था की जाए, जिससे हजारों किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सके। इससे उनकी बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और वह खुशहाल होगा।

माननीय सभापति : समय बहुत कम है, इसलिए सभी प्वाइंटेड बात कीजिए।

*SHRI Y. DEVERDRAPPA (BELLARY) : Hon'ble Chairperson, Madam thank you very much for allowing me to raise an issue pertaining to fix the Maximum Retail Price for farm machineries.

My Lok Sabha constituency Bellary is in Karnataka state. Our farmers all over the country are largely dependent on farm machinaries, without which it is very difficult to take up agriculture now a-days. Therefore I would like to request the government to take steps to fix the MRPs of farm machinaries and publicize it in the websites of both the government departments and the manufacturing companies. I also request the union government to bring such a law in the next session of Parliament. So that interest of our farmers in the country would be protected. Considering the present phenomenon of the agriculture sector of the country, it is impossible to take up farming without machineries. Therefore the government should issue directions to the manufacturing companies of agriculture equipments to display all the prices of the farm machineries in the companies' own websites. And the price of each machinery along with the maintenance charges should be displayed in the respective equipments such as tractor, power tiller, combined harvesters, rotovators and paddy planters, sugarcane cutting machineries etc, in the showrooms for the benefit of farmers.

I humbly submit to all the hon'ble members of the House to support this issue and urge the government to do needful in this regard to help the farming community of the country.Thank you.

(1650/KDS/RCP)

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): धन्यवाद सभापति महोदया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर तांत्या टोपे जैसे महान योद्धा की बलिदान स्थली, मेरे गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी में स्थित है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। राज्य सरकार और कुछ सामाजिक संस्थाएं इस पवित्र स्थल को संवारने के लिए काम करती आ रही हैं। आपके माध्यम से मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वीर तांत्या टोपे जैसे महान योद्धा की इस बलिदान स्थली को केंद्र सरकार द्वारा

* Original in Kannada

विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्रीय संग्रहालय अनुदान योजना के अंतर्गत यहां एक मेमोरियल संग्रहालय व थियेटर की स्थापना की जाए, जिससे कि यह पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र बने और वहां के लोक कलाकारों द्वारा लोक कलाएं प्रस्तुत करने व अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। मैं इसके साथ ही केंद्र सरकार व माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शिवपुरी व चंदेरी के पर्यटन के विकास के लिए इस बजट में फंड एलोकेट किया है। धन्यवाद।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): धन्यवाद सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र एवं जिला राजनंदगांव के वनांचल एवं आदिवासी बहुत नक्सल प्रभावित मानपुर मोहला, चौकी में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बेतहाशा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन खतरे में आ चुका है। अवैध रेत खनन की स्थिति यह है कि विकास खंड मानपुर के ग्राम तोलुम व नवागांव में नदी की दिशा ही बदल गई है। बिना रॉयल्टी पर्ची के शासन को लाखों रुपयों का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। बेशकीमती सागौन सहित इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई कर उनको पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में भेजा जा रहा है। नदी का कटाव बढ़ने और नदी से लगी भूमि व खेतों के क्षरण से आदिवासी कृषकों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका विरोध वे गत दो वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ उक्त स्थान वरन् में है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की यही स्थिति है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पर्यावरण मंत्रालय सहित खनन विभाग व एनजीटी निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में एक आपदा आई हुई है, जिसमें बहुत से लोग लापता हुए हैं और मारे गए हैं। हमारे जिला-सहारनपुर के तकरीबन 25 से ज्यादा लोग लापता हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस वक्त वहां पर जो राहत कार्य हो रहा है, उसमें तेजी लाई जाए और इसके साथ-साथ बचाव दल की संख्या भी बढ़ाई जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट कम से कम 25-25 लाख की सहायता राशि देने का कार्य करें। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यह पूरा सदन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़):माननीय सभापति महोदया, मैं प्रतापगढ़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में शहर मुख्यालय पर जमीन की उपलब्धता होने के बावजूद भी जिलाधिकारी ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए, क्योंकि टेम्परारी विद्यालय चलाने के लिए भी बिल्डिंग की उपलब्धता हो चुकी है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे शहर मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए। धन्यवाद।

(1655/CS/RK)

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): महोदया, आपने मुझे मेरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र की अति लोक महत्व की बात उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र हमारी एक धार्मिक नगरी है, वहां पर एलीवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की पिछले बजट के अंदर जो बात आई थी, उसका काम चालू हो गया है। मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसी रेल ट्रैक के ऊपर आगे कैथल में भी एक एलीवेटेड रेलवे ट्रैक का कैथल शहर के अंदर सर्वे हुआ था।

मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उसका भी जल्दी बजट जारी करके उसके ऊपर भी इसी तरह काम किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले।

महोदया, उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर कैथल विधान सभा में डांड गांव पड़ता है। वहां पर एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन का नाम बेहवा रोड रेलवे स्टेशन रखा हुआ है। वहां के लोगों की मांग है कि उसका नाम बदलकर डांड रेलवे स्टेशन किया जाए। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्राय: हम लोग अपने क्षेत्र की बात यहां पर रखते हैं। मैं आज शिक्षा के क्षेत्र का विषय उठा रहा हूं। मैं भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी का और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी का आभार प्रकट करता हूं कि शिक्षा नीति में बदलाव के पूरे देशवासियों के जो सुझाव थे, उनको लेकर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया है। पूरे देश को इस बात का पता है कि बीच में हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कोलैप्स किया गया कि लोग याचक बनकर नौकरी ढूंढने का काम करते थे। कोई दाता बनकर या रोजगार देने को लेकर कोई शिक्षा नहीं थी। यहां तक कि अपने पूर्वजों पर गौरव करना भी हम लोग भूल गए थे। हमारे सिलैबस से वह हटा दिया गया था। जैसे अभी प्रधान मंत्री जी ने आंदोलनजीवी लोग नाम लिया, मैं सरकार को इस सदन के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि जैसे किसानों को लेकर एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही आने वाले समय में हमारी शिक्षा नीति पर, जो कि सही है, उचित है और देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा नीति है, उसको ले कर कोई एक कुचक्र चलाया जा रहा है। इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दें और उसका प्रबंध करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज से 11-12 वर्ष पूर्व चार-चार उड़ानें भुंतर एयरपोर्ट पर आती और जाती थीं, लेकिन अब एकमात्र एयरलाइंस का एटीआर-72 विमान यहाँ से उड़ान भरता है। उसकी यात्री क्षमता 72 सीट की है, परंतु रनवे कम होने के कारण, दोनों तरफ ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ होने के कारण उसे अपनी यात्री क्षमता से आधे से भी कम यात्रियों को ले जाने अनुमति है। इसके कारण कुल्लू-दिल्ली प्रति यात्री किराया 18 हजार रुपये से 22 हजार रुपये तक रहता है। इस कारण यात्रियों को कुल्लू-दिल्ली हवाई यात्रा काफी महँगी पड़ती है।

महोदया, एटीआर विमान कंपनी का एक नया विमान एटीआर-42-600 विमानन क्षेत्र में उपलब्ध है, जो कि एटीआर विमान का एक नया मॉडल है, जिसकी क्षमता 48 यात्रियों को लाने/ले जाने की है। यह मॉडल छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए सर्वोत्तम है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से एटीआर 42-600 विमान का परिचालन प्रारंभ किए जाने के संबंध में Spicejet, Indigo Go Air आदि एयरलाइंस को आदेश दें और कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से एटीआर 42-600 विमान का परिचालन प्रारम्भ करवाने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): I would like to draw your attention to the UDAN Scheme which was announced in the year 2016. I would also wish to draw your kind attention to its present status in the district Koppala, Karnataka.

When the scheme was announced, people were very happy as they could save their valuable time by taking connecting flight and thus make better use of their time for other work. With due regard, I wish to state that till today nothing has happened in this regard in Koppala, Karnataka.

(1700/PS/KN)

Madam, presently, Koppal has almost twenty running big industries. In Koppal, the setting up of toys cluster, being developed by Aequs company, is in the pipeline. The work has already started, creating employment opportunities for almost 25,000 people under the Atmanirbhar Bharat scheme.

A Memorandum of Understanding was sent to the Government of Karnataka in 2007. But till today, no communication has been received regarding the present status of the scheme. Due to this, the people of Karnataka and especially the people of Koppal, are very much disappointed.

I shall be very grateful if the authorities concerned are directed to get it done expeditiously for the betterment of the people of Koppal. The Ministry has given the deadline that by 2023, they will start the operation of airport.

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): अभी 7-8 माननीय सदस्य और बोलने वाले रह गए हैं। उनकी बात खत्म होने तक तकरीबन 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाए? क्या सभा की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

माननीय सभापति : सभी के लिए एक-एक मिनट है।

श्री रितेश पाण्डेय।

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Thank you, hon. Chairperson. India currently has two vaccines under emergency use approval -- one is Covidshield, developed by AstraZeneca and Oxford University, and the other is Covaxin, developed by Bharat Biotech. While the efficacy data of Covidshield

was established before any Government in the world approved it for its emergency use, the efficacy data of Covaxin is still pending and interim data of Phase-III trials may only be expected by March, according to the Chairman and Managing Director of Bharat Biotech.

Commencing the use of Covaxin without establishing its efficacy data in clinical trials has been criticised by the scientific community. It also explains the hesitancy of doctors and health workers to take the Covaxin shot. India aims to vaccinate 30 crore people by August, which means it needs to vaccinate over 10 lakh people a day. In three weeks since India's vaccine drive has begun, we have not even vaccinated 10 lakh people. Additionally, there have also been technical glitches with India's online vaccine platform, Co-WIN, which has further created obstacles in our ability to carry out the ambitious vaccination plan.

People's mistrust in the vaccine is a serious public health issue because vaccination is the only safe way to immunise the Indian population against the SARS-CoV-2 virus. This issue has become even more serious given that we have no definitive answer as to how long our body's antibodies will last and whether the antibodies prevalent in the Indian population will offer a robust enough protection against the novel strains of the corona virus circulating around the world. We must be prepared for a second or a third wave of the virus.

Hon. Chairperson, in the light of this, I would request the Government to take appropriate steps.

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही अविलम्बनीय विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत नानकमत्ता गुरुद्वारा है। ऐसी किंवदंती है कि वहां पर नानक जी को धरती ने आवाज दी कि यह गुरुद्वारा आपका है और उसी के बगल में नानक सागर है। अमृतसर के बाद इस पवित्र स्थल का ही नम्बर आता है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित करना अत्यावश्यक है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको विकसित किया जाए। वाटर स्पोर्ट्स प्रारम्भ किए जाएं, ताकि जो देश-विदेश और दुनिया से लोग अमृतसर जैसी पवित्र जगहों के बाद यहां आते हैं, वे भरपूर तरीके से नानक सागर का आनंद ले सकें और इस पवित्रता में अपने को सराबोर कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बागपत जिले में बड़ौत सबसे बड़ा टाउन है और बहुत बड़ा शिक्षा का केन्द्र रहा है। वर्ष 1919 में जनता वैदिक कॉलेज बना। मेरे जैसे पता नहीं कितने ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, खिलाड़ी और प्रोफेशनल्स इसने पैदा किए। वर्ष 1960, 1970 और 1980 के दशक में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में जब मैं

पढ़ता था, उस समय पूरे देश के बच्चे, ऐसा कोई राज्य नहीं था, वहां नहीं पढ़ते थे। वहीं के ग्रेजुएट्स, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बहुत जगहों पर वहां के प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनका जो अल्मा-मेटर है, अभी तक वह यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। मेरा आपके माध्यम से कृषि और शिक्षा मंत्रालयों से यह निवेदन है कि इस जनता वैदिक कॉलेज को केन्द्रीय किसान विश्वविद्यालय बनाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के बारे में ऐसा कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे यहां के किसानों को, किसानों के बच्चों को और न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि हरियाणा के बच्चों और आस-पास के प्रदेशों को भी उसका बहुत फायदा होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1705/MM/SMN)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): इस कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारे राहत के पैकेज दिए हैं और बहुत सारी सुविधाएं देश में अलग-अलग विभागों के लिए की हैं। अगर किसानों को देखें तो लॉकडाउन के दौरान इनकी फसलें खेतों में खड़ी-खड़ी सड़ गयीं, दूध फट गए थे। इनका सर्वे कराकर इनकी भरपायी करवायी जाए। अभी जो किसान बिल आए हैं, उनके अनुसार इनवेस्टर नकद खरीदारी करेंगे। गन्ने की जब बिक्री की बात थी तो यह था कि उनको नकद पेमेंट मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ और देश में लाखों करोड़ बाकी हैं, उनको जल्द से जल्द दिलाया जाए। एक काम और है कि जिन किसानों के बच्चे नौकरियों पर थे, उनकी नौकरियां छूट गयीं, वे बेरोजगार हो गए। गांव स्तर पर सर्वे करवाकर, जिनकी नुकसान की भरपायी नहीं हुई है, नौकरियां भी छूट गयी हैं, बिजली बिल पर भी राहत नहीं मिली है, उसका सर्वे करवाकर सरकार तुरंत बेरोजगार बच्चों को नौकरियां उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): धन्यवाद सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार है, जो बिहार में पड़ता है। यह क्षेत्र जूट उत्पादक है। बिहार के अधिकांश किसान जूट का उत्पादन करते हैं। वर्ष 1935 में कटिहार जिले में भारत सरकार के एक उपक्रम एनजेएमसी के द्वारा आरबीएम में जूट मिल चलायी जाती थी। यह जूट मिल 8 जनवरी, 2016 से बंद पड़ी है। इस जूट मिल में भारी संख्या में बोरे इत्यादि का उत्पादन होता था। इससे हजारों की संख्या में लोग सीधे रोजगार पाते थे। लाखों किसानों को जूट के क्रय-विक्रय से जूट की सही लागत मिल रही थी। भारत सरकार सभी तरह के उपक्रम और एमएसएमई को चला रही है। इसी तरह से कटिहार की जूट मिल को भी चलाया जा सकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कटिहार जूट मिल की जो फिजीबिलिटी है और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वह जूट मिल कभी भी चालू करवायी जा सकती है और वह चलने की स्थिति में है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि कटिहार जूट मिल को सरकार स्वयं चलाए या आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाया जा सकता है। दुर्भाग्य से यह जूट मिल प्रबंधन की गलती के कारण नहीं चल सकी और बंद थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कटिहार जूट मिल को चलाया जाए। इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कटिहार जिला अकांक्षी जिला है, इससे उसका और बिहार का विकास होगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अफजाल अनसारी (गाजीपुर): सभापति महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि आप संसदीय कार्यमंत्री को इस संबंध में दिशा-निर्देश दें।

महोदया, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अनुरूप जो गाइडलाइंस तय हुई हैं, जो बजट गया है और जो काम हो रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए पूरे देश में जनपद स्तर पर दिशा कमेटीज बनी हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में कोरोना काल में सारी व्यवस्थाएं ठप्प रहीं। हमारे देश में भी ऐसा ही रहा। अब जबकि बहुत हद तक इस सबसे कुछ उभरा जा चुका है, इस दौरान दिशा कमेटी की बैठकें कुछ जनपदों में हो रही हैं, लेकिन कुछ जनपदों में ऐसा लगता है कि एजेंडे से ही हटा दिया गया है। कैसे पता चलेगा कि हमारे विभागों के अधिकारीगण, जो बजट गया, उस पैसे का किस तरह से उपयोग किया गया? जनता में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। जनप्रतिनिधि जवाबदेह हैं। लेकिन जब उनके बीच में जाइए तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): आप क्या चाहते हैं, वह बोलिए।

श्री अफजाल अनसारी (गाजीपुर): मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन सरकारी योजनाओं का बजट जनपद में गया है, उनकी समीक्षा के लिए दिशा की बैठक नियमों के अनुसार आहूत की जाए। मैं गाजीपुर से आता हूं और अभी तक मात्र एक बार दिशा की बैठक हुई है।

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गयी है।

श्री रमेश बिन्द।

(1710/MM/SNB)

श्री रमेश बिन्द (भदोही): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुनकर आता हूं और भदोही कालीन नगरी के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है।

महोदया, पूरे प्रदेश में सफाईकर्मियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन किसी कारणवश हमारे जिले में सफाईकर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पायी है। जिसके कारण लगभग तीन महीने से जिला मुख्यालय पर सफाईकर्मियों का धरना-प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से आप से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार से सफाईकर्मियों की नियुक्ति करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे दिल्ली के कुछ युवा और युवतियों के संबंध में विशेष रूप से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, सिंगापुर सरकार के सहयोग से दिल्ली में एक विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र जौनपुर में बनना था। वर्ष 2013 में तब की मुख्यमंत्री, जिनका ट्रेंड बना हुआ था कि केवल वोट के लिए राजनीति करनी है, …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) देना है। वर्ष 2013 में सिंगापुर की विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र बनाने वाली एजेंसी को परमिशन दे दी गयी। 2 जुलाई 2012 को मंत्रीमंडल की बैठक करके उसकी मंजूरी प्रदान कर दी गयी। उस पर दोनों देशों का समझौता हो गया और हस्ताक्षर भी हो गए। वर्ष 2013 में विधान सभा के चुनाव होने थे, इसलिए लोगों को गुमराह करने के

लिए दोनों देशों के संबंधित संस्थानों तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तीन वर्ष की अवधि वाला एक संदार्थ हस्तांतरित किया गया। जौनपुर गांव की 37 एकड़ जमीन प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग को ट्रांसफर कर दी गयी, जिसका कब्जा 18 सितम्बर को तकनीकी शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद वह सरकार नहीं आ पायी। 24 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन था और लोक सभा के चुनाव के बाद, तब 24 दिसम्बर, 2014 को शहरी विकास मंत्रालय में जो उस काम को देख रहे थे, उनसे उस भू भाग को परिवर्तित करवार स्टेट्स ऑफ लैण्ड यूज ट्रांसफर संबंधित अधिसूचना जारी करवा दी और 3.28 करोड़ रुपये जौनपुर की ग्राम सभा के खाते में जमा करवा दिए।

मैडम, उसके बाद एक नये विशेष प्राणी की सरकार आ गयी। मार्च, 2015 में तब के मुख्यमंत्री ने, चूंकि लोक सभा के चुनाव आने थे, उसकी मंजूरी दे दी गयी। लेकिन मंजूरी के बाद दिखावे के लिए 2.74 करोड़ रुपये बाउंड्री के लिए अलॉट कर दिए। उसके बाद 254 करोड़ रुपये की सहमति तो दे दी, लेकिन चुनाव के बाद वे उसको भूल गए, क्योंकि रूरल बेल्ट के नौजवानों को रोजगार न मिल जाए और उनको याचक बनाकर रखा जाए। राजनीति से प्रेरित होकर उस कौशल केन्द्र का, जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से, नौजवानों को रोजगार मिल जाए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रूरल बेल्ट के लोगों से एनेमिटी रखते हुए, क्योंकि ज्यादातर वहां के रूरल बेल्ट के लोगों ने वोट नहीं दिया, उस कौशल विकास केन्द्र का काम प्रारम्भ नहीं करवा रहे हैं। उन बच्चों को याचक न रखा जाए। टेक्निकल एजुकेशन लेकर दिल्ली देहात के बच्चे एजुकेटेड हो जाएं। ले. गवर्नर के माध्यम से उसको तुरंत चालू करवाया जाए। धन्यवाद।

1713 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष जी, आज बजट सैशन के फर्स्ट पार्ट का आखिरी दिन है। कुदरत की आपदा होती है, जिसकी वजह से लोग बेघर हो जाते हैं। आज पंजाब के लाखों लोग भी बेघर हुए हैं। सर्दी निकल गई है और अब गर्मी आने वाली है। कोरोना, डेंगू और बहुत-सी बीमारियां मौसम बदलने के साथ आएंगी। आपके द्वारा सरकार से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन लाखों लोगों से सरकार किसी भी तरीके से बातचीत करके उन्हें घर भेजे, क्योंकि यह हमारी रिस्पोंसिबिलटी है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, वर्ष 2020 कोरोना काल के कारण पूरा निकल गया। अब 2021 में वैक्सीन आने की वजह से कुछ नई उम्मीद बनी। इंग्लैंड का जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया, उसे लेकर बहुत विवाद था, लेकिन हमारे दोनों वैक्सीन उस पर कामयाब रहे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अभी साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आया है, जो अमरीका सहित तीन देशों में कोरोना की बीमारी फैला रहा है। अमरीका में यह देखा गया कि उस पर यह वैक्सीन कामयाब नहीं हो रही है। भारत बॉयोटेक का बहुत ही अच्छा वैक्सीन है। मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध रहेगा कि भारत बॉयोटेक और आईसीएमआर द्वारा जो वैक्सीन बना है, उसके सीरा को अफ्रीका भेजा जाए और अफ्रिकन स्ट्रेन पर बॉयोटेक कितना कामयाब है, इसकी जांच कराई जाए। जिससे कि भारत जो पूरी दुनिया में वैक्सीन का सैंटर बना हुआ है, अफ्रीका के नागरिकों को भी मदद कर सके और यह स्ट्रेन भारत में भी न आए, इसके लिए भी मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना

चाहूंगा। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री, भारत बॉयोटेक के वैक्सीन से प्रोड्यूस सीरा है, उसे अफ्रीका भेजकर अफ्रीकी स्ट्रेन की जांच कराएं, क्योंकि अमेरिकन वैक्सीन उस पर कुछ भी कामयाब नहीं हो पा रही है।

(1715/GG/RU)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय बदलना चाहती हूँ और यह विषय आशा की किरण, जो एक शेल्टर होम है दिल्ली के रोहिणी इलाके में। यह इकलौता शेल्टर होम है, जो मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली सरकार चलाती है। इसमें जो रहने वाले लोगों की क्षमता है, वह पांच सौ के आसपास है, लेकिन यहां पर नौ सौ से अधिक लोग हैं और जो व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिए, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। शौचालयों से लेकर अन्य प्रावधानों की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन लोगों की मृत्यु यहां पर बहुत अधिक संख्या में हो रही है। तकरीबन 163 स्टाफ की यहां पर कमी है। इन सबके रहते हुए चाहे शौच है, चाहे उन रोगियों की देखभाल का काम है, यह बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत है। तो ऐसे में जो भी आर्थिक या मानव संसाधनों की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार पर्याप्त रूप से उसका प्रावधान करे। ताकि ऐसे रोगियों की, जिनके परिवार नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, एक संवेदनशीलता का प्रतीक हो। लेकिन यहां पर तो दिल्ली के मालिक असंवेदनशील हैं और वह सबको दिखाई दे रहा है। खास तौर पर ऐसे मानसिक रोगियों तक के लिए ये प्रावधान नहीं कर पा रहे है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष: अब तो कोई वक्ता बाकी नहीं बचा है?

अनेक माननीय सदस्य: जी नहीं।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Om Prakash Rajenimbalkar	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri B. B. Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Prakash Rajenimbalkar Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Vinayak Bhaurao Raut	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Prakash Rajenimbalkar
Shri Manish Tewari	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Krupal Balaji Tumane	Shri B. B. Patil Shri Om Prakash Rajenimbalkar Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Prakash Rajenimbalkar Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Malook Nagar
Dr. Nishikant Dubey	Shri Gopal Shetty Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajkumar Chahar Shri Krishnapalsingh Yadav Shri Santosh Pandey Shri Ram Swaroop Sharma Adv. Ajay Bhatt	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Pritam Gopinathrao Munde	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Gopal Shetty Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Jagdambika Pal	Prof. S.P. Singh Baghel Shri Vinod Kumar Sonkar Shri Ritesh Pandey Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Janardan Singh Sigriwal

	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Kaswan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ram Kripal Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Sanjay Jaiswal Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Bharati Pravin Pawar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Prof. S.P. Singh Baghel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Riti Pathak	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rahul Ramesh Shewale	Shri Om Prakash Rajenimbalkar
Dr. Sujay Vikhe Patil	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Kapil Moreshwar Patil	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Tapir Gao Shri Ajay Misra Teni	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Janardan Singh Sigriwal Shri Subhash Chandra Baheria Shri Vinod Kumar Sonkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Sanjay Seth	
Dr. R. K. Ranjan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Syed Imtiaz Jaleel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Rama Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Anupriya Patel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Annpurna Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Ranjeeta Koli	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hibi Eden	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rajmohan Unnithan	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramshiromani Verma	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri N.K. Premachandran	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri B. Manickam Tagore	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kuldeep Rai Sharma	Shri Malook Nagar
Shri Ritesh Pandey	Shri Malook Nagar
Shri Afzal Ansari	Shri Malook Nagar

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1718 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 08 मार्च 2021 / 17 फाल्गुन, 1942 (शक)
के चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।